



वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2020 - 2021

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2020-21



पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण Pension Fund Regulatory and Development Authority

बी—14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कृतुब संस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली—110 016 B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai,New Delhi-110 016

यह रिपोर्ट पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियमों 2015 के प्रारूप अनुसार है ।





पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



सुप्रतिम बंदोपाध्याय अध्यक्ष Supratim Bandyopadhyay Chairperson

ब्रेषण एव

फा.सं.पीएफआरडीए / 09 / 02 / 0001 / 2021 – वार्थिक रिपोर्ट विमान

06 दिसंबर 2021

सचिव वित्तीय सेबाएं विभाग. वित्त मंत्रालय, गास्त सरकार, स्ट्यद मार्ग, जीवनदीय भवन. नई दिल्ली —110001

विषय- दिल वर्ष 2020 21 के लिए पीएफआरडीए की वार्षिक रिपोर्ट ।

नहादय

पंजन निधि विनिधामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 46(2) के प्रावधान के अनुसार पेंशन निधि विनिधामक और विकास प्राधिकरण के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष को वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ आपकों प्रेषित करते हुए गुझै अति प्रसन्नता हो रही है ।

भवदीय

(सुप्रतिम बदोपच्याय)

विषयवस्तु

तस्य प	व उद्देवमी का वक्ताव्य	11
छदेश्य		11
परिकल	पना	11
and the	का गाँदेश	13
वार्ट व		15
	रण के वरिष्ठ क्षमिकारी	16
सोतिनि	**(15:15:11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	17
************	Z-ME	· ······
HHI I		20
*********	ं और कार्यक्रम *^ र्ल	20
1.1	वैश्विक आर्थिक परिदृश्य	20
1,1,1	मुद्रास्फीति	20
1.1.2	वैश्विक वस्तू मूल्य	20
1.1.3	वैश्विक आर्थिक परिवेश	21
1.1.4	बॉन्ड और इक्विटी बाजार	21
1.2	घरेलू अर्थव्यवस्था	21
1.21	भारत में समिष्टि अर्थशास्त्र विकास	21
122	मुद्रास्फीति	22
1.23	मौद्भिक प्रबंधन	23
1.3	वित्तीय बाजार	23
1.3.1	जी—सेक बाजार	23
1.3.2	कॉर्पोरेट बांड बाजार	24
1.3.3	इक्विटी बाजार	24
1.4	वैश्विक पेंशन बाजार की समीक्षा	24
1.4.1	वर्ष 2020 में ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन निधि आस्तियां	24
1.4.2	वर्ष 2020 में इक्विटी निवेश	26
1.5	पेंशन क्षेत्र के लिए बजट 20210 में प्रमुख घोषणाएं	26
1.6	भारतीय जनसांख्यिकी और वृद्धावस्था आय सुरक्षा	26
1.7	भारतीय पेंशन परिदृश्य	27
1.8	पीएफआरडीए के लक्ष्यों की समीक्षा पर एक टिप्पणी	29
1.9	एनपीएस के तहत मध्यस्थ इकाईयां	31
1.9.1	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के तहत शामिल अन्य पेंशन योजनाओं के साथ	31
1.0.1	संबद्धित मध्यस्थ इकाईयां और अन्य इकाईयां	
1.9.2		33
1.9.3	खात क अकार लोकसंपर्क	33
*********	NITE IN THE COLUMN TO THE COLU	
मान व	स के तहत निधियों का निवेश	34
3416	रा ५० वर्षव । गायस विकास व	: 54

विषयवस्तु

2.1	पेंशन निधियां (पीएफ्स)	34
2.1.1	पेंशन निषियों के कार्य	34
2.1.2	सरकारी क्षेत्र अर्थात् (सीजी और एसजी), एनपीएस स्वावलम्बन और एपीवाई के लिए पेशन निवियों की सूची	35
2.1.3	निजी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन निधियों (पीएपस) की सूची	35
2.2	योजनाएं	35
2.3	पॅशन निधियों से संबंधित विनियम, अधिसूचनाएं, जारी प्रमुख परिपन्न / दिशानिर्देश	41
2.4	निरीक्षण	42
गान व		
*******	रण के कार्य	43
3.1	मध्यस्यों का पंजीकरण तथा स्थगन, निरसन आदि	43
3.2	योजनाओं का अनुमोदन, ऐसी योजनाओं के तहत निवेश दिशानिर्देश नियम और शर्त	46
3.3	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निकास	47
********	**************************************	47
3.3.1	पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, और उसके तहत किए गए संशोधन	4/
3.3.2	एनपीएस के तहत आंशिक प्रत्याहरण	50
*******	**************************************	55
3.4	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के अंतर्गतअन्य पेंशन योजनाओं के तहत अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई गतिविधियाँ	33
3.5	अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र और ऐसी गतिविधियों की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र	56
3.5.1	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए लोकपाल के कार्यालय में प्राप्त, सुलझाई गई और लंबित	59
2.0.1	शिकायतों की संख्या ।	46
3.5.2	वित्त वर्ष 2020—21 के दौरान लोकपाल कार्यालय को राज्यवार प्राप्त शिकायतें	59
3.5.3	पीएफआरडीए द्वारा चठाए गए कदम	59
3.6	सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम	60
3.7	प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थ इकाईयों के आंकड़े, अध्ययन, अनुसंघान और परियोजनाओं की	61
	वचनबद्धता और प्रवर्तन सहित ।	34
3.8	अभिदाताओं और आम जनता को पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों और	61
9	बिचौलियों के प्रशिक्षण विवरण पर शिक्षित करने के लिए छठाए गए कदम	
3.8.1	वित्तीय साक्षरता	61
6.8.2	वित्तीय अभिकरणों और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय कार्यक्रम	62
3.8.3	एनपीएस जागककता, संचार और सोशल मीडिया	63
3.8.4	And the second s	65
3.8.5	ज्यां के क्षेत्रकार्य अभिक्रमा	65
3.8.6		66
3.8.7	एनपीएस और एपीवाई सूचना हेल्पडेस्क	66
*******	***************************************	
3.9	वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित सम्मेलन, बैठकें और अन्य पहल	67

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

3.9.1	केंद्र और राज्य सरकार क्षेत्र के तहत सम्मेलन	67
3.9.2	सरकारी क्षेत्र में एनपीएस के सुवास्त्र कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम	69
3.9.3	कॉर्पोरेट क्षेत्र के अंतर्गत सम्मेलन	71
3.9.4	अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मेलन/कार्यक्रम और बैठकें	72
3.10	पेंशन निधियों के प्रदर्शन	73
3.11	विनियमित आस्तियां	76
3.12	वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा प्रमारित या संकलित किए जाने वाले अन्य शुल्क या प्रमार	76
3.13	निष्पादित निरीक्षण, आयोजित जांच और निष्पादित अन्वेषण जिनमें पेंशन निधियों से सम्बंधित मध्यस्थों और अन्य इकाईयों या संगठनों की लेखापरीक्षा सम्मिलित है के लिए मांगी गई जानकारी	78
3.13.1	जांच और निरीक्षण	78
3.13.2	निरीक्षण और लेखापरीक्षा	78
3.14	अन्य	79
3.14.1	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के तहत शामिल अभिदाता (श्रेणीवार)	79
3.14.2	चपस्थिति अस्थित्व	82
3.14.3	योजनावार प्रबंधन के अधीन संपत्ति	82
3.14.4	केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, उसकी भूमिका तथा कार्य	83
3.14.5	र्वेशन निश्चियां (पीएफ)	89
3.14.6	न्यासी बैंक	90
3.14.7	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत प्रतिभूतियों का अभिरक्षक	95
3.14.8	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास	96
3.14.8	सेवानिवृत्ति सलाहकार	98
3.14.10	पेंशन के क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा की गई अन्य कार्य	98
माम (ए		
4.1	पेंशन सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली	100
4.2	विनियम निर्मित और संशोधित	100
4,3	अभिदाता शिक्षा तथा सुरक्षा निधि के उपयोगीकरण पर समिति का गठन	101
4.4	पीएफआरडीए में सूचना तकनीकी और साइबर सुरक्षा पर स्थायी समिति	101
VIIIV V		
5.1	पेंशन निश्चि विनियासक और विकास प्राधिकरण के लिए संगठनात्मक मुद्दे	102
5.2	प्राधिकरण की बैठकें	102
5.3	पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या	102
5.4	पीएफआरडीए में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ और ओबीसी प्रकोष्ठ की स्थापना	102

विषयवस्तु

5.5 कार्यस्थल पर यौन छत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति	103
5.5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की रोकथाम के लिए समिति 5.8 कर्मचारी कल्याण समिति	103
5.7 पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण	103
5.8 राजमांषा हिंदी का प्रसार	103
5.9 सूचना का अधिकार	104
5.10 संसदीय प्रश्न	105
5.11 अन्य गतिविधियाँ	105
5.11 जन्य नारायायया 5.12 पीएफआरडीए का लेखा	105
उ.12 पश्चिमारकार् का लेखा	103
कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जो अभिदाताओं के हित को प्रतिकूल रूप से प्रमावित करता है	ļ
6.1 एक उचित विनियम की अनुपस्थिति, जो नोडल अधिकारियों रोक्ति हैं	106
6.1 एपीवाई में शामिल होने के लिए 40 साल की आयु सीमा	106
~	106
	106
6.3.1 न्यूनतम आश्वासित रिटर्न योजना (मार्स) 6.4 वैतन के 10% से अधिक नियोक्ता अंशदान पर कराधान	106
##//// /# #############################	107
8.5 करयोग्य परिलब्धियों की गणना के लिए नियोक्ता अंशदान पर सीमा	
6.6 धारा 80सी के कर लाभ के साथ टियर— II कर बयत योजना केवल केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए	107
कनयारया के लिए 6.7 टियर— II निवेश लाभों पर कराधान	107
	100
मान VII अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के	ļ
विनों की नमा के दिया माधिकरणा जारा कोई ग्राजा जगाग	
7.1 प्राधिकरण द्वारा उनके अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई अन्य पहल	108
श्वास्थ्यक की सनी	·
शनगर्नक I	†····
	111
पेंशन सलाहाकार समिति का गठन अनुलग्नक II	ļ
	112
राज्यानुसार पीओपी-एसपीज़ की संख्या अनुलग्नक II	·
	113
वार्षिक विवरण तथा अनुसूचियाँ	

लक्ष्य और उद्देश्यों का वक्तव्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियम, 2015 के नियम9(2)(ग)के तहत

उद्देश्य

पीएफआरडीए के व्यापक उद्देश्य पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना में शामिल हैं जो कि निम्नलिखित है :

ऐसे प्राधिकरण की स्थापना करना, जो कि वृद्धावस्थाआय को बढ़ावा दे, पेंशन निश्चियों को विकसित और विनियमित करे, जिससे पेंशन निश्चियों की योजनाओं के अभिदाताओं तथा चनसे जुड़े एवं प्रासंगिक मामलों की स्था की जा सके।

परिकल्पना

नागरिकों की वृद्धावस्था आय आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्वि हेतु एक संगठित पेंशन प्रणाली का प्रसार एवं विकास करते हुए एक आदर्श विनियामक की भूमिका अदा करना ।

अध्यक्ष का संदेश

वैश्विक वित्तीय प्रणाली कोविस्-19 महामारी के प्रकोप से उभर रही है। महामारी से उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक व्यवधान विंताजनक है. यह नुकसान अमूतपूर्व है, इस घटना ने बहुत कुछ सिखाया है। सरकारों, केंद्रीय बैंकों और वित्तीय नियामकों के सहयोग से किए गए प्रयासों ने महामारी के प्रमाव को कम करने में सहायता की है। समयबद्ध नीतिगत प्रतिक्रियाओं ने प्रभाव की गंभीरता को सीमित कर दिया है और इस प्रकोप से उबरने में अर्थव्यवस्था की सहायता कर रहा है।

जहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2020 में संकुचित हो गई थी, वहीं यह 2021 में विकास के मार्ग पर है । उन्नत अर्थव्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं : उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में सुधार असमान बना हुआ है । इस महामारी ने देशों की वित्तीय और स्वास्थ्य प्रणाली का परीक्षण किया और समयपूर्व की तैयारियों और बेहतरी की गुंजाइश पर एक सबक दिया है।

डब्ल्यूईओं की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था का 2021 में 6 प्रतिशत तक वृद्धि होने का अनुमान है, जो 2022 में 4.9 प्रतिशत तक सीमित होने का पूर्वानुमान है ।

एनएसओ अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020—21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि वर्ष 2019—20 में 4.0 प्रतिशत की तुलना में —8.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसके अलावा, वर्ष 2021—22 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

महामारी के संबंध में, देश अब परीक्षण के लिए पर्पाप्त तैयारी कर ली हैं, जो सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों और केंद्रीय बैंक द्वारा कई मौद्रिक नीति उपायों की पहल द्वारा समर्थित है, जो राजकोषीय प्रोत्साहन द्वारा समर्थित है।

पीएफआरडीए ने इस महामारी के दौरान अपने एनपीएस और एपीवाई अभिदाताओं का समर्थन करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं: चाहे वह वित्तीय हो (कोविड-19 के उपचार के लिए एनपीएस के तहत आंशिक निकासी की अनुमति देना और एपीवाई अंशदान के ऑटो-डेबिट को रोकना) या परिचालन सुविधा ।

कोविख—16 से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों और जीडीपी पर इसके नकारात्मक प्रभाव और शेयर बाजार में अस्थिरता के बावजूद, एनपीएस को विनियमित और विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है, जो कि इस प्रकोप से काफी इद तक निपटने में सक्षम है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, इम अनुमान लगाते हैं कि आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था में तीव्रता से प्रगति होगी और विपरीत परिस्थिति को पीछे छोड़ देगी ।

महामारी के बावजूद, 31 मार्च 2021 तक, कुल 424.40 लाख अभिदाता एनपीएस के तहत (एपीवाई सहित) नामांकित हुए हैं, जिसने वर्ष दर वर्ष आधार पर 22.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (एयूएम) बढ़कर रू. 5,78,025 हो गई और इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष 38.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

पेंशन, एक दीर्घकालिक वितीय उत्पाद होने के कारण, इसके लिए किसी व्यक्ति की कामकाजी उम्र के दौरान संचय चरण में उसके कोष में निरंतर अंशदान की आवश्यकता होती हैं । इसलिए, पेंशन के लिए समय पर अंशदान शुक्त करने की सलाह दी जाती है। जितनी जल्दी हम पेंशन के लिए जमा करना शुक्त करते हैं, उतना ही अधिक चक्रवृद्धि लाम हम परिपक्वता पर प्राप्त करते हैं। इस संदर्भ में, वितीय साक्षरता का कार्य — पेंशन, सेवानिवृत्ति योजना/ बचत

अध्यक्ष का संदेश

से संबंधित मामलों के साथ—साथ विमिन्न खिजिटल/सोशल मीखिया और एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से पेंशन क्षेत्र को विकसित करने के व्यापक जनादेश — महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पीएफआरडीए की इस वार्षिक रिपोर्ट को साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। यह रिपोर्ट प्राधिकरण की प्रमुख गतिविधियों और पहलों को प्रदान करने का प्रयास करती है। मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट भारत में पेंशन प्रणाली की कार्यप्रणाली के बारे में समझ को बढ़ाएगी। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

अंत में, में, मारत को एक पेंशनभोगी समाज बनाने के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा के अपने उद्देश्य को पूरा करने की पीएफआरडीए की प्रतिबद्धता और समर्पण को दोहराना चाहता हूं ।

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय

बोर्ड के सदस्य

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम 23) की धारा 4 के तहत नियुक्त ।

(I) openie

श्री सुप्रतिम बंदोपाच्याय, अध्यक्ष, पीएफआरडीए, 21 फरवरी 2020 से अब तक।

(ii) पूर्णकातिक सदस्य

- श्री प्रमोद कुमार सिंह, पूर्णकालिक सदस्य (विधि) 03 मार्च 2020 से अब तक
- डॉ. दीपक मोहंती, पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) 1 सितंबर 2020 से अब तक
- प्रो. (डॉ) मनोज आनंद, पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) 1 अक्टूबर 2020 से अब तक

(11) शत्पकातिक शदस्य

- सुक्री. एनी जॉर्ज मैंध्यू (आईए एंड एएस 1988) अतिरिक्त सचिव, व्यय विभाग 12 दिसम्बर 2014 से अब तक ।
- सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, (आईएएस 1988) संयुक्त सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, 18 जनवरी 2020 से अब तक ।
- श्री मदनेश कुमार मिश्रा, (आईआरएस 1990) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, 03 नवम्बर 2017 से अब तक ।

प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारीगण

(31.03.2021 तक)

कार्यकारी निदेशक

श्री अनंत गोपाल दास

मुख्य महाप्रबंधक

श्रीमती ममता रोहित

श्रीमती सुमीत कौर कपूर

श्री वैंकटेश्वर्लू पेरी (दूसरी संस्था में प्रतिनियुक्ति पर)

श्री आशीष कुमार

महाप्रशंघक

श्री के मोहन गाँधी

श्री प्रवेश कुमार

श्री मोनो मोहन गोगोई फुकोन

श्री अखिलेश कुमार (एनपीएस न्यास में तैनात)

श्री विकास कुमार सिंह

श्री सुनित कुमार

श्री पी. अरुमुगारंगराजन

मुख्य रावर्गता अधिकारी

श्री डी. के. नामदेव

लोक्पाल

श्री अर्नव राय

वार्षिक रिपोर्ट दल

श्री आशीष कुमार, मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती मंजू मल्ला, खपमहाप्रबंधक श्री मनीष मणि, प्रबंधक

संक्षिप्तियां

एकाईएफ वैकल्पिक निवेश निधि

एपीवाई अटल पेंशन योजना

एपीवाई—एसपी एपीवाई—सेवाप्रदाता

एएसपी वार्षिकी सेवा प्रदाता

एयुएम प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति

बीएसई बम्बई शेयर बाजार सीएबी केंद्रीय स्वायत्त निकाय सीएजीआर संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर सीबीओ कॉर्पोरेट शाखा ऑफिस सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सीजी केंद्र सरकार

सीजीएमएस केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली

सीएचओ कॉपॉरेट मुख्य कार्यालय

सीआईएसओ मुख्य सूचना और सुरक्षा अधिकारी

सीओआर पंजीकरण प्रमाणपत्र सीपीआई उपयोक्ता मृह्य सूचकांक सीपीआईओ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सीआरए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण

सीएसजीएल ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबडी

डीबी परिभाषित लाभ

डीडीओ आहरण और संवितरण कार्यालय डीसीसीबी जिला केंद्रीय सह-कारी बैंक

डीएफएस वित्तीय सेवाएं विभाग

डीटीए खजाना और लेखा निदेशालय डीटीओ जिला खजाना कार्यालय

ईएमडीई उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं

ईपीएफ कर्मचारी मविष्य निधि ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना ईआरएम त्रृटि आशोधन मोड्यूल

एफएक्यू अधिकांशतः पूछे जाने वाले प्रश्न

फिन-टेक वित्तीय तकनीक

एफआईआई विदेशी संस्थानिक निवेशक

फिन-टेक वित्तीय तकनीक

एफएसडीसी फाइनेशियल स्टेबिलिटी और डेवलपेमेंट कार्चसिल

एफआरपीएस फांडस हे रिट्रेट प्रोफेसनल सपलीमेंटेयर

एफवाई वित्त वर्ष

जीबीपी सकल घरेलू खत्पाद जीसेक सरकारी सुरक्षा

संक्षिप्तियां

आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड

आईएमएफ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईओएस आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम

आईएसटीएम सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान आईपिन इन्टरनेट पर्सनल आइउँटीफिकेशन संख्या टीपिन देलीफोनिक पर्सनल आइउँटीफिकेशन नंबर आईआरडीएआई मारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

आईआरएफ-एफसी इंटर रेगुलेटरी फोरम फॉर मानिटरिंग फाइनेंशियल कांगलीमरेटस

केवाईसी अपने ग्राहक को जाने
एमएफआई सूक्ष्म कित संस्थान
एमआईएस प्रबंधन सूचना प्रणाली
मोबाइल एप मोबाइल एपलिकेशन
एनएएकआएडी नेशनल अकंडमी
एनएवी कुल आस्ति मुल्य

एनबीएफसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

एनसीएफई नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एउयुकेशन एनआईएसएम नेशनल इस्टिट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्किट

एनएलएओ एनपीएस लाइट खाता कार्यालय एनपीसीआई नेशनल पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

एनपीएससीएएन एनपीएस कॉन्ट्रिब्यूशन एकाउंटिंग नेटवर्क

एनपीएसटी शाष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

एनआरआई अनिवासी भारतीय

एनएसडीएल नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

एनएसई राष्ट्रीय शेयर बाजार

ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओपीजीएम ऑनलाइन प्रान जेनरेशन मॉडल ओएमओ खुले बाजार के परिचालन ओटीपी वन टाइम पासवर्ड पीएसी पेंशन सलाझकार समिति

पैन स्थायी खाता संख्या पीएओ वेतन और लेखा कार्यालय पीआरएओ प्रधान लेखा कार्यालय

पीएफ पेंशन निवि

पीएफएम पेंशन निधि प्रबंधक पीओमी चमस्थिति अस्तित्व

पीओपी-एसपी सपस्थिति अस्तित्व सेवा प्रदाता

पीपीपी क्रय शक्ति पारदर्शिता

प्रान स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या

क्यूआर कोड वियक रिस्पांस कोड आरए सेवानिवृत्ति सलाहाकार आरबीआई वारतीय रिजर्व बैंक

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

रिबिट रिजर्व बैंक इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड

आआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरटीआई सूचना का अधिकार एससीएफ अभिदाता अंशदान फाइल

सेबी भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड

एसजी राज्य सरकार

एसएचसीआईएल स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंकिया लिमिटेड

एसओटी संव्यवहार प्रकथन एसटीएस सर्वर से सर्वर टीबी न्यासी बैंक

टीजीएफआईएफएल टेक्नीकल ग्रुप ऑन फाइनॅशियल इनक्लूशन एंड फाइनेशियल लिटरेसी

यूओएस क्षरांगित केन्न बब्द्यूईओ विश्व आर्थिक परिवृश्य बब्द्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक बब्द्यूटीएम पूर्णकालिक सदस्य

साग I नीतियां और कार्यक्रम

मारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुक्कआत ने परिभावित लाम से परिभावित अंशदान प्रणाली में स्थानांतरित होकर एक आमूलचूल परिवर्तन किया है। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की प्रस्तावना, भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा के लक्ष्य को निर्धारितकरती है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की परिकल्पना एक सुसंगत और वित्तीय रूप से स्थायी पेंशन प्रणाली और उसके कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए की गई है।

पेशन क्षेत्र वैश्विक और घरेलू घटनाओं से प्रभावित है। इसके साथ ही, पेशन आस्तियां पूंजी बाज़ार और बुनियादी क्षेत्र के लिए संसाधनों को शृंखलाबद्ध करते हुए अर्थव्यवस्था को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती हैं। वैश्विक और घरेलू विकास आर्थिक वृद्धि, वस्तुगत मूल्य साथ ही साथ मौद्रिक और वित्तीय नीतिगत प्रतिक्रियाओं में प्रदर्शित होते हैं, जो कि कितीय बाज़ार के सभी भागों, बाहे वह इक्विटी बाज़ार, सरकारी प्रतिभूति बाज़ार या बांड बाज़ार हों, को प्रभावित करती हैं। रिपोर्ट का यह भाग वैश्विक और घरेलू पेशन बाज़ारों में विकास में तल्लीन करने से पूर्व अर्थव्यवस्था की संक्षेप में समीक्षा करता है।

ात हैरियक आणिया मश्चिमक

विश्व अर्थव्यवस्था ने 2021 में एक स्थिर सुधार देखा गया है । विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ), की रिपोर्ट, जुलाई 2021 के अनुसार, 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का विस्तार 6 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है, जो 2022 में 4.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। यह संयुक्त राष्ट्र में राजकोषीय समर्थन और फ्रांस, जर्मनी, इटली, कोरिया और यूनाइटेड किंगडम सहित अन्य चन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नए चपायों को दर्शाता है। ब्राजील, हंगरी, मैक्सिको, रूस और तुर्की सहित कई चमरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं राजकोषीय और मौद्रिक नीति के प्रनर्निर्माण के मार्ग में हैं।

चन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, विकास की संमावनाओं के पूर्वानुमान में 2021—22 में वृद्धि देखी जा रही है । 2021 की दूसरी छमाही में बेहतर बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 2021 में 0.3 प्रतिशत अंक और 2022 में 1.1 प्रतिशत अंक बढ़ने का अनुमान है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था 2021 की दूसरी छमाही में सुधार होने का अनुमान है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों ने जहाँ 2021 के बाद के माग में सुधार का अनुमान था, 2022 तक बेहतर होने का अनुमान लगाया गया है।

उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई) - डब्ल्यूईओ की रिपोर्ट के अनुसार, उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए 2021 के अनुमानों में 0.4 प्रतिशत अंक की कमी की गई है । मार्च मई 2021 के दौरान कई संक्रमण लहरों के कारण भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम में विकास की संभावनाओं में कमी आई है। सार्वजनिक निवेश और राजकोषीय समर्थन को कम करने के कारण चीन में विकास पूर्वानुमान 0.3 प्रतिशत अंक से कम किया गया है । लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में विकास पूर्वानुमान को संशोधित किया गया है क्योंकि यह मेक्सिको में बाजार की अनुकूल स्थिति और ब्राजील में व्यापार की बढ़ती शर्तों को दर्शाता है । उप-सहारा आग्रीका के लिए, 2021 में विकास दर 3.4 प्रतिशत होने की चम्मीद है, हालांकि महामारी से पहले की प्रवृत्ति की तुलना में काफी कम है ।

र र र पुजानकीरित

बन्दपूर्हओं के अनुसार, 2022 में, एक बार कीमत सम्बन्धी बाघाओं के दूर हो जाने पर, अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति के अपनी पूर्व महामारी की सीमा पर लौटने की उम्मीद है, हालांकि इसमें अनिश्चितता अधिक है । कुछ उमरते बाजारों और विकासशील अर्थत्यवस्थाओं में ऊँची मुद्रास्फीति की भी उम्मीद है, जो कि उच्च खाद्य कीमतों से संबंधित है ।

केंद्रीय बैंकों को आम तौर पर अस्थायी मुद्रास्फीति दबावों पर ध्यान देना चाहिए और जब तक अंतर्निहित मूल्य गतिशीलता पर अधिक स्मष्टता न हो तब तक कठोरता से बचना चाहिए। मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण पर केंद्रीय बैंकों से स्पष्ट संदेश मुद्रास्फीति की उम्मीदों को आकार देने और वित्तीय स्थितियों को समय से पहले कठोर होने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, एक जोखिम है कि अस्थायी दबाव अधिक स्थायी हो सकता है और केंद्रीय बैंकों को पूर्व— निवारक कार्रवाई करने की आवश्यकता हो सकती है।

ां.। वेशियक वस्तु गुल्ब

डब्ल्यूईओं के अनुसार, विशेष कप से तेल के लिए वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की उम्मीद की गई है । अनुमानित वैश्विक सुधार के अनुरूप तेल की कीमतों में उनके 2020 के निम्न स्तर से 2021 में तेल की कीमतों में 80 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है और गैर-तेल वस्तुओं की कीमतों में 2020 के स्तर से 30 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जो धातुओं और खाने की कीमतों में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।

Line affine mitte unter

वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर) अप्रैल 2021 के अनुसार, बड़े पैमाने पर नीतिगत समर्थन के साथ, कोविड—19 महामारी के दौरान वैश्विक वित्तीय प्रणाली लचीली रही और वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ था । इससे पारिवारिक इकाई और फर्मों को ऋण के प्रवाह को बनाए रखने में, वसूली में और वित्तीय जोखिमों को कम करने में सहायता मिली हैं। आर्थिक दृष्टिकोण ने सुधार मे प्रतिकृत परिणामों की सीमा को कम किया है, लेकिन भविष्य जीडीपी वृद्धि के लिए नकारात्मक जोखिम बना हुआ है।

कोविड—19 महामारी की शुष्डआत से, वैश्विक वित्तीय स्थिरता जोखिम जो कि अभी भी निहित है, उचित और समयबद्ध नीतिगत कार्रवाई को दर्शांती है । स्वास्थ्य सुरक्षा देखमाल सुविधाओं में प्रगति और निरंतर स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का संयोजन वैश्विक अर्थव्यवस्था के अधिक विनाशकारी आधात को रोकने में उल्लेखनीय रूप से सफल रहा है और इसने आगामी सुधार की आशा को बढ़ाया है। उत्पादन हानि की मयावहता के बावजूद आधुनिक समय में वितीय क्षेत्र पर एक सीमित प्रमाव ही पड़ा है। हालांकि महामारी ने अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों पर गहरा प्रमाव डाला है और कुछ अंतर्निहित कमियों को उज़ागर किया है, वैश्विक वितीय प्रणाली ने अब तक उल्लेखनीय लंबीलापन दिखाया है।

पूर्व अपन और इंडियरी तालाह

जीएकएसआर के अनुसार आर्थिक सुधार की उम्मीदों और निरंतर नीतिगत मृष्टमूनि में तेजी के कारण 2020 की तीसरी तिमाही में इंक्टिटी बाज़ारों में तेजी से सुधार आया है. और वे अब मूल सिद्धांतों पर आधारित प्रतिक्रमों द्वारा सुझाए गए अधिक उद्यतर स्तर पर कारोबार कर रहा है। ऐतिहासिक क्षम से कम वास्तविक जोखिम मुक्त दरों (सबसे हालिया वृद्धि के बावजूद) ने अब तक मूल्यांकनों को सामग्री समर्थन प्रदान किया है और अर्जन प्रत्यासाओं में सुझार आया है। कोर्पोरेट बांड बाज़ार में कीमत—लागत अंतर बहुत न्यून बना हुआ है।

जीएफएसआर के अनुसार, लंबे समय से संयुक्त राज्य अमेरिका में 2020 की गर्मियों से 125 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है, जो कि राजकोषीय वृद्धि के वित्तपोषण के लिए राजकोषीय प्रतिभूतियों की बढ़ती आपूर्ति प्रत्याशाओं को प्रदर्शित करती है।

संयुक्त राष्ट्र में उच्चतर लामों ने भी अन्य चन्नत अर्थव्यवस्थाओं में तुलनीय परिपक्तता लामों में रूपरी दबाव बाला है, जिनमें वह देश भी शामिल हैं, जहाँ वसूली अमी भी पिछड़ रही है। 2021 में अब तक उन्नत अर्थव्यवस्था के औसत 10 वर्षीय दरों में 50 आधार अंक की वृद्धि हुई है। चन्नत बाज़ारों की अस्थिएता ने उमरतें बाज़ारों की हालिया वृद्धि और मध्यम तथा दीर्घकालिक बांड बाज़ारों के लामों और मुद्राओं को अव्यवस्थित कर दिया है और कुछ मोर्टफोलियो बहिर्बाह का कारण बना है।

तभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं बॉलर की तुलना में बढ़ी हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ती व्याज़ दरों के कारण, 2021 की शुरूआत में कुछ अस्थिरता का सामना करना पढ़ा है। बाज़ारों में हालिया अस्थिरता से बाहरी ऋण कीमत लागत में अंतर अपेक्षाकृत अछ्ता रहा है।

वरेन् कर्यकारणाः उ.व. मास्त में स्वर्धित-वार्धिक विकासः

वर्ष 2020-21 में, भारतीय अर्थव्यवस्था देशभर में फैले संक्रामक कोरोना वायरस से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। वर्ष 2020-21 में कोविङ- 19 ने अर्थव्यवस्था पर एक प्रतिकूल प्रमाव खाला । महामारी के समाधान में, सरकार ने कई सक्रिय और इसे कम करने वाले खपाय किए, जिनमें राष्ट्रव्यापी कठोर लॉकडाउन शामिल है।

एक सुदृढ़ लोकतंत्र और साझेदारियों से समधित होने के कारण कोविछ से निकलने के चपरांत विश्व में भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की उम्मीद है। आर्थिक परिदृश्य में सुधार के साम्य. अर्थव्यवस्था के विमिन्न क्षेत्रों में निवेश किया गया है। कई विदेशी कंपनियां, मारत में सरकारी पहल जैसे मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया में सेवा इकाईयां स्थापित कर रही हैं। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य देश के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और एक औसत भारतीय उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बढ़ाना है, जो आगे मांग को बढ़ाएगा और विकास को गति देगा, जिससे निवेशकों को लाभ होगा । दूसरी और, डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत तीन प्रमुख तत्वों : डिजिटल वृनियादी ढांचे का निर्माण, डिजिटल रूप से सेवाएं वित्रित करना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना प्रमुख है।

आरबीआई के अनुसार (एमपीसी रिपोर्ट, अप्रैल 2021), 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2020-21 के दौरान भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीमी) 8.0 प्रतिशत से संकृषित रही । उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे वाहन बिक्री : टोल संग्रह : वस्तु और सेवा कर राजस्व : ई-वे बिल्स: और स्टील खपत - ने सुझाया कि तिमाही 3(Q3) से तिमाही 4(Q4) में बढ़ोतरी ने संकेत दिया है कि विनिर्माण और सेवा गतिविधियों में वृद्धि हुई है और क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) विनिर्माण मार्च 2021 में 55.4 के साथ विस्तार क्षेत्र में रहा है। कि कृषि में सुधार खाद्य-सामग्री और बागवानी चत्पादन से स्पष्ट है, जो कि वर्ष 2019-20 के अंतिम अनुमान की तलना में 2.0 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत क्रमश : से अधिक होने की उम्मीद है । इसके अलावा, 2021-22 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 10.5 प्रतिशत पर बनी रही, जिसमें तिमाही 1 (क्यू 1) में 28.2 प्रतिशत, Q2 में 8.3 प्रतिशत, 0.3 में 5.4 प्रतिशत और 0.4 में 8.2 प्रतिशत शामिल है।

1.2.2 मुहाएफीति


वर्ष 2020-21 में, आरबीआई एमपीसी रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति ने लॉकडाउन पूर्व अवधि के लगातार 8 माह की ऊपरी सहिष्णुता सीमा 8 प्रतिश्वत को पार किया, जिसका कारण मूल्य-वृद्धि शृंखला-आपूर्ति शृंखला व्यवधान, मौसम परिवर्तन, उच्चतर कच्चा तेल और अन्य वस्तु कीमतें और उच्चतर कर हैं। मूल मुद्रास्फीति ऊंचे स्तरों पर स्थिर रही।

वित्त वर्ष 2020-21 में औसत सीपीआई मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2019-20 के 4.8 प्रतिशत से बढकर 6.2 प्रतिशत हो गई। मार्च 2021 में संपूर्ण सीपीआईसी मुद्रास्फीति बढ़कर 5.52 प्रतिशत हो गई। वस्तु की कीमतों में तेज़ी, बढ़ती मांग और मूल्य निर्धारण शक्ति में मजबूती के बाद, मूल मुद्राएकीति (खाद्य और पेय पदार्थ, और ईंधन और बिजली को छोड़कर) मार्च 2021 में खाद्य मुद्रास्कीति के कारण 5.52 प्रतिशत से बढ़ गई। वस्त की कीमतों में तेजी, बढ़ती मांग और मूल्य निर्धारण शक्ति में मजबूती के बाद मुख्य सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च 2021 में 29 महीने के उच्च स्तर 8.0 प्रतिशत पर पहुँच गई। वित्त वर्ष 2019-20 के 1.7 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में औसत डब्लयुपीआई मुदास्फीति 12 प्रतिशत से सरल हो गई । मार्च 2021 माह के दौरान ढब्ल्युपीआई मुद्रास्फीति में सभी प्रमुख समूहों अर्थात् प्राथमिक लेख, ईंधन तथा बिजली और निर्मित उत्पादों में वृद्धि के कारण 7.38 प्रतिशत के साथ 103 माह की वृद्धि हुई ।

सामान्य दिवण—पश्चिम मानसून का मूर्वानुमान और तेल कीमतों में नरमी ने खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति दवावों को क्रमशः नरम कर दिया। मूल मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण के प्रभावित होने की संमादना है, जो कि राज्यों में आपूर्ति मुंखलाओं में व्यवधानों पर आधारित है।

(प्रोत : गासिक शार्थिक समीमा अप्रैल 2021)





स्रोत : पीआईबी और एमओएसपीआई

1.23 मीडिक प्रबंधन


वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में, एमपीसी ने नीति रेपो दर को 5.15 प्रतिशत से घटाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया गया, जिसका दूसरे द्वि-मासिक नीति वक्तव्य में 40 आधार अंकों (बीपीएस) की कमी के साथ 4.0 प्रतिशत से अनुसरण किया गया ।

नीति रेपो दर, तीसरे, बौथे, पांचवें और छठे द्वि-मासिक मौदिक नीति वक्तव्य में समान बना रहा । इसके अतिरिक्त, आरबीआई सुनिश्चित कर रहा है कि जब तक विकास को पुर्नर्जीवित करना आवश्यक है, अनुकूल दृष्टिकोण के साध मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

1.3 विलीय बाजार

भारत का एक विविध वित्तीय क्षेत्र हैं, जो वित्तीय सेवाओं और नई संस्थाओं के विकास के मामले में तेज़ी से वृद्धि कर रहा है। इस क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनिया, सहकारी समितियां, पेंशन निधियां, म्यूब्युअल फंड्स और अन्य लघु वित्तीय इकाईयां शामिल हैं। कोविड-18 के कारण 2020-21 एक असाधारण वर्ष रहा है।

चार्ट 1.2 : बित्त वर्ष 2019-20 और बित्त वर्ष 2020-21 के दौरान रेपो दर में गति नीचे प्रदान की गई है :




स्रोतः एमपीसी रिपोर्ट आरबीआई

1.3.1 थी-रांक बाजार

अप्रैल 2021 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार, एव 2 : 2020-21 के दौरान, 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल में 30 आधार अंक से वृद्धि हुई, हालांकि यह एक दशकीय निम्न स्तर पर रहा । 2020-21 क्यू 3 के दौरान प्रतिफल 6.04 प्रतिशत से घटकर 6.89 प्रतिशत हो गई । बॅचमार्क 10 वर्षीय प्रतिफल, जिसने अप्रैल 2020- जनवरी 2021 के दौरान 6.83 प्रतिशत (औसतन) पर कारोबार किया था, फिर नीचे आने से पूर्व 10 मार्च, 2021 को 6.25 प्रतिशत हो गया ।

चार्ट 1.3 : 10 वर्षीय जी-सेक बांढ प्रतिफल (प्रतिशित)



स्रोत : आरबीआई रिपोर्ट

1.3.2 कोपरिट बांड बाजार

आरबीआई अप्रैल 2021 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार, H2: 2020-21 के दौरान कोर्पोरेट बांड प्रतिफल अपरिवर्तित बने रहे। मार्च 2021 के अंत में, एनबीएफसी द्वारा जारी 3 वर्षीय एएए-रेटेड बांड 1 आधार अंक के साथ 5.54 प्रतिशत से कम हो गया, जबकि कोमॉरेट और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज़), वित्तीय संस्थानों (एफआईज) और बैंकों में 5 बीपीएस और 11 बीपीएस की वृद्धि 5.40 प्रतिशत और 5.20 प्रतिशत क्रमशः पर हुई । एएए रेटेड 3-वर्षीय बांड (3-वर्षीय जी-सेक से अधिक) पर जोखिम या स्प्रेड 63 बीपीएस से 36 आधार अंक, कोपोंरेट के लिए 48 आधार अंक से 22 आधार अंक और पीएसयूज़ के लिए 17 आधार अंक से 2 आबार अंक से कम हो गया ।

1.3.5 इबिनटी बाजार

अक्टूबर 2020 में, अर्थव्यवस्था के अनलॉक होने के बाद

इक्किटी बाज़ार अच्छा रहा। घरेलू इक्किटी H2:2020-21 में सकारात्मक वैश्विक संकेतों, रिकॉर्ड एफपीआई प्रवाह, आर्थिक गतिविधियों में सुधार, मज़बूत कोपोरेट आय और कोविख-18 वैक्सीन प्रवाह के कारण सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

शीघ्र मार्च 2021 में, सुदृढ़ जीएसटी संकलन, 2020-21 के तिमाही 3 के लिए सकारात्मक जीडीपी आंकड़े फरवरी 2021 के लिए विनिर्माण और पीएमआई में सुधार का अनुसरण करते हुए मार्च 2021 में इविवटी बाज़ार ने ऊपरी गति पकडी ।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बीएसई का आधार सूचकांक का प्रदर्शन सुधार की ओर रहा और 31 मार्च 2021 को 49509.15 अंक पर बंद हुआ, जबकि निपटी 50, 31 मार्च 2021 को 14890.70 पर बंद हुआ ।



वार्ट संख्या 1.4 : सेंसेक्स और निपटी सूचकांक

स्रोत : बीएसई वेबसाइट

वैविवक पेंशन बाजार की समीका

1.4.1 वर्ष 2020 में खोईसीबी क्षेत्र में पेंशन निधि व्यक्तियां

ओईसीडी रिपोर्ट के अनुसार, सभी देशों में, उचित ढंग से निकासी करने वालों को छोडकर, कोविड-19 के बावजूद, पेंशन निधि आस्तियों ने दुनियामर में 2020 के अंत में यूएसडी 36 ट्रिलियन को पार कर लिया, जो कि 2019 के स्तर से अधिक है। ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन निधि आस्तियां 9 प्रतिशत से बढ़ी और 2020 के अंत में यूएसडी 34.2 ट्रिलियन पहुंच गई। ओईसीडी क्षेत्र के बाहर, 31 न्यायक्षेत्रों के समुह में पेंशन निधि आस्तियां, 2020 के अंत में युएसडी 0.8 ट्रिलियन हो गई, जो कि 2019 के अंत की तुलना में 1 प्रतिशत से अधिक थी।

पेंशन निधि में आस्तियां लगमग सभी देशों में निरंतर बढ़ रही है। इस वृद्धि को वित्तीय बाज़ारों में पूंजीगत लाम और सरकारी उपायों द्वारा समर्थित किया गया. जिससे सदस्यों को उनकी पेशन योजनाओं में मागीदारी जारी रखने में सहायता मिले। जार्जिया में (100%


से कपर) जहाँ जनवरी 2018 से द्वितीय स्तंभ पेंशन योजना में भागीदारी अनिवार्य हो गई है, परिसंपत्तियां मजबूती से बढ़ी तथा फ्रांस (84%) जहाँ बीमा कंपनियों ने पेंशन ब्यवसाय का निर्माण करना और एफआरपीएस (जो कि एक नया प्राधिकृत उपाय अर्थात् पेंशन निधि है) में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है।


अलग-अलग देशों में पेंशन निधियों में राशि भिन्न होती है, ओईसीडी क्षेत्र में 7 देश पेंशन निधि परिसंपत्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक के लिए उत्तरदायी हैं: संयुक्त राष्ट्र (यूएसडी 20.1 ट्रिलियन), युनाइटेड किंगडम (यूएसडी 3.2 ट्रिलियन), नीदरलैंड (यूएसडी 2.1 ट्रिलियन), ऑस्ट्रेलिया (यूएसडी 1.8 ट्रिलियन), कनाडा (यूएसडी 1.8 ट्रिलियन), जापान (यूएसडी 1.5 ट्रिलियन) और स्विटजरलैंड (यूएसडी 1.2 ट्रिलियन)।

पेंशन निविधों में परिसंपत्ति 5 देशों में घरेलू अर्थव्यवस्था के आकार को पार कर गई : नीदरलैंड (210.3 प्रतिशत), आइसलैंड (184.3 प्रतिशत), स्विटजरलैंड (148.1 प्रतिशत), ऑस्ट्रेलिया (128.7 प्रतिशत) और यूनाईटेड किंगडम (118.5 प्रतिशत) । इसके विपरीत पेंशन निवि आस्तियां कुछ देशों जैसे अल्बानिया, ग्रीस और फ्रांस में बहुत कम रही, जो जीडीपी का 0.2 प्रतिशत, 1 प्रतिशत और 2.6 प्रतिशत क्रमशः है।

चार्ट संख्या 1.5 : 2020 में पेंशन निधियों में आस्तियां (जीडीपी का प्रविशव) में

क. ओइसीडी देश (प्रतिशत में)





चोतः ओईसीडी रिपोर्ट

वर्ष 2020 की पहली तिमाही में स्टॉक की कीमतों में तेज़ गिरावट, बेरोज़गारी में वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद के संकुचन बावजूव अधिकांश रिपोर्टिंग क्षेत्राधिकारों में पेंशन निधि ने सकारात्मक निवेश रिटर्न प्राप्त किया । वर्ष 2020 में हॉगकांग (चीन) और मैक्सिको ने 124 प्रतिशत और 83 प्रतिशत क्रमशः के साथ उच्चतर निवेश रिटर्न प्राप्त किया । बेनमार्क (7.6 प्रतिशत), नीदरलैंब्स (8.5 प्रतिशत), और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (5.9 प्रतिशत) सिवत 17 न्यायाक्षेत्रों में पेंशन निधियों ने 5 प्रतिशत से अधिक का वास्तविक रिटर्न दर दर्ज किया । पेंशन निधियों का निवेश प्रदर्शन कम होने के बावजूद यह अभी भी अन्य न्यायक्षेत्रों में सकारात्मक रहा।

चार्ट संख्या 1.8 : दिसंबर 2019- दिसंबर 2020 तक पेंशन निधियों के वास्तविक रिटर्न रेटस (प्रारंभिक)

Pakistan.

Guyana


Uruguay


Thailand

Suriname

Serbia

North Macedonia





23

1,5

20

47

4.6

श्रोत : ओईसीडी रिपोर्ट

पेंशन निवियों ने कोलंबिया में (o प्रतिशत), चेक रिपब्लिक में (1.1 प्रतिशत), सर्विया में (1.1 प्रतिशत) और पुरनाम में (10.8 प्रतिशत) लेकिन मुद्रास्फीति से कम (कोलंबिया में 1.8 प्रतिशत, चेक रिपब्लिक में 23 प्रतिशत, सर्बिया में 1,3 प्रतिशत और सुरनाम में 60 प्रतिशत से अधिक) सकारात्मक नामित रिटर्न प्राप्त किए।

1.4.2 वर्ष 2020 में इविषदी निवेश

ओईसीडी रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के अंत में पेंशन निधियां अधिकांशतः इक्विटी और बांडस में नियेशित थी और 68 रिपोटिंग देशों में, दोनों साधनों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेंशन निधि निवेश का औसतन 74 प्रतिशत भाग निवेशित है। बांड्स में एकल रूप से पेंशन निधि निवेश का औसतन 50 प्रतिशत निवेशित है।

(चीन), लिधुआनिया, हांगकांग मलावी. नामीबिया और पोलैंड में पेंशन निधि निवेश का 60 प्रतिशत से अधिक भाग इक्विटी में निवेशित है, जबकि आर्मेनिया, चेक गणराज्य या जॉर्जिया में पेंशन निधि ने अपनी आस्तियां इक्विटी में निवेशित नहीं की है।

वर्ष 2020 में कम और गिरती ब्याज़ दरों के कारण कुछ पेशन निधियों ने अपनी आरित आवंटन को समायोजित किया है, चेक रिपब्लिक में पेंशन निधियों ने अपनी आस्ति कें a प्रतिशत से अधिक नकद को बांड (विशेष रूप से सरकारी बांडस में) में परिवर्तित कर दिया। क्रोएशिया में, कम ब्याज दर के कारण मॅशन निधियों ने जोखिमपूर्ण आस्तियों जैसे इक्विटीज़ में पेंशन निधियों को अधिक निवेश किया।

1.5 पेंसन बोज के लिए बच्चट 20210 में प्रमुख घोषणएँ

बजट 2021 में पेशन क्षेत्र से संबंधित घोषणा की गई थी : राष्ट्रिक धन निधियां और पेंशन निधियों (एसडब्लयूएफ/ पीएफ) में छूट की शतों में रियायत

भारतीय ढांचे में अधिक एसडब्लयुएफ/पीएफ को प्रोत्साहित करने के लिए, 100 प्रतिशत कर खूट प्राप्त करने के लिए पूर्व बजट में शुरू की गई कुछ शतों में रियायत प्रस्तावित की गई। जिन शर्तों में रियायत देने का प्रस्ताव है, वह है-ऋण या जबार पर रोक, वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक, बुनियादी ढांचे के स्वामित्व वाली डकाई में प्रत्यक्ष निवेश आदि ।

1.8 भारतीय जनसाखियकी और बुद्धावरूमा आय सूरका

बढ़ती और असमर्थनीय पेंशन देनदारियों के कारण, वैश्विक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए और इस मुददे पर गहन विचार-विमशी के बाद, सरकार ने परिभावित पेंशन योजना से परिभावित अंशदान पेंशन योजना में स्थानांतरित होकर सरकार ने एक सचेतन निर्णय लिया है। नई पेंशन योजना, को अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है, इसे सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ECB & PR दिनांक 22 दिसंबर 2003 के माध्यम से शुरू किया गया था और 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार कर्मचारियों (सरास्त्र बलों को छोडकर) के लिए अनिवार्य किया गया।

एनपीएस, जिसे शुरूआत में केंद्र सरकार अभिदाताओं के लिए शुरू किया गया था, पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों द्वारा और अधिकांश केंद्र तथा राज्य स्वायत्त निकायों द्वारा अपनाया गया है। एनपीएस को मई 2009 में निजी और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी स्वैच्छिक आधार पर शुरू किया गया ।

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2018 के माध्यम से केंद्र सरकार कर्मचारियों के एनपीएस खाते में दिनांक 1 अप्रैल 2018 से अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया। अधिसूचना के अनुसार, कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाने वाला मासिक अंशदान मूल वेतन जमा महंगाई मत्ते (डीए) का 10 प्रतिशत होगा और केंद्र सरकार द्वारा मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा। केंद्र सरकार कर्मचारियों को एनपीएस अंशदान के गैर/विलंबित जमा राशि के लिए मुआवजे सहित पैशन निधियों और निवेश प्रारूप के चयन में अधिक स्वतंत्रता दी गई है।

1.7 मानताथ वेपान नारेट्टक

मारतीय पेंशन प्रणाली में वह गैर-अंशदायी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ शामिल हैं, जो कि सरकार द्वारा न्यूनतम सुरक्षा स्तर प्रदान करने के लिए वित्त पोषित हैं जैसे नेशनल सोशल असिटेंस प्रोग्राम (एनएसएपी), पे एज यू गो आधार पर अनिवार्य परिभाषित लाम पेंशन योजना जैसे 2004 से पूर्व सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए सिविल सर्विसेज पेशन, ईपीएफओं के तहत कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी पेंशन योजना, अन्य सांविधिक निधियां जैसे कोल माइन्स, सीमेन्स एंड असम टी प्लांटेशन स्कीमसः 1 जनव. री 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य आधार पर नेशनल पेंशन प्रणाली (एनपीएस), उन राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस में शामिल हुए हैं, सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर

एनपीएस जिनमें असंगठित क्षेत्र सहित दोंनो कर्मचारी तथा स्व-नियोजित व्यक्ति शामिल है, बीमा कंपनियों और म्युच्युअल फंडस द्वारा पेश की जाने वाली सार्वजनिक भविष्य निश्चि, सेवानिवृत्ति और अधिवर्षिता योजनाएं ।

परिभावित लाम पेंशन प्रणाली का वित्तीय दबाय सरकारी कर्मचारियों के लिए पंचान सुधार का और सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुक्तआत का प्रमुख कारण है। ईपीएफ (विशेष क्षप से संगठित क्षेत्र कर्मचारियों के लिए) जैसी अनिवार्य मोजना, के माध्यम से वित्तीय और व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण असंगठित क्षेत्र के लिए कवरेज़ बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत को भारत में पेंशन प्रावधान को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख नीतिगत उपाय के रूप में वेखा जाता है। असंगठित क्षेत्र कर्मचारियों को पेंशन प्रणाली के तहत अधिक संख्या में शामिल करने के लिए प्रमुख नीतिगत उपाय एनपीएस की शुक्तआत है, जो कि वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर, कम लागत वाली और प्रभावी प्रणाली है।

असंगठित क्षेत्र से लोगों को उनकी वृद्धावस्था आय के लिए बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने सितंबर 2010 में सह—अंशदान योजना एनपीएस लाइट/स्वाबलंबन योजना शुरू की है। इसके बाद, प्रधानमंत्री द्वारा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरूआत की गई और असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित यह योजना 1 जून, 2016 से प्रमावी हुई। एपीवाई के तहत अभिदाता सरकार द्वारा क.1000, रू.2000, रू.3000, रू.4000 या रू.5000 की गारंटीयुक्त पेंशन प्राप्त करेगा, जो कि उनके द्वारा चयनित अंशदान स्तर पर निर्मर होगी। एनपीएस के तहत अभिदाताओं और प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति निम्न तालिका में दी गई है:

वालिका संख्या 1.1 : एनपीएस/एपीवाई के वहत अभिदावाओं की संख्या

(31 मार्च 2021 तक के अनुसार)

संत्र	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (31 मार्च 2020 तक के अनुसार)	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (31 मार्च 2021 तक के अनुसार)	वृद्धि (प्रतिशत) (मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021)	भाग (प्रतिशत) (31, मार्च 2021 तक के अनुसाए)
केंद्र सरकार	21.02	21.78	3.51	5
राज्य सरकार	47.64	51.41	8.13	12
कोपॉरेट	9.73	11.25	15.64	3
सर्व नागरिक	12.52	16.47	31.53	4
एनपीएस लाइट	43.32	43.02		10
एपीवाई	211.42	280.49	32.67	66
कुल योग	345.56	424.40	22.82	100

31 मार्च, 2021 तक के अनुसार, एनमीएस और एमीवाई के तहत कुल 424.40 लाख अमिदाता नामांकित हुए और 22.82 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की। एपीवाई, जो कि एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना है, में 31 मार्च 2021 तक 32.87 प्रतिशत की वर्ष—दर—वर्ष वृद्धि दर्ज की।

मार्च, 2021 के अंत तक के अनुसार 414 बैंक एपीवा. ई सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जिनमें शामिल हैं सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शहरी वाणिज्यिक बैंक, पेमेंट बैंक, लघु वित्तीय बैंक और डाक विभाग शामिल है।

तालिका संख्या 1.2 : एनपीएस/एपीवाई के तहत प्रबंधन के तहत आस्तियां (31 मार्च 2021 तक के अनुसार)

क्षेत्र	एजूएम (क्षपये करोड़ में) (31, मार्च 2020 तक के अनुसार)	एयूएम (सपये करोड़ में) (31, मार्च 2021 तक के सनुसार)	एयूएम वर्ष दर वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)	एयूएम माग (प्रतिशत) (31, मार्च 2021 तक के अनुसार)
केंद्र सरकार	1,38,046	1,81,788	31,69	31
राज्य सरकार	2,11,023	2,91,381	38,08	50
कोर्पोरेट	41,231	62,609	51,80	11
सर्व नागरिक	12,924	22,206	71,96	4
एनपीएस लाइट	3,729	4,354	18,80	4
एपीवाई	10,526	15,687	49,03	3
कुल योग	4,17,479	5,78,025	38,46	100

तालिका संख्या 1.3 : क्ति वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/अटल पेंशन योजना का प्रदर्शन बिंदू

(अंकों में)

स्पाय	वित्त वर्ष 2019-20 के अंत में	वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में	वृद्धि (प्रविशत) में
सरकारी अभिदाता	88,55,842	73,16,350	6.72
सर्व नागरिक, कोर्पोरेट अभिदाता	22,25,134	27,71,938	24.57
एपीवाई अभिदाता	2,11,42,262	2,80,49,151	32.67
पीओपी-एसपी की संख्या #	2,41,703	2,47,254	2.30
एपीवाई—एसपी की संख्या	403	414	2.73
सीएबीज़ की संख्या	603	630	4.48
एसएबीज़ की संख्या	1,318	1,459	10.70
कोपोंरेट की संख्या	7,571	8,599	13.58
प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या (वित्त वर्ष)	86,835	12,024	3

हीरो माइंड-माइन इंस्टीटयूट प्राइवेट लिमिटेड हारा इन्क्रीमेंटल आयोजित किया गया ।
 # आंकड़ों में एनएसडीएल के पीओपी-एसपीज़ की राज्यानुसार सर्वाधिक संख्या को माना गया है।

अन्य प्रस्तुत आंकड़े सीआरएज़ के साथ पंजीकृत है ।

एपीवाई के लिए सेवा प्रवाताओं की संख्या 2.73 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मार्च 2020 के अंत के 403 से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 414 हो गई।

- केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबीज) सिंहत केंद्र सए.
 कार और राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबीज) सिंहत राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, जिन्होंने एनपीएस को अपनाया हैं, को अनिवार्य रूप से एनपीएस के तहत शामिल किया जाना चाहिए । इस वर्ष 27 नए केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबीज) और 141 राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबीज़) को एनपीएस के तहत शामिल किया गया, जिसने सीएबीज़ और एसएबीज़ की कुल संख्या को 630 और 1459 क्रमशः कर दिया ।
- कोपरिट क्षेत्र अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से या स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस की पेशकश करता है। मार्च 2020 के अंत में 7671 कोपरिट की तुलना में मार्च 2021 के अंत में, सीआरए रिपोर्टस के अनुसार एनपीएस के तहत कुल 8588 कोपरिट पंजीकृत हैं, जो कि 13.58 प्रतिशत की वृद्धि के साथ हैं।

सरकार कर लाओं के रूप में इन योजनाओं का समर्थन करती है और एपीवाई के लिए गारंटी ने इन योजनाओं के लिए मांग बढ़ाती है। हालांकि, देश की अनावृत जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अभी भी काफी कार्य किया जाना शेष है । सभी नागरिकों के लिए एनपीएस की पहुंच बढ़ाने में सबसे बड़ी जुनौती संभावी अभिदाताओं के बीच जागरूकता और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना है। पीएफआरडीए विभिन्न मास मीडिया और धमता उत्पादन कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है।

इसके अतिरिक्त. एनपीएस जागरूकता के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए पीएफआएडीए सेवाप्रदाताओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और क्षमतीत्पादन कार्यक्रम के लिए समर्पित अभिकरण को संलग्न करते हुए प्रचार और विकासात्मक क्रियाकलामों को कर रहा है।

संभावी अभिदाताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए एनपीएस की पहुंच बढ़ाने के लिए, पीएफआरडीए अपनी मूल्य श्रृंखला में चाहे वह ई-एनपीएस, मोबाइल एप, ई-केवाईसी के माध्यम से हो तकनीक को बढ़ा रहा है। यह चैनल प्रभावशीलता उत्पन्न कर रहे हैं । ई-एनपीएस के माध्यम से, एक व्यक्ति सुविधाजनक खप से ऑनलाइन मंजीकरण और अंशदान कर सकता है। ई-एनपीएस एनपीएस के तहत व्यक्तिगत पेंशन खाता खोलने और टियर I के साथ-साथ टियर II खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है । यह गुण अमिदाताओं को पेंशन आस्तियां, आस्ति वर्ग, आस्ति आवंटन और प्रमाणीकरण के पश्चात् योजना विकल्प परिवर्तित करने का विकल्प भी प्रदान करता है। एनपीएस अमिदाता अपने लॉगइन परिचयपत्रों का प्रयोग करते हुए और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रमाणीकरण करते हुए टियर II खाते से निकास अनुरोध कर सकते हैं।

ऑनलाइन प्रान जेनरेशन मॉड्यूल (श्रोपीजीएम) हिस्सेवारों के लिए एनपीएस अभिवाताओं के लिए शीध प्रान जेनरेशन को सक्षम बनाने के लिए न्यूनतम दस्तावेज़ों के साध सक्षम बनाया जाता है। हालांकि, ऐसे खाते तब तक अनियमित समझे जाएंगे जब तक कि केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के साथ पूर्ण दस्तावेज़ीकरण सत्यापित और रिकॉर्ड नहीं हो जाता । पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत मध्यस्थ इकाईयों को ऑनबोर्डिंग, निकास या एनपीएस से संबंधित किसी अन्य सेवा अनुरोध के लिए वीडियो आधारित कस्टमर आईडेंडीफिकेशन प्रक्रिया (वीसीआईपी) का प्रयोग हो सकता है।

एनपीएस अभिदाताओं को उनके संबंधित नोडल कार्यालयों, पीओपीज, ई--एनपीएस या मोबाइल एप के माध्यम से उनके स्वैच्छिक अंशदानों को जमा करने के कई सरल विकल्प प्रदान किए जाते हैं । अंशदान का एक अतिरिक्त विकल्प/तरीका नामतः प्रत्यक्ष प्रेवण (बायरेक्ट रेमिटेंस (बी-रेमिट) की शुरुआत की गई, जहाँ सरकारी/सर्व नागरिक मॉडल के तहत मौजूदा एनपीएस अभिदाता उनके प्रान से वास्तविक आईबी लिंक करते हुए और निवेश पर समान दिवस एनएवी प्रदान करते हुए रवैच्छिक अंशदान कर सकते हैं । डी-रेमिट के माध्यम से, न केवल एक बार का अंशदान किया जा सकता है बल्कि किसी भी निश्चित राशि और किसी निश्चित तिथि के लिए अमिदाता के बैंक खाते से आवधिक एनपीएस अंशदान भी किया जा सकता है । डी-रेमिट के माध्यम से एनपीएस अंशदान का विकल्प एनआएआई-एनपीएस अभिदाताओं के लिए भी शुरू किया गया है. जो कि अपने एनआएओ/एनआएई खातों से धनराशि अपने एनपीएस खाते में अंशदान कर सकेंगे। प्रत्याहरण/निकास के समय, एनपीएस की धनराशि एनआरआई अमिदाताओं के एनआएओ/एनआरई खाते में जमा की जाएगी और प्रत्यावर्तन फेमा दिशानिर्देशों के अनुसार होगा ।

श्रीपृथ्यास्त्रीष् में क्वारों की सनीका पर एक दिव्यक्ती

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना,

विनियमन और विकास के माध्यम से बृद्धायस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने के रूप में प्राधिकरण के उद्देश्यों को निर्धारित करती है और पेंशन निष्धि की योजनाओं और उनसे संबंधित मामलों में अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

पीएफआरडीए सक्रिय रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (उसके सभी प्रकारों) तथा अटल पेंशन योजना के प्रचार तथा विकास एवम् एनपीएस के अंतर्गत सभी मध्यस्थों के विनियमन तथा निरीक्षण और वृद्धावस्था आय पुरक्षा प्राच्छान के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने तथा अभिदाताओं के हितों की रक्षा में कार्यरत है। इन क्रियाकलापों में संलग्न रहने के दौरान, पीएफआरडीए अविनियम 2013 की प्रस्तावना और बेहतर वैश्विक प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, पीएफआरडीए निस्नलिखित व्यापक लक्ष्यों / परिणामों की प्राप्ति करने के लिए कार्यरत है:—

- आवृत्ति क्षेत्र बढ़ाना
- सुरक्ता
- प्रभावशीलता
- पर्याप्तता
- रिथरता

भागृत्ति सेन क्याना

संपूर्ण जनसंख्या के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रावधान प्राधिकरण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। जहाँ, पीएफआरडीए अविनियम 2013 एनपीएस के विनियम का आदेश देता है, वहीं आबादी के विभिन्न घटकों अर्थात् केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सर्व नागरिक, एनपीएस लाइट, अटल पेंशन योजना (पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित भारत सरकार की योजना) की शुक्तआत की गई है। प्राधिकरण, प्रिट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता चत्यन्न करते हुए, बैंक, डाकधरों, चपिस्थित अस्तित्वों, नोडल कार्यालयों आदि के अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतीत्यादन हेतु प्रशिक्षण अभिकरण की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति सलाहाकारों आदि की नियुक्ति, ई—एनपीएस आदि के माध्यम से ऑनबोर्डिंग और लेनदेन की सुक्या प्रदान करते हुए कवरेज बढ़ाने में संलग्न है।

Uval

पीएफआरडीए ने पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के तहत विनियमों के एक व्यापक ढांचे का निर्माण किया है ताकि सेवानिवृत्ति लामों को प्रदान करने के लिए संचित पेंशन निधियों के जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए पेंशन परिसंपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके । इन विनियमों में सभी मध्यस्थों, जिनमें पेंशन निधि भी शामिल हैं, के लिए नियुक्ति के प्रमुख मानदंड, विस्तृत कोर्पोरेट शासन रूपरेखा, योग्य तथा उपयुक्त प्रणाली, व्यापक आचार संहिता, विस्तृत भूमिकाएं तथा दायित्व और दंड प्रणाली को संपत्तियों की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करने हेतु सम्मिलित किया है। इन विनियमों की समय—समय पर समीक्षा की जाती है और सुदृढ़ बनाया जाता है । आईटी पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के लिए पीएफआरडीए साइबर सुरक्षा के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा कवरेज को सुनिश्चित करेगा ।

STREET, SHOW

प्राधिकरण का प्रयास स्वीकार्य जोखिमों के अधीन अभिदाताओं को अधिकतम रिटर्न प्रदान करते हुए प्रणाली को प्रभावी बनाना है। यह रिटर्न्स को अनुकूल बनाने के लिए समय—समय पर निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा करते हुए किया जाता है। दो नई जीवनचक्र निधियों अर्थात् एलसी 25 और एलसी 75 की शुक्तआत और निजी क्षेत्र अभिदाताओं के लिए नए आस्ति वर्ग "ए" की शुक्तआत इस दिशा में उठाए गए कुछ कदमों में से है।

प्रभावशीलता, श्रमिक और पूंजी बाज़ारों की प्रभावशीलता से भी संबंधित है, क्योंकि इन दोनों द्वारा पेंशन के लिए प्रत्यक्ष योगदान के मध्यम से साथ ही साथ नौकरी और निवेश के लिए अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हुए पेंशन प्रणाली (अधिक कार्यरत जीवन तथा अंशदान, पूंजी की न्यून कीमतों, या अधिक वितीय समावेशों द्वारा) के लिए कार्य किया जाता है। पीएफआरजीए विशेष रूप से एपीवाई अमिदाताओं और सामान्य रूप से एनपीएस अमिदाताओं के लिए जागरूकता निर्माण द्वारा वित्तीय समावेशन में सक्रिय रूप से कार्यरत है।

पूंजी बाज़ारों के लिए, प्रभावशीलता गैर—बैंकिंग दित्तीय पूंजी से निधि उत्पादक निवेश पूंजी में दिकास के द्वारा बाज़ारों की सधनता और व्यापक पूंजी बाज़ार सुधारों से संबंधित हैं। इन लक्ष्यों को पूर्ण करने में अनेकों अंतर्विनियामक संगठनों और समितियों के साध पीएफआरडीए की भी भागीदारी रही है।

प्राधिकरण का अन्य प्रयास एनपीएस के तहत मध्यस्थ इकाईयों को प्रबल बनाना है। एक उचित और पारदर्शी प्रणाली के लिए मध्यस्थ इकाईयों का प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। मध्यस्थ इकाईयों से उत्पाद और प्रक्रिया के उचित ज्ञान को साझा तथा प्रदान करते हुए, संपूर्ण प्रणाली को उचित रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु सही दिशानिर्देशों को निर्धारित करते हुए उन्हें प्रबल बनाना है। एक उचित प्रणाली अभिदाता के हितों की रक्षा सुनिश्चित करती है।

पर्याप्तता

किसी मी पेंशन प्रणाली के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि अभिदाताओं के लिए सेवानिवृत्ति के समय पर्याप्त पेंशन संपत्ति हो अर्थात् सेवानिवृत्ति लाम हकदारी की सुविधा देना जो कि छन्हें वृद्धावरथा आय की सुरक्षा प्रदान करती है।

जहाँ एनपाएस एक परिभाषित अंशदान योजना है, हालांकि एक अच्छे उपाय के रूप में, प्राधिकरण का प्रयास विभिन्न उपायों, जिनमें शामिल है— एनपीएस में अंशदान करने की आयु को 80 वर्ष से बढ़ाना, रिटर्न्स को अनुकूल बनाने के लिए निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा, कर छूट के लिए सरकार के साथ संलग्न होना आदि । सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त पेंशन संपत्ति प्रदान करने हेतु कार्य करना है । इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक क्षेत्र के तहत अर्थात् सर्व नागरिक मॉडल, कोपरिट मॉडल में 80 वर्ष की आयु के बाद भी एनपीएस में ऑनबोर्ड होने के लिए स्वीकृति दी गई है।

स्थिरता

किसी मी अंशदायी पेंशन प्रणाली के पीछे स्थिएता मी प्रमुख कारण होता है। एनपीएस के माध्यम से, देशमर में समाज के विभिन्न मागों में पेंशन की पेशकश करने का प्रयास किया जा रहा है, जो ऐसे वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घकाल तक चल सके। एनपीएस संस्थानिक ढाँचे और उत्पाद परिकल्पना के साथ एक परिभावित अंशदान योजना है, जो दीर्घकाल तक चलने के लिए स्वयं को सशक्त बनाती है। स्थायी पेंशन प्रणाली को प्राप्त करने में नियमित बचत और निवेश अनुशासन महत्वपूर्ण भूमिका निमाता है। पीएफआरखीए ने पेंशन के विश्व में लोगों को शिक्षित करने और इन लक्ष्यों को आगे बढाने के लिए अनेक कदम छठाए हैं।

1.0 एनपीएस के तहत नव्यस्य इकाईवाँ

1.8.1 प्रान्द्रीय पेंसन प्रशासी और अधिनियम के ग्रांस सामिल अन्य नेंसन योजनाओं के प्राथ प्रविद्या न्यास्त्र इकाईमां और जन्म इकाईमां

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक असमूडीकृत संरचना के तहत कार्य करता है, जिसमें प्रत्येक कार्य अपने क्षेत्र की विशिष्ट इकाई को दिया जाता है। एनपीएस संरचना में उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी), सरकारी नोंडल कार्यालय, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), न्यासी बैंक, पेंशन निधियां (पीएफ), एनपीएस न्यास, अभिरक्षक, वार्षिकी सेवा प्रदाता और सेवानिवृत्ति सला. हाकार शामिल हैं।

1,8,1,1 उपरिषादि अस्तित्व (पीर्श्वापीज)

उपस्थिति अस्तित्व अभिदाताओं के पंजीकरण और सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत बैंक और गैर—बैंकिंग कंपनियां आदि हैं। उपस्थिति अस्ति तत्व (पीओपी) अभिदाता और एनपीएस के बीच पहला संप्रेषण बिंदु है। पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्वों की प्राधिकृत शाखाएं होती हैं, जिन्हें उपस्थिति अस्तित्व —सेवा प्रदाता (पीओपी—एसपीज) कहा जाता है, जिनका कार्य संकलन इकाई के रूप में कार्य करना और ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना होता है। उपस्थिति अस्तित्वों के कार्यों में शामिल है: अभिदाता पंजीकरण, अभिदाता अंशदानों को संसाधित करना, व्यक्तिगत विवरण को परिवर्तित करना, निवेश योजना /निधि प्रबंधक में परिवर्तन, एक मेंडल से दूसरे मोंडल में अभिदाता स्थानांतरण को संसाधित करना, मुद्दित खाता विवरण जारी करना, अधिवर्षिता आदि पर प्रत्याहरण / निकास अनुरोध जारी करना, आधिवर्षिता आदि पर प्रत्याहरण / निकास अनुरोध जारी करना आदि।

(A.12 करकारी) नोडस कार्यालय

(1) केंद्र सरकार नौडल कार्यालय प्रमुख लेखा कार्यालय, वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) और आहरण तथा वितरण कार्यालय

केंद्र सरकार के तहत प्रमुख लेखा कार्यालय (पीआरएओ), वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) और आहरण तथा वितरण कार्यालय (डीडीओ) या केंद्र सरकारों और केंद्र स्वायत्त निकारों के तहत समस्वप कार्यालय, वह मध्यस्थ इकाईयां हैं, जो एनपीएस के प्रयोजन के लिए अभिदाताओं की और से सीआरए के साथ संप्रेषण करती हैं।

(ii) राज्य सरकार नोडल कार्यालय डीटीए, बीटीओ और डीडीओ

राज्य सरकारों के तहत कोन एवं लेखा निर्देशालय (डीटीए). जिला खजाना कार्यालय (डीटीओ) और आहरण एवं संवितरण कार्यालय (डीडीओ) या राज्य सरकारों और राज्य स्वायत्त निकारों के तहत समरूप कार्यालय वह मध्यस्य इकाईयां हैं. जो एनपीएस के प्रयोजन के लिए अमिदाताओं की ओर से सीआएए के साथ संप्रेमण करती हैं। नोडल कार्यालय, एनपीएस के तहत विभिन्न परिवालन कार्यों के लिए सीआरए प्रणाली के तहत पंजीकृत सरकारी एजेंसियों के परिचित कार्यालय हैं । इन कार्यालयों की पहचान एक विशिष्ट संख्या अर्थात् पीआरएओ / पीएओ / डीडीओ पंजीकरण संख्या से की जाती है, जो कि उन्हें सीआरए द्वारा सफल पंजीकरण पर आवंटित की जाती है। इन कार्यालयों की प्रमुख भूमिका में से कुछ इस प्रकार है:

- अभिदाता पंजीकरण के लिए प्रपत्नों को जमा करना
- अभिदाताओं को प्रान किट वितरित करना
- अभिदाताओं के अंशदानों के विषय में समयबद्ध और सदीक सूचना प्रदान करना
- पवित कार्रवाई के लिए अमिदाताओं के अनुरोध को अग्रेषित करना
- अमिदाताओं की शिकायतों को सुलक्षाना
- अभिदाताओं के अनुमोदित निकास अनुरोध को अग्रेषित करना

(M.1.3 केंद्रीय अभिजेक्सपाल विभिन्नरण (शीवारए)

एनपीएस के लिए एनएसडीएल ई—गवर्नेस इन्फ्रास्ट्रक्बर लिमिटेड और के—फिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को सीआएए के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

- (1) अभिदाता रिकॉर्ड, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्यों को बनाए रखना ।
- (ii) प्रत्येक अभिदाता के लिए स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) जारी करना, सभी प्रान का डेटाबेस प्रबंधि ात करना और सभी प्रत्येक प्रान से संबंधित लेनदेन को रिकॉर्ड करना।
- (iii) एनपीएस प्रणाली की विमिन्त मध्यस्य इकाईयों के बीच इंटरफेस के स्तप में कार्य करना । इसमें प्रत्येक सदस्य द्वारा अंशदान की निगरानी और पेंशन निषि को निर्देश देना और संचार शामिल है। समय-समय पर प्रत्येक सदस्य को प्रान विवरण भेजना।
- (iv) एक केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना ।
- (v) निधि प्रबंधकों को समय से निधि स्थानांतरण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना ।
- (श) अभिदाताओं के खाते में वामसी धन प्रेषित करने और वार्षिकी सेवा प्रदाता को वार्षिकी के लिए धन प्रेषित करने हेतु न्यासी बैंक से समायोजन ।

पीएफआरडीए ने पीएफआरडीए (तीआरए) विनियम, 2015 के तहत कंप्युटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (सीएएमएस) को केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया है।

LB LA FEITH TO

एनपीएस के तहत न्यासी बैंक विभिन्न मध्यस्थ इकाईयों में निधियों के प्रवाह को प्रबंधित करते हैं। वर्तमान में एक्सिस बैंक लिमिटेड अभिदाताओं, निधि प्रबंधकों और वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को सीआरए द्वारा प्राप्त निदेशों के आधार पर निधि स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए नामित बैंक है। न्यासी बैंक नोडल कार्यालयों / उपस्थिति अस्तित्व / संकलनकर्ताओं से धनराशि प्राप्त करते हैं और इसे अभिदाता अंशदान फाइल के साथ मिलाते हैं। न्यासी बैंक एनपीएस न्यास के नाम पर निधियां धारित करते हैं और अभिदाता लामार्थी होते हैं।

१.८.१.६ वेशन निक्रियां (प्रयूपक)

यह व्यवसायिक निधि प्रबंधक हैं, जिन्हें प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियों में पेंशन कोष को न्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण ढंग से निवेश करने के लिए नियुक्त किया गया है। वर्तमान में एनपीएस के तहत पेंशन निधि प्रबंधक हैं — आईसीआईसीआई पूर्वेशियल पेंशन फंडस मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्पूशंस लिमिटेड, और एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, आदित्य विरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड। उनके कार्यों में शामिल हैं:

- (i) निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश सुनिश्चित करना ।
- (ii) सीआरए द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों के अनुसार योजनाओं में अंशदान करना ।
- (iii) योजना पोर्टफोलियो बनाना ।
- (iv) खाता बहियों का प्रबंधन करना, प्राधिकारी को रिपोर्ट करना और स्पष्टीकरण करना ।

. 6.1.0 क्रिक्ट्रिको के विशेष्टका

एनपीएस न्यास के नाम पर एनपीएस कोष से क्रय गई प्रतिमृतियों को प्रतिमृतियों के अभिरक्षक द्वारा धारित किया जाता है, जो प्रतिमृतियों का वितरण करते हुए और उसे स्वीकार करते हुए प्रतिमृति लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं । पीएफआरडीए ने स्टॉक होल्डिंग कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अभिरक्षक नियुक्त किया है। इनके कार्यों में शामिल हैं:

(i) एनपीएस कोव से खरीदी गई एनपीएस न्यास के नाम घारित प्रतिमृतियों का संरक्षण करना ।

- (ii) धारित प्रतिभृतियों का विवरण रखना ।
- (iii) प्रतिभूतियों पर लाभांश, अधिकार, बोनस आदि जैसे लाम एकत्र करना ।
- (iv) धारित प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं के कारों के बारे में सूचित करना जो लागों को प्रभावित कर सकते हैं।

१.6.1.३ एतपीएस न्यास

एनपीएस न्यास भारतीय न्यास अधिनियम के तहत स्थापित एक न्यास हैं, जो अभिदाताओं के लाभ के लिए एनपीएस की संपत्ति धारण करता है। निधियों का प्रबंधन करना और अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना न्यास की वैश्वासिक जिम्मेदारी है। एनपीएस न्यास, प्रेंशन निधियों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण करता है और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), न्यासी बैंक, अभिरक्षक और अन्य इकाईयों से चर्चा करता है।

१.अ.१.७ वार्षिकी सेना प्रदाता

वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपीज), आईआरडीएआई द्वारा विनियमित और पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध बीमा कंपनियां हैं, जो एनपीएस अभिदाताओं को उनके द्वारा पेश की जाने वाली वार्षिकियों के समूह में से वार्षिकी प्रदान करती हैं।

र.µ.t.a नोवान्डिहेरी सजातासार

सेवानिवृत्ति सलाहाकार का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, जो एक व्यक्ति, पंजीकृत साझेदारी फर्म, निकाय कोपोरेट, या कोई पंजीकृत न्यास या संस्था है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पीएफआरडीए द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजना पर संभावित/मौजूदा अभिदाताओं या अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समृह को सलाह प्रदान करने की गतिविधि में संलग्न होना चाहता है और पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहाकार), विनियम, 2016 के तहत इसके खप में पंजीकृत किया गया है। व्यक्तिगत और व्यक्तिगत से मिन्न सेवानिवृत्ति सलाहाकारों की सूची पीएफआ. रडीए की वेवसाइट पर उपलब्ध है।

1.0.E साथे के प्रकार

एनपीएस के तहत दो प्रकार के खाते चपलबा है :

(i) टियर - I खाता : टियर - I खाते के तहत अभिदाता

- इस आंशिक रूप से आहरित खाते में उसकी बचत को सेवानिवृत्ति/मेंशन के लिए योगदान करता है। समयपूर्व निकासी कुछ शतों के अधीन है।
- (ii) टियर —II खाता : यह एक स्वैच्छिक निवेश खाता है, जहाँ अमिदाता इस खाते में अपनी इच्छानुसार घनराशि जमा करने और बचत को निकालने के लिए स्वतंत्र हैं।

एनपीएस के अलावा, पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना को प्रशासित और विनियमित करता है।

१.३.३ श्रोकसंपर्ध

सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति योजना के लिए बचत की आवश्यकता के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के पीएफआरडीए के जनादेश को पूरा करने के लिए पीएफआरडीए अपने द्वारा चयनित प्रशिक्षण अभिकरणों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने सहित विभिन्न गतिविधियों का संघालन करता है। ये प्रशिक्षण अमिकरण और राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों, वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओ), आहरण और वितरण कार्यालयों (ढीडीओ), उपस्थित अरितत्वों/बँकों/ बाकघरों को, जोअभिदाताओं के पंजीकरण में शामिल है, एनपीएस 🖊 एपीवाई की मुख्य विशेषताओं के बारे में, शामिल होने की प्रक्रिया आदि के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके अलावा, व्यापक वितीय उपभोक्ता संरक्षण नीति के एक माग के रूप में सभी क्षेत्र और भागों के अमिदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं /शिविशें का आयोजन किया गया है। एनपीएस / एपीवाई प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन तरीके अर्थात वीकियो कॉन्क्रेंसिंग के मध्यम से प्रदान किए गए और नियुक्त प्रशिक्षण एजेंसी ने वित्तीय वर्ष के दौरान 12024 प्रतिमागियों के लिए कुल 255 ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। इसके अलावा, पीएफआरडीए द्वारा विशेष रूप से एनएएकआरडी, सीसीआई. एनपीसी. आईएफएससीए. आईएसटीएम्, आईसीआईसीआई प्रतिमृतियों के लिए 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाएं आयोजित की गईं । एनपीएस और एपीवाई के तहत प्रबंधन के अधीन आस्तियां जिसमें कोष पर रिटर्न्स शामिल हैं, 31 मार्च 2020 से 38.46 प्रतिशत को वृद्धि दर्ज कर फ. 4.17,479 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2021 को रू. 578,025 करोड़ हो गई।

माग प्र एनगाएस के तहत निश्चिमों का निर्देश

यह अध्याय एनपीएस तथा एनपीएस अधिनियम के तहत शामिल अन्य पेंशन योजनाओं के तहत निधियों के निवेश तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में विमिन्न निवेश श्रेणियों में जिनमें सरकारी प्रतिमृतियां, ऋण प्रतिमृतियां शामिल है तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न, विवरणी) नियम, 2016 के परिशिष्ट II के अनुसार इक्विटीज़ पर एक्सपोज़र की सीमा पर वर्षा करता है।

इन नेशल लिक्सवर्ग (नीएक)

पेंशन निधि से तात्मयं है एक मध्यस्थ इकाई जिसे प्राधिकरण द्वारा माग 27 के उप-माग (3) के तहत अंशदानों को प्राप्त करने, उन्हें निवेशित करने और विनियमों में यथानिर्दिष्ट शिति में अभिदाताओं को मुगतान करने के लिए एक पेशन निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है।

पेंशन निधियां जिन्हें नियुक्त और पंजीकृत किया गया है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य योजना के तहत पेंशन कोष को प्रबंधित करती हैं । पेंशन निधियां मूल आस्तियों की प्राप्ति के पुष्टिकरण के लिए उनके एक्सेस कोड और निधि आवंटन, निधि आवंटन के पुष्टिकरण के लिए निर्देशों का प्रयोग करती हैं और प्रत्येक योजना के एनएवी को सीआरए और अधिरक्षकों को नियमित आधार पर भेजती है ।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 दिनांक 14 मई, 2015 को अधिसूचित हुए और पेशन निधियों को इन विनियमों का इनके संशोधनों सहित पालन करना था ।

21.1 पेक्स निविशों के सार्व

पेंशन निधियों के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह केवल इन बिंदुओं तक ही सीमित नहीं है :

- क) पेंशन योजनाओं का प्रबंधन योजनाओं के तथ्यों, न्यास विलेख, नियमों, विनियमों और प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर जारी परिपन्नों के अनुसार और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा यथानिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर किया जाना ।
- खें) पेंशन निधियों का दैनिक प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पेंशन निधि द्वारा किया जाना ।
- ग) पेंशन निष्कि, अभिदाता के सर्वोत्तम हितों को ब्यान

मे रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सदैव जच्चतर सेवा मानदंडो, उपयुक्त सावधानी, विवे. कशीलता, व्यवसायिक कौशल, श्रीधता, तत्परता और सतर्कता का प्रयोग करती है । मेंशन निष्टियां सद्देदार निवेशों या लेनदेन करने से बचेगी ।

- घ) पेंशन निधि उच्च शिक्षित पेशेवरों या ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। पेंशन निधि उसके कर्मचारियों या अधिकृत व्यक्ति, जिससे सेवाएं प्राप्त की गई हैं, के कृताकृत के लिए जिम्मेदार होगी और ऐसे कृताकृत का उत्तरदायित्व उसका होगा। यह उत्तरदायित्व तब तक बना रहेगा, जब तक कि पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर, सन या निलंबन या वापसी या प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन अधिक्रमण नहीं हो जाता।
- ड.) पेशन निधि अन्य मध्यस्थ इकाईयों और अन्य इकाईयों के साथ अन्य बातों के साथ साथ अनुबंध, परिचालन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए तकनीकी मंच के माध्यम से कार्य और समायोजन करेगी।
- व) पेंशन निधियां पेंशन योजनाओं के परिचालन से संबंधित खाता बहियों, अभिलेखों, रजिस्टर और दस्तावेज़ों को प्रबंधित करेगी ताकि विनियमों, दिशानिर्देशों, प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर जारी परिपन्नों का अनुपालन किया जा सके और लेनदेन की लेखापरीक्षा और सदैव व्यापारिक निरंतरता को बनाए रखा जा सके ।
- घ) पेंशन निवि इन विनियमों, दिशानिर्देशों या परिपत्रों के तहत आवश्यक या प्राधिकरण द्वारा मांगी गई या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय—समय पर मांगी गई आवधिक और अनुपालन रिपोर्ट जमा करेगी ।
- ज) पेंशन निधि अभिदाताओं के हित में सूचना का लोक प्रकटीकरण प्राधिकरण द्वारा अनुसूची V में यथानिर्दिष्ट पद्धति या रीति में करेगी ।
- इो) पेंशन निधि निवेश और जोखिम प्रबंधन अर्थात् निवेश समिति और जोखिम समिति के गतन, उसकी रचना, कार्य, नीतिगत तथ्यों और अनुसूची X में यथानिर्दिष्ट अन्य समान मामलों के लिए उच्च शासन पद्धतियों को अपनाएगा।

- ज) एक पेंशन निधि द्वारा पेंशन निधि के रूप में दायित्वों को पूर्ण करते हुए हित संघर्षों से भी बचाव किया जाएगा और ऐसी घटनाओं की जानकारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रदान की जाएगी।
- त) पॅशन निथि अपने प्रायोजकों से पॅशन निथि व्यवसायिक गतिविधियों की व्यापकता और पृथवकता सुनिश्चित करेगा ।
- थ) पैशन निधि अभिदाताओं की सूचना के संबंध में और पैशन निधियों से संबंधित क्रियाकलापों की गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या कानून के प्रावधानों के द्वारा अपेक्षित सूचना के अतिरिक्त उसके नियंत्रणाधीन संपूर्ण सूचना की सुरक्षा करेगा।
- पंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक ऐसे अभ्यावेदन और वारंटी प्रदान करेगा ।
- 2.1.2 गरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (क्ष्मीत् केंद्र सरकार (सीजी) और राज्य गरकार (पुरावी), जिनमें स्थायक्त विकास शामित है), रुनफीएस-साइट और एपीकाई के लिए पेशन निविधों (पीएक) की सूनो
 - i. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
 - ii. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
 - यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड

दिनांक 31.03.2021 तक के अनुसार, पेंशन निधियों हारा सरकारी क्षेत्र कर्मचारियों के एनपीएस पोर्टफोलियों प्रबंधन के लिए प्रभारित निवेश प्रबंधन शुक्क प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (एयूएम) का 0.0102 प्रतिशत हैं।

2.1.5 निजी दोष एनपीएस योजनार्को के लिए पेंशन निजियों (पीएफ) की सुची

- i. एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- आईसीआईसीआई प्रुडेशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- iti. कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
- श्रादित्य विरला सनलाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड
- v. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- vi. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
- vii. यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड दिनांक 31.03.2021 तक के अनुसार, पेंशन निधियों द्वारा

नियंत्रणाधीन संपूर्ण सूचना की सुरक्षा करेगा । द) पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पाधिकरण दारा

गैर—सरकारी क्षेत्र पोर्टफोलियो के लिए प्रभारित निवेश प्रबंधन शुक्क प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (एयूएम) का 0.01 प्रतिशत है ।

22 बोचनाएं

एनपीएस में अभिदाता निम्नलिखित क्षेत्रों के तहत आते हैं:

- सरकारी क्षेत्र (केंद्र सरकार/राज्य सरकार स्वायत्त निकायों सहित)
- ii. एनपीएस लाइट
- 111. अटल पेंशन योजना (एपीवाई)
- iv. सर्व नागरिक / यूओएस
- v. कोपरिट क्षेत्र

वपरोक्त क्षेत्रों के लिए एनपीएस के तहत निवेश प्राधिकरण द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित हैं और इक्विटी एक्सपोज़र सभी योजनाओं /मागों के लिए आरंग से निर्दिष्ट हैं । एनपीएस के तहत निवेश विकल्प एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मिन्न हैं ।

2.2.1 सरकारी क्षेत्र (केंद्र सरकार/राज्य सरकार, जिनमें केंद्र स्वावत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय शामिल हैं)

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय (सीएबीज़/एसएबीज़) सहित सरकारी क्षेत्र के लिए एनपीएस के तहत निम्नलिखित सीमाएं निर्धारित की गई हैं:

तातिका संख्या 2.1 : सरकारी क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन —

विवरण	एक्सपोज़र सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	55
ऋण सपकरण और संबंधित निवेश	45
इक्विटी और संबंधित निवेश	15
अल्पकालिक ऋण चपकरण और संबंधित निवेश	10
समर्थित आस्तियां, संरथित न्यास और विविध निवेश	5

प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुपात में सरकारी क्षेत्र के तहत 03 सार्वजनिक पेंशन निष्धियां अर्थात् पेशन निष्धि लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड अंशदान को प्रवंधित और निवेशित करती हैं। इसके अलावा, सरकारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3/2016. PR दिनांकित 31 जनवरी 2019 और प्राधिकरण के परिपत्र दिनांक 8 मई 2019 के अनुसार सरकारी कर्मचारी (केवल केन्द्र सरकार) को निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं:

पेशन निधि का विकल्प :

सरकारी अभिवाताओं को भी निजी क्षेत्र अभिवाताओं की तरह निजी क्षेत्र पेंशन निष्णि सहित किसी एक पेंशन निष्णि के चयन का विकल्प होगा । वह वर्ष में एक बार अपना विकल्प बदल सकते हैं । हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निष्णि का संयोजन का प्रावधान मौजूदा और साथ ही साथ नए सरकारी अभिवाताओं के लिए डिफॉल्ट विकल्प के रूप में चपलब्ध रहेगा ।

क. निवेश प्रारूप का विकल्प :

- मौजूदा योजना, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए पीएफआएडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफआरडीए द्वारा तीन सार्वजनिक निष्ठि प्रबंधकों में उनके पूर्व प्रदर्शन के आधार पर थन आवंदित किया जाता है, को मौजूदा और नए अमिदाताओं के लिए डिफॉल्ट योजना के रूप मे जारी रखा जाएगा ।
- जो सरकारी कर्मचारी न्यूनतम जोखिम के साथ निश्चित रिटर्न चाहते हैं, उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों (योजना जी) में 100% निवेश का विकल्प प्राप्त होगा ।
- iii. जो सरकारी कर्मचारी सच्चतर रिटर्न का चुनाव करते हैं को निम्नलिखित दो जीवनचक्र निधि आधारित योजनाओं का विकल्प दिया गया है:
 - क) इंक्विटी में अधिकतम 25% की सीमा के साथ कंजर्ववेटीव जीवन चक्र निधि—एलसी—25
 - ख) इक्विटी में अधिकतम 50% की सीमा के साथ मोडरेट जीवन चक्र निधि—एलसी—50

केंद्र सरकार के अभिदाता एनपीएस के तहत एक क्ति वर्ष में उपरोक्त निवेश पैटर्न को दो बार चुन सकते हैं।

कृपया अधिक जानकारी के लिए पीएफआरडीए के परिपन्न संख्या PFRDA/2019/12/REG_PF/1 दिनांक 8 मई 2019 को देखें ।

कुछ राज्य सरकारों ने भी जगरोक्त निवेश विकल्पों को अप. नामा है।

222 एनपीएस लाइट

एनपीएस लाइट के तहत नए नामांकन दिनांक 01.04.2015 से समाप्त हो गए हैं । हालांकि, मौजूदा एनपीएस—लाइट अभिदाताओं के लिए पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएस—लाइट क्षेत्र के लिए निस्नलिखित सीमाएं निर्धारित की गई हैं:

तालिका संख्या 2.2 : एनपीएस लाइट क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोज्रर सीमा (प्रतिशव में)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	55
ऋण चपकरण और संबंधित निवेश	45
ईक्विटी और संबंधित निवेश	15
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10
समर्थित आस्तियां, संरचित न्यास और विविध निवेश	5

एनपीएस लाइट के तहत, केवल 03 सार्वजनिक सेत्र निथियां अर्थात् एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर निर्धारित अनुपात में (तीन पेंशन निषियों के बीच) अंशदान प्रबंधित और निवेश करने के लिए हैं । इसके अलावा, एकल निजी क्षेत्र पेंशन निधि अर्थात् कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड को अंशदान प्रबंधित करने के लिए एक संकलनकर्ता के रूप में चुना गया है।

एनपीएस लाइट योजना के तहत अभिदाताओं को पेंशन निश्चि या आस्ति आवंटन के चयन का विकल्प नहीं दिया गया।

223 अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

अटल पॅशन योजना (एपीवाई), जो भारत के नागरिकों के लिए सरकारी पॅशन योजना है, असंगठित क्षेत्र अभिकों पर केंद्रित है। एपीवाई के तहत क.1000/- या रू. 2000/- या रू. 2000/- या रू. 4000/- या रू. 6000/- की गारेटिड न्यूनतम पॅशन प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्राप्त होगी, जो कि अभिदाता हारा किए गए अंशदानों पर निर्मर होगी।

अटल पेंशन योजना (एपीयाई) के तहत अभिदाताओं को पेंशन निश्चि या आस्ति आवंटन के चयन का विकल्प प्रदान नहीं किया गया क्योंकि यह एक गारोंटिड सरकारी योजना है और इसमें एनपीएस के तहत सरकारी क्षेत्र कर्मवारियों के समान ही निम्नानुसार आस्ति आवंटन रहेगा।

तालिका संख्या 2.3 : बदल पेंशन योजना क्षेत्र में आस्ति आवंटन

विदरग	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	55
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45
ईक्किटी और संबंधित निवेश	15
अल्पकालिक ऋण चपकरण और संबंधित निवेश	10
समर्थित आस्तियां, संरचित ऱ्यास और विविध निवेश	6

अटल पेंशन योजना के तहत 3 सार्वजिनक क्षेत्र पेंशन निधियां अर्थात् एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड/ एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड/यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर निर्धारित अनुपात में (तीन पेंशन निधियों के बीच) अंशदान प्रबंधित और निवेश करने के लिए हैं।

2.24 सर्व नागरिक क्षेत्र /असंगठित क्षेत्र

सर्व नागरिक असंगठित क्षेत्र के तहत अभिदाता किसी भी निवेश पैटर्न अर्थात् "एक्टिव चौंइस" या "ऑटो चौंइस" का विकल्प चुन सकते हैं।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत सर्व नागरिक असंगठित क्षेत्र के लिए निम्न. लिखित एक्सपोज़र सीमा निर्धारित की गई है:

तालिका संख्या 2.4 : सर्व नागरिक/असंगठित क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोज़र सीमा (प्रतिशत में)
इविवटी और संबंधित निवेश	75
ऋण जमकरण और संबंधित निवेश	100
सरकारी प्रतिभृतियां और संबंधित निवेश	100
अल्पकालिक निवेश (मुद्रा बाज़ार अल्पकालिक म्यूच्युअल फंब्स और अविध जमा)	10

पेंशन निधि और निवेश चुनाव को बदलने का विकल्प

इसके अतिरिक्त एक वित्त वर्ष में अभिदाता द्वारा पेंशन निधि को एक बार और निवेश विकल्प को दो बार परिवर्तित किया जा सकता है।

225 कोर्पोरेट क्षेत्र

कोपेरिट क्षेत्र से संबंधित अभिदाताओं के लिए जहाँ नियोक्ता द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया गया है, निवेश विकल्प और चयन को लचीला बनाया गया है

इस भाग के तहत दो प्रकार की योजनाएं हैं :

i) कोपोरिट सीजी योजना : यह योजना समाप्त हो युकी है और यह कोपोरिट भाग के तहत उपलब्ध नहीं है लेकिन उन कौपोरिट के लिए जो पहले से ही योजना के तहत शामिल है और जिन्होंने इस योजना को बदला नहीं है, अभी भी इस योजना में बने हुए हैं ।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत निम्नलिखित एक्सपीज़र सीमाएं कौपोरेट सीजी क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई हैं।

तालिका संख्या 2.5 : कोपॉरेट सीची क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोज़र सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	55
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45
इक्विटी और संबंधित निवेश	15
सल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10
समर्थित आस्तियाँ, संरचित न्यास और विविध निवेश	5

इस कोमोरेट सीजी योजना के तहत 2 पेंशन निधियों अर्थात् एलआईसी पेशन फंड लिमिटेड या एसबीआई पेंशन फंडस प्राइवेट लिमिटेड के साथ निवेश किए गए हैं। अन्य बोजना : (वर्तमान में कोपोरेट भाग के तहत सपलब्ध)

इस योजना के तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को पेंशन निधि और/या निवेश के तरीके का चुनाव करने का उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है या नियोक्ता अपने कर्मचारियों की ओर से पेशन निधि और/या जीवनचक्र निधि का चयन कर सकता है। एनपीएस से संबंधित यह पहलू नियोक्ता—कर्मचारी प्रबंधन का भाग बनते हैं। नियोक्ता और अमिदाता को प्रयुक्त निवेश तरीके के आधार पर किसी एक पंजीकृत पेशन निधि को चुनना होगा और चार आस्ति वर्गों में आस्ति आवंटन के आगे की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- आस्ति वर्ग ई ईक्किटी और संबंधित निवेश
- आस्ति वर्ग सी कोपॉरेट ऋण और संबंधित उपकरण
- आस्ति वर्ग जी सरकारी बांड और संबंधित निवेश
- आस्ति वर्ग ए सीएमबीएस, एमबीएस, आरईआईटीएस, एआईएफ, आईएनबीएलटीएस सहित वैकल्पिक निवेश निथि

इस क्षेत्र के तहत अभिदाता किसी भी निवेश पैटर्न अर्थात् "एक्टिय चॉइस" या "ऑटो चॉइस" का चयन कर सकता है। पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत निम्नलिखित एक्सपोज़र सीमाएं निर्धारित की गई हैं:

तालिका संख्या 20 : कोर्पोरेट क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
इक्विटी और संबंधित निवेश	75
ऋण चपकरण और संबंधित चपकरण	100
सरकारी प्रतिभृतियां और संबंधित निवेश	100
अल्पकालिक निवेश (मुद्रा बाजार, अल्पकालिक म्यूच्युखल फंब्स और अवधि जमा)	10

पेंशन निधि और निवेश चयन के परिवर्तन का विकल्प

इसके अतिरिक्त, अभिदाता द्वारा एक वित्त वर्ष में एक बार पेंशन निष्धि को एक बार और निवेश विकल्प को दो बार परिवर्तित किया जा सकता है।

2.26 टियर II कर बचत योजना (टीटीएस)

यह योजना केवल केंद्र सरकार के एनपीएस अभिदाताओं के लिए उपलब्ध है। आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर लामों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण द्वारा अंशदान उपयोजित करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक के लिए लॉकइन अवधि है।

लॉकड्न अविध के दौरान कोई प्रत्याहरण अनुझात नहीं है, हालांकि, अभिदाता की मृत्यु के मामले में नामिति/विधिक वारिस द्वारा कोष प्रत्याहरित किया जा सकता है।

एनपीएस से निकासी पर टियर— I खाता बंद होने पर, एनपीएस—टीटीएस की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि लॉकइन अबधि पूर्ण नहीं हो जाती ।

पेंशन निधियों के लिए टीटीएस के संबंध में निम्नलिखित निवेश सीमाएं निर्धारित हैं :

वास्ति वर्ग	सीमाएं (प्रविशत में)	
इविवटी	10 - 25	
ऋण	90	
नकद/ मुद्रा बाज़ार/लिक्विब म्युच्युअल फंडस	5	

इसके अतिरिक्त, अभिवाता द्वारा एक वित्त वर्ष में एक बार पेंशन निधि को और निवेश विकल्प को दो बार परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि, टीटीएस अभिदाताओं को मृधक् रूप से अधिकतम 3 पेंशन निधियों को रखने का विकल्प है, जबकि पेंशन निधि के परिवर्तन की अनुमति केवल लॉकइन अवधि के पूर्ण होने के बाद होगी ।

योजनावार प्रबंधन के अधीन आस्तियों का विवरण निम्नालिखित तालिका में दिया गया है:--

प्रबंधन के अधीन आस्तियों का योजनावार विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :--

वालिका 27 : प्रबंधन के अधीन आस्तियों का विदरण

(राशि करोड़ रूपए में)

योजना	मार्च -20	मार्च -21	वृद्धि प्रविशव
केंद्र सरकार	1,38,014.59	1,81,416.26	
राज्य सरकार	2,11,499.67	2,91,959.92	
उप कूल	3,49,514.26	4,73,376.18	35.44
कुल एनपीएस लाइट	27,143.03	36,929.68	
कुल एपीवाई	7,932.05	18,979.51	
कूल कोपरिट सीजी	6,495.76	9,688.52	
कुल टियर 1-ई	10,992.90	18,766.29	
कुल टियर I -सी	39.80	74.76	
कुल टियर 1 -जी	352.55	850.88	
कुल दियर I – ए	297.26	482.73	
कुल टियर II - ई	457.16	835.49	
कुल टियर II- सी		2.12	
कुल टियर II- जी	3,728.40	4,354.38	
कुल टिय र II - टीटीए स	10,526.26	16,687.11	53.97
चप कृत	87,964.87	1,04,649.56	
कूल योग	4,17,479.13	5,78,025.74	38,46
स्रोतः एनपीएस न्यास	7.00	330730	1 1

चपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सरकारी क्षेत्र के लिए एनपीएस योजनाओं (सीजी और एसजी) के तहत प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 36% से बढ़ी है, हालांकि इन दोनों योजनाओं से मिन्न योजनाओं के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति लगभग 54% से बढ़ी हैं। संपूर्ण रूप से, सरकारी क्षेत्र योजनाएं रू 1,23,862 करोड़ से बढ़ी है। जबकि सरकारी क्षेत्र से मिन्न योजनाओं के अनुसार यह औसतन स्व 38,686 करोड़ से बढ़ी है। जैसा ऊपर चल्लेख किया गया है, अलग—अलग पेंशन योजनाएं अलग—अलग पेंशन योजनाएं अलग—अलग पेंशन निथि प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित हैं, संबंधित पेंशन निथि प्रबंधकों के तहत विमिन्न योजनाओं की प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का विवरण निम्नलिखित हैं:

तालिका 2.8 : 31 मार्च 2021 तक के अनुसार पेंशन निविदार और वोजनावार (सीजी, एसजी, एनपीएस लाइट, एपीवाई और कोर्पोरेट सीजी) प्रबंधन के अधीन आस्तियां

(राशि करोड़ रूपए में)

पेंशन निषयों / योजनाओं का नाम	सीजी	एसजी	एनपीएस साइट	एपीवाई	कोपॉरेट सीजी	कुल योग
एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड	83982.48	100846.69	1777,02	5334.46	35003.50	206944.15
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	56922.24	94087.92	1287.61	5174.44	1928.18	159358.39
यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	80511.54	97045.31	1241.53	5178.21		163976.50
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंडस मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड						
कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड			68.22			68.22
एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड						
आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड						


तालिका 2.8 : 31 मार्च 2021 तक के अनुसार मेंशन निविदार के संदर्भ में वोजनावार (ई-I, सी -I, जी-II, जी-II, ए-I, टीटीएस -II) प्रबंधन के अधीन आस्ति।

(राशि करीड़ रूपए में


पेंशन निधियों / योजनाओं के नाम	योजना -ई-ग्र	योजना -सी -1	योजना -जी-1	योजना -ई-11	योजना -सी -II	योजना - जी-11	योजना - ए-I	एनपीएस - टीटीएस -II	कुल योग
एसबीक्षाई पेरान फंड प्राइवेट जिमिटेड	6786.48	3157.80	6150.27	230.12	137.91	289.90	17.78	0.79	16671.06
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	1530.26	832.11	1452.57	59.03	38.44	114.54	4.00	0.21	4031.16
युटीआई रिटायरमेंट सोल्युशंस निमिटेड	871.56	449.94	805.78	44.13	20.88	37.07	3.11	0.15	2232.61
आईसीआईसीआई प्रुढेशियल पेंशन फंडस मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	3045.68	1912.66	2504.95	152.92	95.75	137.54	8.04	0.12	7558.64
कोटेक महिंद्रा पॅरान फंड लिमिटेड	604.26	307.97	490.90	42.82	21.40	33.22	3.24	0.08	1503.92
एवडीएफसी पेशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	7068.07	3271.34	6276.12	309.55	181.51	252.35	38.34	0.70	16383.96
थादित्य विश्वा सन लाइफ पॅशन मैनेजमेंट जिमिटेड	125,20	54.69	85.71	12.42	6,83	10.86	1.25	0.07	297.03

मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021 तक के अनुसार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का आस्ति वर्गानुसार विभाजन निम्नलिखित है: तालिका संख्या 2.10 : प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का आस्ति वर्गानुसार विभाजन

आस्ति वर्ग	३१− गार्च-:	20	31—मार्च-21		
	सारा (क्षपये करोड़ में)	निवेश का %	शशि (फ़पये करोब में)	निवेश का %	
जी-सेक	214308	51	286132	46	
कोपॉरेट बांड	143608	35	178412	30	
ईविषटी	42827	10	91400	16	
मुद्रा बाज़ार	8827	2	15347	3	
नकद और कुल चालू आस्तियां	7915	2	8734	0	
कुल	417479	100	578025	100	
स्रोतः एनपीएस न्यास					







2.3 पेंशन निधि से संबंधित विनियम, अधिपूचना, जारी किए गए प्रमुख परिपत्त/ दिशानिकेंश

(1) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 दिनांक 14 मई, 2020 |

यह संशोधन, प्रायोजकों के बीच संयुक्त उपक्रम के मुद्दों और ज्ञापन में विनिर्दिष्ट सीमा सहित उसकी आवश्यकता और प्रायोजक को पेंशन निधि को पर्याप्त और आवश्यक बुनियादी ढांचे, समर्पित जनशक्ति, प्रणाली और प्रक्रियाएं, सूचना प्रौद्योगिकी और मविष्य में होने वाले परिवर्तन को अपनाने की हमताओं से युक्त व्यवस्था प्रदान करने या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य आवश्यकता, प्रमुख कर्मियों आदि के बारे में जानकारी के विषय में बताता है। कुछ उम विनियमों को हटा दिया गया है और कुछ जोड़े गए हैं।

(2) राज्य सरकारों (एसजी), राज्य स्वायत निकारों (एसएबी) और केंद्रीय स्वायत निकार्यों (सीएबी) के साथ नियोजित सरकारी अभिदाताओं के लिए एनपीएस के टीयर—I में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न का विकल्प ।

यह परिपन्न वित्तीय सेवा विमाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमझोएफ) द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना फा.सं. 1/3/2016-पीआर दिनांक 31-01-2019 को संदर्भित करता है, जिसके अनुसार प्राधिकरण ने परिपन्न दिनांक 8 मई 2019 के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के टीयर I में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न के विकल्प पेश किए । यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकारें (एसजी) / राज्य स्वायत्त निकाय / केंद्रीय स्वायत्त निकाय प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना, अपनी आंतरिक मंजूरी और अधिसूचनाओं के आधार पर, अपनी इच्छा से उक्त राजपन्न अधिसूचनाओं के प्रावधानों को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं ।

(३) एनपीएस योजनाओं और पीएफआरकीए हारा प्रशासित अन्य पेंशन योजनाओं के लिए निवेश दिशानिर्देशों में परिवर्तन ।

यह परिपत्र एनपीएस के तहत योजना ई-I, ई-II, सी-I और जी-I में लघुकालिक ऋण प्रतिभूति और संबंधित निवेशों में कोष के 5% अतिरिक्त एक्सपोजर की अनुमति देता है ताकि अत्यधिक बाजार अस्थिरता के दौरान पेंशन निधि अतिरिक्त नकद और नकद समकक्ष की व्यवस्था कर सकें । पेंशन निधियों को बैंकों और कितीय संस्थानों सहित कोपोरेट निकायों, जिनकी निवेश के तिथि से तीन साल या तीन साल से कम की परिपक्वता अवधि है, द्वारा जारी सूचीबद्ध (या नए मुद्दों के मामले में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव) ऋण प्रतिभूति में निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, जो कि पेंशन निधि के कॉपोरेट बांड पोर्टफोलियों के 10% की अधिकतम सीमा के अधीन है । इसके अतिरिक्त, एनपीएस योजनाओं / पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित अन्य योजनाओं के लिए निवेश

दिशानिर्देशों के तहत पेंशन निधि को भारत सरकार द्वारा शुक्ष किए गए डेट ईटीएफ में निवेश करने की अनुमति है, जो संबंधित योजना के कॉरपोरेट बॉन्ड पोर्टफोलियों के प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति का 5% तक है।

(4) पेंशन निधि द्वारा एनएवी (योजनावार) और पूर्व एनएवी विवरण (शुरुआत से) अपलोड करने की संशोधित समय—सीमा

एक दिन के दौरान सभी व्यापारों के वीखब्द्यूरवाई (वैल्यू वेटेब एवरेज योल्ब) के आधार पर अन्य सभी मुझा बाजार प्रतिभूतियों और ऋण प्रतिभृतियों के मूल्यांकन में परिवर्तन के संबंध में सेबी परिपन्न दिनांक 24.09.2019 द्वारा निर्धारित मूल्यांकन पद्धित में परिवर्तन के कारण, पीएफआएडीए पेंद्रान निधि द्वारा एनएवी घोषणा के लिए समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ताकि पेंद्रान निधि द्वारा सीआएए की वेबसाइटों पर नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) (योजना के अनुसार) और पूर्व एनएवी विवरण (शुष्ठआत से) को मौजूदा रात 9 बजे से उसी दिन रात 10.00 बजे तक अपलोड किया जा सके।

(5) पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की बारा 24 के तहत पेंशन निधि में विदेशी कंपनी द्वारा इक्किटी शेयरों की कुल होल्डिंग पर दिशानिर्देश— राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन निधि एक विदेशी कंपनी द्वारा इक्किटी शेयरों की कुल होल्डिंग की गणना करने का तरीका !

परिपन्न में पीएफआरबीए अधिनियम, 2013 की धारा 24 के तहत पेंशन निवि में एक विदेशी कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों की कुल होल्डिंग पर दिशानिर्देश शामिल हैं, जो कि एनपीएस के तहत पेंशन निधि में एक विदेशी कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों की ऐसी कुल होल्डिंग की गणना के तरीके सहित हैं।

(e) निवेश योजनाओं और पेंशन निधियों के चयन के अनुसार सरकारी क्षेत्रों (एसजी/केंद्र स्वायत्त निकाय/ राज्य स्वायत्त निकाय) के एनपीएस अभिदाताओं की परंपरागत निक्षियों का खंतरण ।

यदि एसजी / राज्य स्वायत्त निकाय / केंद्रीय स्वायत्त निकाय के अमिदाता पेंशन निषियों के विकल्प का चयन या निष्ठियों के आवंटन का निर्णय लेते हैं, तो निवेश योजनाओं और पेंशन निष्ठियों के विकल्प का प्रयोग करते हुए, प्रान खाते के तहत उनके पूरे संचित कोष को चयनित पेंशन निष्ठियों / आरित आवंटन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त, जिन अमिदाताओं ने पहले ही इस विकल्प का प्रयोग किया है, उनकी पारंपरिक निष्ठि को पेंशन निष्ठि और उनके द्वारा चुने गए संपत्ति आवंटन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा ।

(7) पीएफआरढीए (पेंशन निधि) विनिवय, 2015 और उसके अनुवर्ती संशोधनों के तहत पेंशन निधियों द्वारा देय वार्षिक शुल्क में संशोधन ।

इस परिपन्न के माञ्यम से, यह सूचित किया गया है कि, विनियम 9 के तहत नए पंजीकृत पेंशन निधियों के लिए, वार्षिक शुक्क "प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का 0.016 प्रतिशत या रू. 10.00,000/— प्रति वर्ष (रू. 2.50,000/— प्रति तिमाही या उसका भाग) जो भी अधिक हो गया है।

≥4 निर्धाल

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण पेंशन निधि का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था ।

भाग प्रा

यह अध्याय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा पेंशन योजनाओं के क्रमिक विकास के लिए प्राधिकरण के कर्त्तव्य, शक्ति तथा कार्यों, जो कि इस तंत्र तथा योजनाओं में अमिदाताओं के हितों की रक्षा के संबंध में हैं, पर चर्चा करता है।

प्राधिकाम के कार्य

इ.1 जनस्य मुकाईयों का गंधीकरण और ऐसे गंधीकरण का निसंबत, निस्तन बाकि और राष्ट्रीय गेंदल प्रणाबी या कना गेंदान बोधनार्कों से संबंधित स्वाईयों के क्रियाकसामों का विनियमत ।

पीएफआरडीए अधिनियम, 2018 की धारा 14 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं के क्रमिक विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने और ऐसी प्रणाली और योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रहा। करने के लिए प्राधिकरण के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और कोई भी अन्य पेंशन योजना जो पीएफआरडीए द्वारा केंद्र और राज्य सरकार में बड़ी संख्या में इकाईयों जैसे वेतन एवं लेखा कार्यालयाँ / कोषागार कार्यालयाँ के माध्यम से संचालित की जाती है, वे एनपीएसकैन पर सरकारी कर्मचारियों की आवधिक एनपीएस सदस्यता के पंजीकरण और अपलोड के लिए जिम्मेदार हैं, उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) जो बैंक, गैर-बैंकिंग क्तिय कंपनियां (एनबीएफसी). सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) आदि हैं, कॉर्पोरेट्स, निजी बोत्र और असंगठित क्षेत्र के नियोक्ता के लिए एनपीएस सदस्यता के पंजीकरण और अपलोड में सहायता करते हैं. संकलनकर्ता विशेष रूप से अनीपचारिक क्षेत्र में संभावित अभिदाताओं तक पहुंचने में मदद करते हैं, केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), जो अमिदाताओं के व्यक्तिगत पेंशन खातों जिन्हें प्रान कहा जाता है, के अमिलेखपालन के लिए जिम्मेदार होता है और एनपीएस संरचना में समन्वयक के रूप में कार्य करता है, न्यासी बैंक, धन और बैंकिंग सुविधाओं के दैनिक प्रवाह के लिए जिम्मेदार है, पेंशन निधियां (पीएफ्स) पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएसके तहत शामिल किए गए अभिदाताओं की पेंशन परिसंपत्तियों का निवेश और प्रबंधन करने के लिए अनिवार्य है और वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) को अभिदाताओं के साथ एक मासिक वार्षिकी पेंशन प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए के साथ सुचीबद्ध किया गया ।

i) सरकारी क्षेत्र - केंद्रीय और राज्य स्वाक्त निकाय

स्वायत्त निकायों का पंजीकरणः केंद्रीय और राज्य स्वायत्त निकायों को चनके साध—साध केंद्रीय मंत्रालयों के संबंधित वित्तीय सलाहकारों और राज्य सरकारों के नौडल अधिकारी के साध वर्चा करके पंजीकृत करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। पीएफआरडीए ने राज्य सरकारों को एसएबीज के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों और सूचनाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में भी मदद की है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबीज़) और राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबीज़) से सहमति पत्र संसाधित (एलओसी) करना और साथ ही की गई पूर्व— पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान एनपीएस के प्रश्नों को निपटाने का कार्य क्रियानिवत किया जाता है।

वित्त वर्ष 2020-21 में संसाधित सहमति पत्र

- (i) केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबीज) 30
- (ii) राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबीज) 88

31 मार्च 2021 तक के अनुसार प्रमुख लेखा कार्यालय/ बीटीए, पीएओ/बीटीओ और डीडीओं की संख्या निम्नानुसार दी गई है।

तालिका संख्या ३.1 : प्रमुख लेखा कार्यालय/बीटीओ और बीबीओ की संख्या

क्षेत्र	प्रमुख लेखा कार्यात्वय/ बीटीए की संख्या	पीएको / बीटीओ की संख्या	बीबीओ की संख्या
केंद्र सरकार	134	2,987	16,221
केंद्रीय स्वायत निकाय	631	1,969	4,088
कुल	785	4,976	20,308

तालिका संख्या 3.2 : ढीटीए/ढीटीओ/ढीडीओ की संख्या

क्षेत्र	डीटीए की संख्या	हीटीओ की संख्या	कीकीओ की संख्या
राज्य सरकार	72	31	1,986
राज्य स्वायत्त निकाय	580	1,458	5,242
कुल	832	1,490	7,228

तालिका संख्या 3.3 : वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नए केंद्रीय स्वाक्त निकाय (सीएबीज) और राज्य स्वाक्त निकाय (एसएबीज) का पंजीकरण

विवरण	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31मार्च 2020 तक के अनुसार	वित्त वर्ष 2020.21 के दौरान पंजीकरण	
सीएबीज	630	603	27	
एसएबीज	1459	1318	141	

तालिका संख्या 3.4 : वित्त वर्षानुसार नए पंजीकृत शीएबीज और एसएबीज

विवरण	वित्त वर्ष 2018—17	वित्त वर्ष 2017—18	वित्त वर्ष 2018—19	वित्त वर्ष 2018—20	वित्त वर्ष 2020-21
सीएबीज	18	25	25	24	27
एसएबीज़	179	272	107	133	141

31 मार्च, 2021 तक, एनपीएस के तहत कुल 1,459 राज्य स्वायत्त निकाय और 630 केंद्रीय स्वायत्त निकास पंजीकृत हैं।

इसके अलावा, 31 मार्च 2021 तक 176 सपरिश्रति अस्तित्व (सीआरए के साथ पंजीकृत), तीन केंद्रीय अमिलेखपाल अमिकरण, एक न्यासी बैंक, सात पेंशन निष्टियां और 14 वार्षिकी सेवा प्रदाता है।

ii) उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी)

स्वपरिव्यति अस्तित्व का पंजीकरण : हालांकि, अटल पॅशन योजना (एपीवाई) पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित है, लेकिन एपीवाई सेवाओं की पेशकश करने वाली संस्थाओं के लिए कोई नियम नहीं थे। पीएफआरडीए के नियामक दायरे में एपीवाई को लाने के लिए, पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया गया था और उपस्थिति अस्तित्व की एक अलग श्रेणी के रूप में एपीवाई को भी इसके तहत शामिल किया गया था।

मौजूदा विनियमों के तहत छपस्थिति अस्तित्वों की श्रेणियां निम्नानुसार है:

- इस्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)— भौतिक और साथ ही ऑनलाइन मंत्रों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता के लिए वितरण और सेवा प्रदान करना ।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)— केवल ऑनलाइन मंचों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नागरिकों के लिए वितरण और सेवा प्रदान करना !
- iii. राष्ट्रीय मेंशन प्रणाली (एनपीएस)— केवल भौतिक या ऑनलाइन मंत्रों के माध्यम से अपने कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के लिए वितरण। बशर्ते कि केवल ऐसी संस्थाओं को कार्य करने की अनुमति होगी जिन्होंने अपने कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या वस्तु और सेवा अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत शामिल किया गया है और आवेदन की तिथ्य से दो वर्ष से कम समय के लिए, उक्त अधिनियमों के तहत अधिकारियों के साथ पंजीकृत है।
- iv. एनपीएस लाइट योजना
- v. अटल पेंशन योजना
- vi. प्राधिकरण द्वारा विनियमित और प्रशासित कोई भी अन्य योजना

पीओपी विनियम, 2018, के तहत मीएफआरडीए ने चपस्थिति अस्तित्वों (पीओपीज), चपस्थिति अस्तित्व— सेवा प्रदाता को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए हैं, 31 मार्च 2020 तक के अनुसार जारी किये गए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की संख्या निम्नानुसार है:

(1) उपस्थिति अस्तित्व — 317 (2) उपस्थिति अस्तित्व—सेवाप्रदाता — 28

हालांकि, क्ति वर्ष 2020–21 के दौरान 17 पीओपीज़ और 1 पीओपी–एसई विमंजीकृत हो गए ।

HI) पॅशन निवियां

5 मौजूदा पेंशन निषियों (एसबीआई पीएफ, एलआईसी पीएफ, यूटीआई आरएसएल, एचडीएफसी पीएफ और आईसीआईसीआई पीएफ) के प्रायोजकों को दिनांक 19.03.2021 को नियुक्ति पत्र जारी किए गए और प्रस्ताव अन रोघ के माध्यम से 1 नए चयनित प्रायोजक (एक्सिस एएमसी लिमिटेड) को दिनांक 23.12.2020 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया।

दिनांक 30.03.2021 को मौजूदा पेंशन निधि (एसबीआई पीएफ, एलआईसी पीएफ, यूटीआई आरएसएल, एवडीएफसी पीएफ और आईसीआईसीआई पीएफ) को पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआस) जारी किए गए हैं।

विनांक 1 अप्रैल 2012 (30.03.2021 में जारी सीओआर के तहत सम्मिलित) से पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित एयूएम की निम्निलिखत स्लैब संरचना के अनुसार निवेश प्रबंधन शुक्क संशोधित किया गया:

तालिका संख्या 3.5 : 1 खप्रैल, 2021 से निवेश प्रबंधन शुल्क

एयूएम के स्तीब	अधिकतम निवेश प्रजंबन शुल्क (प्रतिशत में)
10,000 करोड़ तक	0.09
10,001 — 50,000 करोड़	0.06
50,001 — 1,50,000 करोड	0.05
1,50,000 करोड़ से ऊपर	0.03

पेंशन निधि द्वारा स्लैब संरचना पर लगाया जाने वाला आईएमएफ पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित सभी योजनाओं के तहत पेंशन निधि के कुल एयूएम पर होगा और इसकी गणना चार दशमलव बिंदुओं तक की जाएगी और इसे काट दिया जाएगा। आईएमएफ की इन दरों की समीक्षा प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि में की जाएगी।

निवेश प्रबंधन शुल्क की उपरोक्त दरें बोकरेज, कस्टोडियन शुल्क और उस पर लागू करों को छोड़कर, केवल इक्विटी लेनदेन पर पेंशन निधि / 0.03% (बोकरेज पर लागू करों सहित) द्वारा योजना के लिए अधिकतम ब्रोकरेज की अनुमति के अधीन हैं। अन्य सभी लागतें पेंशन निधि द्वारा वहन की जाएंगी और पेंशन निधि द्वारा योजना के लिए प्रतिपूर्ति या प्रभारित नहीं की जाएगी।

निवेश दिशानिर्देशों में परिवर्तन पर स्पष्टीकरण :

- तीन वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता वाली प्रतिभृतियों में निवेश पूर्व के दिशा-निर्देशों/मानदंडों के अनुसार किया जाएगा
- ii. भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.07.2020 के बाद किये गए नए जारीकरण : दिनांक 16.07. 2020 के बाद पूरी तरह से सर्विस्ड बॉन्ड के सभी नए जारी होने को सरकारी प्रतिभूतियों और संबंधित निवेश/एसेट क्लास 'जी' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

पंजीकरण प्रमाण पत्र के पुनर्वधीकरण और विस्तार पर बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड को पत्र जारी किया गया। आदित्य बिड़ला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड को बदले हुए नाम में पंजीकरण का नया प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

iv) सेवानिवृत्ति सलाहकार

पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाइकार) विनियम, 2018 और बाद के संशोधनों में परिभाषित पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदनों के मूल्यांकन के बाद पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

वित्त वर्ष 2020—21 के दौरान, एनपीएस संस्वरना के तहत 19 व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार और व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकारों के अतिरिक्त 2 आरए पंजीकृत किए गए थे। पंजीकरण प्रक्रिया को तेजी से निष्पादित करने के लिए, पंजीकरण का ऑनलाइन मंच स्पलब्ध है जहां आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

v) केन्द्रीय विभिलेखपाल अभिकरण

विनियमों का संशोधन, अबिसूचना और संशोधन का प्रसार

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 को सीआरए के लिए योग्यता, शासन, प्रबंधन और परिचालन व्यवहार मानदंडों को निर्धारित करने और केंद्रीकृत अभिलेखपालन तथा सभी अभिदाताओं के लिए ग्राहक सेवा कार्यों को करने के लिए जारी किया गया।

एम/एस एनएसबीएल ई-गर्वनेंस इंफ्रास्ट्रक्वर लिमिटेड के

केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण के कार्यकाल में 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च 2021 तक आगे की एक वर्ष की अविध के लिए या पीएकआरडीए (सीआरए) विनियम, 2015 और उसके संशोधनों के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए बढाया गया है।

हाल ही में, पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2016 के तहत कंप्यूटर एज मैनेजमैंट सर्विस लिमिटेड (सीएएमएस) को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। हालांकि, 31 मार्च, 2021 तक के अनुसार सीआरए-सीएएमएस का परिचालन शुरू करना शेष है।

vi) न्यासी बैंक

कोई विनियामक परिवर्तन नहीं किए गए। हालांकि, वार्षिक शुक्क और अनुपालन प्रमाणपत्र का समय से संकलन सुनिश्चित किया गया था।

vii) एनपीएस न्यास

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरानए एक दो न्यासियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नामित किया गया था:

सुत्री चित्रा जयसिम्हा, की नियुक्ति 18 दिसंबर, 2020 को हुई। त्री वाई. वैकटशव, की नियुक्ति 22 दिसंबर, 2020 को हुई। एग्नेंग्रे) निकास और वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपीख़): क. संशोधन, अधिसूचना और विनियमों के संशोधन का प्रसार

पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम 2020 को एनपीएस लाइट अभिदाताओं के सरल निकास की सुविधा के लिए जारी किया गया है।

ख. नए वार्षिकी सेवाप्रदाताकों का सूचीकरण

- 1. आदित्य बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ग. बार्षिकी सेवाप्रदाताओं के सूचीकरण का नवीनीकरण

- भारतीय जीवन बीमा निगम
- 2. एसबीआई लाइफ इंस्योरेंस कं लिमिटेड
- 3. एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

- स्टार यूनियन वाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- आईसीआईसीआई प्रूडेशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

2.2 चींजनामी का अनुनीयन, ऐसी मीजनामी के तम्रत निवेश दिशानिर्नेश निथम और एवं मत्

प्राधिकरण द्वारा प्रशासित योजनाओं का विवरण रिपोर्ट के भाग II से देखा जा सकता है ।

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी अधिसूचना फा.सं.1/3/2016—पीआर दिनांक 31.01. 2018 के अनुसार एनपीएस के तहत एक डिफॉल्ट योजना के रूप में मौजूदा केंद्र सरकार योजना और वित्त वर्ष 2020—21 के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार क्षेत्रों के तहत मौजूदा और नए सरकारी अभिदाताओं के लिए राज्य सरकार योजना/डिफॉल्ट योजना के तहत वृद्धिशील सदस्यता के लिए धन का आवंटन पेंशन निधियों में वितरित किया गया।

इसके अतिरिक्त कित वर्ष 2020—21 के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के तहत प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड के लिए 38:32:30 (29 जून 2020 से प्रभावी) में आवंटित किया गया है। जबकि पूर्व में यह आवंटन अनुपात एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड के लिए 34:33:33 था।

राज्य सरकार के कर्मचारियों और राज्य स्वायत्त निकायों के कर्मबारियों के लिए लागू योजना के लिए यह सीजी स्कीम के समान निवेश पैटर्न और पेंशन निधि का अनुसरण करता है। वित्त वर्ष 2020—21 के लिए परिसंपत्तियों का प्रबंधन एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड को 38.5% 32% 28.5 क्रमशः के अनुपात में किया गया है, जबकि पूर्व में यह आवंटन का यह अनुपात एसबीआई पेंशन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड (29 जून, 2020 से) के लिए 34-33.6-32.6 था।

- 3.3 तान्द्रीय मेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का (i) राष्ट्रीय मेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निकास निकास
- 3.3.1 पीएकवारडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 और उसके संशोधनी के वहत निम्मलिखित प्रत्याहरण अधियां स्वीकृत हैं:
- (1) राष्ट्राय पशन प्रणाला स आसदाताओं का निकास पीएफआरबीए (एनपीएस से निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 के अनुसार निम्नलिखित निकास श्रेणियां अनुज्ञप्त है:

तलिका संख्या 3.6 : पीएफआरबीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 और संशोधन

क्र.सं	तं प्रत्याहरण सरकारी क्षेत्र में शर्ते गैर-सरकारी क्षेत्र श्रेणियां			
	सामान्य अधिवर्षिता पर	अमिदाता के संचित पेंशन घन के न्यूनतम 40% का जमयोग मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और शेष राशि अमिदाता को एकमुश्त रूप से दी जानी चाहिए । यदि प्रान में उपलब्ध संचित पेंशन राशि 2 लाख या 2 लाख से कम है तो अभिदाता के पास सम्पूर्ण पेंशन संपत्ति को बिना वार्षिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा । हालांकि, निकास दिशानिर्देशों अर्थात् 14 जून 2021 को अधिसूचित में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिनमें स्थायी सेवानिवृत्ति खातें में संचित पेंशन संपत्ति को पांच लाख रूपये या उससे कम राशि, जैसा भी प्राधिकरण द्वारा सीमा निर्धारित की जाए के रूप में संशोधित किया गया है ।		
2	मृत्यु पर	अभिवाता के संजित पेंशन धन के न्यूनतम 80% का उपयोग पति / पत्नी को मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी क्रय करने के लिए किया जाना चिंहए और शेष राशि नामितीधविधिक वारिस को एकमुश्त रूप से वी जाती है। यदि प्रान में संजित सारी मृत्यु के समय 2 लाख या चससे कम होगी, नामिती या विधिक वारिस के पास सम्पूर्ण पेंशन संपत्ति को बिना वार्षिकी क्रय किएवापस लेने का विकल्प होगा।	अधिक की आयु प्राप्त करने से पहले	

क्र.सं	प्रत्याहरण श्रेणियां	सरकारी दोत्र में रार्ते	गैर-सरकारी क्षेत्र में शर्ते
		हालांकि, निकास दिशानिर्देशों अर्थात् 14 जून 2021 को अधिसूचित में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिनमें स्थायी सेवानिवृत्ति खातें में संचित पेंशन संपत्ति को पांच लाख रूपये या चससे कम राशि, जैसा भी प्राधिकरण द्वारा सीमा निर्धारित की जाए के रूप में संशोधित किया गया है ।	
3	समय से पूर्व निकास	अभिदाता के संचित पेंशन धन के न्यूनतम 80% का उपयोग मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी क्रय करने के लिए किया जाना चिहए और शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त रूप से दी जानी चाहिए। यदि प्रान में उपलब्ध संचित पेंशन राशि १लाख या उससे कम है तो ऐसेअभिदाता के पास सम्पूर्ण पेंशन संपत्ति को बिना वार्षिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा। हालांकि, निकास दिशानिर्देशों अर्थात् 14 जून 2021 को अधिसूचित में खुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिनमें स्थायी सेवानिवृत्ति खातें में संचित पेंशन संपत्ति को दो लाख पचास हजार रूपये या उससे कम राशि, जैसा भी प्राधिकरण द्वारा सीमा निर्धारित की जाए के रूप में संशोधित किया गया है।	अनुमति केवल ऐसे अभिदाताओं को होगी जो कम से कम दस साल की अयि से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सदस्य रहे हो। अभिदाता के संवित पेंशन बन के न्यूनतम 80% का उपयोग मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और शेष राशि अभिदाता को एकमुस्त रूप से दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, अभिदाता एनपीएस (70 वर्ष तक) में निवेशित रहने का निर्णय ले सकता है या एनपीएस से निकास कर सकता है । एनपीएस अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध है :--

- एनपीएस खाते को जारी रखना : अमिदाता सेवानिवृत्ति (70 वर्ष तक) के बाद भी एनपीएस खाते में अंशदान करना जारी रख सकता है और अंशदान पर अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त कर सकता है।
- निकासी को स्थिगित करना : अभिदाता अपनी निकासी को स्थिगित कर सकता है और 70 वर्ष की आयु तक एनपीएस में निवेशित रह सकता है। अभिदा. ता केवल एकमुस्त निकासी को स्थिगित कर सकता है, केवल वार्षिकी को स्थिगित कर सकता है या एकमुश्त और वार्षिकी दोनों को स्थिगित कर सकता है।
- अपनी पेंशन शुरू करें : यदि अभिदाता एनपीएस खाते को जारी नहीं रखना चाहता /स्थिगित करना

बाहता है, तो वह एनपीएस से निकास कर सकता है। वह ऑनलाइन निकास का अनुरोध कर सकता है और एनपीएस के निकास दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन प्राप्त करना शुरू कर सकता है।

एक ब्यक्ति https://bit-ly/2ZLzTkB पर हमारे समर्पित युट्यूब चैनल पर जारीकरण और आस्थागन प्रक्रिया पर वीडियो और https://bit-ly/2vyuhfk पर जाकर अभिदाता के ऑनलाइन निकासी प्रसंस्करण पर वीडियो देख सकते हैं।

एनपीएस से निकास के लिए, अभिदाताओं को श्रेणीबड्स और परिभाषित किया गया है:

(i) सरकारी क्षेत्र, (ii) कॉपॉरेट क्षेत्र सहित सर्व नागरिक और (iii) एनपीएस लाइट और स्वावलंबन अभिवाता । अभिवाता जिस श्रेणी से सम्बंधित है तदनुसार निर्दिष्ट नि कास विनियम लागू ठॉगे ।

तालिका संख्या 3.7 : 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच रिपोर्ट, स्वीकृत और निपटाए गए निकास मामले

		अॉन	ऑनलाइन प्रत्याहरण			मौतिक प्रत्याहरण		
क्र.सं	क्षेत्र	रिपोर्ट किए गए	स्वीकृत \$	निपटाए गए	रिपोर्ट किए गए #	स्वीकृत ***	निपटाए गए	
1	केन्द्र सरकार	6,402	5968	5923	28	28	28	
2	राज्य सरकार	21,634	19,217	19,117	3	3	3	
3	सर्व नागरिक/ यूओएस	6,723	6,206	5,670	2			
4	कोर्पोरेट	3,380	3,077	2,443	- 4	-	-	
5	एनपीएस लाइट	34,189	33,874	33,773			===	
	कुल	72,328	68,342	66,926	31	31	31	

(स्रोत : एनएसडीएल-सीधारए एंड केफिन टेक्नोलॉजीज़ सीधारए)

टिप्पणी .

ैं ऑनलाइन निकास रिपोर्टेंड मामलों में नोडल कार्यालयों द्वारा अधिकृत तथा नोडल कार्यालयों के लिए द्वारा अधिकृत होने के लिए लंकित मामले क्षेत्र हैं ।

\$ ऑनलाइन निकास निपटाए गए मामले वो मामले हैं जिसमें नोकल कार्यालय ने सीआएए प्रणाली में निकास अनुरोध स्वीकृत किए हैं । ## मीतिक निकासी: इन मामलों में प्रसंस्करण के लिए सीआएए में प्राप्त मीतिक प्रास्त्य शामिल हैं जिनके ऑनलाइन निकासी मॉक्सूल अमी तक विकसित या विकास प्रक्रिया में नहीं हैं। उदा. अमिदाता जिसकी सीआएए प्रणाली में अपलोक की गई अंतदान राशि मिलान और दुकिंग के लिए लंबित थीं (यानी मेल नहीं किया गया था), 80 वर्ष की आयु के बाद प्रणाली में पंजीकृत होने वाले अमिदाता आदि । सीआएए ने ऐसे मामलों को एक ऑकलाइन यानी मीतिक मोठ में संसाबित किया।

***भौतिक निकासीः स्वीकृत का अर्थ है वह मामले जो सीआरए में स्थगित थे और जिसके लिए नोडल कार्यालय/ अभिवाता से आवश्यक वस्तावेज प्राप्त किए गए थे।

तालिका संख्या 3.8 : 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 तक के अनुसार लंबित प्रत्याहरण दावे

		लंबित भौतिय	क प्रत्याहरण	ऑनलाइन लंबित प्रत्वाहरण	
क्र.सं	क्षेत्र	31 मार्च 2020 तक के अनुसार	31 मार्च 2021 तक के अनुसार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार	31 मार्च 2021 तक के अनुसार
1	केन्द्र सरकार	-	<u> </u>	408	434
2	राज्य सरकार	÷	-	1,689	2,417
3	सर्व नागरिक / यूओएस	T		445	517
4	कोर्पेरिट	=		189	303
6	एनपीएस लाइट	j	-	190	315
	कुल	-	الدر	2,922	3986

टिप्पणी :

भौतिक प्रत्याहरण : वर्ष के अंत में लिंबत प्रत्याहरण दावे वह मामले हैं जहीं अभिदाता/नोडल कार्यालयों को सीआएए को आवश्यक दस्तावेज भेजना शेष हैं ।

ऑनलाइन प्रत्याहरणः वर्ष के अंत में लिखत प्रत्याहरण दावे वह मामले हैं जहीं नोडल कार्यालयों को सीआरए प्रणाली में प्रत्याहरण अनुरोध अधिकृत करना शेष है ।

यह देखा गया कि अधिकांश मामलों में अभिदाताओं या नौबल कार्यालयों द्वारा जमा कराए गये उपयुक्त दतावेजों की कमी/अपर्याणता के कारण प्रत्याहरण अनुरोध लिखत है।

112 प्रतिपृत्त के तहत अभिक प्रसादरण

- 1. एनपीएस अभिदाता आशिक प्रत्याहरण ऐसी स्थिति में आशिक प्रत्याहरण कर सकता है, जब अभिदाता के संवित पेंशन धन का आंशिक प्रत्याहरण, जो अभिदाता के संवित पेंशन धन का, पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो, और जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के पूर्व किसी समय नियोजक द्वारा किये गए अंशदान, यदि कोई हो, को अपवर्जित किया गया है, नीचे विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों, प्रयोजन, आवृत्ति और सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुद्रेय होगा—
- (क) प्रयोजन : किसी अभिदाता को, प्रत्याहरण प्राक्तप प्रस्तुत करने की तारीख से केवल निम्नलिखित प्रयोजन में से किसी के लिए उसके व्यक्तिगत पॅशन खाते से उसके द्वारा किये गए अभिदायों का पच्चीस प्रतिशत से अनिधक का प्रत्याहरण, अनुझात होगा :-
 - (i) अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हैं, उच्चतर शिक्षा के लिए;
 - (ii) अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हैं, विवाह के लिए :
 - (iii) अपने स्वयं के नाम से या विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट है, तो इन विनियमों के अधीन कोई प्रत्याहरण अनुझात नहीं किया जाएगा;
 - (iv) विनिर्दिष्ट बीमारियों के समझार के लिए, यदि अभिदाता उसका विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी, बच्चों जिसके अंतर्गत वैध रूप

से दत्तक बच्चे मी हैं, या आश्रित माता—पिता किसी विनिर्दिष्ट रुग्णता से ग्रस्त हैं, जिसमें निम्नलिखित ऐगों के सम्बन्ध में अस्पताल में मर्ती होना, उपचार समाविष्ट होगा:

- (i) **कैंसर**;
- (ii) गुर्दो की विफलता (अंत चरण रीनल फेल होना);
- (iii) प्राइमरी पुल्मोनरी आल्टेकियल डाइप. चटेंशन :
- (iv) मल्टीपल एक्लराङ्गोसिस ;
- (v) प्रमुख अंग प्रत्यारोपण ;
- (vi) कोरेनरी आर्टरी बाईमास ग्राफ्ट :
- (vii) ओरटा ग्रापट सर्जरी ;
- (viii) हार्ट वाल्व सर्जरी ;
- (ix) स्ट्रोक :
- (x) मायोकार्जियल इन्फेक्शन
- (xi) कोमा :
- (xii) टोटल ब्लाइंडनेस (पूर्ण रूप अंचता) ;
- (xiii) पेरालेसिस (लकवा);
- (xiv) गंभीर / जीवन को संकट में डालने वाली दुर्घटना :
- (xv) जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले कोई अन्य गंमीर रोग जो प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर जारी परिपन्नों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किया जाए । हाल ही में कोविड—19 को इस वर्ग में शामिल किया गया ।
- (xvi) अभिदाता की विकलांगता या अक्षमता के कारण होने वाले चिकित्सकीय तथा आकस्मिक खर्चों को पूरा करने हेतु ।
- (xvii) अभिदाता द्वारा कौशल विकास/पुनः कौशल या अन्य कोई स्य-विकास क्रियाकलापों के खर्चों के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित

दिशानिर्देश जारी करते हुए अनुझप्त हो ।

(xviii) अभिदाता द्वारा स्व-उद्यम स्थापित करने या नए उद्यमों की शुरुआत करने हेतु खर्चों को के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिदेंश जारी करते हुए अनुज्ञान हो ।

(ख) सीमाएं : अनुज्ञात प्रत्याहरण केवल तभी मंजूर किया जाएगा यदि अभिदाता लाभों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित पात्रता सम्बन्धी मानदंड और सीमाओं का अनुपालन करता है:—

(क) अमिदाता, अपने कार्यग्रहण की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहा हो । (ख) अभिदाता को उसके द्वारा किए गए अभिदायों के आवेदन की तारीख को उसके व्यक्तिगत पॅशन खाते में जमा रकम के प्रत्याहरण के लिए, पञ्चीस प्रतिशत से अनिधक संघयन का प्रत्याहरण अनुद्वात नहीं होगा ।

(ग) आवृत्ति : (1) अभिदाता को, राष्ट्रीय पेशन प्रणाली के अधीन अभिदाय की सम्पूर्ण अवधि के दौरान केवल अधिकतम तीन बार प्रत्याहरण अनुझात होगा । अभिदाता द्वारा सुसंगत दस्तावेजों के साथ विनिर्दिष्ट प्रारूप के प्रत्याहरण के लिए अनुरोध केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे प्रत्याहरण की कार्यवाही करने के लिए अपने मुख्य पणधारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा । परन्तु जहाँ कोई अभिदाता, उपखंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी रोग से प्रश्त है वहां प्रत्याहरण का ऐसा अनुरोध ऐसे अभिदाता के कुटुंब के किसी सदस्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

वालिका संख्या 3.9 : वित्त वर्ष 2020-21 में रिपोर्ट किए गए और निपटाए गए आंशिक प्रत्याहरण मामलों की संख्या

		13	आशिक प्रत्याहरण		
क्र.सं	क्षेत्र	रिपोर्ट किए	गए *		
200		नोकल कार्यालय द्वारा शुक्ष किए गए #	नोबल कार्यालय द्वारा स्वीकृत	निपटाए गए**	
1	केन्द्र सरकार	10,978	9,295	9243	
2	राज्य सरकार	30,049	35,438	35314	
3	सर्व नागरिक / यूओएस	1073	382	358	
4	कोर्पोरेट	2313	1082	1076	
	कुल	53414	48177	45991	

(स्रोत : एनएसबीएल-सीआरए एंड कोफिनटेक-सीआरए) टिप्पणी:

^{**}रिपोर्ट किये गए मामलों में नोबल कार्यालय द्वारा अधिकृत और नोबल कार्यालय द्वारा अधिकृति हेतु लंबित मामले सामिल हैं । **निपटाए गए मामले वह हैं जिनमें निवियां अभिवाता के बैंक खाते में जमा कर वी गई हैं ।

[#] अभिवाताओं द्वारा आरम्प किये गए मामलों को नौजल कार्यालय द्वारा शुक्त किए गए मामलों में भी जोड़ा गया है। कुछ मामले पिछले वर्षों के स्वीकृत मामलों से संबंधित हैं।

वालिका 3.10 : 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के दौरान कारणवार आशिक निकासी के रिपोर्ट किए गए और निपटाए गए मामले ।

	नोडल कार्यालय द्वारा शुरू की गई		नोडल कार्यालय द्वारा अनुमोदित		निपटाई गई	
निकासी का कारण	सनुरोध की संख्या	कोविस-19 के तिए अनुरोध की संख्या		कोदिस-19 के लिए अनु, रोध की संख्या	अनु. रोध की संख्या	कोदिङ-19 के लिए अनुरोध की संख्या
अपने बच्चों, जिसमें वैध रूप से दत्तक बच्चे भी शामिल हैं, की उच्चतर शिक्षा के लिए	2,585		2,019		2,011	
अपने बच्चों, जिसमें वैध रूप से दत्तक बच्चे भी शामिल हैं, के विवाह के लिए			5,935	7	5,906	
निवास स्थान क्रय करने या उसके संनिर्माण के लिए	29,239	1	25,128		25,021	
निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए	10,765	890	9,995	545	9,961	534
विकलांगता / निःशक्तता के कारण होने वाले चिकित्सकीय खर्चों और आ स्मिक खर्चों को पूर्ण करने के लिए		4	2,773	T.	2,768	9
कौशल विकास/पुनः कौशल या अन्य कोई स्व-विकास क्रियाकलापों के खर्चों के लिए	704		297		294	
स्व-उद्यम स्थापित करने या नए उद्यमों की शुरुआत के लिए	136	10.	30	d.	30	9
कूल	53,414	690	46,177	545	45,991	534

अभिदाताओं हारा चुने गए वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) और वार्षिकी योजनाओं का विवरण

एकमुस्त राशि जमा करने पर वार्षिकी के रूप में मासिक पेंशन प्राप्त होती है। अभिदाता को पीएफआरडीए के सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से, एनपीएस निकास नियमों में अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट वार्षिकी क्रय करनी होगी।

वार्षिकी सेवा प्रदाता बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) लाइसेंस प्राप्त और विनियमित जीवन बीमा कंपनियां हैं, जो भारत में वार्षिकी व्यवसाय का संचालन करती है और ये एनपीएस अमिदाताओं की वार्षिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध हैं।

वर्तमान में, निम्नलिखित 12 वार्षिकी सेवा प्रदाता एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

- क) लाइफ इंश्योरेंस कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- आईसीआईसी प्रूबेशियल लाइफ इंक्योऐंस कॉ लिमिटेड
- ग) एसबीआई लाइफ इंस्योरेंस कं लिमिटेड
- घ) आईसीआईसीआई प्रृटेशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लिमिटेड
- ब.) एचडीएफसी स्टैंडर्ब लाइफ इंस्पोरेंस कं लिमिटेड
- ब) स्टार यूनियन दाई-ईबी लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड
- छ) कोटेक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड
- ज) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड
- पडेलविंस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड
 अ) बजाज एलायंज लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड
- कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंग्योरेंस के लिमिटेब
- थ) टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेंड राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत, अभिदाता के पास वार्षिकी के प्रकार और वार्षिकी सेवा प्रदाता को चुनने का

विकल्प होता है। अभिदाता संबंधित एएसपी द्वारा दी जाने वाली उपलब्ध योजनाओं में से अपनी आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिकी प्रकार/योजना का चयन कर सकता है।

वालिका 3.11 : 1 अप्रैस, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान संसाधित किए गए ऑनलाइन वार्षिकी अनुरोध

क्र.सं	वार्निकी सेवा प्रदाता/वार्निकी वोजनाएं	मामलों की संख्या	राखि स्वानांतरित (क्वयों में) (करोड़ में)
9	जीवनभर के लिए वार्षिकी	2722	91.02
2	मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्विकी	7310	292.94
3	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर पति /पत्नी को जीवनभर के लिए 100% वार्षिकी देय	3628	136.00
4	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर वार्षिकी खरीद पर पति /पत्नी को रिटर्न के साथ जीवनभर के लिए 100% वार्षिकी देय	3319	264.22
5	अधिशुल्क / क्रम शुल्क की भाग में बापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	22	0.49
8	गंभीर बीमारी का पता चलने पर अधिशुक्क/क्रय शुक्क की वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	48	2.65
7	एनपीएस-कुटुंब आय विकल्प	3342	162.63
2.2	क्ल	20,382	850.45

पीएफआरडीए द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहल जिसका उपमोक्ता मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से उपयोग कर सकता है

क. ई- वार्षिकी साक्षरता कार्यक्रम (एएलपी)

सेवानिकृत होने वाले एनपीएस अभिदाताओं के बीच वार्षिकी पर जागरूकता पैदा करने के लिए। यह कार्यक्रम वार्षिकी सेवा प्रदाताओं और सीआरए के साध्य संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। देश में 3 अल —अलग राज्यों के लिए एएलपी आयोजित किया गया। ईएएलपी ऑनलाइन माध्यम से आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के अभिदाताओं के लिए दिनांक 12 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया और महाराष्ट्र के सेवानिकृत होने वाले अभिदाताओं के लिए दिनांक 25 फरवरी, 2021 को आयोजित किया गया था, जिसमें 230 और 580 अभिदाताओं क्रमशः ने भाग लिया और पीएफआरडीए, सीआरए और वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) द्वारा प्रस्तुति दी गई।

ख. ऑनलाइन पेंशन कैलकुलेटर

पेंशन कैलकुलेटर अस्थायी पेंशन और एकमुश्त राशि की दर्शाता है जो एक एनपीएस अभिदाता को परिपक्वता पर या 80 वर्ष की आयु पर नियमित मासिक अंशदान, वार्षिकी क्रय करने के लिए पुनर्निवेश की गई राशि का प्रतिशत और निवेश पर रिटर्न के संबंध में अनुमानित दर और चयनित वार्षिकी के आधार पर प्राप्त करने की आशा कर सकता है । यह एनपीएस न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पेशन कैलकुलेटर के लिए लिंक http://www.npetrust. org.in/content/pension-calculator https://cra-nedl.com/CRAOnline/aspQuote.html https://nps.kfintech.com/npc/

ग. कोविड-19 के दौरान विशेष खपाय

1, ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया

नोडल कार्यालयों / मैंओपी को एनपीएस के निकासी अनुरोध को संसाधित करने के लिए डिजिटल माध्यम से निकास दस्तावेजों की स्कैन / स्व-प्रमाणित छवियों को स्वीकार करने के लिए छूट दी गई थी। अमिदाता मौतिक तरीके के बजाय दस्तावेजों को डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं।

ii, कोविड —19 संबंधित चिकित्सा उपचार के लिए स्वीकृत आंशिक निकासी की अनुमति

कोविड से संबंधित बीमारियों को शामिल करने के लिए आंशिक निकासी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।

घ. ऑनलाइन निकास/निकासी

 एकल केवाईसी पर एनपीएस अभिदाताओं के लिए वार्षिकी जारी करने की सविधा ।

यार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) द्वारा वार्षिकी जारी करने के लिए नोडल अधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए केवाईसी और निकासी दस्तावेज पर्याप्त हैं। प्रीएफआरडीए द्वारा आईआरडीएआई और एएसपी के साथ समन्वय में प्रक्रिया को अंतिम कप दिया गया था।

अतिरिक्त ख्रंबू खिलिजेंस प्रक्रिया के भाग के रूप में, पेनी ड्रॉप के माध्यम से तत्काल बैंक खाता सत्यापन शुरू किया गया ताकि धन की वापसी से बचा जा सके और वास्तविक समय के आधार पर लामार्थी के दिवरण की जांच की जा सके। यह प्रक्रिया निकास की निर्वाध बनाती है और दिलंब से बचाती है।

iii. ई—एनपीएस अमिदाता निकास

बैकों के समन्वय में निर्मित ऑनलाइन ई—एनपीएस निकास कार्यक्षमता। 30 नवंबर, 2020 से कार्यात्मकताएं शुरू की गई।

iv. निकास प्राधिकरण कोड (ईए कोड)

अभिदाताओं को निकास के समय मोबाइल नंबर सत्यापित करने की सुविधा देता है और संपर्क समता में सुधार करता है। वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा वार्षिकी प्रसंस्करण में सरजता सुनिश्चित करता है।

तालिका संख्या 3.12 ! पीएफआएडीए द्वारा वर्ष 2020-21 में जारी कार्यात्मकताओं का समग्र सारांश

कार्य का नाम	वित्त वर्ष 2020-2021 में संसाधित अनुरोधों की संख्या
स्कैनड दस्तावेज़ों के आधार पर ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया	11,806
कोविक-19 संबंधी स्वास्थ्य संबंधी समचार के लिए स्वीकृत ऑनलाइन आंशिक निकास मामले (कुल राशि सहित)	531 (पशि: स्त 4.43 कपोड़)
ऑनलाइन ई-एनपीएस निकास	1,099
आंशिक निकास	46,163
चपस्थिति अस्तित्वों (कोपोरेट) से संबद्धित एनपीएस अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन निकास प्रक्रिया	2,875
चमस्थिति अस्तित्वों (कोर्पोरेट) से संबद्धित एनपीएस अमिदाताओं के लिए ऑनलाइन निकास प्रक्रिया	4,839
(भोतः एनएसडीएल सीआरए और केफिनटेक सीआरए)	

- बिजिटल पहल पीएफसारबीए में कार्य प्रगति पर है और इसे लागू करने की प्रक्रिया में कार्यरत है।
- व. रियोट ऑनबोर्डिंग और निकास के लिए बीडियो आचारित अभिदाता महचान प्रक्रिया (वीसीखाईपी)।

पीएफआरडीए ने अपने पंजीकृत मध्यस्थों को एनपीएस से संबंधित औनबोर्डिंग, निकास या किसी अन्य सेवा अनुरोध पर वीडियो—आधारित अभिदाता पहचान प्रक्रिया (वीसीआईपी) का उपयोग करने की अनुमति दी हैं। यह दूरस्थ उपस्थिति, सीमित गतिशीलता, संपर्क रहित सेवा, सामाजिक दूरी मानदंड आदि की चुनौतियों को दूर करेगा और खाता खोलने, निकास के निष्पादन और अन्य सेवा अनुरोध के नियतकालिक समय को भी अनुकूलित करेगा। यह एनपीएस की पहुंच बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है क्योंकि खाता खोलने की प्रक्रिया गैर-कागज़ी, तात्कालिक, सुविधाजनक और लागत प्रमावी है।

आ. ऑफलाइन आधार आधारित खॉनलाइन निकास।

ऑफलाइन आधार का चपयोग करके निकास की प्रक्रिया में तेजी लाना है। यह निकास की प्रक्रिया का निर्बाध, गैर-कागज़ी और समयबद्ध प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है।

इ. ऑनलाइन आंशिक निकासी

आंशिक निकासी प्रक्रिया में स्व—घोषणा के आधार पर आसानी सुनिश्चित करना और पेनी ब्रॉप के साथ प्रक्रिया को ऑनलाइन करना शामिल है। यह आशिक निकासी की प्रक्रिया के लिए नियतकालिक समय को कम करता है।

र्घ. ऑनलाइन स्मार्ट निकास निर्देशिका

यह अभिदाताओं को खरीद मूल्य की वापसी के साथ/ बिना वार्षिकी उद्धरण प्राप्त करने में मदद करता है। विभिन्न वार्षिकी सेवाप्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी योजनाओं का चयन करते समय अच्छी तरह से सुचित निर्णय ले सकते हैं।

छ. छपस्थिति अस्तित्यों से संबद्धित एनपीएस अमिदाताओं के लिए ऑनलाइन निकास प्रक्रिया।

इस प्रक्रिया के तहत, अभिदाता केवाईसी के साथ निकासी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और ई – साइन/ ओटीपों का उपयोग करके अधिकृत कर सकते हैं। निकास की यह गैर-कागज़ी प्रक्रिया दावों के समय पर प्रसंस्करण और वार्षिकी जारी करने में मदद करती है। निकास की प्रक्रिया के लिए, अभिदाता को पीओपी के उनके कोष का न्यूनतम राशि 125 रुपये और अधिकतम रुपये 500 तक 0.0125% का भुगतान करना होगा।

शब्दीय पेंशन प्रकारी और वांगीतिया के तरत क्रम पेंशन मीचनाओं के अभिवासकों के दिनों की सुकत के लिए एतिविधियों :--

पीएफआरडीए का एक प्रमुख उद्देश्य अभिदाताओं के हितों का संरक्षण है और पीएफआरडीए इसके विकास के लिए विविध गतिविधियों में कार्यरत है।

वालिका संख्या 3.13 : अभिदावाओं के हितों की रक्षा के लिए किए गए उपाय

क्र.सं	पद्दल	लाभ		
1.	ऑनबोर्डिंग के लिए ऑफलाइन साधार केवाईसी	र ऑनबोर्डिंग और तत्काल प्रान जारी करने की सरलता ।		
2	एनपीएस अभिदाताओं के लिए ईप्रान कार्ड	अब अभिदाता को खाता खोलने के लिए बहुत कम शुल्क देना होगा और यह संबालित करने में भी सरल है।		
3.	अभिदाताओं द्वारा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण	अभिदाताओं की गैर—कागज़ी ऑनबोर्डिंग ।		
4	ऑनलाइन आघार ई-केवाईसी	एक सीआरए को ऑनलाइन ई-केवाईसी पेश करने के लिए यूआईडीएआई द्वारा पीएफआरडीए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई ।		
5.	सी—रेमिट (प्रत्यक्ष प्रेषण)	एनपीएस अभिदाताओं को समान दिवस एनएवी और ऑटो डेबिट की सुविधा । अंशदान प्रसंस्करण में देरी दो दिन से कम हो जाती है।		
6.	नच (एनएसीएच) आधारित डेबिट	नव ई-आदेश के माध्यम से स्वचालित डेबिट को प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया । कित वर्ष 2020-21 में प्रक्रिया को सूत्रपात किया गया और कित वर्ष 2021-22 में शुरू की गई ।		
7.	ई साइन के माध्यम से ई नामिनेशन सुविधा	गैर-कागज़ी प्रक्रिया का ऑनलाइन नॉमिनेशन/नवीनीकरण		
8.	एनपीएस/एपीवाई के लिए लोकपाल	लोकपाल की सेवाओं के विषय में अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) प्रकाशित किए गए और जागरूकता उत्पन्न की गई ।		
9,	वार्षिकी साक्षारता कार्यक्रम (एएलपीज़)	सेवानिवृत्त होने वाले एनपीएस अभिदाताओं के लिए जागरूकता उत्पन्न करना । यह कार्यक्रम वार्षिकी सेवा प्रदाता, सरकारी नोडल अधिकारियों और सीआरज़ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है।		
10.	वार्षिकी गणक	एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी दरों / सूचना के बेहतर अतंरण के लिए दार्षिकी कैलकुलेटर पुनः शुरू किया गया ।		
11.	वार्षिकी सेवाप्रदाताओं के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र	सर्वोर्द्धित अभिदाता सेवाओं के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्धवार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र जमा कराया जा रहा है।		

क्र.सं	पहल	लाभ		
12,	एनपीएस कर बचत खाता	केंद्र सरकार क्षेत्र के अमिदाताओं के लिए कर बचत को सक्षम करता है।		
18.	निवेश का विकल्प और पेंशन निवियां	सरकारी क्षेत्र अमिदाता निकेश विकल्प और पेशन निवियों का चयन कर सकते हैं।		
14.	एनपीएस विरासत खातों के लिए औटीपी आधारित प्रमाणीकरण	उन एनपीएस अभिदाताओं की कठिनाईयों को कम करने के लिए जिन्होंने कोविख—19 महामारी के कारण शुरू हुए लॉकखाउन के दौरान अपने एनपीएस खाते खोले हैं, लेकिन सीआरए को मौतिक आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके।		
15,	निकास प्रक्रिया	एनपीएस के निकास अनुरोध को संसाधित करने के लिए नोबल कार्यालयों / उपस्थिति अस्तित्वों को निकास दस्तावेज़ों की स्कैन / स्य-प्रमाणित प्रतियों को स्वीकार करने की छूट दी गई थी।		
16.				
17.	समयपूर्व निकासी के मामले में, जहां केवल एकनुक्त राशि का भुगतान किया गया है प्रान जारी रखना	आंशिक रूप से निकासी करने वाले एनपीएस अभिदाताओं को समान प्रान जारी रखने का विकल्प ।		
18.	एकल केबाईसी पर एनपीएस अमिदाताओं के लिए वार्षिकी जारी करने की सुविधा	नोडल अधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए केवाईसी और निकासी दस्तावेज, वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) वार्षिकी जारी करने के लिए पर्याप्त हैं।		
19.	तत्काल बैंक खाता सत्यापन	निधियों की वापसी को रोकने के लिए और वास्तविक समय आबार पर लाभार्थी विवरण की जांच के लिए पेनी ड्रॉप के माध्यम से तत्काल बैंक खाता सत्यापन ।		
20.	ईएनपीएस अभिदाता निकास	ऑनलाइन ई—निकास क्रियात्मकता बैंकों के समन्वय में निर्मित है ।		
21.	निकास प्रमाणीकरण कोड (ईए कोड)	अमिदाता को निकास के समय मोबाइल नंबर के सत्यापन की सुविधा		

2.5 अगिदासमां की शिक्तावां के निवारण सिष संव और ऐसी गडिविध्यां की शिकावतां निवारण के सिष संव

एक अमिदाता एनपीएस के तहत सीआएए द्वारा स्थापित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से नियोक्ता (नोडल कार्यालय)/सीआएए के खिलाफ से शिकायत दर्ज कर सकता है। इस शिकायत को एनपीएस न्यास को आगे बढ़ाया जाएगा। शिकायत करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

(i) ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण — एक अभिदाता सीआए की वेबसाइट www.cransdl.com पर लॉगिन करके केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) में शिकायत दर्ज कर सकता है, खपयोगकर्ता आईडी — 'प्रान' और आईपिन (प्रान जारी करते समय प्रदान किया गया) का खपयोग करके खुद को प्रमाणित कर सकता है या प्रान विवरण के साथ या उसके बिना (https://www.npscra. nedi.co.in/Log-your-grievance-php) लिंक पर क्लिक करके।

(ii) सीआरए हेल्पलाइन — एक अभिदाता टोल-फ्री नंबर 1800222080 पर कॉल कर सकता है, 'प्रान' और आईपिन (प्रान जारी करते समय प्रदान किया गया) का उपयोग करके खुद को प्रमाणित कर सकता है और ग्राहक सेवा कार्यकारी के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है।

शिकायत के सफल लॉग—इन के बाद, सीआरए प्रणाली द्वारा एक टोकन नंबर उत्पन्न किया जाएगा जिसकी सहायता से एक अभिदाता सीआरए वेबसाइट पर शिकायत की स्थिति का पता कर सकता है। शिकायत को 30 दिनों में मध्यस्य इकाई द्वारा हल किया जाता है। यदि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है या शिकायत के तीस दिनों के अंत तक मध्यस्थ द्वारा इसका समाधान नहीं किया गया है, तो वह शिकायत को नेशनल पेंशन प्रणाली न्यास में बढ़ा सकता है। नेशनल पेंशन प्रणाली न्यास शिकायत के निवारण के लिए संबंधित मध्यस्थ के साथ सदस्य शिकायत पर विचार करेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अमिदाता शिकायत के समाधान के लिए कॉल करेगा और शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अभिदाता को जवाब देगा।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सीआरए में प्राप्त सीआरए द्वारा शिकायतों के संकलित आंकड़े निम्नलिखित हैं:

वालिका संख्या 3.14 : सीआरए के विकट प्रश्न/शिकायत (परामशी)

		वित वर्ष 20	20-21 के लिए	
शिकायत दर्ज की गई	मार्च 2020 के अंत में लंबित	वित्त-वर्ष 2020-2021 के दौरान प्राप्त	वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान समाप्त/ निपटाई गई	मार्च 2021 के अंत में लंबित
सीआएए	1,941	1,13,916	1,14,820	1,037

वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान कुल 1,13,916 शिकायतें प्राप्त हुई । इन शिकायतों में से 103,472 एनएसडीएल-सीआरए को प्राप्त हुई और 10,444 शिकायतें केफिनटेक टेक्नोलॉजीज को प्राप्त हुई। दोनों सीआरए में मिलाकर लंबित कुल 1037 शिकायतों में से 836 शिकायतें एनएसडीएल— सीआरए के साथ लंबित हैं और 101 केफिनटेक टेक्नोलॉजीज के साथ लंबित हैं।

तालिका संख्या 3.16 : सीआएए के विश्वद्ध दर्ज किए गए प्रश्नों /शिकायतों की रिथति

प्रश्न अंगी	मार्च 2020 के अंत तक लॅबित मामले	विता वर्ष 2020-2021 के दौरान प्राप्त मामले	वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान सुलझाए गए मामले	मार्च 2021 के अंत तक समाधान हेतु लंबित मामले
सामान्य शिकायर्ते	950	84,790	66,236	504
प्रान कार्ड से संबंधित	486	22,274	22,485	275
एसओटी से संबंधित	114	6,769	5,821	52
टियर Ⅱ से संबंधित	135	4,506	4,601	40
अभिदाता विवरण का गलत संसाधन	78	5.041	5,082	37
आईपिन, टीपिन से संबंधित	22	2,862	2,650	34
निकास से संबंधित	58	2,823	2,851	28
ईमेल / एसएमएस अलर्ट प्राप्त नहीं हुए	35	2,178	2,193	20
निकासप्रक्रियाशुरूनहीकीगई/प्राधिकृतनहींहुई/ धनराशि प्राप्त नहीं हुई	11	1,215	1,206	20
आंशिक निकास प्रक्रिया शुरू नहीं की गई/ प्राधिकृत नहीं की हुई /धनराशि प्राप्त नहीं हुई	43	1,749	1,775	17
अन्य शिकायतें	1	65	63	3
मृत्यु निकास प्रक्रिया शुक्त नहीं की गई/ प्राधिकृत नहीं हुई/ धनशशि प्राप्त नहीं हुई	2	167	167	2

मार्च 2020 के अंत तक लॉबत मामले	क्ति वर्ष 2020-2021 के दौरान प्राप्त मामले	वित्त वर्ष 2020—2021 कें दौरान सुलझाए गए मामले	मार्च 2021 के अंत तक समाधान हेतु लंबित मामले
3	123	124	2
	109	107	2
5	442	446	1
	13	13	
1.941	1,13,916	1,14,820	1,037
	के अंत तक लॉबेत मामले 3	के अंत तक 2020-2021 के दौरान प्राप्त मामले भागले 123 109 5 442	के अंत तक 2020-2021 के 2020-2021 के दौरान प्राप्त मामले मामले गए मामले 123 124 109 107 5 442 446

तालिका संख्या 3.16 : 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए माह के अंत तक दिवसानुसार लॅबित शिकायतें

ग्रेन	< 7 दिन	8.14 दिन	16.30 दिन	31.60 दिन	> 80 दिन	कुल
केंद्र सरकार	56		1	3	A Line	67
राज्य संस्कार	56	4	7	10	_	56
कोर्पोरेट	109	1	_	-	_	110
असंगठित	736	9			1	746
एनपीएस लाइट	13		3	4	ļ	16
एपीवाई	61	1	,	1		62
कुल	1,020	12	-4	-	1	1,037

अमिदाता द्वारा शिकायत समाधान के दो स्तरों को पार कर लेने के बाद तीसरे स्तर पर वह लोकपाल के साथ अपील दर्ज करते हुए शिकायत को आगे बढ़ा सकता है । शिकायतकर्ता द्वारा लोकपाल के साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में अपील दर्ज की जा सकती है, जहाँ

- एक शिकायतकर्ता, जिसकी शिकायत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को अभ्यावेदन दर्ज करने के 30 दिनों के बाद भी सुलझाई नहीं गई है या
- ii. एक शिकायतकर्ता द्वारा, जिसकी शिकायत सीधे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के विष्कद्ध की गई है और किसी मध्यस्थ इकाई के विरूद्ध नहीं की गई और यह 30 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के दौरान सुलझाई नहीं गई
- 🎹 एक शिकायतकर्ता द्वारा, जिसकी शिकायत

प्राधिकरण द्वारा विनियमित अन्य किसी पेंशन योजना के विरुद्ध की गई शिकायत से संबंधित हो, जो कि 30 दिनों की अवधि से सुलझाई न गई हो ।

वर्तमान में, पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के तहत श्री अर्नब रॉय को वैतनिक लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया ।

पता:

C/o पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण प्लॉट संख्या—बी—14/ए. छत्रपति शिवाजी भवन, खुतुब संस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली — 110016 ईमेल आईडी : ombudsman@pfrda.org.in

3.5.1 वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लोकपाल के कार्यालय में प्राप्त, सुलझाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या ।

तालिका संख्या 3.17 : वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्त, सुलझाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या ।

	क्षेत्र					
. ir.a	केंद्र सरकार/केंद्र स्वावता निकाय (सीजी/सीएबी)	राज्य सरकार/ राज्य स्वायत्त निकाय (एसजी/एसएबी)	बसंगठित होत्र (यूबोएस)			
वि.व. 2019—20 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	4	3	2			
प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या	4	6	7			
सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	0	6	8			
वि.व 2020-21 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	2	3	1			

टिप्पणी : 'वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अन्य क्षेत्रों के लिए क्षर्यात् एनपीएस-लाइट, स्वाबलंबन और एपीवाई के लिए, कोई अपील आप्त नहीं हुई ।

3.6.2 क्ति वर्ष 2020-21 के दौरान लोकपाल कार्यालय को गुज्यवार प्राप्त शिकावतें

तालिका संख्या 3.18 : वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लोकपाल कार्यालय को राज्यवार प्राप्त शिकायतें

क्र.सं	राज्य का नाम	राज्यवार प्राप्त की गई शिकावतों की संख्या		
1	कर्नाटक	2		
2	महाराष्ट्र	2		
3	तेलंगाना	2		
4	तमिलनाडु	2		
5	उत्तर प्रदेश	2		
6	अंबमान निकोबार द्वीपसमूह	1		
7	आंध्रप्रदेश	1		
6	विहार	1		
9	दिल्ली	1		
10	हरियाणा	1		
11	हिमाचल प्रदेश	1		
12	पंजाब	1		
	कुल	17		

3.6.3 पीएफआएबीए द्वारा छठाए गए कदन

क. लोकपाल को अपील दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली का विकास

वर्तमान में, लोकपाल कार्यालय में भौतिक प्रपत्र के माध्यम से अपील प्राप्त की जाती है। लोकपाल के साथ एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपील दर्ज करने के लिए पीएफआरडीए की वेबसाइट पर एक येब पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसमें पीड़ित अभिदाता जिसकी संबंधित मध्यस्थ इकाई के विरुद्ध शिकायत का समाधान निर्दिष्ट समय के भीतर भी नहीं किया गया है, ऑनलाइन रूप से अपील करने का विकल्प चुन सकता है। ख. लोकपाल पर अधिकांश पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज़) प्रक्रिया के विषय में अमिदाताओं को जागरूक करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा लोकपाल को अपील दर्ज करने की एफएक्यू जारी किए हैं।

वालिका संख्या 3.18 : 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2021 तक के अनुसार वर्ष के दौरान सीजीएमएस में लंबित, प्राप्त और निपटाई गई शिकावर्तों की स्थिति निम्नलिखित तालिका में प्रदान की गई है :

क्र.सं	संत्र	31 मार्च 2020 तक के अनुसार लंबित	31 मार्च 2021 तक प्राप्त	31 मार्च 2021 तक सुलक्षाई गई	81 मार्च 2021 तक संवित प्र. तिशत
1	एनपीएस नियमित #	1,575	46,502	46,433	3.54
2	एनपीएस लाइट	13	970	826	19.01
3	एपीवाई	311	31,682	31,326	2.07
	कुल	1,699	79,134	78,585	3.12

31 मार्च, 2021 तक के अनुसार विभिन्न मध्यस्थ इकाईयों को प्राप्त शिकायतों की स्थिति निम्न तालिका में प्रदान की गई है:

वालिका संख्या 3.20 : दिनांक 81 खप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के दौरान केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (शीजीएमएस) के विभिन्न क्षेत्रों में लंबित, प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति ।

क.सं	जिनके विकद्ध संप्रेशण किए गए	31 मार्च 2020 तक के अनुसार लंबित	31 मार्च 2021 तक प्राप्त	31 मार्च 2021 तक सुलझाई गई	31 मार्च 2021 तक लंबित
1	केंद्र सरकार	550	3,282	3,331	501
2	राज्य सरकार	478	5,104	6,086	496
3	पीओपी	483	28,034	28,050	487
4	कोपॉरेट	D	15	14	1
5	न्यासी बैंक	201	35	36	200
6	एनपीएस लाइट	13	970	826	167
7	एपीवाई (एपीवाई .एसपी)	311	31,662	31,326	647
8	ईएनपीएस	482	23,826	23,913	396
9	सीआरए	1,969	1,22,849	1,24,064	874
10	एनपीएस न्यास	28	1,859	1,583	304
	কুল	4,535	2,15,736	2,18,229	4,042

प्राप्त की गई प्रमुख शिकायतें— लेनदेन विवरण, खाते में प्रदर्शित न होने वाली अंशदान राशि, प्रान कार्ड संबंधी, अनुपयुक्त अभिदाता विवरण प्रसंस्करण, अंशदान राशि की अपलोडिंग में विलंब आदि से संबंधित थी । अभिदाताओं द्वारा शिकायतें सीजीएमएस में दर्ज की गई और आवश्यक कार्रवाई के लिए सीधे संबंधित मध्यस्थ इकाई को बढ़ाई गई । अतः यह संबंधित मध्यस्थ इकाई का उत्तरदायित्व है कि सीजीएमएस में शिकायतों, जो उनके विरुद्ध की गई हैं, का समाधान करे और उन्हें निपटाए ।

3.6 चेंचानिवृत्ति चलारकारों के लिए प्रभाणन कार्यक्रम

पेंशन निष्टि विनियामक और विकास प्राधिकरण एनपीएस के कवरेज को बढ़ाने और एनपीएस के तहत संपत्ति आवंटित करने और पीएफएम चुनने के लिए

अभिदाताओं को सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकारों को मंजीकृत कर रहा है । सेवानिवृत्ति सलाहकारों का कार्य और उत्तरदायित्व पेंशन क्षेत्र की क्रमिक वृद्धि सुनिश्चित करना है। पीएफआरडीए ने. पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम 2016 के अनुसार सेवानिवृत्ति सलाहकार के क्रप में व्यक्तियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र देना शुरू कर दिया। पीएफआरडीए ने सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन जांच के प्रमाणन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट (एनआईएसएम) को मान्यता दी है। मार्च 2021 तक, कुल 743 सम्मीदवार सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन परीक्षा में प्रमाणित थे । क्ति वर्ष 2020-21 में, 11 नए सेवानिवृत्ति सलाहकार (आरए), व्यक्तिगत श्रेणी में, 08 व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहाकार नवीनीकृत व्यक्तिगत श्रेणी से भिन्न श्रेणी में 02 नए सेवानिवृत्ति सलाहकार (आरए) को पीएफआरडीए द्वारा पंजीकृत किया गया । वित्त वर्ष 2020-21 में नामांकित हुए, प्रस्तुत हुए और उत्तीर्ण हुए उमीदवारों का तुलनात्मक तिमाही सार निम्नानुसार है :

तालिका संख्या 3.21 : सेवानिवृत्ति सलाहाकार प्रमाणन विवरण

एनबाईएसएम सलाह	वेणी-XVII: र कार प्रमाणन		
माह	नामांकित	प्रस्तुव	वत्तीर्ण
अप्रैल-जून २०२०	O	0	0
जुलाई - सितंबर 2020	26	27	24
अक्टूबर-दिसंबर 2020	69	57	38
जनवरी —मार्च 2021	88	77	61
কুল	183	161	123

अधिकरण हारा मध्यरण द्वाईयी के आंक्ष्य अध्ययन, अनुरांकान और परिगोजनाओं की व्यवकर्तन और प्रवर्तन सहित ।

जनसांख्यिकी, सेवानिवृत्ति बयत और निवेश के आधार पर एक व्यापक आंकड़ों का संग्रह और संकलन, विमिन्न वितीय संगठनों द्वारा जारी किए गए विमिन्न वितीय छत्पाद/ योजनाएं जो अंतर्निहित अमिदाताओं की वृद्धावस्था आय सुरक्षा को पूरा करने के लिए निर्मित हैं, इनसे चत्पन्न प्रतिफल, अमिदाताओं को प्रदान प्रकटीकरण और सुरक्षा आदि पीएफआरडीए के मौजूदा क्रियाकलामों में शामिल हैं। इस दिशा में, पीएफआरडीए में विमिन्न मेंशन योजनाओं के तहत कवर किए गए लोगों और विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के बारे में जानकारी संकलित कर रहा है। पीएफआरडीए देश में अन्य पेंशन प्रदाताओं से जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया में संलग्न है।

३.8 क्षणिशतकों और ताम सतता को पेंशन, सेवाजिन्ति बनत और संबंधित पुत्वों और विजीतियों के प्रतिक्रण विकास पर सिक्तित करने के लिए तताप पर कनम

3.8.1 विसीय सावारता

पेंशन से संबंधित पेंशन साहरता

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के सदस्य के रूप में पीएफआरडीए, इसकी उप-समिति, कार्य समहाँ और विभिन्न अंतर-नियामक फोरम अर्थात् इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रूप (आईआर एंड टीजी), फाइनेंशियल इनक्लूजन एंड लिटरेसी (टीजीएफआईएफएल) पर टेक्निकल ग्रूप, इंटर रेगुलेटरी फोरम फॉर मॉनीटरिंग फाइनॅशियल कांग्लोमेरेट्स (आईआरएफ एंड एफसी), वर्किंग ग्रुप ऑन रेजोल्युशन रेजाइम फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर कार्यसमूह वाली इन समितियाँ / समूहों / मंचों के चद्देश्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान देता है ।

पीएफआरडीए ने धन, वित्तीय नियोजन, सेवानिवृत्ति योजना, निवेश मुल्यांकन और वार्षिकी से संबंधित मूलभूत तत्वों और अवधारणाओं पर जागरूकता फैलाने और अभिदाताओं और आम जनता को शिक्षित करने के लिए वेबसाइट pensionsanchay.org.in की मेजबानी की है। पीएफआरडीए की पेंशन-संचय के नाम से एक समर्पित वेबसाइट (pensionsanchay.org. in) है, जिसे पेंशन साक्षरता के जददेश्य से शुरू किया गया था। वेबसाइट धन और वित्तीय नियोजन और सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित विषयों और मौलिक तत्वों और अवधारणाओं के संदर्भ प्रदान करती है और एक ब्लॉग अनुभाग की सुविधा देती है जिसमें पेंशन, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति योजना, धन और क्ति के बुनियादी ढांचे और सेवानिवृत्ति योजना के पहलुओं से संबंधित विषयों पर चर्चा होती है। । वेबसाइट में पेश किए गए विषयों पर चर्चा और जानकारी साझा करने के लिए वेबसाइट पर एक ब्लॉग अनुमाग भी है। इस ब्लॉग माग में विहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, धन और वित्त के मूलभूत तत्व, सेवानिवृत्ति नियोजन, बचत और निवेश, पेंशन पर 30 लेख हैं. जिनका योगदान देश भर के लेखकों द्वारा दिया गया था।

पेंशन संचय

Pensian Sanchag

पीएफआरडीए, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई के साथ—साथ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेशियल एजुकेशन (एन सी एफ ई) का सह—संस्थापक भी है, जिसे देश भर में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज के सभी वर्गों के लिए, 05 सितंबर, 2018 को धारा 8 (कंपनी लाम के लिए नहीं) के रूप में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति के अनुसार शामिल किया गया था।

2.02 क्रिसीय अभिकरणी और शता शतिकरणों 🏶 गाम जन्मनम् 🕏 सिष्ट्र कार्यक्रम

पीएफआरडीए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी)इंस्योरेंस रेगुलेटरी एंड बेवलपमेंट अर्थोरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) के साथ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (एनसीएफई) के साथ धारा 8 (नॉट फॉर प्रॉफिट) को बढ़ावा दे रहा है। एनसीएफई का लक्ष्य, उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मशीनरी के साथ विनियमित संस्थाओं के माध्यम से उचित वित्तीय छत्पादों और संवाओं को उपलब्ध कराते हुए लोगों को पैसे का प्रबंधन और अधिक प्रभावी ढंग से वित्तीय कल्याण प्राप्त करने में मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय शिक्षा अभियान शुक्त करना है।

कंपनी का उद्देश्य भारत में सभी वर्गों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड बेवलपमेंट काउंसिल की वित्तीय शिक्षा पर राष्ट्रीय रणनीति के अनुसार वित्तीय शिक्षा का प्रचार करना और जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए से वित्तीय शिक्षा अभियानों के माध्यम से, सेमिनार, वर्कशॉप, सम्मेलनों, प्रशिक्षण, कार्यक्रम, अभियान, चर्चा मंचों के माध्यम से वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त बनाना है या संस्थानों. संगठनों की सहायता से और वित्तीय शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करने और इलेक्ट्रॉनिक या गैर—इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप, वर्कबुक, में वित्तीय शिक्षा सामग्री बनाने के लिए जनसंख्या कार्यपत्रकों, साहित्य, पैम्फलेट, पुस्तिका, फ्लायर, तकनीकी सहायता और वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए वित्तीय बाजारों और वित्तीय खिजिटल मोड पर लक्ष्य आधारित दर्शकों के लिए उपयुक्त वित्तीय साहित्य तैयार करना है ताकि वित्त में उनके ज्ञान, समझ, कौशल और हामता में सुधार हो सके। एपीवाई को एनसीएफई मॉड्यूल में शामिल किया गया है, जो न्यूनतम पेंशन की गाएंटी देने वाली सरकारी योजनाओं में से एक है। इसके अलावा, एनपीएस को भी सेवानिवृत्ति आवस्यकताओं के समाधान के रूप में एनसीएफई मॉड्यूल में भी शामिल किया गया है।

भारत सरकार के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई: 2020-25) का मसौदा तैयार किया गया है और इसे अंतिम चरण में है, जो कि भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों की पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दुष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने की दुष्टि, जिसकी आवश्यकता अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन करने और भविष्य की योजना बनाने के लिए है, का समर्थन करता है । यह रणनीति भारतीयों को वित्तीय कल्याण प्राप्त करने के लिए एक बहु-हितधारक दुष्टिकोण को अपनाने की सिफारिश करती है। एनएसएफई 2020-25 की कार्य योजना के तहत नीतिगत लक्ष्य के अनुसार, कक्षा VI से X के छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा की सामग्री को सभी क्षेत्र नियामकों के समन्वय से तैयार किया गया है। इसके अलावा, एनएसएफई 2020-25 वित्तीय साक्षरता के प्रभावी प्रसार के लिए लक्ष्य समुद्ध विशिष्ट सामग्री के विकास की परिकल्पना करता है। एमएसएमई ऐसे लक्षित समुहों में से एक है, जिन्हें अच्छे वित्तीय निर्णय लेने के लिए वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय शिक्षा पुस्तिका एमएसएमई को मोटे तौर पर ओईसीडी/इनफेकोर दक्षताओं के दांचे के अनुरूप विकसित किया गया है, जो एमएसएमई के अनुरूप और भारतीय संदर्भ को अपनाकर वित्तीय साक्षरता पर आधारित है । वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम में इस सामग्री / हैं बबुक के माध्यम से क्तिय ज्ञान और कौशल प्राप्त हो सकता है जिससे एमएसएमई या संभावित उद्यमी और प्रबंधक ऐसे व्यवहार से लामान्वित हो सकते हैं, जो उन्हें अपने व्यावसायिक क्ति के प्रबंधन में सुधार करने, साथ ही साथ काम करने वाले लोगों के व्यक्तिगत वित्त में भी मदद कर सकते हैं ।

इसके अलावा पीएफआरडीए ने 8 फरवरी से 12 फरवरी, 2021 तक मनाए गए वित्तीय साहरता सप्ताह (एफएलडारूयू 2021) को सफल बनाने के लिए एनसीएफई और अन्य नियामकों के साध अंशदान और समन्वय किया । वित्तीय साहरता सप्ताह 2021 की मुख्य गतिविधियों में से एक 8 फरवरी से 12 फरवरी, 2021 तक मारत के वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से जुड़े पांच राष्ट्रीय रतर के वेबिनार की शृंखला है। वित्तीय साहरता सप्ताह के

दौरान "वित्तीय साक्षरता —पॅशन जागरूकता बढ़ाने" पर पीएफआरडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा वेबिनार की संबोधित किया गया था ।

चपरोक्त के अलावा, पीएफआरडीए ने ग्लोबल मनी वीक (जीएमडक्ट्यू) के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया, जो एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा जागरूकता अभियान है, जो बच्चों और युवाओं को पैसे के मामलों, आजीविका और उद्यमिता के बारे में सीखने के लिए प्रे. रित करने के लिए हितधारकों की एक विस्तृत श्रंखला को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है । भारत में ग्लोबल मनी बीक (जीएमबब्ल्यू) अमियान के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में सेबी था और जीएमडब्ल्यू का आयोजन 22-28 मार्च, 2021 के दौरान किया गया था। पीएफआएडीए ने सप्ताह के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जीएमडब्ल्यू के लिए बनाई गई माइक्रो-वेबसाइट में भी अंशदान दिया । सप्ताह के दौरान, पीएफआरडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वितीय शिक्षा पर वेबिनार को अतिथि क्ला के रूप में संबोधित किया ।

3.8.3 एनपीएस जागरूकता, संचार और सोशल मीडिया



मारत को एक पेंशनयुक्त समाज बनाने के दृष्टिकोण के साथ पीएफआएडीए ने पॅशन और सेवानिवृत्ति योजना पर जागरूकता निर्माण करने के निरंतर प्रयास को जारी रखा है। इस पृष्ठमूमि में, प्राधिकरण द्वारा विभिन्न चैनल या संचार के माध्यम अर्थात् सोशल मीडिया, डिजिटल मार्ग, इलैक्ट्रानिक मीडिया (श्रव्य और दृश्य) और प्रिंट मीडिया को वित्तीय एवं पेंशन साक्षरता पर शिक्षित करने और इसे बढ़ाने के लिए और एनपीएस/एपीवाई के गुण और लाभ, विशेष रूप से एनपीएस के लिए 18-85 वर्ष के आयु समूह और एपीवाई के लिए 18-40 के आयू समूह वाले नागरिकों को स्पष्ट करने के लिए अपनाया गया। सभी मीडिया क्रियाकलाम विज्ञामन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) और प्रसार भारती (एआई. आर और दूरदर्शन) द्वारा व्यवस्थाएं करते हुए किए जाएंगे । एनपीएस के विषय में वेबीनार/सेमीनार/ऑनलाइन कार्यशालाओं / ई-नाम्मेलन आदि द्वारा सूचना प्रदान करने और जागरूक करने के लिए किजिटल मंद्रों को तैयार किया गया था ।



वित्त वर्ष 2020—21 के दौरान, एनपीएस प्रिंट अभियान — एनपीएस क्या है, इसमें कौन शामिल हो सकता है, नियोक्ता को लाभ, कर लाभ जैसी सूचनाएं प्रदान करने के लिए चलाए गए और एनपीएस पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मुद्दित विज्ञापनों में क्यूआर कोड को शामिल किया गया ताकि उपयोक्ता एनपीएस न्यास के वेबपृष्ठ पर जा सके । मुद्रित विज्ञापन हिंदी, अंग्रेज़ी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं के साथ देशव्यापी कवरेज करते हुए 155 समाचार पत्रों में

मुद्रित किए गए। 31 मार्च 2020 से परे समयसीमाओं को बढ़ाने के लिए सामान्य जनता को सूचित करने के लिए देशभर में 432 रेडियो स्टेशनों के माध्यम से एनपीएस रेडियो अभियानों की शुक्तआत की गई ताकि क्ति वर्ष 2019—20 के लिए कर बचत करने हेतु निवेश (एनपीएस सहित) किया जा सके। भारत—आस्ट्रेलियाई क्रिकेट श्रृंखला 2020—21 के दौरान ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर), जिसके पास कुल 28 दिनों वाली मैच श्रृंखला की कमेंटरी के प्रसारण के

अधिकार हैं, के माध्यम से अन्य एनपीएस रेडियो अभियान की शुक्तआत की गई । वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एनपीएस के लिए डीडी न्यूज़ और दूरदर्शन के 28 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से टीवी स्कॉल अभियानों की शृंखला शुक्त की गई थीं, जो एनपीएस के कर लामों पर बल देती हैं । पूरे वर्ष

के दौरान, नामांकनों को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ सोशल मीडिया मंघों जैसे फेसबुक, टवीट्र और लिंक्डइन पर एनपीएस सदस्यता के लाभ बताने वाले सशुक्क संदेश पोस्ट करते हुए डिजिटल/सोशल मीडिया अभियान किए गए।





एपीवाई के 3 विशेष लागों को बताने के लिए एपीवाई प्रिंट अभियान चलाए गए थे और न केवल योजना की सूचना प्रदान करने के लिए बल्कि योजना में पहले से ही 3 करोड़ से अधिक अभिदाता शामिल हो चुके हैं, ऐसा बताते हुए संभावी अभिदाताओं को योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, विज्ञापनों का निर्माण किया गया। एपीवाई मुद्रित विज्ञापन देशभर के 210 समाचारपत्रों में जारी किए गए । ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन (बीओसी) और प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो) के माध्यम से एपीवाई रेडियो अभियान 03 चरणों में 338 चैनलों में 11 भाषाओं में इस आश्वासन के साथ शुरू किए गए कि एपीवाई योजना वृद्धावस्था आय की गारंटी प्रदान करती है। रेडियो और प्रिंट अभियान क्रियाकलापों का समर्थन करने के लिए, एपीबाई एसएमएस अभियान भी शुरू किया गया था जिसमें 03 चरणों में 13 भाषाओं में 2.89 करोड़ एसएमएस आम जनता को भेजें गए। एपीबाई के लागों को दर्शकों को बताने के लिए डीडी न्यूज़ और दूरदर्शन के 28 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से एपीबाई के लिए टीवी स्कॉल अभियान 2 माइ के लिए चलाए गए। योजना के विषय में जागरूकता बढ़ाने और नामांकन बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाड़ी के दौरान एपीबाई के लिए 07 सोशल मीडिया अभियान शुरू किए गए। अव्य— दृश्य माध्यमों के द्वारा एपीवाई के लाभों को बताने के लिए एक एपीबाई वीडियो रिकॉर्ड किया गया और यूट्यूब पर अपलोड किए जाने पर इसे 1.8 लाख लोगों द्वारा देखा गया।



नागरिकों और अभिदाताओं को उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए हानिकारक घोखाघड़ी गतिविधियों के बारे में जागरूक और सतर्क रखने के लिए, पीएफआरडीए/एनपीएस के नाम पर घोखाघड़ी और जालसाजी की रोकथाम के लिए सूचना का प्रसार करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अपने सोशल मीडिल हैंडल पर टेक्स्ट और ग्राफिकल संदेश पोस्ट किए गए, 418 एफएम स्टेशनों के माध्यम से 05 भाषाओं में रेडियो अभियान किए गए, 355 समाचार पत्रों को कवर करने वाले प्रिंट मीडिया में आवधिक अंतराल पर सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए, पीएफआरडीए वेबसाइट में शामिल स्क्रॉलिंग संदेश और पेंशन संचय वेबसा. इट में वीडियो संदेश शामिल किए गए ।



3.8.4 सोशल गीडिया पर पीएफसारडीए



पारंपरिक मीविया की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और आम तौर पर इसे जनता के लिए एकतरफा संचार के रूप में अंकित करते हुए, सोशल मीविया मंच लिक्षत दर्शकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के साथ लिक्षत दर्शकों के लिए संचार और संदेश के वितरण का एक बहु—आयामी चैनल प्रदान करता है। सोशल मीविया जनता के साथ संपर्क और जुड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निमाता है और पीएफआरडीए अमिदाताओं के साथ संपर्क बनाए रखने और जुड़े रहने की दिशा में एनपीएस और एपीवाई के लिए फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब पर अपने खाते को सिक्रय रूप से बनाए हए है।

पीएफआरडीए के सोशल मीडिया हैंडल के फॉलोअर्स हैं: एपीवाई फेसबुक पेज-72710, एनपीएस फेसबुक-36608, दिवटर-6484 और क्तिय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 649 फेसबुक पोस्ट, 743 ट्वीट और लिंक्डइन पर 336 पोस्ट किए गए, जो महत्वपूर्ण सूचना और अद्यतन नीतिगत परिवर्तनों को प्रसारित करने और लक्षित वर्ग/दर्शकों को शामिल करने के उद्देश्य से साझा किए गए थे।

3.8.5 जनसंपर्क अधिकरण

प्राधिकरण जागरूकता बढ़ाने और वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने और अमिदाता हितों की रक्षा के लिए अपनी नीतियाँ, गतिविधियाँ और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने के उद्देश्य से विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियां/संचार करता है। वित्त वर्ष 2020—21 के दौरान, पीएफआरडीए ने 02 प्रेस बैठकें, 55 मीडिया साझात्कार/बातचीत का आयोजन किया और 29 प्रेस विझप्तियां जारी की गई, जिसमें प्रिंट, श्रव्य, ऑनलाइन और दृश्य मीडिया चैनलों पर प्रकाशन के लिए नीतिगत परिवर्तनों और विकासों को संप्रेषित किया गया और 455 समाचार पत्रों और 561 ऑनलाइन समाचार मंचों में कबरेज किया गया। सेवानिवृत्ति योजना, पेशन और वृद्धावस्था आय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं को प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया में 10 विशेष लेखों के माध्यम से प्रसारित किया गया था।

ALC: OTHER

पीएफआरडीए ने पिछले 05 क्तिय वर्षों में 2.26 लाख से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण सन्तों के मध्यम से एनपीएस / एपीवाई पर जानकारी प्रसारित की थी। इन प्रशिक्षण सन्तों के प्रतिभागियों को एनपीएस / एपीवाई की मुख्य विशेषताओं, योजनाओं में शामिल होने की प्रक्रिया, निधि प्रबंधक के बयन के लिए उपलब्ध विकल्प, परिसंपत्ति आवंटन, वार्षिकी योजना, शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी दी गई। वितीय वर्ष 2020—21 में प्रचलित कोविड—19 महामारी की स्थिति के कारण, एनपीएस/एपीवाई प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन मोड अर्थात् वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान किए गए और नियुक्त प्रशिक्षण एजेंसी ने वितीय वर्ष के वौरान 12024 प्रतिभागियों के लिए कुल 255 ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। इसके अलावा, विशेष रूप से पीएफआरडीए द्वारा 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं एनएएचआरडी, आईएसटीएम, सीसीआई, एनपीसी, आईएफएससीए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के लिए आयोजित की गई।

हीरो माइंडमाइन लिमिटेड नामक नियुक्त प्रशिक्षण एजेंसी ने 08/08/2018 से 07/08/2020 तक अपने कार्यकाल के दौरान देशभर में कुल 1,36,740 प्रतिभागियों के लिए 3,087 प्रशिक्षण सन्न आयोजित किए थे । प्रतिभागियों और प्रशिक्षण सन्नों के क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार थे : —

वालिका संख्या. 3.22 एनपीएस के वहत प्रशिक्षण सत्रों और प्रविभागियों की संख्या पर क्षेत्रवार वितरण

	क्षेत्र	प्रशिक्षण सञ	प्रतिमागी संख्या		सेत्र	प्रशिक्षण सत्र	प्रतिमागी संख्या
П	केंद्र सरकार 246 11066		व्यवसायिक संवाददाता	390	16957		
एनवीक् स	राज्य सरकार	1036	46015	स्मीवार्	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक	168	7506
प्रम	केंद्रीय स्वायत्त निकाय	35	1669	2	डाक विभाग	200	9138
	राज्य स्वायत्त निकाय	67	3074		सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक	226	9744
	कोर्पोरेट	280	12296		क्षेत्रीय ग्रामीण वैंक	136	6205
	चपस्थिति अस्तित्व	तत्व 281 12064		लघु वित्तीय वैंक	22	1004	
	कुल	1945	96184		कुल	1142	50556

वर्तमान में, विभिन्न हितबारकों अर्थात् सरकारी क्षेत्र नोडल कार्यालय, कॉर्पोरेट, उपस्थिति अस्तित्व और एपीवाई सेवा प्रदाता की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा 04 प्रशिक्षण एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है।

3.8. एनपीपस और प्रमीवाई सूचना हेल्लान

देश भर से एनपीएस और एपीवाई पर विश्वसनीय

जानकारी जुटाने और प्राप्त करने के लिए मौजूदा और संगावित अभिदाताओं के लिए एक ह्यूमन इंटरैक्टिय सिस्टम की सुविधा के लिए, पीएफआरडीए एक समर्पित एनपीएस/ एपीवाई सूचना हेल्पडेस्क संचालित कर रहा है, जिसमें देशभर से एनपीएस/एपीवाई पर प्रश्नों का पेशेवर और व्यवस्थित तरीके से जवाब दिया जाता है। अभिदाताओं की आवश्यकता के अनुसार भी कॉल सेंटर का उपयोग आउटबासंड कॉल करने के लिए किया जाता है

(अर्थात् एपीवाई योगदान की निरंतरता, पीएफआरडीए द्वारा आयोजित सत्रों के लिए आमंत्रण आदि) और एनपीएस संरचना के तहत सेवाएं प्रदान करन और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सर्वेद्यण आयोजित किया जाता है (अर्थात् योजना सुविधाओं का आंकलन करना, प्रशिक्षण सत्र की गुणवत्ता आदि के बारे में जागक्तकता उत्पन्न करना) । वित्तीय वर्ष के दौरान एनपीएस सूचना हेल्पडेस्क को कॉलसेंटर के माध्यम से कुल 1.30 लाख इनबाउंड कॉल प्राप्त हुए थे और 4.25 लाख आउटबाउंड कॉल किए गए थे।

वर्तमान में, सूचना हेल्पडेस्क के दो टोल फ्री नंबर चालू हैं अर्थात् एनपीएस के लिए 1800110708 और एपीवाई के लिए 1800110088 चालू हैं और हेल्पडेस्क से कॉल बैक सेवाओं के लिए 58677 पर 'एसएमएस एनपीएस' के माध्यम से एक एसएमएस सुविधा भी उपलब्ध है। एनपीएस/एपीवाई सूचना डेस्क राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर सप्ताह में 7 दिन (रविवार सहित) दिन में 8 घंटे (सुबह 8.30 – शाम 5.30 बजे) चालू है।

a.s विरा वर्ष 2020-21 के बीरान आयोजित समीजन, बैसर्ज और इन्य काल

2.5.1 कींद्र और पाण्य करवाए के क्षेत्र के शहर

सरकारी क्षेत्र में एनपीएस दक्षता लाने के लिए पीएफआरडीए विभिन्न मंत्रों पर सरकारी नोडल कार्यालयों के साथ संलग्न है। उसी के अनुसरण में, पीएफआरडीए केंद्र / राज्य / केंद्र सरकार स्वायत्त निकाय (सीएबीज़) / राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबीज़) में सरकारी नोडल कार्यालयों के साथ समीक्षा बैठकें / वीडियो सम्मेलन / सम्मेलन / कार्यशालाएं आयोजित करता है।

कोविड —19 के कारण हुए लॉकडाउन के आलोक में, एक ऑनलाइन मंच के माध्यम से नोडल कार्यालयों के साध समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। पीएफ्स रडीए ने केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय स्वायत्त निकार्यों (सीएबी) और राज्य सरकार तथा राज्य सरकार के राज्य स्वायत्त निकार्यों के साथ समीक्षा बैठकें/वीडियो सम्मेलन आयोजित किए। इसके अलावा, नोडल कार्यालयों को सरकारी अमिदाताओं के लिए उपलब्ध विकल्प पेंशन फंड और निवेश पैटर्न के बारे में जागस्क करने के लिए जागरूकता सत्र मी आयोजित किए गए थे।

1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 (ऑनलाइन मोड के माध्यम से) के दौरान आयोजित सम्मेलन / कार्यशालाओं /समीक्षा बैठकों की सूची निम्नलिखित है। तालिका संख्या 3.23 : वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित सम्मेलनों की सूची

क. केंद्र सरकार (सीजी) और केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबीज) :--

L केंद्र सरकार (सीजी) :

लेंखांकन गठन	मंत्रालय/ कार्यालय का नाम
नागरिक	पीआरएओ, मिनिस्ट्री ऑफ होन अफेयर्स
	पीआरएओ, सीबीडीटी, डिपॉर्टमेंट ऑफ रेवन्यू, वित्त मंत्रालय
	पीआरएओ, सीबीईसीए डिपॉर्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
	पौआरएओ, ढिपॉर्टमेंट ऑफ इंडियन बॉडिट एंड अकांउट्स
	पीआरएओ, क्रिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी
	पीआरएओ, डिपॉर्टमेंट ऑफ स्पेस
	पीआरएओ, अंबमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन
	पीआरएओ, मिनिस्ट्री ऑफ पसर्नल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन
-	पीआरएओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
रक्षा	पीसीडीए (नेवी), मुंबई
	सीडीए (बॉर्डर रोडस), दिल्ली कैनदोनमेंट
	पीसीडीए (साखदर्न कंमाड), पुणे
	पीसीडीए (वेस्टर्न कंमाड), बड़ीगढ़
	एसीएएस (अकाउंट्स एंड एवी), नई दिल्ली
	पीसीडीए (नेवी). मुंबई
एनसीटी	पीआरएओ मिनिस्ट्री ऑफ एनसीटी दिल्ली
पोस्टल	महाप्रबंधन वित्त, पौस्टल अकाउंटस, दिल्ली
रेलवे	एफए और सीएओए नॉर्धन रेलवे, नई दिल्ली
	एफए और सीएओए सेंट्रल रेलवे,ए मुंबई
	एफए और सीएओए ईस्टर्न रेलवे कलकता
	एफए और सीएओए ईस्ट सेंट्रल रेलवे, हाजीपुर
	एफए और सीएओए साउधर्न रेलवे.चेन्नई
	एफए और सीएओ,ए वेस्टर्न रेलवे, मुंबई

लेखांकन गठन	मंत्रालय/ कार्यालय का नाम		
	एफए और सीएओ.ए साउध सेंट्रल रेलवे. सिकंदराबाद		
	एफए और सीएओ,ए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इलाहाबाद		
	एफए और सीएओ,एसाख्य ईस्टन रेलवे, कल. कत्ता		
	एफए और सीएओ,ए नॉर्थ फ्रॉटियर रेलवे, मालेगांव		
	एफए और सीएओ,ए वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे. जबलपुर		
	एफए और सीएओ,ए साचश्र ईस्ट सेंट्रल रेलवे, विलासपुर		
एफए और सीएओ,ए नार्थ ईस्टर गोरखपुर	एफए और सीएओ,ए नार्थ ईस्टर्न रेलवे. गोरखपुर		
	एफए और सीएओ, ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर		

H, केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सीएवी)

केंद्रीय स्वापत्त निकाय (सीएबी)	एफए और सीएओ, नॉर्झ वेस्टर्न रेलवे, जयपुर
	पीआरएओ, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
	पीआरएओ, कर्मचारी राज्य बीमा कोपॉरेशन (मुख्यालय),नई दिल्ली
	पीआरएओ, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली
	पीआरएओ, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली
	पीआरएओए पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली
	पीआरएओए ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांइसेस
	पीआरएओए इंडियन कार्चसिल ऑफ एग्रीकल्बरल रिसर्च, नई दिल्ली
	पीआरएओए कर्मचारी भविष्य निवि संगठन, नई दिल्ली

-	इंडसट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली पीआरएओ, दिल्ली जल बोर्ड, नई दिल्ली
	पीआरस्अोए नवोदय विद्यालय समितिए नोएडा
	पीजारएओए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़
	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
	पीआरएओ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी
	पीआरएओ, प्रसार भारती, नई दिल्ली
	पीक्षारएओ, नई दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली
	पीआरएओ, जवाहरलाल इंस्टीटयूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुदुच्चेरी
	पीआरएओए टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई
	पीआरएओ, दिल्ली विकास प्राधिकरण नई दिल्ली
	पीआरएओ, इंबियन काउँसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली
	पीआरएओ, भखरा बीस मैनेजमेंट बोर्ड, चंडीगढ़
	पीआरएओ, डायरेक्टरेट ऑफ डिफॅस एस्टेटस साउथर्न कमांड, पुणे
	पीआरएओ, वॉयरेक्टरेट ऑफ डिफेंस एस्टेटस सेंद्रल कमांड, लखनऊ
	इंडियन इंस्ट्टीयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे
	पीआरएओ, औल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मेबिकल सांइस, रायपुर
	पीआरएओं, विशाखापद्दनम पोर्ट ट्रस्ट. विशाखापट्टनम
	पीआएएओ, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, बैंग्लोर

(ख) एसजी/एसएबीज :i. राज्य सरकार (एसजी) :

पूर्व	उत्तर पूर्व	उत्तर	दक्षिण	केंद्र	पश्चिम
बिहार झारखंड उज़ीसा	असम अरूणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालॅंड त्रिपुरा सिक्किम	हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर वड़ीगढ़ हरियाणा उत्तराखंड पंजाब	आंध्रप्रदेश कर्नाटक केरल पुडुचेरी तेलंगाना	छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चत्तर प्रदेश	गोवा गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान

ii. राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबीज) :

राज्य सरकार (१सजी)	संबंधित राज्य सरकारों के राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबीच), जिनके साथ बैठकें खायोजित की गई	
बिहार	बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	
छत्तीसग द	लोक निर्देश निदेशालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	
alter from the country of the	शहरी प्रशासन और विकास, रायपुर	
गुजरात	सूरत नगर निगम, सूरत	
इरियाणा	दक्षिण हरियाणा विजली वितरण निगम लिमिटेड, हिसार	
मध्य प्रदेश	लोक निर्देश निदेशालय, मध्य प्रदेश	
भोपाल	नगरीय प्रशासन एवं विकास निदेशालय, भोपाल	
पंजाब	पंजाब स्टेट पॉवर कोपोरेशन लिमिटेच, मटियाला	
राजस्थान	स्थानीय निकाय निदेशालय, जयपुर	
उत्तरप्रदेश	वित्त नियंत्रक, वेसिक शिक्षा परिषद	
	रिक्षा निदेशालय माध्यमिक, अलाहाबाद	
	उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद	

3.8.2 सरकारी क्षेत्र में एनपीएस के सुवास कार्यान्वयन के लिए सकाए वर कदम

3.8.2.1 एनपीएस के सुवाक कार्यान्वयन के लिए सीजी मंत्रालयों /केंद्रीय स्थापत निकायों / राज्य सरकारों / राज्य स्थायत निकायों को सुझाए गए उपाय

क. सीजी और एसजी के तहत नोडल कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वे क्रेडिट अंशदान के संबंध में एनपीएस से संबंधित विमिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए डीओई द्वारा निर्धारित समय—सीमा का सख्ती से पालन करें।

ख. पीआरएओ/डीटीए जैसे निरीक्षण कार्यालयों को सलाह दी गई थी कि वे अपने अंतर्निहित पीएओ/डीटीओ के प्रदर्शन की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि एनपीएस से संबंधित गतिविधियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है।

ग. राज्य सरकारों को छीएफएस द्वारा जारी दिनांक 31.01.18 की राजपित अधिसूचना के संदर्भ में एनपीएस के तहत पेंशन निश्चि और निवेश पैटर्न के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों— अभिदाताओं को व्यक्तिगत विकल्प प्रदान करने पर विचार करने की सलाह दी गई थी।

3.8.2.2 एनपीएस के सुवास कार्यान्वयन के लिए जारी परामर्थ और परिषत

 एनपीएस के टियर I में एसजी, राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी), सीजी और केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबी) में कार्यरत सरकारी अभिदाताओं के लिए पेंशन फंड और निवेश पैटर्न का विकल्प — केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबी), राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी) और एसजी के कर्मचारियों के लिए टीयर I में पीएफ और निवेश पैटर्न के विकल्प के लिए कार्यक्षमता की शुरूआत और उपलब्धता, पीएफआरडीए के समवर्ती अनुमोदन के बिना स्वविवेक से करने की सलाइ दिया गया है।

ख. एनपीएस संरचना के तहत सीआरए प्रणाली तक पहुंचने के लिए सरकारी नोडल कार्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली डिजिटल सुरक्षा प्रथाओं पर सलाह — सीआरए प्रणाली के लॉगिन क्रेडेंशियल के उपयोग, गैर— साझाकरण और सुरक्षित रखने के संबंध में सुरक्षा प्रयाओं को अपनाने के लिए नोडल कार्यालयों को सलाह दिया गया है।

ग. एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी जारी करने में सरलता — सरकारी नोडल कार्यालयों को शीघ्र निकास/आहरण प्रक्रिया संसाधित करने और वार्षिकी जारी करने के लिए ऑनलाइन आधारित प्रणाली और कार्यक्षमता की उपलब्धता की सलाइ दिया गया है।

घ. निल क्रेडिट प्रान और शून्य राशि प्रान — नोडल कार्यालयों को संबंधित नोडल कार्यालयों से जुड़े शून्य क्रेडिट और शून्य राशि प्रान के कारणों और तरीकों के बारे में सलाह देना और बाद में, इसे निष्क्रिय और/या नियमित किया जाना है।

ड. गैर-आईआरए प्रान को निक्किय करने पर परामर्श — नोडल कार्यालयों को संबंधित नोडल कार्यालयों से जुड़े शून्य क्रेडिट और शून्य राशि प्रान को निकिय/नियमित करने के तरीकों के बारे में सलाइ दिया गया है।

च. नियमित एनपीएस अंशदान पर सलाह — सीजीए का.जा. दिनांक 02.09.2008 के तहत सलाह दी गई क्रोंबिट अंशदान समयसीमा का पालन करने के लिए सरकारी नोडल कार्यालयों को सलाह दिया गया है।

छ.नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण का डैशबोर्ड अपडेशन — नोडल कार्यालयों को एनपीएस सिस्टम में कॉन्टैक्ट क्रेडेंशियल्स को अपडेट करने की सलाइ दिया गया है।

ज. शून्य क्रेडिट प्रान को निष्क्रिय करना और नियमित करना

— केंद्रीय स्वायत निकारों के नोडल कार्यालयों को उन
कारणों और तरीकों के बारे में सलाह दिया गया है। जिनसे
संबंधित नोडल कार्यालयों से संबंधित शून्य क्रेडिट और शून्य
शेष प्रान की पहचान की जानी है और बाद में, इसे निष्क्रिय
और/या नियमित किया जाना है।

झ. सरकारी क्षेत्र के एनपीएस अभिदाताओं (एसजी/ केंद्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय) के लिगेसी फंड का निवेश योजनाओं और पेंशन निधियों के वयन के अनुसार इस्तांतरण — नोडल कार्यालयों को सलाइ देना कि एसजीएफ/ राज्य स्वायत्त निकाय/ केंद्रीय स्वायत्त निकाय, ऐसे अभिदाता के प्रान में उपलब्ध विरासत संवित राशि को चयनित निवेश योजना और पेंशन निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

5,0.2.3 मोहोमिको का दणता के लिए आप द्याना — सर्वर से सर्वर पक्षीकरण और भोगीजीएम (प्रीतसाहन को जनरेशन गोंक्सून)

एनपीएस के तहत अमिदाताओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए, सीजी / एसजी सेक्टर के तहत सरकारी नोडल कार्यालयों को ओपीजीएम (ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल) अपनाने की सलाह दी गई थी ताकि प्रान जारी करने में देरी को खत्म किया जा सके और साथ ही सब्सकाइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अस्वीकार किया जा सके।

सीआरए प्रणाली के साथ नोडल कार्यालयों के वित्तीय सॉफ्टवेयर पैकेज के एसटीएस (सर्वर से सर्वर) के एकीकरण को अपनाना।

एसजी नोडल कार्यालयाँ द्वारा एसटीएस को अपनाने की स्थि. ति को निम्नानुसार रखा गया है:

वालिका संख्या 3.24 : राज्य सरकार नोकल कार्यालयाँ द्वारा एसटीएस/ओपीजीएम को खपनाने की स्थिति :

विवरण	राज्य		
31 मार्च 2021 तक एसटीएस अपनाने दाले राज्य सरकारें			
विवरण	राज्य		
31 मार्च 2021 तक के अनुसार ओपीजीएम को अपनाने वाली राज्य सरकारें।	प्रशासित कंडीगढ़, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड,		

क) एसएबीज द्वारा एसटीएस को अपनाने की स्थिति नीचे प्रदान की गई है:

तालिका संख्या ३.२५ : राज्य स्वायत्त निकार्वो (एसएबीज) द्वारा एसटीएस अपनाने की स्थिति

एसजी	राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी) नोडल कार्यालयों की संख्या जिन्होंने एसटीएस को वपनाया है		
महाराष्ट्र	49		
उत्तराखंड	1		
কুল	60		

ख) राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी) नोडल कार्यालयों द्वारा ओपीजीएम को अपनाने की स्थिति निम्नानुसार है:

तातिका संस्था 3.28 : राज्य स्वाक्त निकार्यों (एसएबीज) द्वारा ओपीजीएम को अपनाने की स्थिति

सीजी का नाम	बोपीजीएम को अपनाने वाले राज्य स्वायत्त निकाव (एसएबीज)/नोडल कार्यालय
आंध्र प्रदेश	4
असम	10
विहार	2
छत्तीसग ढ़	12
गोवा	2
गुजरात	4
इरियाणा	44
हिमाचल प्रदेश	173
कर्नाटक	46
केरल	6
मध्यप्रदेश	10
महाराष्ट्र	84
मणिपुर	3
मेघालय	2
मिजोरम	2
उड़ीसा	
पंजाब	73
राजस्थान	74
तेलंगाना	7
उत्तर प्रदेश	72
कुल	633

केंद्र सरकार नोबल कार्यालयों द्वारा ओपीजीएम को अपनाने की स्थिति निम्नानुसार प्रदान की गई है:

तालिका संख्या 3.27 : केंद्र सरकार नोबल कार्यालयों द्वारा एसटीएस/ओपीजीएम को अपनाने की स्थिति

तेखांकन गठन	ओपीजीएम अप. नाने वाले नोडल कार्यालय
नागरिक	237
रक्षा	7
डाक	24
रेलवे	68
सीएगीज	180
कूल	637

a.e. अपिरिट बॉच से संसर्गेत समीलन

पीएफआरडीए ने पेंशन के बारे में जागरूकता पैदा करने और गैर-सरकारी खंड में एनपीएस को बढावा देने के अपने प्रयास में विभिन्न व्यापार निकार्यों (फिक्की, सीआईआई, आईसीसी) के साथ करार किया है ताकि वे अपने सदस्यों और कार्यशालाओं / सेमिनारों में सेवानिवृत्ति योजना/ पेंशन/ एनपीएस पर जानकारी प्रसारित कर सकें। इन व्यापार निकायों के सहयोग से देश नर में आयोजित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान फिक्की / सीआईआई / आईसीसी के साथ 13 ऐसे वेबिनार आयोजित किए गए जिनमें कॉरपोरेदस के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नियोक्ताओं / कर्मचारियों को सीधे एनपीएस का प्रचार करने के लिए पीओपी / संस्थानों आदि के सहयोग से कई संलग्नता सत्र तथा वेद सत्र भी आयोजित किए गए. जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 1,100 नए कॉपॉरेट नामांकन और 1,14,803 कर्मचारियों ने एनपीएस की सदस्यता ली। इसके अलावा, एनपीएस में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को शामिल करने पर विशेष जोर देने के साध, वित्तीय वर्ष के अंत में एनपीएस को अपनाने वाले सीपीएसई की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। व्यापार निकायों के सहयोग से आयोजित वेबिनार निम्नानुसार थे।

वालिका संख्या. 3.28 : वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोर्पोरेट क्षेत्र सम्मेलन

दिनांक	विधि	के समायोजन में	
8, जुलाई 2020	मुंबई	फिक्की	
11, अगस्त 2020	गुवाहाटी	फिक्की	
10, सितंबर 2020	कलकत्ता	आईसीसी	
15, अक्टूबर 2020	भुवनेश्वर	आईसीसी	
11, नवंबर 2020	केरल	फिक्की	
26, नवंबर 2020	हैदशबाद	आईसीसी	
22, दिसंबर 2020	मुंबई	आईसीसी	
27, जनवरी 2021	दिल्ली	आईसीसी	
29, जनवरी 2021	चंडीगढ़	सीआईआई	
18, फरवरी 2021	गुरुग्राम	सीआईआई	
23, फरवरी 2021	नोएडा	सीआईआई	
23, मार्च 2021	नॉर्थ इस्टर्न स्टेटस	आईसीसी	
25, मार्च 2021	दिल्ली	सीआईआई	

20.4 अटल पेंकन थोजना के असर्गत समीवग्/ कार्यक्रम/नैठकें

एपीवाई के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार/पीएफआरडीए द्वारा प्रमुख कदम चठाए गए हैं:

- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आविषक विज्ञापन।
- पैनलबद्ध प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके बैंक अधिकारियों का समता निर्माण।
- टाचन हॉल बैठकों, एसएलबीसी बैठकों में मागीदारी।
- एपीवाई के व्यापक आधार के लिए एनसीएफई, नावार्ड, एनआरएलएम, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी संघों के साथ संलग्नता।

एपीवाई क्षेत्रीय नीति और समीक्षा बैठकें

बैठकों का आयोजन, पूर्व वर्ष के लिए विभिन्न बैंकों के प्रदर्शन और मौजूदा वित्त वर्ष के लिए उनकी नीतियों की समीक्षा के लक्ष्य के साथ हुआ था ।

वालिका संख्या 3.26 : वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित एपीवाई कार्यक्रम और बैठकें

क.सं	दिनांक	बैठक विवरण
1	10 दिसंबर 2020 —प्रमुख बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ऑनलाइन बैठक पीएकआरडीए अञ्चलकी अञ्चलका में।
2	12 दिसंबर 2020 – निजी बैंक, लघु वितीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	पीएफआरबीए और एपीवाई
3	18 फरवरी 2021— प्रमुख बैक	-एसपी के बीच
4	17 फ़रवरी 2021— क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	संप्रेषण

एपीवाई एसएलबीसी टाचनहाँल बैठकेँ

एमीवाई योजना के बारे में जागरूकता मैदा करने और एमीवाई सिटीजन ब्याइस कैंपेन के अनुरूप एमीवाई के तहत नामांकन बढ़ाने के लिए एसएलबीसी और प्रमुख जिला प्रबंधकों के सहयोग से देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विमिन्न जिलों में बैठकों आयोजित की गई।

声. 积.	एसएलबीसी का नाम	ऑनलाइन / ऑफलाइन
1	दिल्ली	वित्त वर्ष 2020-21 की ऑनलाइन बैठक
2	हरियाणा	1,012,00 9,00
3	केरल	
4	पंजाब	
5	तमिलनास्	
6	तेलंगाना	
7	जम्मू और कश्मीए	
6	कर्नाटक	
9	उत्तराखंड	
10	उत्तर प्रदेश	
11	असम	
11 12	बिहार	
13	गोवा	
14	गुजरात	
15	मध्यप्रदेश	
16	महाराष्ट्र	
17	उड़ी सा	
18	राजस्थान	
19	पश्चिम बंगाल	
20	झारखंड	

110 पेंशन निविधों के प्रदर्शन

तालिका संख्या 3.30 के संदर्भ में, एनपीएस योजनाओं ने 38.48 प्रतिशत की संपूर्ण वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्शायी है। टियर I और II दोनों के लिए इक्विटी खंड के तहत एयूएम में 139.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसके बाद योजना ए में 86.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। योजनावार वृद्धि विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका संख्या 3.30 : एनपीएस में प्रबंधन के तहत आस्ति विभाजन — 31 मार्च 2021 तक के अनुसार योजना वृद्धिवार स्थिति

राशि कपये करोड़ में

एनवा	पुरा म प्रवस्थन		पास (४४ <u>१</u> ४४) जिना वृद्धिवार	विमाजन-३१ मा स्थिति	4 2021 04	•		
				एयूएम में वृद्धि				
योजनाएं	यार्च-19	मार्च-20	मार्ज-21	मार्च 2019 से में वर्ष दर	C. C. S. Contraction of the Cont	मार्च 2020 से मार्च 202 में वर्ष दए वर्ष वृद्धि		
इक्किटी टियर I	7234.21	7932.08	18979.51	997.85	9.86	11047.45	139.26	
वृक्षिवटी टियर II	320,44	352.66	860.09	27.11	8.33	498.44	141,38	
इविवटी कुल	7559,65	6264.61	19830.50	724.96	9.58	11545,88	139.37	
टियर 1 और टियर 11 कुल एयूएम में भाग:	39.03	31.16	41.50					
मांडस (सी) टियर I	4422.07	8495.77	9686.52	2079.7	48,88	3190.75	49.12	
बांक्स (सी) टियर II	209.08	297.28	482.73	88.18	42.18	185.47	62.89	
वांक्स (सी) कुल	4631.15	6783.03	10169.25	2161.88	48.00	3378.22	48.70	
टियर I और टियर II कुल एयूएम में भाग :	23.91	26.67	21.38					
जी सेक (जी) टिवर I	8896.75	10992.61	10768.29	4096.08	50.30	5773.A8	52.52	
जी सेक (जी) टियर II	262.60	457.16	835,49	194.47	74.08	378.33	82.76	
जी सेक (जी) कुल	7159.44	11,449,97	17,601.77	4290.53	59,93	6151.80	53.73	
टियर I और टियर II कुल एयुएम में भाग :	38.96	43.10	36.92					
योजना ए टिय र I	19.52	39.60	74.78	20.08	102,87	35.16	88.79	
योजना ए टियर II	0	0	0	0.00	0.00	0.00	out	
योजना ए कुल	19.52	39.6	74.78	20.06	102,67	35.16	58.79	
टियर I और टियर II कुल एयूएन में भाग :	0.10	0.15	D.18					
रुप कूल टियर I	18572.6	25460.24	45507.08	8897.64	37.00	20048.84	78.74	
उप कुल टियर II	797.21	1106.97	2169.20	309.76	38.80	1062.23	96.96	
दियर I + दियर II	18368.6	26567.21	47676.27	7197.41	37.16	21109.06	78.44	

					एयूएन :	में वृद्धि	
योजनाए	गार्च-10	मार्च-20	मार्च-21	मार्च 2019 से मार्च 2020 में वर्ग वर वर्ष वृद्धि		मार्च 2020 से मार्च 202 में वर्ष वर वर्ष वृद्धि	
एनपीएस लाइट	3409.23	3728.40	4354.38	319.17	9.36	625,98	16.79
एभीवार्ड	8860.30	10528.26	15667.11	3665,96	53.44	5160,65	49.03
कोपॅरिट सीजी	20682.60	27143.03	38929.68	6480.28	31.23	9760.05	50.08
रुप कुल (निजी क्षेत्र)	50322.14	67964.87	104647.44	17642.73	35,06	36682.57	53.87
कुल एयूएम मे भाग	16.81	16.28	18.10				
केंद्र सरकार	108010.70	138014.67	181416.28	29003.97	20,61	43401.59	81.46
कुल एयुरन में भाग	34.26	33.06	31.38				
राज्य सरकार	168881.11	211499.85	201959.02	62618.44	38.12	80460.37	88.04
कुल एयूएन से भाग	49.93	50.68	50.51				
उप कुल (सरकारी)	267891.61	349614.22	478378.18	81822.41	30.47	123661.95	35.44
कुल एयूएम से भाग	84.1R	83.72	81.90				
योजना टीटीएस			2.12				
कुल एयूएम में भाग		-	9				
कृत योग	518213.95	417478.13	578025.74	99265.18	31.10	160546.60	36.48

म्रोतः एनपीएस न्यास वेबसाइट रिपोर्ट

वालिका 3.31 ः पेंरान निधि प्रबंधकों के साथ प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (एवूएन) की रिश्रवि

		एबूएम (क.	करोड़ में)	एयूएम में वृद्धि	
क.सं	पेंशन निधि का नाम	मार्च-20	मार्च-21	राशि	प्रतिशत
1	एसबीआई पेंशन फंडस प्राईवेट लिमिटेड	160491.35	222615.19	62123.84	38.71
2	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	122200.71	166209.21	44000.51	36.01
3	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	121027.73	163389.54	42381.81	35.00
4	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंडस मै. कं. लिमिटेड	4352.55	7558.64	3206.08	73.68
5	कोटेक महिंदा पॅशन फंड लिमिटेड	891.38	1572.14	580.77	58.58
8	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	6265.33	16383.98	8118.65	98.23
7	आदित्य बिरता सन ताइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	150,09	297.03	148.94	97.90
	কুল ্	417479.13	578025.74	160546.60	38.46

वालिका 3.32 : आरंभ से 31 मार्च 2021 तक के अनुसार वोजनावार और पेंशन निधिवार रिटर्स (प्रतिशत में) । विभिन्न बोजनाओं के लिए आरंभिक तिथि भिन्न-भिन्न है।

योजना	एसबीआई	एलबाईसी	वृटीआई	कोटेक	एचडीएफसी	आईसी आईसीआई	आदित्य विरता
सीजी	10.11	9.96	9.65				
एसजी	9.80	9.66	9.85				
एनपीएस स्वाबलंबन/लाइट	10.37	10.39	10.34	10.19			
एपीवाई	9,55	9.97	9.89				
कोर्पोरेट—सीजी	10.00	10.05					
(- I	10.28	12.09	11.78	11.14	14.81	11.90	12.18
सी –I	10.51	10.26	9.43	10.10	10.47	10.48	9.98
जी —i	9.86	11.28	8.85	9.08	10.28	9.12	9.15
I– y	9.43	7.78	5.81	7.43	8.26	8.79	5.84
€-II	10.08	9.82	10.47	10.49	12.63	10.26	12.09
सी −I I	10.09	9.60	9.50	9.38	9.56	10.32	8.93
जी – II	9.88	11.54	9.57	8.86	10.45	9,23	8.04

ग्रोत : एनपीएस न्यास बार्षिक रिपोर्ट । मिन्न-भिन्न योजनाओं के लिए आरंगिक तिथि मिन्न थी ।

1 वर्ष से अधिक की अयधि के रिटर्न वार्षिकीकृत हैं ।

आरंपिक तिथिः एलआईसीए एसबीआई और यूटीआई सीजी योजनाओं के लिए 01 अप्रैल 2008

आरंभिक तिथिः एलआईसीए एसबीआई और युटीआई एसजी योजनाओं के लिए 25 जून 2008

आरंभिक तिथिः बिरला 09 मई 2017, एचढीएफसी 01 अगस्त 2013, आईसीआईसीआई 18 मई 2009, कोटेक 5 मई 2009, एलआईसी 03 जलाई 2013, एसबीआई 15 मई

2008 और यूटीआई 21 मई 2009 (ई-रे) के लिए

आरंभिक तिथिः एलआईसी 04 अक्टूबर 2010; कोटक 30 जनवरी 2012; एसबीआई 18 सितंबर 2010; यूटीआई 04 अक्टूबर 2010 (एनपीएस लाइट)

बूटीआई कोपॅरिट सीजी योजना वित्त वर्ष 2013–14 (कोपॅरिट सीजी) में समाप्त हुई ।

आरंभिक तिथिः विरला 09 मई 2017, एचडीएफसी 01 अगस्त 2013, 'आईसीआईसीआई 21 दिसंबर 2009, कोटैक 14 दिसंबर 2009,एलथाईसी 12 अगस्त 2013, एसबीयाई

14 दिसंबर 2000 और यूटीआई 14 दिसंबर 2008 (ई-II) के लिए

आरंभिक तिथिः एतआईसी 23 जुलाई 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2018; बिरला 8 मई 2017, आईसीआईसीआई 18 मई 2008, कोटेक 15 मई 2008ए एसबीआई 15 मई

2009 और यूटीआई 21 मई 2009 (सी-री)

आरंभिक तिथिः एलआईसी 12 अगस्त 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 9 मई 2017, आईसीआईआई 21 दिसंबर 2009, कोटेक 14ए दिसंबर 2009, एसबीआई 14, विसंबर 2009 और यूटीआई 14 दिसंबर 2008 सी-II

आरंभिक तिथिः एलआईसी 23 जुलाई 2013; एकडीएफसी 01 अगस्त 2013; विरत्ना 8 मई 2017, आईसीआईसीआई 18 मई 2008, कोटेक 15 मई 2009, एसभीआई 15 मई 2009 और युटीआई 21 मई 2009 (जी-1)

आरंभिक तिथि: एलआईसी 12 अगस्त 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिस्ला 8 मई 2017 आईसीआईसी 30 दिसंबर 2008; कोटेक 14 दिसंबर 2008; एसबीआई 14 दिसंबर 2008 और यूटीआई 14 दिसंबर 2008 (जी-II);

आरंभिक तिथि: एलआईसी 13 अक्टूबर 2016; एचबीएफसी 10 अक्टूबर 2018; विरला 15 मई 2017

आईसीआईसी 21 नवंबर 2016; कोटेक 14, अक्टूबर 2016; एसबीआई 13, अक्टूबर 2016 और यूटीआई 14 अक्टूबर 2018 (योजना ए-1)

211 विभिविधत वासितवां

"विनियमित आस्तियों" में मूर्त तथा अमूर्त आस्तियां सम्मिलित है जो व्यापक रूप से सीआरए के परिचालन हेतु निर्मित हैं उनमें बीस्पोक सॉफ्टवेयर जो उन सभी तत्वों के साथ उपलब्ध है तथा किसी अनुप्रयोग को चलाने के लिए आवश्यक है, कोई तृतीय सॉफ्टवेयर तथा तत्व जो वस्तु के रूप में अनुप्रयोग प्रणाली में विशिष्ट रूप से सम्बंधित हो, सभी उपयुक्त सीआरए परियोजना आंकड़े, समर्पित विशिष्ट हार्डवेयर/डाटा सेंटर के सॉफ्टवेर कॉम्पोनेंट्स तथा डिजास्टर रिकवरी सेंटर, नेटवर्क तथा अन्य सभी सुविधाएं मौतिक ढाँचे को छोड़कर(भवन, एयर कंडीशनर, विजली आपूर्ति ढांचा, फर्नीचर) सम्मिलित है।

पंजीकरण के कार्यकाल के अवसान पर या सीआरए के निरसन के मामले में सीआरए द्वारा प्रबंधित सूचना तथा विनियमित आस्तियां प्राधिकरण के साथ पंजीकृत अन्य सी. आरए को एसे समयायधि में तथा उस प्रारूप में जो पीएफआ. रडीए अधिनियम नियम या विनियमों के तहत आवश्यक हो या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित हो स्थानांतरित कर दी जाएंगी।

े 10 मिता वर्ष के दौरान प्राणिकरण हाता स्मास्ति या संक्रक्तित किए जाने वाले कन्द्र शुरूक या प्रमान

एनपीएस के अभिदाताओं पर मिन्न स्तरों पर जन मध्यस्थ इकाईयों द्वारा जो अभिदाताओं को सेवाएं प्रदान करती है, द्वारा शुल्क तथा प्रभार आरोपित किये जाते है । एनपीएस प्रणाली में प्रवेश होने पर, मध्यस्य ईकाईयां अभिदाताओं के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होती है अर्थात पीओपीज, प्रमार शुल्क जो कि आगे अभिदाताओं से संकलित किया जाता है । अटल पेशन योजना के लिए पंजीकरण शुरुक सरकार द्वारा वहन किये जाते हैं । अगले स्तर पर, सीआरए, जो अभिलेखपाल अभिकरण है खाता खोलने के लिए शल्क लेता है तथा प्रान जारी करने के लिए इकाईयों के निरसन द्वारा खाता प्रबंधित करता है । इसके पश्चात प्रत्येक संव्यवहार के लिए जिसमें अमिदाताओं का अंशदान सम्मिलित है, सीआरए तथा पीओपी दोनों द्वारा शुल्क प्रभारित किया जाता है । पेंशन निधियों द्वारा निवेश प्रबंधन शुल्क, अभिदाताओं के निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधित करने के लिए प्रभारित किये जाते हैं । प्रतिभृतियों के अभिरक्षक चनके तहत आने वाली आस्तियों के लिए प्रभार लेते हैं । और अंत में, एनपीएस न्यास खर्चों की प्रतिपृति अभिदाताओं से की जाती है।

तालिका संख्याः 3.23: विभिन्न चरणों पर अभिदावाओं से लिए जाने वाले शुल्क और प्रभार

		सेवा प्रभार					
मध्यस्थ इकाईवां	शुल्क/ प्रमार		निजी/सरकारी				
	पीआरए खोलने संबंधी शुल्क		भौतिक प्रान कार्ड का स्रयन करे	कार्ड कार्ड का विकल्प चुनता है, करे तो खाठा खोलने के लिए खोलने सीआरए शुक्क (स.में)		लाहट / स्पीनाई एनसीआरए रू 15.00 केसीआरए रू 16.00 सीएएमएस रू. 16.00	
			04	बेलकम किट भी. तिक खप से मेजी जाएगी।			
		एनसीआएए	40,00	35.00	18.00		
		केसीआरए	39,36	39,35	4.00		
		सीएएनएस	40.00				
		कर शामिल ना एनपीएस अभिव	तताओं के भौतिक या ांबी क्रियात्मकता सीआ	ई प्रान कार्ड रखने	के विकल्प को		

-		सेवा प्रमार					
गृह्यस्थ इकाईवा	गुल्क/ प्रभार		एनपीएस लाइट/एपीवाई				
		वार्षिक पीआरए प्रबंधन शुल्क प्रति खाता	केसीआरए क 57.0	एनसीआरए क 84 केसीआरए क 57.63 सीएएमएस क 86.00			
		र्डुल्क प्रति लेनवेन	रुक्क प्रति एनसीआरए रू 3.75 लेनवेन केसीआरए स्र 3.36 सीएएसएस रू 3.60		निःशुल्क		
चपस्थिति अस्तित्व		Fi	जी	संस्कारी			
SH SCHOOL	आरंभिक अभिदाता पंजीकरण और अंशदान अपलोड	कः 200 (गैए—पराक्राम्य)		लागू नहीं है	जागू नहीं है		
	कोई भी अनुवर्ती स्रेनदेन	अंशदान का 0.25% तक अंशदान के न्यूनतम 0.10% तक की राशि, जिसमें न्यूनतम रू. 20 और अधिकतम रू.25000 है गैर-मितीय स्ट.20		लागू, नहीं है	लाग् नहीं है		
	प्रतिवर्षं नियमितता > ६ माइ और फ. 1000 का अंशदान	क्त. ६० प्रति वर्ष		लागू नहीं है	जागू नहीं हैं		
	ई-एनपीएस के माध्यम से अंशदान	अंशदान का 0.10%, न्यूनतम स्त्र. 10 अधिकतम स्त्र.10000 (केवल एनपीएस के लिए कुसर्व नागरिक और टियर-II खाते)		लागू नहीं है	लागू नहीं है		
न्यासी बैंक							
अनिरक्षक	आस्ति सेवा शुक्क	सून्य इलेक्ट्रिक माग और मौतिक माग के लिए छ. 0.0032% प्रति वर्ष					
पेंशन निश्चिया	निवेश प्रबंधन शुल्क		रयूएम प्रतिवर्षे अ के लिए)	(ंसरकारी	ा एयूएम प्रतिवर्ष क्षेत्र के लिए) क्षेत्र के लिए)		
एनपीएस न्यास	व्ययों की प्रतिपूर्ति			0.006% प्रतिवर्ष			

टिप्पणी :- उपरोक्त मुक्क 31 मार्च 2021 तक लागू हैं। नबीनतम मुक्कों के लिए, कृषया एनपीएस न्यास/पीएकवारडीए की वेबसाइट को देखें। * सरकारी कर्मचारियों के मामले में, सीवारए युक्क संबंधित सरकारों द्वारा पुगतान किए जाते हैं। क्रिंगुतपूर्व कावीं कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (के.फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड) ने 18 फरवरी 2017 से परिचालन मुक्त किए। क्रित वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न मध्यस्य इकाईयों से पीएफआरडीए को प्राप्त मुक्त निम्न तालिका में प्रदान किया गया है :

तालिका 3.34 : वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त शुल्क

क.सं	मध्यसभ इकाई	शुल्क प्राप्ति (क. लाख में)
1	न्यासी बैंक- एक्सिस बैंक	2287.55
2	पेंशन निधि	2101.69
3	सीक्षारए- एनएसडीएल ई गर्वनेंस इंफ्रास्ट्रक्बर लिमिटेड	968.52
4	सीआरए— केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	13.00
5	अभिरक्षक— एसएचसीआईएल	192.61
8	सेवानिवृत्ति सलाहाकार/पीओपी/ संकलनकर्ता/एएसपी/आरएफपी संस्करण शुक्क	333,00
	कुल	5916.37

3.15 निष्पादिश दिशीकण, कामोजिल मांच और निष्पातिश स्थापम जिनमें गेंशन निर्धितों से सम्बंधित मध्यक्षों और अन्य कुळाईकों या पांगामां की श्रीचानगीका प्रश्मितित है के तिए मांगी नई पांचकारी ।

2122 जांच और निरीतण

पीएफआरडीए और एनपीएस न्यास सीआरए, न्यासी बैक और उनके लेखापरीक्षकों द्वारा जमा की गई रिपोर्ट की समीक्षा करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इकाई सेवा स्तर अनुबंधों में यथानिर्वारित नियतकालिक समय का अनुपालन कर रही हैं।

३१३३ निरोबाण और लेखांपरीका

पीएफआरडीए, केंद्रीय अमिलेखपाल अमिकरण और न्यासी बैंक विनियमों में अमिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए सीआरए और न्यासी बैंक की लेखामरीक्षा और निरीक्षण का प्रावधान हैं । कित वर्ष 2020-21 के दौरान, प्राधिकरण द्वारा आंतरिक लेखामरीक्षक की नियुक्ति के लिए जारी की गई दिशानिदेश टिप्पणी के अनुसार पेंशन. निषियों द्वारा नियुक्त किए गए आंतरिक लेखामरीक्षकों द्वारा मियुक्त किए गए आंतरिक लेखामरीक्षकों द्वारा पेंशन निषियों की आंतरिक लेखामरीक्षा की गई । वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, महामारी के कारण पेंशन निषियों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया । संबंधित पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित योजनाओं की लेखामरीक्षा की गई। पेंशन निधि भी सांविधिक लेखा परीक्षा के अधीन हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महामारी के कारण

कस्टोडियन यानी स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

पीएफआरडीए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 और उसके तहत जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में एनपीएस, एनपीएस लाइट और एपीवाई के तहत उपस्थिति अस्तित्व जैसे गैर-सरकारी क्षेत्र का पर्यवेक्षण भी करता है।

(ii) प्राधिकरण ऑफसाइट और ऑनसाइट निगरानी तंत्र के माध्यम से पीओपी को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(क) ऑफसाइट निरीक्षण :

ऑफसाइट निरोक्षण और पर्यवेक्षण में एनपीएसटी / पीएफआरडीए को जमा की जाने वाली निम्नलिखित रिपोर्ट शामिल है:--

- क) मासिक एमआईएस, एससीएफ अपलोड और अंशदानों के प्रेवण तथा अन्य अनुवर्ती सेवाओं के प्रेवण में विलंब पर तिमाही अपवाद रिपोर्ट,
- ख) त्रैमासिक / अर्धवार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र
- ग) एनपीएस संकलन खातों में बेमेल राशि पर खाता शेष प्रमाणपत्र
- घ) अर्धवार्षिक / वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट
- ड.) साइवर सुरक्षा प्रमाणपत्र
- व) लंबित शिकायतें
- एपीवाई के तहत अमिदाताओं के बचत बैंक खाते में सर.
 कारी अंशदानों को जमा करने के लिए उपयोगीकरण

प्रमाणपत्र

डिफॉल्ट उपस्थिति अस्तित्यों को निर्दिष्ट परिचालन नियतका. लिक समय का पालन करते हुए उचित कार्रवाई और विलंबों के लिए मुआवज़ा प्रदान करने की सलाह दी जाती है। गंभीर मामलों में, न्यायनिर्णयन कार्रवाई के लिए न्यायनिर्णयन विभाग को मामला भेजा जा सकता है, यदि आरोप सिद्ध होता है, तो दंड आरोपित किया जाएगा।

ख) बॉनसाइट निरीसण :

(1) खपस्थिति अस्तित्वों के ऑनसाइट निरीक्षण पीओपीज़ के नियमों के अनुपालन और विनियमों के तहत परिचालन दिशानिर्देशों में प्रथानिर्देश्ट परिचालन नियतकालिक समय के पालन की निगरानी के लिए किए जाते हैं। एनपीएस के तहत उपस्थिति अस्तित्वों द्वारा पेश की जाने वाली सभी सेवाओं, नामांकन प्रक्रिया से अंतिम निकास तक निरीक्षण मानदंशों द्वारा कवर किए जाते हैं। उपस्थिति अस्तित्वों को विमिन्न अधिनियमों और नियमों अर्थात् पीएमएलए

अधिनियम और नियमों के अनुसार केंवाईसी के अनुपालन सहित ग्राहक समुचित सावधानी प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है । अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल है— अग्रेषित लेकित शि. कायतें, मुआवजे का भुगतान यदि कोई हो तो, संकलन खातों में शेष राशि आदि ।

(ii) कोविड—19 के कारण यात्रा / लॉजिस्टिक में उत्प. च्न कठिनाईयों के कारण वित्त वर्ष 2020—21 के दौरान निरोक्षण नहीं किए गए ।

हालांकि, विभाग द्वारा 70 उपस्थिति अस्तित्वों के साथ विभिन्न अनुपालन मुद्दों जैसे उपस्थिति अस्तित्वों द्वारा जमा किए गए आवेदन

पत्रों, एपीवाई के तहत सरकारी अंशदानों उपयोगीकरण प्रमाणपत्र जमा करने, अनुपालन रिपोंटों को जमा करने, वित्त वर्ष 2018—20 के दौरान पीएफआरडीए द्वारा आयोजित निरीक्षण अवलोकन का पालन करने और एनपीएस, एनपीएस—लाइट और एपीवाई आदि के तहत संकलन खातों में अमेल / लंबित अंशदानों पर 120 वीसी आयोजित की गई। 3. एनपीएस, एनपीएस—लाइट, एपीवाई और सेवानिवृत्ति सला. हाकारों के तहत उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपीज) के लिए पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के विनियम 14 (2)(व) के तहत जारी परामर्श / निर्देश / स्वनाएं

प्राधिकरण ने पीओपीज़ के लिए परामर्श/निर्देश/सूचनाएँ जारी किए ताकि एनपीएस के तहत क्रियाकलामों के सरल अनुपालन और परिचालन को सुनिश्चित किया जा सके।

4. प्राथमिक रिपोर्ट को जमा करना :

किसी भी कथित उल्लंघन का मता चलने की स्थिति में, जो प्रथम दृष्टया, अधिनियम की धारा 20 के तहत शामिल कृताकृत का खुलासा करता हैं, विभाग द्वारा पीएफआरडीए (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015 के अनुसार सदस्य (जांच और निगरानी) को एक औपचारिक प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

नीतिगत गामला

पर्यवेक्षण विभाग विभिन्न हिस्सेदारों से विधियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्राप्त आवश्यकताओं और सुझावों के आधार पर अभिदाताओं और हिस्सेदारों के लाभ के लिए सुधारों की जांच तथा सिफारिश करता है ।

५ १४ अला

5.14.1 राष्ट्रीय पेंद्रान प्रकाती और कविनियन के सहस अन्य पेंद्रान योजनाओं के सहस नामित वर्गियास (भेजीवार)


i) अभिदाताओं की संख्या

एनपीएस में अभिदाताओं का नामांकन मार्च 2020 के 345.55 लाख से बढ़कर मार्च 2021 में 424.40 लाख हो गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान अभिदाताओं की संख्या में 22.82 प्रतिशत वृद्धि हुई है। एनपीएस अभिदाताओं की वर्षवार संख्या निम्न. लिखित चार्ट में दी गई है।

ततिका 3.35 : एनपीएस/एपीवाई के वहत क्षेत्रवार अभिदाताओं की संख्या

	(संख्या लाख में)	(संख्या लाख में)	संपूर्ण वृद्धि (संख्या लाख में)	प्रतिशत
केन्द्र सरकार	21.02	21.76	0.74	3.52
कुल %	6.08	5.13		
राज्य सरकार	47.54	51,41	3.87	8.14
कुल %	13.78	12.11		
कोपॉरेट	9.74	11.25	1.51	15.50
कुल %	2.82	2.65		
सर्व नागरिक / यूओएस	12.52	16.47	3.85	31.55
কুল%	3.62	3.88		
एनपीएस लाइट*	43,31	43.02		
কুল %	12.54	10.14		
एपीवाई	211.42	280.49	69.07	32,67
कूल %	81.18	66.09		
कुल	345.55	424.40	78.85	22.82

^{*(01} अप्रीस 2015 के बाद स्वीकृत नए पंजीकरण की संख्या) *(01 अप्रीस 2016 के बाद स्वीकृत नए पंजीकरण की संख्या)



i) अमिदाताओं की संख्या : क्षेत्रवार

तालिका संख्या 3.36 : दिनांक 31 मार्च 2021 तक के अनुसार विमिदाताओं, वशदान और एयूएम की संख्या ।

क्षेत्र	विभिदाताओं की संख्या	अंशदान (क्तपर्व करोड़ में)	एयूएम (क्यये करोड़ में)
केन्द्र सरकार	21,75,848	1,23,123.93	1,81,788.30
राज्य सरकार	51,40,504	2,14,710,48	2,91,381.41
कुल	73,16,350	3,37,834.41	4,73,169.71

 सरकारी अभिदाता की संख्या में 4.81 लाख (8.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो की मार्च 2020 के अंत के 88.56 लाख से मार्च 2021 के अंत में 73.18 लाख हो गई ।

धे) निजी क्षेत्र

तालिका संख्या ३.३७ : दिनांक ३१ मार्च २०२१ तक के अनुसार निजी क्षेत्र में अमिदाताओं, अंशदान और एवएम की संख्या ।

विवरण	अभिदाताओं की संख्या	अंशदान (रूपये करोड़ में)	एगूएम (कपर्य करोड़ में)
कोपॉरेट क्षेत्र	11,25,163	44,710.52	62,808.74
सर्व नागरिक/यूओएस	18,46,773	22,510.18	22,205.50
कुल	27,71,936	87,220.71	84,814.24

- एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रान स्थानांनतिस्त करने पर केंद्रित
- निजी क्षेत्र के तहत, कोर्पोरेट अभिदाताओं की संख्या 9.74 लाख से बढ़कर 11.25 लाख हो गई, जो कि 1.51 लाख (15.50 प्रतिशत) अभिदाताओं की बढ़त थी । यूओएस/सर्व नागरिक क्षेत्र के तहत अभिदाताओं की संख्या मार्च 2020 के 12.52 लाख से बढ़कर मार्च 2021 में 16.47 लाख हो गई, जो कि 3.22 लाख (31.55 प्रतिशत) अभिदाताओं की बढ़त थी।

iii) असंगठित क्षेत्र

तालिका संख्या 3.38 : 31 मार्च 2021 तक के अनुसार अभिदाताओं की संख्या, अंशदान और एनपीएस की एवएम और एपीवार्ड

विवरण	अभिदाता (संख्या में)	श्रंशदान (रूपये करोड़ में)	एयूएम (कमये करोड़ में)
एनपीएस लाइट	43,02,258	2,856.41	4,354.38
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	2,80,49,151	13,784.17	16,887.11
कुल	3,23,51,409	16,622,58	20,041.49

- एनपीएस लाइट और एपीवाई के तहत अमिदाताओं की संख्या मिलाकर मार्च 2020 के अंत में 254.74 लाख से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 323.51 लाख हो गई. 68.77 लाख अमिदाताओं (27 प्रतिशत) से बढ़ी।
- एनपीएस लाइट योजना में नई प्रविष्टियां 1 अप्रैल 2015 से समाप्त हो गई है और दिनांक 9 मई 2015 से एपीवाई योजना शुरू हुई और यह 1 जुलाई 2015 से परिचालित है । एपीवाई योजना गरीब और मारत के वंचित वर्गों पर केंद्रित है या इसमें 60 वर्ष के बाद परिमाषित पेंशन प्राप्त होगी ।
- एपीवाई के तहत अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पर सनके अंशदान, जो कि उनकी एपीवाई में शामिल होने की आयु पर निर्भर होंगे, के अनुसार क.1000, क.1000 क.2000, क.3000, क.4000, क.5000 तक की न्यूनतम गारंटिड पॅशन प्राप्त होगी । एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अतः एपीवाई के तहत किसी भी अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है।
- केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) के साथ पंजीकृत बैंक शाखाओं / खाकघरों / मुगतान बैंकों के माध्यम से यह योजना परिचालित की जा सकती है।

एपीवाई योजना का प्रबंधन तीन सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निश्चियों नामतः एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई द्वारा किया जाता है। मार्च 2021 तक के अनुसार इस योजना की प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति रु. 15404 करोड़ है। आरंभ से मार्च 2021 तक इस योजना ने लगमग 9.80% सीएजीआर उत्पन्न किया है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रान खातों के लिए मास्त सरकार ने 17.68 लाख सह-अंशदान जारी किया जो कि तन अभिलेखों की संख्या है जिन्होंने उक्त वित्तीय वर्ष में सरकारी सह-अंशदान प्राप्त किया है, न कि विशिष्ट प्रान गणना।

- एपीवाई के तहत:--
- 76.60 प्रतिशत अंशधारकों ने 1000 रुपये पेंशन राशि का विकल्प चुना है जबकि 14.87 प्रतिशत अभिदाताओं ने 5000 रुपये पेंशन राशि का विकल्प चुना है।
- ख. 27.58 प्रतिशत पेंशन के इच्छुक 21—25 वर्ष के आयु वर्ग के हैं।
- ग. महिला और पुरुष अभिदाताओं का अनुपात 4458 है

तालिका संख्या 3.39 लिंग, पेंशन राशि और आयु के आधार पर पंजीकृत एपीवाई अभिदाताओं (जारी किए गए प्रान) का विस्तृत विश्लेशण ।

लिंगानुसार

क्र.सं.	बिंग	प्रान गणना	प्रतिशत में
1	स्त्री	1,32,19,261	43.75
2	पुरत	1.69,89.707	58.23
3	ट्रांसजेंडर	6,842	0.02
	कुल	3,02,15,800	100

पेंशन राशि अनुसार

那. स.	पेंशन राशि	प्रान गणना	प्रतिशत में
4	1,000	2,31,46,273	76.60
2	2,000	15,08,674	4.88
3	3,000	7,46,581	2.47
4	4,000	2,92,195	0.97
5	5,000	45,22,077	14.97
	তু ল	3,02,15,800	100.00

आयु अनुसार

क्र.सं.	आबु वर्ग	प्रान गणना	प्रविशत
1	18 से 20 वर्षों के बीच	47,62,099	15.76
2	21 से 25 वर्षों के बीच	63,34,404	27.58
3	28 स 30 वर्षों के बीच	76,00,108	25.15
4	31 से 35 वर्षों के बीच	60,14,328	19.90
5	35 वर्ष से अधिक	35,04,881	11.50
	कूल	3,02,15,800	100.00

2.14.2 उपस्थिति शस्तित्व

पीओपी विनियम, 2018 के तहत पीएफआरडीए ने 308 पीओपी तथा 39 पीओपी-एसई को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

योजनावार प्रबंधन के अधीन संपत्ति निम्नलिखित तालिका में प्रदान की गई है:

तालिका संख्या 3.40 : योजनावार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति

प्रबंधन के अधीन आस्तियां (शरी रूपये करोड में)

योजना	मार्च-20	मार्च-21	संपूर्ण वृद्धि	प्रविशव में
केंद्र सरकार	138014.59	181416.28		
एसजी	211499.67	291969.92		
उपकुल	348514.28	473376.18	123861.92	35.44
एनपीएस लाइट	3728.40	4354.38		
एपीवाई	10528.26	15887.11		
कोर्पोरेट सीजी	27143.03	36929.68		
\$ -I	7932.05	18979.51		
सी-ग्र	6495.76	9686.52		
जी-I	10992.80	16766.29		
I-9	39.60	74.78		
t-II	352.55	860.98		
सी -11	297.26	482.73		
जी -11	457.16	835.49		
टियर II – टीटीएस		2.12		
स्पकुल	67964.87	104849.58	38884.69	53.97
कुल योग	417479.13	578025.74	160546.61	38.48

जमरोकत तालिका दर्शाती है कि सरकारी क्षेत्र एनपीपुस योजनाओं (सीजी और एसजी) के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 35 प्रतिशत से बढ़ी है, जबकि इन दो योजनाओं के अतिरिक्त योजनाओं के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 54 प्रतिशत से बढ़ी है । संपूर्ण रूप से, सरकारी क्षेत्र योजनाएं रू. 1,23,862 करोड़ से बढ़ी है जबकि सरकारी क्षेत्र योजनाओं से मिन्न योजनाएं औसतन रू 38,885 करोड़ से बढ़ी है ।

2.14.4 केंद्रीय अभिनेतालाल अभिकरण, प्रशासी मृतिकार और कार्य

स. परिचय

पीएफआरडीए द्वारा एनएसडीएल ई गर्वनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की नियुक्ति केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में की गई और इसके लिए दिनांक 28 नवंबर 2007 को एक अनुबंध निष्पादित किया गया।

पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 की अधिसूचना के पश्चात् 27 अप्रैल 2015 से एनएसडीएल ई—गर्वनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया, जो कि मूल अनुबंध दिनांक 26 नवंबर 2007, जो 1 दिसंबर 2007 से 10 वर्ष के लिए प्रभावी था की रोष अवधि के लिए 18 दिसंबर 2015 से प्रभावी हुआ । एनएसडीएल—सीआरए को प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को 31.03.2021 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

सीआरए सभी मध्यस्थ इकाईयों के लिए एक परिचालन बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसकी भूमिका में सभी आवश्यक बाहरी अभिकरणों से संपर्क करना और रिकॉर्डकीपिंग, प्रशासन तथा एनपीएस के अभिदाताओं को ग्राहक सेवा कार्य करना शामिल है।

वित्त वर्ष 2018—17 के दौरान, प्राधिकरण द्वारा एम/एस कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में केफिन टेक्नोलॉजी के नाम से विख्यात) को दूसरी सीआएए के कप में पंजीकृत किया और एनपीएस न्यास के ई—एनपीएस मॉडयूल के माध्यम से स्रोत प्रदान खातों की सेवाएं संबंधी परिचालन शुरू करने की अनुमित दी, जहाँ अभिदाता को 15 फरवरी 2017 से एनएसडीएल ई—गर्वनेंस लिमिटेड (प्रथम सीआएए) और एम/एस केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (द्वितीय सीआएए) में से एक के विकल्प को और उसके पश्चात अन्य वितरण चैनलों को चुनना होगा । एम/एस केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को 31 मार्च, 2017 तक नए खातों को सेवाएं प्रदान करने की अनुमित दी थी और उसके बाद इसे एनपीएस के मौजूदा

अभिदाताओं को स्थानांतरित होने का विकल्प प्रदान करने वाले अंतरसंचालनीयता गुण के साथ 01 अप्रैल 2017 से एक पूर्ण रूपी सीआरए के तौर पर कार्य करने की अनुमति थीं । वर्तमान में, पीएफआरडीए (सीआरए) विनियम, 2015 के अनुसार कंप्यूटरएज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड (सीएएमएस) को पंजीकरण प्रमाणमत्र दिया गया । तीसरे सीआरए द्वारा परिचालन शुरू करना शेष है।

सीआरए विनियम 3 के रूप विनियम 4 के अनुसार

मौजुदा केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण और अन्य केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण या अभिकरणों, यदि नियुक्त किए जाते हैं, के बीच अभिदाताओं का आवंटन पारदर्शी मानदंखों के आधार पर होगा और प्राविकरण द्वारा इसकी प्रक्रिया, जो कि अभिदाताओं के हित में होगी, समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी । तदनुसार, अभिदाताओं के आवंटन के मानदंड निम्नानुसार वर्णित हैं :--यदि किसी मामले में जहाँ कर्मचारी -नियोक्ता सं. बंध हैं, कोर्पोरेट सहित, यदि नियोक्ता द्वारा सीकारर शुल्क वहन किए जाते हैं, सीआएए के चयन का निर्णय नियोक्ता के पास होगा, जब तक कि वह विशेष रूप से किसी विशिष्ट कर्मचारी को यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं सौपता और अन्य सभी मामलों में, एनपीएस के तहत सीआरए के बयन का विकल्प कर्मचारी/अभिदाता के पास होगा । स्वैच्छिक अभिदाता के मामले में (किसी कर्मचारी-नियोक्ता संबंध की मौजूदगी के बिना) सीआएए के चयन का विकल्प सामान्य रूप से अभिदाता के पास होगा। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत अगिदाताओं के मामले में. संबंधित सरकार सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयं सीआरए को बुनेगी । एनपीएस-लाइट अभिदाताओं के मामले में सीआरए को चुनने का विकल्प संकलनकर्ता के पास होगा ।

ख. भृगिकाएं और जिम्मेदारियां

सीआरए की प्रमुख भूमिका और जिम्मेदारियां निम्नानुसार है:

नई कार्यक्षमताओं का निरंतर संवर्धन और विकास

सीआरए का उत्तरदायित्व देशभर में सुविधा केंद्र नेटवर्क बनाना और स्थापित करना है। उन्हें विभिन्न नई कार्यात्मकताओं / उपयोगिताओं को विकसित करना होता है और विभिन्न हितधारकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मॉक्बूल का निरंतर सुधार और विकास करना है।

2. सभी क्षेत्रों के अभिदाताओं को सेवाएं

सीआरए की प्राथमिक भूमिका अभिलेखपालन, प्रशासन, सभी एनपीएस अभिदाताओं के लिए प्राडक सेवा कार्य करना, अभिदाताओं को अद्वितीय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) और आईपिन/टीपिन जारी करना है। अमिदाताओं को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं में पंजीकरण के समय एसएमएस अलर्ट और ईमेल मेजना, धनराशि क्रेडिट/डेबिट, निकासी, प्रान में उपलब्ध धनराशि, अमिदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और सभी एनपीएस हितधारकों को वेब आधारित एक्सेस प्रदान करना शामिल है। सीआरए अमिदाताओं और नोडल कार्यालयों को केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली और कॉल सेंटर की सुविधा भी प्रदान करता है। इन सेवाओं के अलावा, सभी अमिदाता रखरखाय सेवाएं जैसे कि योजना में बदलाव, जनसांख्यिकीय विवरण में बदलाव, शिकायत निपटान आदि को सीआरए हारा नियंत्रित किया जा रहा है।

मध्यस्थ इकाईयों की सेवाएं

क) उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी):

विभिन्त नई कार्यात्मकताओं या उपयोगिताओं को विकसित करने और नई प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए, संचालन के मामले में और अमिदाताओं के लामों के लिए अधिकतम लचीलापन प्रदान करने के लिए अपलोखिंग कार्यालयों के लिए इंटरफेस के कई मॉडल प्रदान करना। अमिदाता अनुरोधों को पूरा करने के लिए पीओपी को एक तंत्र प्रदान करना।

ख) पेंशन निधि (पीएफ):

पेंशन निधि प्रबंधकों को समय पर धनराशि आवंदित करना, समेकित निवेश वरीयता योजना की जानका. री तैयार करना और भेजना, न्यासी बैंक से प्राप्त निधि स्थानांतरण रिपोर्ट की पुष्टि के आधार पर पेंशन निधि प्रबंधक को कुल राशि स्थानांतरण रिपोर्ट मेजना और पेंशन निधि प्रबंधक द्वारा सीआरए को भेजे गए एनएवी का उपयोग करते हुए योजना के प्रदर्शन को मापना सीआरए की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

ग) न्वासी बैंक (टीबी):

न्यासी खाते से प्राप्त पेंशन निधि रिपोर्ट का पेंशन निधि अंशदान सूचना रिपोर्ट के साथ मिलान करना और निधि मिलान पर त्रुटि/विसंगति रिपोर्ट तैयार करना, न्यासी बैंक को अभिदाताओं के खाते में आहरण निधि भेजने और वार्षिकी योजना के लिए शेष राशि को वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के खाते में जमा करने का निर्देश देना।

घ) वार्षिकी सेवा प्रदाता (पृएसपी):

अभिदाताओं से भौतिक आवेदन प्रपन्न एकन्न करना और उन्हें वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को अप्रेषित करना और वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को अभिदाता की वार्षिकी के लिए निधि अंतरण विवरण भेजना। अभिदाता विवरण के संबंध में एएसपी को इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर करना और वार्षिकी योजना पर निर्देश भेजना।

इ.) अन्यः

पीएफआरडीए, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय को आविषक और तदर्थ एमआईएस (शिकायत निवारण सहित) प्रदान करना, नोडल कार्यालयों के लिए आविषक अमिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना और असीमित एवं त्रुटिमुक्त प्रणाली परिचालन प्रदान करना, जिसमें सीआरए प्रणाली, पीएफ, टीबी और एनपीएस की अन्य संस्थाएं शामिल हों।

ग. वार्षिक शुल्क

केंद्रीय अमिलेखपाल अमिकरण, पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 के विनियम 22 में निर्दिष्ट सेवा शुल्क के 0,05 गुना की दर से वार्षिक शुल्क का भूगतान करेगी।

घ. प्रमार और शुल्क

एनपीएस नियमित और एनपीएस लाइट / एपीवाई अभिदाताओं के लिए शुक्क संरचना सभी संबंधितों की जानकारी के तहत यहां उपलब्ध कराई गई है:

तालिका संख्या ३.४१ : एनपीएस लाइट/एपीवाई अभिदाताओं के लिए शुक्क संरचना

		एन/एस एनएसडीएल ई— गर्वनेंस इंक्रास्ट्रदनर लिमिटेड (प्रथम सीक्षारए)		एम/एस केंफिन टेक्नोबॉजी प्राइवेट विमिटेड (द्वितीय सीआरए)	
क.सं	सेवा शुक्क शीर्ष	एनपीएस नियमित (रूपये में)	एनपीएस लाइट/एमीयाई (क्रपये में)	एनपीएस नियमित (फपये में)	एनपीएस लाइट/एपीवाई (रूपये में)
4	पीआरए आरंभिक शुल्क	40.00	15.00	39.36	15
2	पीआएए वार्विक प्रबंधन शुल्क	84.00	20.00	57.63	14.4
3	लेनदेन शुल्क	3.75	शुन्य	3.36	शून्य

इ. विनियम

पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015, 27 अप्रैल, 2015 को सूचित किया गया । बाद में, इसमें पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018, 25 जून 2018 संशोधन किया गया है ।

पैशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2016 का चहेरय उस संस्था की मात्रता, शासन, संगठन और परिचालन आचरण के लिए मानक निर्मारित करना है जो केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में कार्य करना चाहते हैं। यह विनियम, पीएफआरडीए अधिनियम की मावना के अनुरूप निरीक्षण, जांच, निगरानी और प्रवर्तन शक्तियों का प्रमावी एवं विश्वसनीय उपयोग और एक कुशल अनुपालन कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

इस विनियमन के माध्यम से केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में पंजीकृत इकाई को एक आंतरिक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है जो एनपीएस अभिदाताओं और उनकी संपत्ति के हितों की रक्षा के उद्देश्य से आंतरिक संगठन और परिचालन आवरण के मानकों का अनुपालन प्रदान करती है।

च. नई कार्यक्षमताओं का विकास

विभिन्न हितधारकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मॉड्यूल का निरंतर संवर्धन और विकास सीआरए का एक मुख्य उद्देश्य है। एनपीएस प्रणाली के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सीआरए द्वारा विभिन्न कार्यात्मकताओं का विकास किया गया था। कुछ प्रमुख विकास इस प्रकार हैं:

अमिदाता को एनपीएस के खंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं:

प्रत्यक्ष प्रेषण — जैसा कि डी-रेमिट सुविधा के विषय में पूर्व में उल्लेख किया गया है, इसके अतिरिक्त, एनपीएस सब्सक्राइबर जो डी-रेमिट के माध्यम से अपना स्वैच्छिक अंशदान करना चाइते हैं, उन्हें सीआरए प्रणाली तक पहुंचने और अपने प्रान से जुड़ी वर्चुअल आईडी जारी करने की आवश्यकता होगी । वर्चुअल आईडी के प्रमाणीकरण के बाद, अभिदाता अपने नेट बैंकिंग में लॉग-इन कर सकते हैं और अपने स्वैच्छिक अंशदान को स्थानांतरित करने के लिए लामार्थी के रूप में आईएफएससी विवरण के साथ कपर दिए गए वर्चुअल आईडी को जोड़ सकते हैं । इस प्रकार अभिदाता

एनपीएस में आविधिक भुगतान करने के लिए स्थायी निर्देश देने में सक्षम होंगे ।

- 31 मार्च 2021 तक के अनुसार कुल रु. 229.73 करोड़ योगदान डी रेमिट के माध्यम से किया गया है।
- एनआस्आई के लिए डी रेमिट अंशदान के एक तरीके के रूप में डी रेमिट अंशदान एनआस्आई के लिए भी उपलब्ध कराया गया है।
- ईएनपीएस में भुगतान मोद्ध—

ईएनपीएस में यूपीआई आधारित लेनदेन 2020 में शुरू हुआ। ईएनपीएस में जमा की लागत को अनुकृतित करने के लिए, अब नेट—वैंकिंग और डेबिट कार्ड आधारित लेनदेन के लिए शुन्य लागत है और क्रेडिट कार्ड आधारित लेनदेन के लिए शुन्य अंशदान का 0.8% है।

- ऑनलाइन बैंक खाता और पता परिवर्तन अभिवाताओं ने ऑनलाइन मंच के माध्यम से अपने पते और बैंक खाते को संशोधित करने की सुविधा प्रदान की गई।
- ईप्रान कार्ड को भौतिक प्रान कार्ड के समान माना जाएगा अभिदाताओं को पंजीकरण के समय ईप्रान या भौतिक प्रान कार्ड का बयन करने का विकल्प दिया जाएगा। तदनुसार, यदि अभिदाता ईप्रान कार्ड का विकल्प चुनते हैं तो खाता खोलने के लिए सी. आरए शुल्क कम हो जाएगा। इसके अलावा, एनपीएस के तहत विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इसे वास्तविक प्रान कार्ड के समान माना जाएगा। भौतिक प्रान कार्ड के समान माना जाएगा। भौतिक प्रान कार्ड के मामले में, सीआरए खाता खोलने का शुल्क 40 उपये (एनसीआरए) और 39.36 रुपये (के फिन)। ई प्रान कार्ड के मामले में, सीआरए खाता खोलने का शुल्क 18 रुपये (एनसीआरए) और 4 रुपये (के फिन)। इस सुविधा के जारी होने के बाद से 1,05,889 अभिदाताओं ने ईप्रान के विकल्प को चुना है।
- केंद्र सरकार अभिदाताओं के लिए 01.04.2018 से सरकारी अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% की वृद्धि पर सरकारी अधिसूचना को प्रभाव में लाने के लिए अंशदान सुविधा

सीएबी के लिए 14% के नियौक्ता अंशदान गुण मी जारी किया गया। 821 केंद्र स्वायत्त निकाय में से 160 ने 14% अंशदान देने की पुष्टि की।

एसजी के लिए 14% वाली नियोक्ता सुविधा भी शुरू की गई-

यूपी, बिहार, तमिलनाबु (एआईएस), कर्नाटक, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश ने 14% अंशदान देना शुरू कर दिया है।

- सीजी. एसजी. केंद्र स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय को योजना वरीयता परिवर्तन विकल्प प्रदान किया गया। 26789 सरकारी अमिदाताओं ने योजना वरीयता परिवर्तन के विकल्प का प्रयोग किया है।
- ऑनलाइन एनपीएस/एपीयाई सेवाओं का लाग छठाने के लिए ई-साइन के बदले ओटीपी अव्यारित प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान की गई है।
- अभिदाताओं के लिए सीआरए का विकल्पः
 अभिदाता अब अपने सीआरए को वर्ष में दो बार
 बदल सकते हैं, जो कि वर्तमान में एक बार
 परिवर्तन करने के विकल्प के साथ उपलब्ध है।
- एनपीएस ऑन बोर्डिंग के लिए आधार आधारित केवाईसी ऑफलाइन प्रक्रिया पीएफआरडीए सत्यापन आधार एक्सएमएल फाइल के माध्यम से आधार आधारित ऑफलाइन गैर–कागज़ी केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया को ईएनपीएस पोर्टल के माध्यम से अभिदाताओं की ऑनबोर्डिंग के लिए स्वैद्धिक आधार पर एनपीएस अभिदाताओं को उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। अभिदाता को ऑफलाइन आधार आधारित पंजी. करण प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन करने के लिए 'आधार' विकल्प का चयन करना होगा। नई ऑफला. इन प्रक्रिया गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखेगी जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आधार संख्या का केवल एक हिस्सा गैर-कागज़ी केवाईसी करने वाली इकाई/सेवा प्रदाता के साध साझा किया जाएगा । सीआरए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) जैसी संस्थाएं अभिदाता हारा साझा किए गए केवाईसी विवरण को उसकी उचित सहमति से सत्यापित कर सकती है। ऑफलाइन आधार जून 2020 से प्रदान किया गया है।

इस सुविधा के शुभारंभ के बाद से 31 मार्च 2021 तक के अनुसार 1,49,893 पंजीकरण ऑफलाइन आधार के माध्यम से प्रमाणीकृत हुए हैं ।

एनएसडीएल सीआरए द्वारा बनाए रखा ईएनपीएस मंच के माध्यम से 15 अप्रैल 2021 से अभिदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आधार आधारित ईकेवाइसी शुरू किया गया।

ऑनलाइन नामांकन मॉक्यूलः पीएफआरडीए

एनपीएस के तहत ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया (सीएसआरएफ के माध्यम से) में परिमाधित तकों के आधार पर और पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015, अध्याय VII और विनियम 32, उप-विनियम (iv. v और vi), एनपीएस के तहत नामांकन पंजीकरण सहित पूर्ण नामांकन प्रक्रिया पर विचार करते हुए अभिदाताओं द्वारा नामांकन अद्यतन/परिवर्तन से संबंधित कार्यक्षमता को मंजूरी दी है।

सुविधा जारी होने के बाद से 80000 से अधिक ई-नामांकन (ई-साइन के माध्यम से गैर-कागजी नामांकन) अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

ईएनपीएस निकास प्रक्रिया

ई-एनपीएस के तहत सामान्य/समयपूर्व निकासः

क. अभिदाता के लिए निकासी अनुरोध जमा करने के लिए सीआरए वेबसाइट पर एक विकल्प उपलब्ध होगा। इस प्रयोजन के लिए, अभिदाता को निकासी अनुरोध विवरण प्रदान करने और स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करने के लिए सीआरए वेबसाइट पर सीमित एक्सेस प्रदान किया जाएगा।

ख. अभिदाता बैंक दिवरण, पता दिवरण आदि जैसे दिवरण प्रदान करेगा और अपने केवाईसी दस्तादेजों और बैंक प्रमाण की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करेगा ।

ग. ई—साइन निकासी अनुरोध — अभिदाता आधार का उपयोग करके निकासी अनुरोध पर ई—हस्ताक्षर करेगा, और

घ. एक बार अभिदाता द्वारा सफलतापूर्वक निकासी अनुरोध जमा कर दिए जाने पर केवाईसी दस्तावेज सत्यापन के लिए बैंक—पीओपी को प्रदर्शित किए जाएंगे। अनुरोध का सत्यापन अभिदाता के बैंक द्वारा किया जाएगा।

मृत्यु के कारण ई-एनपीएस संबंधित सेवाओं से निकास :

स्वीकृत प्रक्रिया के तहत, नॉमिनी को अपने बैंक द्वारा केवाईसी के सत्यापन के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साध्य एनपीएस न्यास को निकास फॉर्म जमा करना होगा । नामांकित व्यक्ति को अपने बैंक, जहां नामिती का बैंक खाता है और जिसमें वह एकमुश्त और /या वार्षिकी प्राप्त करना चाहता है, के लेटरहेड पर बैंक केवाईसी पुष्टिकश्ण प्राप्त करना होता है जिसमें नामांकित व्यक्ति का फोटो और हस्ताह्मर हो और नामित बैंक अधिकारी की मुहर के साथ हस्ताह्मरित कराना होता है और इसे एनपीएस न्यास को जमा करना होता है। आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद एनपीएस न्यास चिंवत साक्यानी बरतने के बाद निकासी अनुरोध को अधिकृत करेगा।

- ओसीआई अमिदाताओं को एनपीएस निजी क्षेत्र के तहत पंजीकरण करने की अनुमति ओसीआई अमिदाता के पास वैव दस्तावेज जैसे ओसीआई कार्ड और मौजूदा विदेशी पते का प्रमाण और एनपीएस में पंजीकरण के लिए अन्य विवरण होना चाहिए।
- अभिदाता के तत्काल बैंक खाते के सत्यापन के लिए रह किए गए चेक/पासबुक की प्रति/बैंक विवरण आदि प्रदान करने के बदले में पेनी ड्रॉप की सुविधा ।
- सीजीएमएस में निकासी के लिए निम्नलिखित उप—.
 श्रेणियों को जोडना
 - आंशिक निकासी शुरू नहीं हुई / अधिकृत नहीं हुई / राशि प्राप्त नहीं हुई
 - निकास शुक्त नहीं हुआ / अधिकृत नहीं / पाशि प्राप्त नहीं हुई
 - समयपूर्व निकासी शुरू नहीं हुई / अधिकृत नहीं / साश प्राप्त नहीं हुई
 - मृत्यु निकासी शुक्त नहीं हुई / अधिकृत नहीं हुई/चारि। प्राप्त नहीं हुई
- अधिकांश पूछे जाने वाले प्रस्त (एफएक्यू) अभिदाता और इकाई (एनपीएस अभिदाता की ओर से शिकायत उठाना) के लिए संबंधित प्रश्न के जवाब के साथ सीजीएमएस में उपलब्ध हैं। अभिदाता के लिए, सीजीएमएस के माध्यम से किसी भी प्रश्न को उठाते हुए, चयनित शिकायत की श्रेणी के आधार पर अधिकांश पूछे जाने वाले प्रश्नों और प्रासंगिक उत्तरों को देखने का प्रावधान होगा।
- अधिवर्षिता, समयपूर्व और मृत्यु निकास अनुरोधों के लिए अमिदाताओं / डीडीओ / नोडल कार्यालयों के लिए (पीडीएफ प्रारूप में) दस्तावेज अपलोड की सुविधा के लिए (निकास आवेदन / केवाईसी दस्तावेज)।
- ऑनलाइन री-केवाईसी विकल्प एनपीएस बँक / उपस्थिति तहत पंजीकरण के दौरान केवाईसी अस्तित्व अरवीकार किए हारा जाने की स्थिति में, अभिदाताओं के लिए उपलब्ध है। अभिदाता अस्वीकृति के कारणानुसार आवश्यक विवरण अपकेट कर सकता है और यह वयनित बैंक/उपस्थिति अस्तित्व को पुनः केवाईसी के लिए चपलब्ध होगा। अब, री-केवाईसी सुविधा उन सभी अभिदाताओं के लिए बढ़ा दी

गई है, जिन अभिदाताओं की पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान बैंकों द्वारा केवाईसी को अस्वीकार कर दिया गया था।

एनपीएस मोबाइल एप में विशेषताएँ

1. टियर II निकासी

अभिदाता अब मोबाइल एप का सपयोग करके एनपीएस के तहत टियर प्र खाता निकासी शुरू कर सकता है। अभिदाता अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ एप में लॉगइन करेगा। मोबाइल एप में टियर प्र निकासी का चयन करने और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) उत्पन्न करने का विकल्म समलब्ध है। सही ओटीपी दर्ज करने पर, अभिदाता के पास निकासी के तरीके का चयन करने का विकल्प होगा — (i) एकमुश्त (राशि), या (ii) योजनावार इकाईयां। एक बार जब विकल्प का चयन कर लिया जाता है और अभिदाता द्वारा प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो इसे सीआरए प्रणाली में निब्पादित किया जाएगा और सीआरए के साथ पंजीकृत अभिदाता के बैंक खाते में धनशाश स्थानांतिरत कर दी जाएगी।

बटल पेंशन योजना के तहत सुविधाएं

1. एपीवाई मोबाइल एप -

(i) वर्तमान में पंजीकरण फॉर्म, स्वैच्छिक निकास फॉर्म, योगदान मैट्रिक्स इत्यादि जैसे विभिन्न दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए विकल्प उपलब्ध है। दस्तावेजों को डाउनलोड करने के समय, उपयोगकर्ता को एनएसडीएल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया गया था।

अब, अभिदाता एनएसकीएल वेबसाइट पर रिकायरेक्ट होने के बजाय केवल एप में सभी दस्तावेजों को खाउनलोक करने में सक्षम होगा।

(ii) एपीबाई एप में, अभिदाता अमिदाता का नाम, बैंक खाता संख्या, जन्म तिथि और कैंग्या जैसे विवरण प्रदान करके प्रान कार्ड खोज और काउनलोक करने में सदाम होगा। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए अभिदाता को एप में लॉगइन करने की आवश्यकता नहीं है।

2. ई प्रान कार्ड और लेनदेन विवरण

एपीवाई अभिदाता को ई—प्रान कार्ब और संव्यवहार विवरण ढाउनलोड करने और/या प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एपीवाई अभिदाता सीआरए एनपीएस लाइट वेबसाइट (www.npslite-nsdl.com) के माध्यम से अपने ईप्रान कार्ड और लेनदेन विवरण तक पहुंच सकते हैं। अभिदाता के पास प्रान विवरण के साध्य/ विना अपने ईप्रान कार्ड और लेनदेन विवरण खोजने का विकल्प है। इसके बाद अभिदाता को न्यूनतम विवरण जैसे प्रान और बैंक खाता संख्या या अभिदाता का नाम, बैंक खाता संख्या और एमीदाई के तहत सीआरए प्रणाली में पंजीकृत तिथि या जन्मतिथि प्रदान करना आवश्यक है।

3. एनपीएस लाइट/एपीवाई के लिए सीजीएमएस

एनपीएस लाइट/एमीवाई के विषय में प्रश्न/शिकायत दर्ज करने के लिए केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) लागू की गई है। सीजीएमएस नंच पर, वेबसाइट पर समी शीर्षक हिंदी में प्रदर्शित किए गए है।

4. एपीवाई—एसमी/एपीवाई—एसमी शास्त्रा का स्थानांतरण

एपीवाई अभिदाता अपने बैंक/शाखा को अपने नजदीकी एपीवाई खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं।

एनपीएस लाइट अमिदावाओं के लिए ईप्रान

एनपीएस लाइट के अभिदाता अब अपना ई-प्रान कार्ड देख सकते हैं। प्रान कार्ड देखने के लिए अभिदाताओं को अपना प्रान नंबर और बैंक खाता नं. प्रदान करना होगा । हालोंकि, यदि अभिदाता को अपना प्रान नंबर याद नहीं है, तो बैंक खाता संख्या, नाम और जन्म तिथि जैसे अन्य विवरण दर्ज करके प्रानकार्ड प्राप्त किया जा सकता है।

ह. एपीवाई के तहत न्यूनतम पेंशन को अपग्रेन/ बाउनग्रेन करें

एपीवाई के तहत, अमिदाता को छपये 1000/—, 2,000—, 8,000/—, 4,000 और 5,000— प्रति माह की न्यूनतम पेंशन का चयन करना आवश्यक है, जो अमिदाताओं के अंशदान के आधार पर उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। तदनुसार, अमिदाता के बैंक खाते से चुनी गई आवृत्ति अर्थात् मासिक/तिमाही छमाही के अनुसार अंशदान की कटौती की जाती है। पीएफआरडीए दिशानिदेशों के अनुसार, एपीवाई अमिदाताओं के पास चुनी गई पेंशन राशि को अपशेड/बाउनप्रेड करने का विकल्प है।

7. एनपीएस लाइट अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन अंशदान सुविधा स्वावलंबन अभिदाताओं को ईएनपीएस मंच के माध्यम से ऑनलाइन अंशदान करने का विकल्प दिया गया है। अभिदाता को ईएनपीएस वेबसाइट का उपयोग करना होता है और योगदान मेन्यू का चयन करना होता है और आगे, विकल्प एनपीएस सब्सक्राइबर टाईप' अर्थात् एनपीएस स्वावलंबन और प्रान विवरण का चयन करके विवरण प्रदान करना होता है। ओटीपी प्रमाणीकरण और कैंच्वा विवरण की पुष्टि के बाद योगदान किया जा सकता है। ईएनपीएस के माध्यम से योगदान करने पर पेमेंट गेटवे और सीआरए शुक्क लागू होंगे।

- 8. बीबीटी भारत प्रोर्टल के साथ एकीकरण: एनएसडीएल और डीबीटी भारत पोर्टल का सफल एकीकरण किया गया और अब एपीआई के माध्यम से बीबीटी घटक से संबंधित बेटा की। रिपोर्टिंग शुरू कर दी गई है।
- नोडल कार्यालयों/उपस्थिति अस्तित्व/कॉर्पोरेटों के लिए विशेवताएं
- अभिदाता पंजीकरण, अंशदान आदि की गतिविधियों को करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों के साथ पीओपी को प्रदान की गई पैन आधारित एपीआई वेब-सेवाएं
- 1) प्रान की पुष्टि (हां/नहीं)
- 2) प्रान सेक्टर
- 3) प्रान स्थिति
- 4) फ्रीज कारण (यदि कोई हो)
- निम्नलिखित प्रक्रियाओं के लिए सीआरए और चपस्थित अस्तित्व के बीच सर्वर एकीकरणः
- i) अधिक मात्रा में प्रान पूछताछ को सक्षम करना उपस्थिति अस्तित्व सीक्षारए प्रणाली को वेद—सर्विस कॉल के माध्यम से बल्क प्रान की स्थिति की जांच कर सकता है।
- अभिदाता सूची डाउनलोड को सम्रम करना उपस्थिति अस्तित्व वेद—सेवा के माध्यम से मैप किए गए प्रान खातों की अभिदाता सूची डाउनलोड कर सकता है।
- 3. ईआरएम प्रसंस्करण के लिए बैंक खाते का विवरण नोडल कार्यालयों को अपने बैंक खाते के विवरण को सीआरए रिकॉर्ड में अपडेट करने की आवश्यकता होती है, लेकिन बैंक खाता संख्या स्थान में, केवल संख्यात्मक खाता संख्या ही संग्रहीत की जा सकती है। नोडल कार्यालयों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, अब ईआरएम प्रसंस्करण के लिए अल्फा—न्यूमेरिक खाता संख्या बैंक खाता संख्या क्षेत्र में स्वीकार की जाएगी।
- 4. डीडीओ द्वारा ऑनलाइन अभिदाता पंजीकरण सरकारी क्षेत्र के आहरण एवं संवितरण कार्यालय (ढीडीओ) को ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉडवूल (ओपीजीएम) का उपयोग करके अभिदाता को ऑनलाइन रूप से पंजीकृत करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

डीडीओं को अंतर्निहित अभिदाताओं के पंजीकरण विवरण प्राप्त करने की अनुमति है और इसे संबंधित डीटीओ / डीटीए द्वारा सत्यापित किया जाता है। अब कुछ राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, ओपीजीएम में ऐसे बदलाव किए गए हैं कि डीटीओं पंजीकरण विवरण उठाएगा और संबंधित डीटीए इसे सत्यापित करेगा।

इससे पहले नोडल कार्यालयों को टीबी को निधि स्थानांतरण करते समय निधि स्थानांतरण निर्देश में 28 अंकों का पीएओफिन देना होता था। गलत पीएओएफआईएन के कारण धनराशि वापसी की घटनाओं को कम करने के लिए इसे अब घटाकर 13 अंक कर दिया गया है।

डीडीओं को ऑनलाइन सरार्त निकासी शुख करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

मान खाते का सक्रियण / विसक्रियण

राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार, अवः

क. किसी भी नोडल कार्यालय द्वारा प्रान का पुनर्सक्रियन किया जा सकता है, दशर्ते नोडल कार्यालय द्वारा ही इसे निष्क्रिय करने का अनुरोध नहीं किया गया हो।

ख. यह केवल समान राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए स्वीकृत होगी और केवल राज्य सरकार क्षेत्र के लिए लागू की जाएगी।

त्रुटि आशोधन मॉक्यूल (ईआएएम)

एक ईआरएम अनुरोध को नोबल कार्यालय द्वारा संसाधित किया जा सकता है जिसके माध्यम से सीआरए प्रणाली में अंशदान किया गया था। इसके अलादा, अब राज्य सरकार के मामले में, सभी अंतर्निहित नोडल कार्यालयों की ओर से एकल ईआरएम लेनदेन करने की सुविधा निगरानी कार्यालय को प्रदान की जाती है। यह विमिन्न नोडल कार्यालयों द्वारा कैप्यर किए जा रहे कई ईआरएम अनुरोधों के प्रयासों और समय की बचत करेगा।

ईआरएम के मामले में, नोडल कार्यालय/इकाई को इस्तांतरित राशि उस राशि से भिन्न है जिसके लिए ईआरएम अनुरोध किया गया था जो एनएवी में परिवर्तन के कारण हो सकता है। ईआरएम अनुरोध स्तर परिदृश्य में एक नया क्षेत्र जोड़ा गया है जो वास्तविक वसूल की गई राशि को प्रदर्शित करेगा जो सामंजस्य की सुविधा के लिए इकाई के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

मीओपी / इकाई लॉगिन में उपलब्ध अभिदाता विवरण देखें
 यह अभिदाताओं का विवरण जैसे व्यक्तिगत विवरण, अन्य

विवरण प्रदान करता है। अब, यह प्रान अवरोधन का कारण भी बताएगा।

सीआरए टोल क्री हेल्पलाइन नोडल कार्यालयों को उनके सामान्य प्रश्नों/शिकायतों के संबंध में सीआरए से संपर्क करने के लिए समर्पित टोल क्री नंबर (1800222081) उपलब्ध कराया गया है। यह एनपीएस अभिदाताओं के लिए उपलब्ध मौजूदा टोल क्री नंबर (1800222080) के अतिरिक्त है।

ares they filled (digs)

पेंशन निश्चि से तात्पर्य है एक मध्यस्थ इकाई जिसे प्राधिकरण द्वारा भाग 27 के उप—भाग (3) के तहत अंशदानों को प्राप्त करने, उन्हें निवेशित करने और विनियमों में यथानिर्दिष्ट रीति में अभिदाताओं को भूगतान करने के लिए एक पेशन निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है।

पेंशन निधियां जिन्हें नियुक्त और पंजीकृत किया गया है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य योजना के तहत पेंशन कोष को प्रबंधित करती हैं । पेंशन निधियां मूल आस्तियों की प्राप्ति के पुष्टिकरण के लिए उनके एक्सेस कोड और निधि आवंटन, निधि आवंटन के पुष्टिकरण के लिए निर्देशों का प्रयोग करती हैं और प्रत्येक योजना के एनएवी को सीआरए और अभिरक्षकों को नियमित आधार पर भेजती है ।

मेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2016 दिनांक 14 मई. 2016 को अधिसूचित हुए और पेशन निधियों को इन विनियमों का इनके संशोधनों सहित पालन करना था ।

पेंशन निधियों के कार्य

पेंशन निवियों के कार्यों में निम्नलिखित शामिल है, लेकिन यह केवल इन बिंदुओं तक ही सीमित नहीं है :

- क) पॅशन योजनाओं का प्रबंधन योजनाओं के तथ्यों, न्यास विलेख, नियमों, विनियमों और प्राहि ाकरण द्वारा समय—समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पॅशन प्रणाली न्यास द्वारा यथानिर्दिष्ट समयसीमा के मीतर किया जाएगा ।
- ख) पॅशन निधियों का दैनिक प्रबंधन राष्ट्रीय पॅशन प्रणाली न्यास की ओर से पॅशन निधि द्वारा किया जाएगा ।
- ग) पेंशन निधि, अभिदाता के सर्वोत्तम हितों को ध्यान
 में रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए
 सदैव उच्चतर सेवा मानदंडो, उपयुक्त सावधानी,
 विवेकशीलता, व्यवसायिक कौशल, श्रीधता,

तत्परता और सतर्कता का प्रयोग करेगी। पेंशन निधियां सट्टेदार निवेशों या लेनदेन करने से बचेगी।

- घ) पॅशन निधि उच्च शिक्षित मेशेवरों या ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। पॅशन निधि उसके कर्मचारियों या अधिकृत व्यक्ति, जिससे सेवाएं प्राप्त की गई हैं, के कृताकृत के लिए जिम्मेदार होगी और ऐसे कृताकृत का उत्तरदायित्व उसका होगा। यह उत्तरदायित्व तब तक बना एडेगा, जब तक कि मंजीकरण प्रमाणपत्र का निरसन या निलंबन या वापसी या प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन अधिक्रमण नहीं हो जाता।
- छ.) पेशन निधि अन्य मध्यस्य इकाईयों और अन्य इकाईयों के साथ अन्य बातों के साथ—साथ अनुबंध, परिचालन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए तकनीकी मंच के माध्यम से कार्य और समायोजन करेगी।
- च) पेंशन निधियां पेंशन योजनाओं के परिचालन से संबंधित खाता बहियाँ, अभिलेखाँ, रजिस्टर और दस्तावेज़ाँ को प्रबंधित करेगी ताकि विनियमाँ, दिशानिर्देशों, प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों का अनुपालन किया जा सके और लेनदेन की लेखापरीक्षा और सदैव व्यापारिक निरंतरता को बनाए रखा जा सके।
- छ) पेंशन निधि इन विनियमों, दिशानिर्देशों या परिपत्रों के तहत आवश्यक या प्राधिकरण द्वारा मांगी गई या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय—समय पर मांगी गई आवधिक और अनुपालन रिपोर्ट जमा करेगी ।
- ज) पेंशन निधि अभिदाताओं के हित में सूचना का लोक प्रकटीकरण प्राधिकरण द्वारा अनुसूची V में यथानिर्दिष्ट पद्धति या शिंति में करेगी।
- झ) पेंशन निधि निवेश और जोखिम प्रबंधन अर्थात् निवेश समिति और जोखिम समिति के गठन, उसकी रचना, कार्य, नीतिगत तब्यों और अनुसूची X मे यथानिर्दिष्ट अन्य समान मामलों के लिए उच्च शासन पद्धतियों को अपनाएगा।
- ञ) एक पेंशन निधि द्वारा पेंशन निधि के रूप में दायित्वों को पूर्ण करते हुए हित संघर्षों से भी बचाव किया जाएगा और ऐसी घटनाओं की जानकारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रदान की जाएगी।
- त) पेंशन निधि अपने प्रायोजकों से पेंशन निधि व्यवसायिक गतिविधियों की व्यापकता और पृथक्कता सुनिश्चित करेगा ।

- थ) पेशन निधि अमिदाताओं की सूचना के संबंध में और पेशन निधियों से संबंधित क्रियाकलायों की गोमनीयता को सुनिश्चित करेगा और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या कानून के प्रावधानों के द्वारा अपेक्षित सूचना के अतिरिक्त उसके नियंत्रणाधीन संपूर्ण सूचना की सुरक्षा करेगा।
- द) पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक ऐसे अभ्यावेदन और वारंटी प्रदान करेगा ।

एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन निश्चियों (पीएफ) की सूची

- i. एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- आईसीआईसीआई प्रृवेशियल पेंशन फंक्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- iii. कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
- iv. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- v. एसबीआई पेशन फंडस प्राइवेट लिमिटेड
- vi. यूटीआई रिटायरमेंट सोल्युशंस लिमिटेड
- शां. आदित्य बिरला सनलाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड दिनांक 31.03.2021 तक के अनुसार, पेंशन निधियों द्वारा सरकारी क्षेत्र पोर्टफोलियों के लिए प्रभारित शुल्क 0.0102 प्रतिशत तथा गैर—सरकारी क्षेत्र पोर्टफोलियों के लिए प्रभारित निवेश प्रबंधन शुल्क प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (एयूएम) का 0.01 प्रतिशत है ।

इतरण न्याची केंद्र

1 न्यासी बैंक

पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम, 2016 और इसकें संशोधन के तहत एनपीएस न्यासी बैंक के घयन के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी प्रस्ताव (आरएफपी) के लिए अनुरोध के जवाब दिनांकित 12 अक्टूबर, 2020 में एनपीएस के तहत एक्सिस बैंक लिमिटेड को न्यासी बैंक के छप में नियुक्त किया गया है। एनपीएस न्यासी बैंक को एक्सिस बैंक के छप में 8 जनवरी, 2021 से कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया और और यह प्रमाण पत्र प्रदान करने की तिथा से पांच वर्ष की अविध तथा आगे की विस्तारित अविध के लिए मान्य है, जब तक कि पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम 2016 और उसके संशोधनों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा इसे निलंबित या निरस्त नहीं कर दिया जाता है।

एनपीएस न्यास द्वारा न्यासी बैंक के साथ एक सेवा स्तरीय समझौता (एसएलए) आरएफपी दिनांक 12.10.2020 और पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 तथा उसके संशोधनों के साथ-साथ इसके तहत जारी परिपन्न और दिशा. निर्देशों के अनुसार निष्पादित किया गया है।

निम्नलिखित आरेख एनपीएस संरचना में न्यासी बैंक की भूमिका को दर्शाता है: तालिका संख्या 3.41 : एनपीएस संरचना और इकाईवीं एनपीएस संरचना



न्यासी बैंक की मूमिकाएं और उत्तरदायित्व

- न्यासी बैंक सीआएए प्रणाली की विभिन्न संस्थाओं अर्थात् नोडल कार्यालयों (अपलोड करने वाले कार्यालय), पेंशन निधि प्रबंधक, वार्षिकी सेवा प्रदाता और अमिदाताओं के बीच निधि स्थानांतरण सुविधा प्रदान करता है।
- न्यासी बैंक, सीआरए प्रणाली में विभिन्न नोडल कार्यालयों से प्राप्त निषियों के विवरण वाली एक फाइल अपलोड करता है। फिर इन विवरणों का मिलान 3, नोडल कार्यालय (कार्यालयों) द्वारा सीआरए प्रणाली को प्रदान किए गए अंशदान विवरण से किया जाता है।
- उ. न्यासी बैंक को सीआरए प्रणाली से निधि स्थानांतरण करने के लिए भुगतान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विभिन्न संस्थाओं अर्थात् पेंशन निधियों, वार्षिकी प्रदाता, निकासी खाते को निधि स्थानांतरण निर्देश प्राप्त होते हैं और यह पेंशन निधि प्रबंधक(ओं) से भी धन प्राप्त कर सकते हैं।
- अज्ञात विप्रेषणों या अधूरी जानकारी युक्त विप्रेषणों को संबंधित संस्था को वामस करना।
- प्रत्येक निपटान दिवस के अंत में, न्यासी बैंक खाते में जमा धनराशि का सीआरए प्रणाली में मौजूद राशि के साथ मिलान किया जाता है।

एनपीएस न्यासी बैंक की महत्वपूर्ण भूमिकाएं और कार्य निम्नलिखित हैं:

- न्यासी बैंक, प्राधिकरण के निर्धारित नियमों, दिशानिर्देशों, परिपन्नों और निर्देशों के तहत एनपीएस न्यास द्वारा निर्देशित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है।
- 2 न्यासी बैंक प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और अन्य मध्यस्थ इकाईयों के साथ आवश्यक सेवा स्तर समझौते और गैर—प्रकटीकरण समझौते पर, जहां लागू हो, इस्ताक्षर करता है ।
- न्यासी बैंक मध्यस्य इकाईयों के बीच एक संपर्क बिंदु स्थापित करता है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नियुक्त अन्य मध्यस्थों के साथ कुल सहयोग और समन्वय में कार्य करता है।
- 4. न्यासी बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाता है और उचित परिश्रम करता है कि प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सुविधाएं पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास दिशानिर्देशों/ निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं और अभिदाताओं के अधिकार और हित सुरक्षित है।
 - न्यासी बैंक खाते एनपीएस अभिदाताओं की और से हैं, और एनपीएस न्यास के नाम से खोले गए हैं। एनपीएस न्यास इन फंडों का पंजीकृत मालिक हैं। हालांकि, व्यक्तिगत एनपीएस अभिदाता इन फंडों के लामार्थी बने रहेंगे। एनपीएस न्यास को आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 10(44) के अनुसार आयकर शुगतान से छूट दी गई है।

5.

- ह. न्यासी बैंक एनपीएस के तहत निश्चियों के लिए पीएफआरडीए द्वारा जारी दिशा—निर्देशों / अधिसूचनाओं / निर्देशों और एनपीएस न्यास के साम्य निम्मादित परिचालन सेवा स्तर समझौते तथा पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के आधार पर एनपीएस न्यास हारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार बैंकिंग कार्य करता है।
- न्यासी वैंक निश्चियों के दैनिक प्रवाह के लिए उत्तरदायी है।
- न्यासी बैंक अपने पास उपलब्ध एनपीएस निवियों से संबंधित सूचना और निर्देश, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण(ओं) को नियमित आधार पर प्रेषित करता है।
- न्यासी बैंक एनपीएस न्यास, पीएफआरखीए, सीआरए और अन्य सेवा प्रदाताओं को देव— आधारित एक्सेस प्रदान करता है।
- 10. न्यासी बँक शविष्य के परिवर्तनों के लिए अनुकूल है, जिसमें प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण होने वाले परिवर्तन, अभिदाताओं की संख्या, योजनाओं की संख्या सहित प्रणाली विशिष्टताओं में परिवर्तन, और पीएफआरबीए/एनपीएस न्यास द्वारा निर्धारित सेवाओं तथा कार्यात्मक दायित्वों सहित प्रणाली विनिर्देशों में परिवर्तन शामिल हैं।
- 11. न्यासी बैंक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस न्यासी बैंक, सीआरए (एस), अभिवाताओं, पेंशन निधि, आदि के बीच बन प्रवाह और सूबना प्रवाह के लिए बहीखाता और रिकॉर्ड रखता है, और पीएफआरबीए/ एनपीएस न्यास द्वारा आवश्यकतानुसार या मांगानुसार अंतराल पर और विधि से नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है सकता है।
- 12. न्यासी बैंक से समय-समय पर प्रकटी. करण आवश्यकताओं और पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास और अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों हारा निर्दिष्ट आचार संडिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। न्यास खातों से संबंधित वहीं और रिकॉर्ड पीएफआरडीए, एनपीएस न्यास, आरबीआई और जनके संबंधित लेखा परीसकों के अधिकृत अधिकारियों या अभिकर्ताओं के लिए निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।
- न्यासी बैंक, पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास को निम्न.
 लिखित आविषक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है—
 - क) एनपीएस न्यास खातों, अनुपालन प्रमाणपत्रों और अभिवाता शिकायतों की

- रिपोर्ट के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों से नियमित अंतराल पर आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का सार।
- ख) समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक तिमाडी में प्रस्तुत की जाती है।
- ग) न्यासी बैंक में रखे गए सभी एनपीएस खातों की बाइरी लेखापरीक्षा रिपोर्ट वार्षिक आधार पर जमा की जाती है। उपरोक्त तीनों लेखापरीक्षाओं का दायरा पीएफआरडीए द्वारा परिभावित है।
- 14. एनपीएस न्यासी बैंक अपने कर्मचारियों या उन व्यक्तियों के कृताकृतों के लिए उत्तरदायी होगा जिनकी सैवाएं एनपीएस न्यासी बैंक द्वारा प्राप्त की गई है।

ii. न्यासी बैंक के लिए समयसीमा

न्यासी बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों सीआरए की अन्य प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। इसलिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि गतिविधियों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। नीचे दिया गया चार्ट मुख्य गतिविधियों और समय सीमा का मूल विचार देता है, जिसकें भीतर बैंक द्वारा इसे किया जाता है:

समयसीमा के साथ न्यासी बैंक के प्रमुख क्रियाकलाप

क्र.सं	क्रियाकलाप की प्रकृति	संविम समय	दिवस
4)	न्यासी बैंक के लिए निधि प्राप्ति	2	ਟੀ
2	अपरिचित निधियों की वापसी	4	ਟੀ+1
3	निधि प्राप्ति पुष्टिकरण फाइल अपलोख	प्रातः 09:15 वर्ज	प्रतिदिन
4	भुगतान निर्देश फाइल डाचनलोड		प्रतिदिन
5	मेंशन निषियों और निकासी खातों को निषि स्थानांतरण की पुष्टिकरण के लिए निर्दिष्ट समय	13:30 घन्टे	प्रतिदिन
6	पेंशन निषियों को एम एंड बी निषियों का स्थानांतरण	-	ਟੀ+1
7	विवरण अपलोड और विभिन्न खातों का अंतिम शेष		प्रतिदिन

ध्यान दें

 समय और टीएटी सांकेतिक हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति, लागू इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण प्रणाली, और स्वीकृत समाशोधन/इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन चक्र आदि के आधार पर प्राधिकरण/एनपीएस न्यास के निर्देश के अनुसार समयसीमा में आगे सुधार किया जा सकता है।

 प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा का अनुपालन न करने पर समय—समय पर विनिर्दिष्ट दंबात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं। समय—सीमा में गैर-अनुपालन के लिए दंख प्रावधान की वर्तमान लागू दर दो प्रतिशत प्रति वर्ष सहित आरबीआई रेपो दर मुखावजे के रूप में देय है।

यदि धनराशि 50/— रूपये से अधिक है तो मुआवजे की राशि अभिदाता के व्यक्तिगत प्रान में जमा की जाएगी और यदि यह धनराशि 50/— रूपये से कम है तो ग्राहक शिक्षा और सुरक्षा कोष खाते में जमा की जाएगी।

नियामक शुक्क संरचना : न्यासी बैंक तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर सभी एनपीएस न्यास खातों के समेकित शेष पर प्रति वर्ष प्रतिशत के रूप में गणना की गई रेपो दर पर वार्षिक शुक्क जमा करेगा, यह पूरी पंजीकरण अवधि और उसके लिए की गई कोई भी विस्तारित अवधि के लिए मान्य है, इसका तिमाही आधार पर सीधे प्राधिकरण को भुगतान किया जाता है।

iii. प्रत्यक्ष प्रेषण (बी-रेमिट)ः

अभिदाता को कम लागत पर नियमित योगदान करने की सुविधा के लिए , पीएफआरडीए ने प्रत्यक्ष प्रेमण (डी—रेमिट) नाम से एक अतिरिक्त विकल्प/अंशदान का तरी. का पेश किया है, जिसमें सरकारी / गैर—सरकारी / सर्व नागरिक मॉडल के तहत मौजूदा एनपीएस अभिदाता सक्षम होंगे। स्थायों सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) से जुड़ी एक वर्चुअल आईडी बनाकर स्वेच्छा से अपना अंशदान जमा करें। डी—रेमिट ने न केवल स्वैच्छिक अंशदान जमा करने के तरीके को आसान बनाया है बल्कि, अगर न्यासी बैंक द्वारा निर्धारित अतिम समय के भीतर अंशदान प्राप्त होता है तो निवेश पर वसी दिन एनएवी प्रदान करके निवेश रिटर्न को भी अनुकृतित किया है।

अभिवाता अब अपने नेटबैंकिंग खाते में एक स्थायी निर्देश डाल सकते हैं, जो सीथे उनके प्रान खातों में अंशवान मेज देगा। यह निवेश की समयसीमा को टी2 से घटाकर टी (एक निर्धारित समय से पहले किए गए अंशवान के लिए) या टी1 कर देगा। डी रेमिट के तहत अंशदान स्वीकार करने के लिए तत्काल भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस) सुविधा।

अभिदाता एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस का प्रयोग करते हुए अंशदान कर सकते हैं। आईएमपीएस सुविधा से अभिदाताओं को आईएमपीएस के तहत राशि स्थानांतरित करने और उसी दिन एनएवी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में हमारे परिपन्न संख्या पीएफआरडीए/2020/44/एसयूपी-सीआरए/17 दिनांकित 01.10.2020 और बाद में परिपन्न सं.पीएफआरडीए/2021/6/एसयूपी-सीआरए/5 दिनांक 10.03.2021 जारी किए गए।

समयसीमाः डी-रेमिट के माध्यम से अंशदान की जाने वाली न्यूनतम राशि 500/- रुपये हैं, जो टियर I और टियर-II दोनों खातों के लिए हैं। न्यासी बैंक द्वारा किसी भी बैंक कार्य दिवस (शनिवार, रविवार और छुट्टियों के अलावा) पर टी दिवस को सुबह १९६:30 बजे तक प्राप्त अनराशि को उसी दिन के निवेश के सप में माना जाएगा। टी दिवस को सुबह १९४:30 बजे के बाद प्राप्त हुआ अंशदान अगले कार्य दिवस (अर्थात् टी१) दिवस पर निवेश किया जाएगा।

iv. अमिदाताओं के हितों की एका के लिए किए गए स्पाव :

अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित खपाय किए गए हैं :

आवक प्रेषण की वापसी

संबंधित नोडल कार्यालयों को प्रेषण की वापसी के बारे में सूचना ईमेल के साध्य—साध्य भौतिक पत्रों के माध्यम से भेजी जाती है। विप्रेषणों को अस्वीकार करने के कारणों के अलावा, नोडल कार्यालय द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई और बरती जाने वाली सावधानियाँ उन्हें त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने और वापसी से बचने के लिए प्रदान की जाती हैं। यह अमिदाताओं द्वारा किए गए अंशदान का समय पर निवेश सुनिश्चित करता है।

ऐसे फंड रिटर्न मामलों को कम करने के लिए एक कवरिंग लेटर तैयार किया गया है जो एससीएफ के साथ सृजित होता है। पत्र में पहले से भरे हुए क्षेत्र जैसे ट्रान आईडी, राशि आदि शामिल हैं, जिसे नोखल अधिकारी को अधिकृत करना होता है और अपने मान्यता प्राप्त बैंकर को टीबी को निधि स्थानांतरण के लिए जमा करना होता है।

निश्चियों के प्रबंधन में न्यासी बैंक के सामने आने वाली चुनौतियाँ

लंबित एससीएफ- कई नोडल कार्यालय एससीएफ को दो.


बार अपलोड करते हैं या इन एससीएफ के अनुरूप धनराशि नहीं भेजते हैं। पीएफआरडीए इन एससीएफ का मिलान और निर्धारित समय सीमा के मीतर जमा कराने की पूरी कोशिश करता है।

ii. धनराशि जमा न होना — कई बार कई नोखल कार्यालय समय पर नियमित रूप से धनराशि नहीं भेजते। पीएफआरडीए ने लगातार संबंधित संगठनों— पीएओ के साथ अभिदाताओं के प्रान में क्रोडिट जमा न होने का मामला छठाया है, ताकि देशे के परिणामस्वरूप अभिदाता निवेश के अवसर को न खोएं।

iii. अधूरे ब्यौरे के साथ भेजी गई धनशशि – कई नोडल कार्यालयों ने पीएओ आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी आदि जैसे पूर्ण विवरण के बिना न्यासी बैंक को धन प्रेषित किया। मई 2012 से पहले न्यासी बैंक द्वारा प्राप्त ये निधि अज्ञात हैं, जिसके लिए नोडल कार्यालयों ने न तो निधि स्थानांतरण विवरण (एफटीडी) उपलब्ध कराया है और न ही इसके लिए एससीएफ अपलोड किए गए। इसके समाधान के लिए पीएफआरडीए नोडल कार्यालयों के साथ लगातार इसका अनुसरण कर रहा है।

iv. न्यासी द्वारा अमिदाताओं को जावक प्रेषण की वापसी — न्यासी बैंक द्वारा असिदाताओं को मेजी गई निकासी राशि विभिन्न कारणों से वापस हो जाती है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण गलत बैंक विवरण, गलत आईएफएससी, लामार्थी के नाम का बेमेल होना आदि हैं।

न्यासी बैंक के अंतर्वाह और बहिवांह पर आंकड़े



दैनिक औसत धनराशि (करोड़ में) - वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान रुझान

दैनिक औसत बनराशि	सीआरए एनएसडीएल	सीआरए के फिनटेक	ভুন
अप्रैल-20	401.38	4.67	406.05
मई-20	514.08	4,58	518.68
जून–20	311.36	4.02	315.38
जुलाई20	404.38	3.82	406.01
अगस्त−20	396.70	4.81	401,51
रितंबर-20	326.16	3,60	329.96
जनवरी—21	482.78	2.87	485.66
अक्टूबर-20	475.27	4.48	479.75
नवंबर-20	331.62	5.00	338.93
दिसंबर-20	526.97	9.12	536.08
फरवरी–21	513.72	7.56	521.28
मार्च-21	545.63	14.73	560,36

(स्रोत - एनएसबीएल-सीबारए और के-फिनटेक-सीबारए)

अन्य प्रकृति वैज्ञान अभारत में वक्का सर्वेणुवियों का (3)

'प्रतिभूतियों का अभिष्क्षक' प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन स्कीमों के लिए अभिष्क्षक और निक्षेमागार प्रतिमागी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिनियम की घारा 27 की उप—बारा (3) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संस्था अभिप्रेत हैं:

"अभिरक्षक सेवाएं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और किसी अन्य पेंशन स्कीम के अधीन आस्तियों और प्रतिभृतियों को सुरक्षित रखना तथा उससे अनुषांगिक सेवाएं प्रदान करना अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलत है :--

- आस्तियों और प्रतिभृतियों के खातों को संबृत करनाः
- (ii) डिपाजिटरी अधिनियम, 1998 (1996 का 22) के निबंधनों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुज्ञात घरेलू निक्षेपागार के रूप में कार्य करना :
- (iii) आस्तियों और प्रतिभृतियों पर उद्भूत हकदारी और लाणों का संग्रहण करना :
- (iv) प्रतिभूतियों के निगमकर्ता द्वारा की गई या की जाने वाली कार्रवाई के बारे में संसूचित करना जो प्रोद्भूत होने वाले लागों या हकदारी से सम्बन्ध हो : और
- (v) उपखंब (i) से (iv) में संदर्भित सेवाओं के अभिलेखों को बनाए रखना और समाधान करना : वर्तमान में, स्टोंक होल्डिंग कोपोरेशन ऑफ इंडिया प्रतिभृतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है।

प्रतिभृतियों के अभिरक्षक के सामान्य उत्तरदायित्व पीएफआरडीए (प्रतिभृतियों के अभिरक्षक) विनियम, 2015 के अनुसार प्रतिभृतियों के अभिरक्षक के सामान्य उत्तरदायित्व नीचे दिए गए हैं:

- (1) प्रतिभृतियों का अभिरक्षक अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में सभी समय पर (8) उचित सावधानी, विवेक, व्यवसायिक कुशलता और सम्यक तत्परता बरतेगा ।
- (2) प्रतिभृतियों का अभिरक्षक अन्य मध्यवर्तियों और संस्थाओं के साथ संयोजन करने में उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं, प्रणालियों, पर्याप्त सूचना तकनीक अवसंख्या उपलब्ध कराएगा और भविष्य में होने वाले परिवर्तनों जिनमें तकनीक चन्नति में परिवर्तन, प्रणाली और सेवाओं के विनिर्देशन में परिवर्तन और प्राधिकरण हारा विनिर्देश्ट कार्य सम्बन्धी दायित्वों की उद्घोषणा में परिवर्तन के अनुक्रप परिवर्तित होगा ।

- (3) प्रतिभृतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतेगा कि अभिलेखों की निरंतरता लुप्त या नष्ट न हो और इसके लिए अभिलेखों का पर्याप्त बैकअप उपलब्ध हो ।
- (4) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह चुनिश्चित करेगा कि सभी समय पर पेंशन योजना खातों में संब्यवहार का स्तर पेंशन निधि अधवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के निर्देशों के अनुसार हो और इन खातों में घारित आरि. तयों का इस्तैमाल स्पष्टतया केवल पेंशन निधि अधवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अधिकृत संव्यवहार के लिए किया गया है ।
- (6) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से धारित प्रतिभूतियों को उसके खातों में उसकी अपनी धारिताओं, अन्य प्राहकों के खातों से स्पष्टतया पृथक और अलग रखा गया है और अन्य गतिविधियों से पृथक है। प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के लिए और प्रतिभूतियों के पंजीकरण के निर्देख्ट रीति के अनुसार एक पृथव. अनुरक्षित खाता खोलेगा ।
- (6) प्रतिभृतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अथवा पेंशन योजनाओं के लिए उसकी अनुस्का में धारित प्रतिभृतियों पर सभी अधिकार और हकदारी प्राविकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और समय पर प्राप्त हो ।
- (7) प्रतिभृतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि पंशन योजना खातों में व्यक्तिगत धारित राशि दिन की समाप्ति पर निक्षेपागार धारित राशियों और ग्राहक सहायक सामान्य खाता बही के साथ समाधानकृत हो ।
- (a) प्रतिभृतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन योजना खातों के अन्दर और बाहर की प्रतिभृतियों के अभिलेखों का निर्माण और इस रीति में उनका अनुरक्षण करेगा कि किसी कारण से मूल अभिलेखों के जुप्त होने पर प्रतिभृतियों के अनुरेखण अध्या दस्तावेजों के प्रतिरूप की सुविधा उपलब्ध हो।
- (9) प्रतिमृतियों का अभिष्कक उसकी अभिष्का में घारित प्रतिभृतियों के अभिलेखों का निर्माण और इस रीति में उनका अनुरक्षण करेगा कि किसी कारण से मूल अभिलेखों के जुप्त होने पर प्रतिमृतियों के अनुरेखण अध्यवा दस्तावेज के प्रतिरूप की सुविधा उपलब्ध हो ।

- (10) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अखवा प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी अन्य पेंशन योजना के अंतर्गत उसके द्वारा धारित प्रतिभृतियां पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं ।
- (11) प्रतिभृतियों के अभिरक्षक के पास अभिलेखों और दस्तावेजों में जिनमें प्रतिभृतियों की संपरीक्षा, अधिकार अधवा इस करार के अधीन धारित आस्तियों पर इकदारी शामिल हैं किसी प्रकार के हेरफेर से रक्षा के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण होगा । प्रतिभृतियों के अभिरक्षक के पास ऐसी प्रतिभृतियों (आस्तियों और दस्तावेजों) को चोरी और प्राकृतिक आपदा से बचाव सुनिश्चित करता हुआ पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं ।
- (12) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन खातों में उपलब्ध आस्तियों का निपटान करने का हकदार नहीं होगा अध्यवा पेंशन निधि अध्यवा अन्य प्रकार से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की और से उस पर देय राशियों के अंशतः और पूर्णतः समाधान के लिए उनके साथ समझौता बिना प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की पूर्व लिखित अनुमति के नहीं करेगा।
- (13) प्रतिमूतियों का अभिएक्षक प्रतिभूतियों पर ऋण मार नहीं लगाएगा जिनमें गिरवी रखने, चप्राधीयन अध्यवा किसी प्रकार के प्रमार का निर्माण शामिल है अध्यवा उक्त प्रतिमूति पर उसका दावा नहीं करेगा । प्रतिभूतियों का अभिरक्षक बिना प्राधिकरण अध्यवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की अनुमति के किसी प्रकार से प्रतिभूतियों को परिवर्तित नहीं करेगा ।
- (14) प्रतिमृतियों का अभिरक्षक ऐसी रिपोर्टों और विवरणों को पॅशन निधि अधवा राष्ट्रीय पॅशन प्रणाली न्यास अधवा प्राधिकरण अधवा अन्य मध्यवर्तियों को प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट अधवा समझौते में विनिर्दिष्ट अंतरालों पर तथा ऐसी रीति में प्रेषित करेगा ।
- (15) प्रतिभृतियों का अभिरक्षक खाता बहियों, पुस्तकों, अभिलेखों और दस्तावेजों का समुचित निर्माण करेगा और उसके पास अपने नियंत्रण, प्रणालियों, प्रक्रियाओं तथा रक्षापायों के पुनर्विलेख, निरीक्षण और मुख्यांकन के प्रयोजनार्थ पर्याप्त तंत्र होगा ।
- (16) प्रतिभृतियों का अभिरक्षक आंतरिक संपरीक्षक के द्वारा तिमाड़ी आधार पर लेखा बहियों की संपरीक्षा कराएगा और आस्तियों अध्यवा पेंशन निधियों के कारबार से सम्बंधित उसके निष्कर्ष को प्राधिकरण अध्यवा राष्ट्रीय

- पेंशन प्रणाली न्यास को यथायिनिर्दिष्ट संपरीक्षा की तिथि से तीस दिन के पश्चात जमा कराएगा ।
- (17) प्रतिभूतियों का अभिष्क्षक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रस्ताबित सेवाओं और विभिन्न क्रियाकलामें के लिए किसी भी विनियामक, प्राधिकरण, समाशोधन निकाय, विनियय अधवा निक्षेपागार द्वारा लागू सभी नियमों, विनियमों परिपत्रों अधवा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा ।

वागिरक्षक शुल्क

आस्ति अभिरक्षा के लिए आस्ति सेवा शुल्क इलेक्ट्रानिक और भौतिक भाग के तहत अभिरक्षित आस्तियों का 0.0032% प्रतिवर्ष था ।

आक्रम राष्ट्रीय प्रेयन प्रमाली जास

(क) एनपीएस न्यास की स्थापना केंद्र सरकार के पत्र डीओ नंबर 6(76)/2008-ईसीबी और पीआर दिनांक 24 अप्रैल 2007 के अनुसार की गई थी। पीएफआरडीए न्यास का संस्थापक है और पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस न्यास अनुबंध का निष्पादन 27 फरवरी, 2008 को हुआ था।

लामार्श्वियाँ (अमिदाताओं) के लाभ के लिए एनपीएस के तहत संपत्ति और बन रखने के लिए एनपीएस न्यास की स्थापना और गठन किया गया है। न्यासियों के पास न्यास निधि और न्यास के मामलों का सामान्य अविकाप, निर्देशन और प्रबंधन का कानूनी स्वामित्व होता है और न्यास के तद्देश्य से संबंधित या प्रासंगिक सभी शक्तियां, अधिकार और विवेक पूरी तरह से न्यासियों में निहित होते हैं, फिर भी यह पीएफआरडीए अधिनियम—2013, मारतीय न्यास अधिनियम —1882, एनपीएस न्यास अनुबंध के प्रावधान और आगे ऐसे निर्देशों या दिशानिर्देशों के अधीन है, जो समय—समय पर पीएफआरडीए द्वारा जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, लामकारी हित हमेशा एनपीएस न्यास के लामार्थियों के पास ही रहेगा।

एनपीएस न्यास के संबंध में बजट घोषणाः बिंदु संख्या के श्रा अनुसार बजट भाषण 'पीएफआरडीएआई की नियामक भूमिका'' को मजबूत करने की आवश्यकता है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम में जरूरी संशोधन किए जाएंगे, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस न्यास को पीएफआरडीएआई से अलग करने में मदद मिलेगी। इससे सरकार के अलावा अन्य कर्मचारियों द्वारा पेंशन न्यास की स्थापना भी संभव हो। सकेगी।

तालिका सं. 3.42 : 31 मार्च, 2021 तक के अनुसार एनपीएस न्यास बोर्ड का गठन

क्र.सं	नाम	पद
1	श्री सतानु सेन	अध्यक्ष और न्यासी 30 मार्च 2020 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया
2	श्री दिनेश कुमार मेंहरोत्रा	न्यासी
3	श्री राधाकृष्ण नैयर	न्यासी
4	श्री संजीव वानना	न्यासी
5	श्री सूरजमान	न्यासी
8	श्री संजीव मित्तल	न्यासी
7	श्री सुधीर कुनार शर्मा	न्यासी
8	श्री वाई वेंकटराव	न्यासी
9	सुश्री जयसिंग्हा	न्यासी

श्री शशि कृष्णन को 28 जनवरी 2021 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

31 मार्च, 2021 को एनपीएस न्यास बोर्ड का गठन तालिका में दिया गया है:

(स) एनपीएस न्यास द्वारा एनपीएस निधि का प्रबंधन एनपीएस न्यास के नाम पर धारित अभिदाताओं की एनपीएस निधि का प्रबंधन न्यासी दोर्ड की ओर से सात नियुक्त पेंशन निधियों द्वारा किया जाता है ताकि अभिदाताओं के हित में एनपीएस न्यास के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। एनपीएस न्यास द्वारा त्रैमासिक आधार पर पेंशन निधियों के निष्पादन की समीक्षा की जाती है और अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए उन्हें निर्देश/मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

(ग) एनपीएस न्यास शुक्क/प्रभार

एनपीएस न्यास को नियमित रूप से मध्यस्थ इकाईयों के पर्यवेश्वण और निगरानी के लिए अधिकार दिया गया है और राजस्व की नियमित धारा के साथ एक आत्मनिर्भर इकाई होना इसकी अनिवार्यता है। इसलिए, एनपीएस न्यास द्वारा शुक्क/प्रभार आरोपित करने की समीक्षा की गई है और तदनुसार पीएफआरडीए के बोर्ड ने 01.08.2018 से दैनिक उपार्जन आधार पर प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (एयूएम) के 0.005% प्रति वर्ष, शुक्क/प्रभार को फिर से शुक्क करने का निर्णय लिया है। 2019 के रूप में एनपीएस न्यास को कुछ निश्चित वित्तीय स्वायनता की

आवश्यकता हो सकती हैं, जिससे न्यास को प्रदान की गई सेवाओं के लिए अभिदाताओं से शुल्क/प्रभार लगाने के माध्यम से आय का अलग स्रोत हो सकता है,

एनपीएस न्यास द्वारा आरोपित शुक्क/प्रभार के अधीन होना अभिदाताओं के हित में होगा ।

प्राविकरण द्वारा शुल्क /प्रमार की मात्रा की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

(घ) पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाता (पीजीएसपी) की नियुक्ति
Indialdeas.com.Limited (बिलडेस्क) और
रेजोमरे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेक को एनपीएस न्यास
डारा मुगतान गेटवे सेवा प्रदाता(ऑ) के रूप में नियुक्त
किया गया है. जो एनपीएस न्यास डारा तीन साल की
प्रारंभिक अवधि के लिए बोली प्रक्रिया के बाद 21.10.2020 से
निम्नलिखित शुल्कों के साथ शुरू होगाः

क्र.सं	भुगतान का माध्यम	प्रति लेनदेन भाव दर	शुक्क
to	क्रेडिट कार्ड	संव्यवहार दर का %	0.76%
2.	खेबिट कार्ब	निःशुल्क	लागू नहीं है
3.	इंटरनेट वैकिंग	आईएनआर में एकसमान दर	0
4.	यूपीआई	निःशुल्क	लागू नहीं है

कपर उद्धृत लेनदेन शुल्क में, ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए एनपीएस न्यास (एनपीएस न्यास का पूर्ण अधिकार क्षेत्र) को भुगतान की जाने वाली फीस शामिल है। इस लेनदेन शुल्क में सभी स्थानीय कर, आयकर, बीमा, बैंक शुल्क, भुगतान बैनल शुल्क आदि शामिल हैं, लेकिन जीएसटी को छोड़कर जो कि समयोगकर्ता द्वारा भुगतान/लेनदेन के समय वास्तविक रूप से अतिरिक्त भुगतान के रूप में किया जाएगा। ऊपर के रूप में उद्धृत और वास्तविक जीएसटी को छोड़कर, एनपीएस न्यास के अमिदाताओं/सपयोगकर्ताओं से कोई अन्य शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

दं समयबद्धता से परे धन के इस्तांतरण में देरी के मामले में, पीजीएसपी अभिदाता को होने वाले किसी भी नुकसान, जो कि एनएवी आधारित निवेश में देरी के कारण (वास्तविक निवेश और निवेश के अनुमानित दिन से देरी के प्रत्येक दिन के लिए निवेश की गई राशि पर केंक दर से न्युनतम मुआवजे के साथ 2% प्रति वर्ष की

राशि के अधीन समयसीमा के अनुसार निवेश दिवस के बीच एनएवी में भिन्नता के आधार पर सीआरए द्वारा की गई गणना के अनुसार) हुआ है कि भरमाई करेगा। अभिदाता के हित में, किसी भी सकारात्मक उतार—चढ़ाव के कारण हुई निवेश संबंधी देरी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

समवसीमा : सफल लेनदेन से एकत्र किए गए शुल्क को पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाता द्वारा जमा किया जाएगा और एनपीएस न्यास को भुगतान के टी1 दिन को सुबह 10.30 बजे तक (टी—लेनदेन का दिन होने के नाते) पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त न्यासी बैंक में बनाए गए एनपीएस न्यास के नामित संग्रह खाते में अमिदाता द्वारा भुगतान किए जाने पर, समाधान और एकत्रीकरण के बाद धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

2144 विवासिकाच कलाइन्डल

एनपीएस की सलाह प्रदान करने की गतिविधि में संलग्न होने के लिए पीएफआरडीए द्वारा सेवानिवृत्ति सलाहकार (रों) की नियुक्ति की जाती है, जिससे एनपीएस की पहुंच का विस्तार किया जा सके। आरएएस एक व्यक्तिगत. पंजीकृत साझेदारी निकाय, कॉर्पोरेट निकाय या कोई पंजीकृत न्यास या समाज हो सकता है। आरए के रूप में एक व्यक्ति/संस्था के पंजीकरण की सुविधा के लिए सीआरए प्रणाली में ऑनलाइन मंच विकसित और जारी किया गया है।

सेवानिवृत्ति सलाहकार खपमोक्ताओं को निवेश और भुगतान विकल्पों की बेहतर समझ रखने के लिए मार्गदर्शन और मदद करने में महत्वपूर्ण मुमिका निमा रहे हैं। रिटर्न में विभिन्न विकल्पों की कमी को समझने से होने वाले नुकसान के जोखिमों को कम करने के लिए, सेवानिवृत्त आबादी के हितों की रक्षा और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और संगठित और असंगठित श्रमिकों की भारतीय प्रणाली की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीएफआरडीए ने नेशनल इंस्टीटबूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स (एनआईएसएम) को रिटायरमेंट एकवाइजर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के प्रमाणन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान के रूप में मान्यता दी है।

सेवानिवृत्ति सलाहाकार की पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया, शुक्क आदि के लिए एक ढांचा प्रदान करने और पेंशन क्षेत्र के क्रामिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्ति सलाहाकार के कार्य और जिम्मेदारी के दायरे को परिभाषित करने के उद्देश्य से पीएफआरडीए द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहाकार) विनियम, 2016 को अधिसूचित किया गया था।

5.14.10 प्राणिकरण द्वारा मैंजन के डीज में किए गए जन्म जन्म

i) साइवर सुरक्षा का क्रियान्ययनः

पीएफआरडीए ने सूचना, प्रणाली एवं तकनीक और साइबर सुरक्षा पर मई 2019 में एक स्थायी समिति का गठन किया है । पीएफआरडीए की अपनी मध्यस्थ इकाईयों के लिए मौजूदा साइबर सुरक्षा नीति द्वारा समिति को निर्देशित किया गया था और अपनी नीति तैयार करने की सलाइ दी जाती है। पीएफआरडीए ने सूचना, प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा (आईएसटी एंड सीएस) पर एक स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है और तीव तकनीकी परिवर्तनों और साइबर जोखिम, अमिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए क्तिय क्षेत्र पर इसके प्रमावों पर दृष्टि रखने हेतु इसका नाम "पेंशन फिनटेक इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर सिक्योरिटी" रखा।

रधायी समिति, सूचना प्रणाली, प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा मुद्दों, प्रंबधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के विकास, वित्तीय प्रौद्योगिकियों के नए अवसरों और चुनौतियों, नियामक प्रौद्योगिकियों, पीएफआरडीए और एनपीएस संरचना के तहत मध्यस्य इकाईयों की साइबर सुरक्षा/प्रणाली / सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं को सुदृद्ध बनाने पर सलाह देगी।

पीएफआरडीए के भीतर सभी आईटी और साइवर मुद्दों का प्रबंधन करने के लिए और साइवर सुरक्षा से संबंधित मामलों पर सीईआरटी—इन, एनसीआईआईपीसी जैसी विचौलियों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) है।

पीएफआरडीए ने सूचना और साइबर सुरक्षा के लिए दो नए विमाग अर्थातृ सूचना एवं साइबर सुरक्षा— आंतरिक और सूचना एवं साइबर सुरक्षा— बाहरी भी बनाए हैं. ताकि आंतरिक और बाहरी साइबर सुरक्षा नीतियों, एनपीएस संरचना के मुद्दों सहित सभी सूचना और साइबर सुरक्षा मानलों का प्रबंधन किया जा सके ।

तकनीकी उपाय जैसे उमरती तकनीकों, डाटा एनालिटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई/एमएल, चैटबोट्स, फ्रॉड एनालिटिक्स इत्यादि का प्रयोग, सीआरए समाधान प्रदाता के चयन के लिए तकनीकी मूल्यांकन और तकनीकी प्रस्तुति मूल्यांकन किया जाना ।

सूचना साइवर सुरक्षा अनुपालन का निरीक्षण और समीका

की गई ताकि मध्यस्य इकाईयों की साइबर सुरक्षा नीति का अनुपालन और तिमाही अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके । इसने एनपीएस प्रणाली के प्रदर्शन और सुरक्षा प्रणाली में सुधार किया है।

पीएफआरडीए द्वारा विनियमित एनपीएस प्रणाली में नेशनल क्रिटीकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्वर के रूप में सीआरए की पहचान और मूल्यांकन ।

पीएफआरडीए की ओर से मुख्य सूचना भुरता अधिकारी (सीसो) ने पेंशन क्षेत्र के लिए सूचना और साइवर सुरक्षा पर आईओपीएस तकनीकी समिति और सदस्य देश में एक प्रस्तुति पेश की है।

साइबर/बाईटी लेखापरीक्षा : सीसो ने साइबर खतरों के विरुद्ध एनपीएस की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी मध्यस्थ इकाईयों के लिए साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की है।

सीआरए के डिजास्टर रिकवरी ब्रिल ने पीएफआरडीए के आवधिक निदेशों के आधार पर सीआरए प्रणाली की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि की है।

पीएफआएडीए ने इंटर मिनिस्टिरियल स्टीरिंग कमेटी (आईएमएससी) जैसी विमिन्न साइबर सुरक्षा संबंधी समितियों में माग लिया, जो उभरती प्रौद्योगिकियों में वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने हेतु तकनीकी उमाय प्रदान करती हैं जैसे ब्लॉक चेन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फिनटेक, सुपरटेक, रेगटेक आदि ।

वित्तीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा में सुवार के लिए 13 साइबर सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों के साध पांच साल की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति—2020 पर प्रस्तुति दी गई है। इसे क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

ii) विनियामक तंत्र के माध्वम से फिनटेक

वित्तीय क्षेत्र में तकनीकी विकास और नवाचार द्वारा आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं । विनियामक तंत्र पद्धित का चपयोग पेंशन क्षेत्र के लिए सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में वित्तीय तकनीक (फिनटेक) के प्रचार और विकास के लिए अनुगामी तकनीक और समाधानों पर प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है। तवनुसार, पीएफआरडीए ने आरईबीआईटी, पीएफआरडीए, एनपीसीआई और एनएसडीएल से प्रतिनिधियों को लेकर एक समूह का गठन किया है जो विनियामक तंत्र के माध्यम से वित्तीय तकनीकों (फिनटेक) का उपयोग कर सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। यह मामला विकासाधीन है।

भाग र

पैरान कलाइकर समिति को वार्यप्रणासी

पीएफआरडीए अधिनयम की धारा 45 पेंशन सलाहकार समिति के गठन की वर्षा करती है, जिसमें कर्मचारियों, संघों, अभिदाताओं तथा वाणिज्य तथा सदयोग, मध्यस्थ इकाईयों तथा पेंशन अनुसंधान में संलग्न संगठन से अन्यावेदन प्राप्त होते हैं, जो प्राधिकरण को विनियम बनाने से संबंधी मामलों या सससे संबंधित मामलों पर सलाह दें। संदर्भित वर्ष के दौरान, पेंशन सलाहाकार समिति का राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 16 सितंबर 2021 (अनुलग्नक— 1) के माध्यम से पुनर्गठन किया गया था और दिनांक 29 दिसंबर, 2020 और 26 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में पेंशन सलाहाकार समिति की 14वीं तथा 16वीं बैठक आयोजित की गई।

दिनांक 29 दिसंबर, 2020 को आयोजित पेंशन सलाहाकार (पीएसी) की 14वीं बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

- 13वीं पेंशन सलाहाकार समिति (पीएसी) बैठक के कार्यवृत्त ।
- 13वीं पीएसी बैठक के कार्यक्तों पर एटीआर ।
- विनियामक तंत्र के लिए विनियम ।
- पीएफआरखीए (लपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 में प्रस्तावित संशोधन, एनपीएस से निकास पर वैकल्पिक मुगतान विधियों के लिए प्रस्ताव ।
- एनपीएस में वितरण बैनलों में वृद्धि के लिए प्रस्ताव ।
- पीएफआरडीए अधिनियम के तहत न्यूनतम आश्वासित रिटर्न योजना (मार्स) की परिकल्पना ।
- ई—एनपीएस अभिदाताओं द्वारा स्व—प्रमाणन के माध्यम से निकास ।
- पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस/एपीवाई की पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए गए उपाय ।

26 मार्च 2021 को आयोजित की गई पीएसी की 16वीं बैठक में निम्नलिखित एजेंडा मुद्दों पर चर्चा की गई :

- 14वीं पीएसी बैठक के कार्यकृत ।
- 14वीं पीएसी बैठक के कार्यवृत्त पर एटीआर ।
- बिना वार्षिकीकरण के (पूर्ण एकमुक्त राशि)
 निकास की अनुमति प्रदान करने के लिए सीमाओं

- के ऊपरी संशोधनों की संभावना की जांच करने हेतु प्रस्ताव ।
- पीएफआरडीए अधिनियम के तहत न्यूनतम आश्वासित रिटर्न योजना (मार्स) की परिकल्पना ।
- एनपीएस में शामिल होने की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना और निकास आयु 70 वर्ष से बढ़ाकर 76 वर्ष करना ।

💵 विनिधन निर्मित या बंशाबित

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विनियामक विकास से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :

- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अविसूचित नए विनियम : शुन्य
- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान संशोधित विनियम अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के दौरान निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए :

वाविका संख्या, का विनिवर्गी में शंशोधन

क्र.सं	संशोधन	राजपत्रित अधिसूचना की विधि
j).	पेंशन निषि विनियामक और विकास प्राधिकरण (निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2020	29.09.2020
2	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020	29.07.2020
3.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राप्तिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (दूसरा संजोधन) विनियम, 2020	29.07.2020
*	पीएफआरडीए (पेंशन निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020	14.05.2020

4.2 विभवता शिक्षा तथा सुरक्षा निधि के 4.4 पी समयोगीकरण पर समिति का गठन सा

पीएफआरडीए (अभिदाता शिक्षा तथा सुरक्षा निधि) विनियम 2016 की घारा 8 के अनुसार अभिदाता शिक्षा, जागरकता एवं सुरक्षा गतिविधियों तथा निधियों के उपयोग पर सलाह देने के लिए 25 मार्च 2018 को एक समिति पुनर्गठित की । यह समिति अभिदाताओं की शिक्षा, जागरकता और सुरक्षा के लिए धनराशि के प्रयोग की सिफारिश करेगी ।

यह समिति विभिन्न संस्थानों, संघों और संगठनों, जो अभिदा. ता जागरूकता, शिक्षा और सुरक्षा आदि मामलों से संबंधित क्रियाकलापों में संलग्न हैं, के साथ परियोजनाओं और विकास कदमों की अनुशंसा करेगी ।

4.4 पीएफवारडीए में सूचना तकनीक जीव साइवर चुटका पर स्थायी संगिति

पीएफआरडीए ने सूबना, प्रणाली एवं तकनीक और साइबर सुरक्षा पर अगरत 2018 में तीव तकनीकी परिवर्तन और अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वित्तीय क्षेत्र पर उसके प्रभाव पर दृष्टि बनाए रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का कार्यक्षेत्र सूचना प्रणाली, तकनीक और साइबर सुरक्षा मुद्दों पर सलाह देना, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), पर्यक्षी और विनियामक मंत्रों, वित्तीय तकनीकों के नए अवसरों और चुनौतियों को विकसित करना, पीएफआरडीए की साइबर सुरक्षा /प्रणाली / सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा और एनपीएस संरचना के तहत मध्यस्थ इकाई की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना है।

माग V

पंतर लिखि विनियासक और किञ्चल क प्राणिकाल से संबद्धशासक मुद्दे

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 4 प्राधिकरण के गठन को दर्शाता है, जिसमें पीएफआरडीए अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य तथा 3 अंशकालिक सदस्य, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, सम्मिलित है। 31.03.2021 तक के अनुसार, प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार है:

(i) अञ्चल

श्री सुप्रतिम बंदोपाध्याय प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं । वह पीएफआरडीए में अध्यक्ष के रूप में 21 फरवरी 2020 को शामिल हुए । इससे पूर्व, वह 12 मार्च 2018 से 16 जनवरी 2020 तक पीएफआरडीए में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यरत थे। पीएफआरडीए में नियुक्ति से पूर्व, उन्होंने 1985 में एलआईसी में नियुक्ति के लगभग 35 वर्ष बीमा उद्योग में गुजारे।

(11) पूर्णकालिक सदस्य

- श्री प्रमोद कुमार सिंह, पूर्णकालिक सदस्य (विधि) 03 मार्च 2020 से आज तक
- हॉ. दीपक मोहंती, पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) 01 सितंबर 2020 आज तक
- बॉ. मनोज आनंद, पूर्णकालिक सदस्य (कित) 01 अक्तूवर 2020 से आज तक

(३३) अंशकालिक सदस्य

- सुक्री एनी जॉर्ज मैध्यू (आईए और एस 1988), अपर सबिव (निजी), व्यय विभाग, 12 दिसंबर 2014 से आज तक
- सुश्री सुजाता चतुर्वेदी (आईएएस 1989), अपर सचिव (स्थापना विभाग प्रमुख), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (बीओपीटी) 16 जनवरी 2020 से आज तक
- श्री मदनेश कुमार मिश्रा (आईआरएस 1990), संयुक्त सिव, वित्तीय सेवाएं विमाग, वित्त मंत्रालय, 03 नवंबर 2017 से आज तक प्राधिकरण की बैठकें वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्राधिकरण की 9 बैठकें आयोजित की गई।

तालिका सं. ठ.1 : वित्त वर्ष 2020—21 के दौरान प्राधिकरण की बैठकें

प्राचित्रमण की देवके

प्राधिकरण की बैठकें	आवोजित की गई
86वीं प्राधिकरणीय बैठक	10.08.2020 (बुबवाए)
87वीं प्राधिकरणीय बैठक	परिवालन द्वारा – 13.07.2020 (सोमवार)
88वीं प्राधिकरणीय बैठक	27.08.2020 (वीरवार)
89वीं प्राधिकरणीय बैठक	परिवालन द्वारा – 28.09.2020 (सोमवार)
90वीं प्राधिकरणीय बैठक	27.11.2020 (शुक्रवार)
91वीं प्राधिकरणीय बैठक	परिवालन द्वारा – 02.12.2020 (बुधवार)
82वाँ प्राधिकरणीय बैठक	परिवालन द्वारा – 17.12.2020 (वीरवार)
93वीं प्राधिकरणीय बैठक	परिवालन द्वारा – 25.01.2021 (सोमवार)
84वीं प्राधिकरणीय बैठक	02.03.2021 (मंगलवार)

5.3 पीएफआरडीए में डर्मचारी संख्या

31 मार्च, 2021 तक पीएफआरडीए की कर्मचारियों की संख्या साठ (60) हैं, जिनमें से अट्ठावन (58) अधिकारी संवर्ग में हैं, एक (01) कनिष्ठ सहायक और (01) एक स्टाफ कार ड्राईवर है । साठ अधिकारियों (60) में से 7 अधिकारी वर्तमान में एनपीएस न्यास में नियुक्त हैं और तब तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), एनपीएस न्यास को रिपोर्ट करते हैं, जब तक कि वहां नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो जाती ।

5.4 पीएकशास्तीप में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ग्रकोक और ओनीसी प्रकोक की एकावना

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडक्ट्यूडी कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकारी निर्देशों को लागू करने के लिए पीएफआरडीए में एक प्रकोच्छ स्थापित किया गया है एक महाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडक्ट्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है । इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए में अन्य पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए एक अलग प्रकोच्ड स्थापित किया गया है। एक उम महाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। दोनों प्रकोच्छों के सदस्य अपने सम्बंधित संपर्क अधिकारी से उनके कल्याणकारी उमायों पर चर्चा करने के लिए तिमाही आधार पर बैठक करेंगे।

कर्णस्थत ने जीत क्लीबर की रोक्याम के लिए समिति

कार्यस्थल पर ग्रीन उत्पीइन की रोकथाम के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के ग्रीन उत्पीइन (रोकथाम, निवेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार शिकायतें, पूछताछ आदि प्राप्त करने के लिए एक समिति को स्थापित किया गया है और तिमाही आधार पर इसकी बैठक होगी।

दश कर्नचारी कत्यान सीमिट

पीएफआरडीए में कर्मचारियों के कल्याण की विभिन्न गतिविधियों की पहचान और आयोजन करने के लिए एक कर्मचारी कल्याण समिति गठित की गई है । समिति सभी कर्मचारियों के बीच और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के उपायों को विकसित करने में मदद करेगी। एक महाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

ग्रिप्पनाप्तीए में कर्मनारियों का प्रतिका।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, पीएफआरबीए द्वारा अधिकारियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं के लिए नामित किया गया, जैसे :

- निवेश प्रबंधक कार्यक्रम के लिए जोखिम प्रबंधन,
- 2. जददेश्य के साथ नेतृत्व
- निवेश और निधि प्रसंधन कार्यक्रम
- नेतृत्व चत्कृष्टता : एक वैकल्पिक पद्मित
- वित्तीय विवरण विश्लेवण
- B. कोपरिट वित्तीय रिपॉटिंग
- निवेश और पोर्टफोलियो प्रबंधन पर ऑनलाइन कार्यक्रम
- डिजिटल युग में प्रमुख नदीनीकरण
- B. दिवालियापन और दिवालियापन संहित
- 10 ऋण जोखिम मुल्यांकन के लिए
- 11 प्रतिभूतिकरण सिद्धांत और प्रतिभूतिकरण जारीकरण मुल्यांकन के लिए क्रिसिल रूपरेखा
- 12 साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 13 घरेलू जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर ऑनलाइन कार्यक्रम

- 14 नेतृत्व द्वारा संगठनात्मक उत्कृष्टता
- 15 दिजिटल परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इटेलीजेंस
- 16 बांड डीलिंग्स पर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रौग्राम (केंद्रबिंदु: ट्रेडिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट)
- 17 महामारी के समय फिक्सड इनकम मार्किट ट्रेंडस और रिस्क मैनेजमेंट - वर्चुअल (वास्तविक) प्रशिक्षण
- 18 क्रेडिट रेटिंग्स—प्रकटीकरण— किस प्रकार इसका पूर्ण प्रयोग किया जाए ।
- सहायक प्रबंधकों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण, हिंदी प्रशिक्षण पर कार्यक्रम ।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 46 कर्मचारियों को उपरोक्त वर्णित विवयों पर प्रशिक्षण प्राप्त झुआ।

ताजमाना विदी का प्रशाप

राजमामा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा विभाग, पीएफआरडीए के सभी आधिकारिक संचार में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2020—21 के दौरान राजभाषा विभाग की विभिन्न आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए । इनका सारांश नीचे दिया गया है:

- पीएफआरडीए में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, मारत परकार की राजभाषा नीति और नियमों का कार्यान्वयन तथा निगरानी और समय—समय पर राजभाषा के संबंध में जारी राष्ट्रपति के आदेशों, सामान्य आदेशों, कार्यकारी निर्देशों/निदेशों को परिचालित करना।
- नियमित रूप से त्रैमासिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें आयोजित करना और कार्यालय टिप्पणियों और पत्राचार में हिंदी के अधिक प्रयोग को करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करना ।
- अधिकारियों के पत्राचार, विनियम, परिपत्र अधिकारी आदेश आदि का अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद कार्य करना ।
- हिंदी नामा में कुशल बाह्य प्रशिक्षक से राजमामा संबंधी विषयों पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन ।
- हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस का आयोजन ।
- संसद की राजमाथा समिति और राजमाथा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजमाथा निरीक्षण आयोजित करने के लिए समन्वय और समर्थन ।
- हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग के लिए कर्मचारियों का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ।

- कार्यालय में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस पर हिंदी निक्ब प्रतियोगिता का आयोजन ।
- राजमाथा विभाग की वेबसाइट में राजमाथा कार्य पर निरोक्षण रिपोर्ट और तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
- 10. राजभाषा गतिविधियों के लिए कर्मचारियों को उनकी दक्षता के अनुसार हिंदी भाषा के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण के आयोजन सहित आयोजन/मार्गदर्शन ।
- पीएफआएडीए "पेंशन बुलेटिन" में हिंदी लेख का प्रकाशन ।
- 12. राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में यथा चिल्लिखत लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए स्टॉफ को सूचित करना ।

2020-21 के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नियम, अधिसूचनाएं, सार्वजनिक सूचना पंजीकरण प्रमाणपत्र, विज्ञापन, परामर्श अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में जारी किए गए ।

2 हिंदी वेजसाबट

मारत सरकार के राजमाधा विमाग की राजमाधा नीति को लागू करने की दिशा में पीएफआरडीए अपनी हिंदी वेबसाइट संशोधित करने की प्रक्रिया में है और सार्वजनिक सूचना, परिपन्न, विनियम आदि जैसी जानकारी को हिंदी में डालने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

८ राज्यमध्य बैतर्डे

वर्ष के दौरान, राजमाना कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गई ताकि राजभामा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की राजभामा नीति के अनुपालन को सुनिरिचत किया जा सके । 2020—21 के दौरान मारत सरकार की राजभामा नीति के कार्यान्वयन के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए ।

हिंदी विवस सवारोड

2020—21 के दौरान, एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गया, जिसका चद्देश्य कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्य में हिंदी के प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था। समारोह के दौरान, प्रशंसा के रूप में, सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए। राजभाषा हिंदी के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इस समारोह में, अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य (ढब्लयूटीएम), कार्यकारी निदेशक (ईडी) भी उपस्थित थे, उन्होंने प्रतिस्पर्धा के विजेताओं और प्रतिमागियों को प्रोत्साहित किया।

विकारियों के लिए प्रशिक्षण

हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए और उसे भारत सरकार की

राजमामा नीति से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं के विषय में जागरूक करने हेतु कर्मचारियों के लिए हिंदी में उनकी दक्षता के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि वह दैनिक कार्यालयी कार्यों में हिंदी का प्रयोग कर सकें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय से नीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर सकें।

) विदी कार्रशासाएं

वर्ष के दौरान, पीएफआरडीए के सभी अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई ताकि उन्हें हिंदी के सामान्य प्रयोग और नियमों के विषय में सूचित किया जा सके, जिससे हिंदी में पत्राचार कर सकें। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को कार्यशाला के लिए बुलाया गया।

राजभावा विभाग, गृह पंतालय द्वापा व्यादोकित निरीक्षण

- राजमाथा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा एक निरीक्षण आयोजित किया गया । निरीक्षण अधिकारी द्वारा निम्न. लिखित बिंदुओं का सुझाव दिया गया, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- प्राधिकरण में एक समर्पित हिंदी अधिकारी की नियुक्ति की जाए ।
- कोड, मैनुअल, नामपट्ट, साइन बोर्ड, सील, लोगो, लिफाफों पर प्रिटिंग, रबर स्टैम्प, स्टेशनरी, विज्ञापन आदि द्विभाषी बनाए जाएं।
- प्राधिकरण द्वारा सभी कार्यालय आदेश हिंदी और अंग्रेज़ी में छपवाए जाएं ।
- क क्षेत्र और ख क्षेत्र में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं।
- प्राधिकरण राजभाषा विमाग, गृह मंत्रालय के साथ पंजीकृत होने की प्रक्रिया में है।
- सभी अधिकारियों के लिए हिंदी भाषा प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए।

गाप्रक्वारकीय का प्रतीक चिन्ह (तोगी)

राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएस) के प्रतीक चिन्ह (लोगो) को द्विभाषी बनाया गया है।

h.b शूचना का बॉलकार

पीएफआरडीए में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए एक समर्पित प्रकोध्ठ है। यह प्रकोध्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त किए जाने वाले आवेदनों को संसाधित करता है और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के अधीन कार्य करता है । जैसा कि आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यक है, पीएफआरडीए ने एक अपीलीय प्राधिकारी (एए) को नामित किया है जिसके पास सीपीआईओ के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है ।

आश्टीआई अधिनियम के अनुसार, कोई भी नागरिक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, छत्रपति शिवाजी भवन, बी—14/ए, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली 110018 को पर्याप्त शुल्क के साथ लिखित में उचित आवेदन करते हुए सूचना की मांग कर सकता है और www.pfrda.org.in पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल पर आरटीआई आवेदन, 2005 के तहत आरटीआई दर्ज कर सकता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 742 आरटीआई आवे. दन और 40 अपील प्राप्त हुई जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अंशदान के साथ-साथ, व्यक्तिगत खाता खोलने, स्थानान्तरण, एनपीएस के तहत प्रत्याहरण और निकास, एपीवाई योजना आदि के सम्बन्ध में थी । सभी आवेदन और अपील आरटीआई आवेदन, 2005 के तहत निर्धारित समयसीमा के मीतर उत्तर दिया गया / निपटाया गया । आएटीआई अधिनियम, की घारा 4 सभी प्राधिकरणों को अपनी वेबसाइट पर अपनी ओर से प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य करती है । पीएफआरडीए ने भी अपनी वेबसाइट पर अपनी ओर से सूचना प्रक. टीकृत की है । प्रकटीकरण का केंद्रबिंद् पीएफआरडीए की व्यावहारिकता और कार्य पद्धति के स्तर में पारदर्शिता को बढ़ाना है । इस सम्बन्ध में, पीएफआरडीए के विभिन्न कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों एवं उसके अधिकारियों आदि के सम्बन्ध में सूचना पीएफआरडीए की वेबसाइट पर दी गई है । इसके अलावा, पीएफआरडीए अधिनियम, उनके तहत बनाए गए नियम और विनियम, परिपत्र और जारी की गई नियमावली भी वेबसाइट पर सपलब्ध है ।

E 10 प्रशास धरन

वित्त वर्ष 2020-21 के वौरान, पीएफआरडीए को 35 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए जो भारत सरकार द्वारा, विशेष रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा भेजे गए थे, जिनमें एनपीएस और एपीवाई पर वृद्धावस्था आय सुरक्षा से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न शामिल हैं । पीएफआरडीए ने उत्तर/उत्तरों के लिए सूचना और सामग्री नियतकालिक समय में प्रस्तुत की जिससे संसद के प्रश्नों के उत्तर दिए जा सके ।

6.11 क्या जन्म गांताचायाँ

यूटीआई एएमसी—पीओपी द्वारा पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और पीएफआरडीए (वपरिश्वति अस्तित्व) विनियम के वल्लंघन को प्रवर्तन और न्यायनिर्णयन विमाग द्वारा जालसाजी निकासी मामलों के तहत रिपोर्ट किया गया है। प्रवर्तन और न्यायनिर्णयन विमाग द्वारा जांच, न्यायनिर्णयन और दंडात्मक कार्रवाई के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया।

s.14 गीएमबारकीए का लेखा

वित्तीय वर्ष (वि.व) 2020-21 के दौरान, पीएफआरखीए ने अपने सभी प्रशासनिक और स्थापना खर्चों को अपने उपलब्ध संसाधनों से पूर्ण किया है।

पीएफआरडीए को भारत सरकार से केवल अटल पेंशन योजना के लिए अनुदान मिला। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की घोषणा वित्त वर्ष 2015—16 के बजट भाषण में की गई थी। यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों पर केंद्रित होने के साथ 18—40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए है। 18—40 वर्ष की आयु के बीच एनपीएस—लाइट/स्वावलंबन के तहत सभी अभिदाताम अटल पेंशन योजना में स्थानांतरित होने के पात्र हैं। कित वर्ष 2020—21 के दौरान पीएफआ. रडीए को एपीवाई के तहत सरकार के सह—योगदान, सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन और अन्य प्रचार गतिविधियों के लिए रुपये 273.00 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ।

प्राधिकरण के खातों का वार्षिक विवरण जिसमें 31.03.2021 तक का तुलन पत्र, आय और व्यय खाता और 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के लिए रसीद और भुगतान खाता अनुसूची के साथ शामिल है, को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (खातों और अमिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2016 के अनुसार अंतिम रूप दिया गया है। इन खातों को बोर्ड द्वारा 30.06.2021 को आयोजित अपनी 97वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था। पीएफआरखीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, मारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा इसकी लेखापरीक्षा की गई है।

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राधिकरण के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और प्राधिकरण की टिप्पणियां अनुसूचियों के साथ प्राधिकरण के खातों के प्रमाणित वार्षिक विवरण के साथ संलग्न हैं, और अनुलग्नक III पर रखी गई हैं।

भाग VI अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकृत प्रभाव डालने वाले क्षेत्र

असिदाताओं के दियों पर प्रतिकृत प्रमाद कालने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र

एक चलिए विनियम की बनुपरिवास यो नोडल अधिकारियों शेविस हैं

एक चित विनियम की अनुपस्थित सरकारी नोडल अधिकारियों को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के अनुसार मध्यस्थ इकाई के रूप में माने जाने से अलग करती है और इसलिए वह पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 28 के दंड प्रावधान के दायरे से बाहर रहते हैं। इसके अतिरिक्त, यह उल्लिखित है कि पेंशन और पेंशनमोगी कल्पाण मंत्रालय द्वारा अधिसूचना दिनांक 30.03.2021 द्वारा यथाअधिसूचित सीसीएस नियम (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) 2021. सीजी क्षेत्र के तहत एनपीएस के कार्यान्वयन के लिए सामान्य शतें निर्धारित करती है। उक्त नियम, अन्य बातों के साध-साथ विभिन्न एनपीएस गतिविधियों से संबंधित समयसीमा का पालन का आदेश देते हैं और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि देरी के मामले में जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।

 एपीवाई के तहत पीओपी के लिए जारी किए जाने वाले टीएटी वर्णित परिचालन दिशानिर्देश, उपस्थिति अस्तित्व द्वारा एपीवाई अभिदाताओं को समय से सेवाएं सुनिश्चित करते हैं।

8.2 एपीवाई में शामित होने के लिए 40 साल की आयु सीमा

एनपीएस लाइट/स्वावलंबन जो असंगठित क्षेत्र के अमिकों के लिए शुक्त की गई थी, अप्रैल 2015 से निष्क्रिय कर दी गई । एनपीएस लाइट/स्वावलंबन योजना के स्थान में एपीवाई को शुक्त किया गया है, जो अंतर्निहित अभिदाताओं के लिए गारंटी लाभ प्रदान करती है । एनपीएस लाइट योजना के अभिदाताओं को एपीवाई में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया गया है । हालांकि, एपीवाई योजना 40 साल तक की जम्र के अभिदाताओं को शामिल होने की अनुमति देती है । तदनुसार, संभावी अभिदाता जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है और जो वर्तमान में कार्यरत हैं, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए असक्षम है । अतः, इन लोगों को योजना उपलब्ध कराने के लिए पात्रता आयु को 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष तक किया जा सकता है ।

कैंपानिक दायित्व, जिनका प्राधिकरण ने पालन नहीं किया है

इ.३.१ न्यूनतम आस्वासित रिटर्न बीचना (याची)

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 20 (2) (क) (इ) के तहत. कम से कम आश्वासित रिटर्न मांगने वाले अभिदाता के पास ऐसी निधियों में निवेश करने का विकल्प होगा, जो न्यूनतम आश्यासित रिटर्न प्रदान करती हैं, जैसा भी प्राधिकरण द्वारा अधिसुचित किया जाए । हालाँकि, धारा 20 (2)(ह) अभिदाताओं द्वारा बाजार से खरीदे जाने वाले बाजार-आधारित गारंटी तंत्र को छोडकर लाणों का कोई अव्यक्त या सुव्यक्त आश्वासन नहीं होगा। पेंशन निधियों और अन्य हिस्सेधारकों के परामर्श से, पेश किए जाने वाले आश्यासित रिटर्न की मात्रा (पंजी संरक्षण या बाजार आधारित रिटर्न), गारंटी प्रदाता और उनकी ऋण शोधन क्षमता आवश्यकताएं, गारंटी शुल्क, लॉकड्न अवधि आदि चुनौतियों का सामना करते हुए एक संगत मार्स योजना के निर्माण का प्रयास करते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत न्यूनतम आश्यासित रिटर्न योजना के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए एक अनुरोध प्रस्ताव दिनांक 08 अगस्त 2021 को दिया गया है। यह मामला अभी भी विकासाधीन है ।

6.4 देतन के 10% से आविक नियोक्ता श्रीशदान पर करावान

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना फा.सं. 1/3/2016-PR दिनांक 31 जनवरी 2019 के माध्यम से एनपीएस के लिए नियोक्ता अंशदान को दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए कर्मचारी अंशदान पर कर छूट प्रदान करने के लिए धारा 80 सीसीढ़ी (2) को तदनुसार वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2018 (2018 का 23) द्वारा संशोधित किया गया है।

डालांकिए संशोधित प्रावधान केवल केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के 14% एनपीएस अंशदान की छूट प्रदान करता है । अन्य किसी भी नियोक्ता के लिए 4% का बढ़ा हुआ अंशदान संबंधित कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा ।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी के एनपीएस खाते के लिए नियो. क्ता द्वारा किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम की षारा 36(1)(1va) के तहत व्यवसायिक व्यय के रूप में अनुमति प्रदान की गई है। क्योंकि मौजूदा स्वीकार्य कटौती सीमा कर्मचारी के वेतन (बेसिक डीए) का 10% है, नियोक्ता अपने अंशदान को 14% तक बढ़ाने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं।

इ. इत्योग्य परितक्तियों की गणना के लिए नियोक्ता अंधवान पर सीमा

एनपीएस में नियोक्ता अंशदान कर्मचारियों के लिए बिना किसी मौद्रिक सीमा के करमुक्त होगा। 1 अप्रैल 2020 से, किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि, अनुमोदित अधिवर्षिता निधि और एनपीएस में रू. 7.5 लाख की सीमा से अधिक किया गया कुल नियोक्ता अंशदान को आयकर अधिनियम (यथा संशोधित-वित्त वर्ष 2020 को देखें) की धारा 17(2) (vii) संबंधित कर्मचारी के करयोग्य परिलक्षि के इत्य में माना जाएगा।

इसके अलावा, अतिरिक्त अंशदान पर वार्षिक वृद्धि को भी आयकर अधिनियम की घारा 17(2)(viia) के अनुसार कर योग्य परिलब्धि के रूप में माना जाएगा। एनपीएस एक बाज़ार से जुड़ी पेंशन योजना है. इसलिए एनपीएस खाते में दर्शाया गया लाम/हानि वास्तविक होने तक काल्पनिक है और इसे नहीं माना जा सकता ।

6.6 भाषा आसी के कर लाग में साथ दिवर- 11 कर बच्छ बोचना खेरल मेंद्र भएकार कर्मधारियों के लिए

सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली टियर—II कर बचत योजना, 2020 को अधिसूचित किया है, जो कि केवल केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत किए गए अंशदान 3 वर्ष की लॉकइन अवधि के साथ कर छूट (आयकर अधिनियम की घारा 80 सी के तहत) के लिए योग्य हैं। यह लाभ केंद्र सरकार कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य एनपीएस अभिवाता के लिए उपलब्ध नहीं है।

6.7 टियर- II निवेश लागों पर कराजान

एनपीएस टियर II खाते के तहत निवेश प्राक्त्म/आसित आवंटन टियर— I न खाते के समान है और अंशदानों को इिक्टिटी, कोर्पोरेट बांडस और सरकारी प्रतिभृतियों में निवेश किया जाता है। टियर— II खाते के लिए कोई विशिष्ट कर उपचार निर्वारित नहीं है और निकास पर होने वाले लाम, उस समय लागू सीमांत दशें के अधीन है, इस प्रकार यह टियर— II को कम प्रमावी बनाता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना टियर—II कर बचत योजना, 2020 निवेश से होने वाला लाम भी अभिदाताओं के लिए लागू दशें पर करयोग्य हैं।

भाग था।

अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रहाा के लिए प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य उपाय ।

- 7.1 विश्वतं अनुकाद व दक्षितिहर कदर्यां से असागा, प्रतिकरण द्वारा अभिदासकों के दियों की क्या के सिंह की नई कुछ करूप पहले निमानुसार हैं।
- पीएफआरडीए द्वारा अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न नई पहल की गई, परिपत्रों के रूप में दिशानिर्देश जारी किए गए। साथ ही, हितधारकों से प्राप्त आवश्यकताओं और प्रतिपुष्टि के आधार पर विनियमों में आवश्यक संशोधन किए गए।
- खातों की सुचास रूप से आउटसोसिंग करने के लिए उपस्थिति अस्तित्व के पैनल का पंजीकरण, सूचीकरण और नवीनीकरण किया गया।
- सभी पेंशन निधियों, अभिरक्षक और एनपीएस न्यास के लिए एक महीने की समय सीमा बढ़ाने (30.06.2020) पर परिपत्र दिनांक 30.03.2020 जारी करना (कोविख—19 के कारण वार्षिक खातों और अन्य एमआईएस जमा करने के लिए) ।
- प्राधिकरण नियमित रूप से एनपीएस न्यास को परिचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित गतिविधियों में देशी के लिए खपस्थिति अस्तित्व द्वारा रिपोर्ट किए गए विचलन और इस तरह की देशी के कारण पीओपी द्वारा अमिदाताओं को मुआवजे के मुगतान पर सलाह देता है।
- एनपीएस के तहत अभिदाताओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए, सीजी/एसजी क्षेत्र के तहत सरकारी नोडल कार्यालयों को ओपीजीएम (ऑनलाइन प्रान जेनरेशन मॉड्यूल) अपनाने की सलाह दी गई थी ताकि प्रान जारी करने में देरी और साथ ही अभिदाता पंजीकरण फॉर्म की अस्वीकृति से बचा जा सके।
- सीआरए प्रणाली के साथ नोडल कार्यालयों के कितीय सॉफ्टवेयर पैकेज के एसटीएस (सर्वर से सर्वर) एकीकरण को अपनाना।
- एसजी, राज्य स्वायत्त निकाय, सीजी और केंद्र स्वायत्त निकाय के साथ कार्यरत सरकारी अभिदाताओं के लिए एनपीएस के टीयर I में पेंशन

निधि और निवेश पैटर्न का विकल्प — केंद्र स्वायत्त निकाय, राज्य स्वायत्त निकाय और एसजी के कर्मचारियों के लिए टीयर I में पीएफ और निवेश पैटर्न के विकल्प के लिए कार्यक्षमता की शुरूआत और उपलब्धता की पीएफआरबीए के समवर्ती अनुमोदन के बिना स्वेच्छा से सलाइ देना |

- एनपीएस संरचना के तहत सीआरए प्रणाली पर जाने के लिए सरकारी नोडल कार्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली डिजिटल सुरक्षा प्रधाओं पर निर्देश — सीआरए प्रणाली के लॉगिन क्रेडेंशियल के उपयोग, गैर— साझाकरण को सुरक्षित रखने के संबंध में सुरक्षा प्रधाओं को अपनाने के लिए नोडल कार्यालयों को सलाह देना।
- एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी जारी करने में सरलता — सरकारी नोडल कार्यालयों को शीघ निकास/आहरण प्रक्रिया और वार्षिकी जारी करने के लिए ऑनलाइन आधारित प्रणाली और कार्यक्षमता की उपलब्धता की सलाह देना।
- नियमित एनपीएस अंशदान पर सलाह— सरकारी नोडल कार्यालयों को अंशदान जमा करने की समयसीमा, जो कि लेखा महानियंत्रक (सीजीए) ज्ञापन दिनांक 02/09/2008 का पालन करने की सलाह दी जाती है।
- नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण का वैशबोर्ड अपछेशन — नोडल कार्यालयों को एनपीएस प्रणाली में कॉन्टैक्ट क्रेडेंशियल्स को अपडेट करने की सलाह देना ।
 - सरकारी क्षेत्र के एनपीएस अभिदाताओं (एसजी/ केंद्र स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय) की परिसंपदा निक्षि का निवेश योजनाओं और पंशन निक्षियों की पसंद की शुरूआत के अनुसार स्थानांतरण के संबंध में — नोडल कार्यालयों को सलाह देना कि एसजीएफ/केंद्र स्वायत्त निकाय/ राज्य स्वायत्त निकाय के अभिदाता द्वारा डिफॉल्ट निवेश पैटर्न से निकलने के बाद ऐसे अभिदाता के प्रान में उपलब्ध विरासत संजित संपत्ति चयनित निवेश योजना और पीएफ में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
 - सीजी और एसजी के तहत नोडल कार्यालयों को

सलाह दी गई है कि वे अंशदान जमा करने के संबंध में एनपीएस से संबंधित बिभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए डीओई द्वारा निर्धारित समय—सीमा का सख्ती से पालन करें।

- पीआएएओ/डीटीए जैसे निरीसण कार्यालयों को सलाह दी गई थी कि वे अपने अंतर्निहित पीएओ/ बीटीओ के प्रदर्शन की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि एनपीएस से संबंधित गतिविधियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके।
- बीएफएस द्वारा जारी दिनांक 31.01.19 की राजपत्रित अधिसूचना के संदर्भ में राज्य सरकारों को एनपीएस के तहत पेंशन निधि और निवेश पैटर्न के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों— अभिदाताओं को व्यक्तिगत विकल्प प्रदान करने पर विचार करने की सलाह दी गई।
- ऑनबोर्डिंग के लिए ऑफलाइन आधार केवाईसी— ऑनबोर्डिंग में सरलता और तत्काल प्रान जेनरेशन
- एनपीएस अभिदाताओं के लिए ईप्रान कार्ड अब खाता खोलने के लिए अभिदाताओं को बहुत कम भुगतान करना पड़ता है और इसे संभालना आसान है।
- अभिदाताओं द्वारा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण की शुरुआत — संवालन को सरल बनाने के लिए अभिदाताओं के लिए गैर—कागज़ी ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया शुरू की गई।
- ऑनलाइन आधार ई—केवाईसी —
 यूआईकीएआई द्वारा पीएफआएकीए के एक सीआरए
 को ऑनलाइन ई—केवाईसी सत्यापन की पेशकश
 करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।
 संवालन को आसान बनाने और अमिदाता के लिए
 ऑनबोर्खिंग की सुविधा को बढ़ाने के लिए यह एक
 और कदम है।
- डी—रेमिट (प्रत्यक्ष प्रेषण) एनपीएस अभिदाताओं को समान दिवस एनएवी और ऑटो डेबिट की सुविधा। अंशदान को संसाधित करने में देरी दो दिनों से बच जाती है।
- एनएसीएच आधारित डेबिट एनएसीएच ई—जनादेश के माध्यम से स्वचालित डेबिट प्रायोगिक आधार पर शुक्त किया गया। यह प्रक्रिया वित्त वर्ष 2020-21 में अंगीकृत हुई और वित्त वर्ष 2021-22 में शुक्त की जाएगी।
- ई—साइन के माध्यम से ई—नामांकन की सुविधा —

गैर-कागज़ी तरीके से नामांकित व्यक्तियों का ऑनलाइन नामांकन/अपडेशन

- एनपीएस / एपीवाई के लिए लोकपाल-अभिदाताओं के लाम के लिए अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न प्रकाशित किए गए और लोकपाल की सेवाओं के बारे में ब्यामक जागरूकता पैदा की गई।
- वार्षिकी साह्यरता कार्यक्रम (एएलपी) सेवानिवृत्त एनपीएस अगिदाताओं के बीच वार्षिकी पर जागरूकता मैदा करने के लिए कार्यक्रम किया गया । इसे वार्षिकी सेवा प्रदाताओं, सरकार के नोडल अधिकारियों और सीआएए के साध्य संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।
- वार्षिकी कैलकुलेटर एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी दरों/सूचना के बेडतर प्रसारण के लिए संशोधित वार्षिकी कैलकुलेटर।
- एएसपी के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र अर्धवार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र एएसपी द्वारा वर्धित अभिदाता सेवा के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
- एनपीएस कर बचत खाता— केंद्र सरकार क्षेत्र के अभिदाताओं द्वारा कर बचत को सक्षम बनाता है
- निवेश और पीएफ का विकल्प— सरकारी क्षेत्र के अभिवाता निवेश के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं और पीएफ का चयन कर सकते हैं
- पुराने एनपीएस खातों के लिए ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण— उन एनपीएस अमिदाताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए, जिन्होंने को. विड—19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान अपने एनपीएस खाते खोले हैं, लेकिन सीआरए को भौतिक आवेदन जमा नहीं कर सके।
- निकासी प्रक्रिया नोडल कार्यालयाँ/ उपस्थिति अस्तित्व को एनपीएस के निकासी अनुरोध को संसाधित करने के लिए डिजिटल माध्यम से निकास दस्तावेजों की स्कैन/स्व-प्रमाणित छवियों को स्वीकार करने के लिए छट दी गई।
 - कोविड से संबंधित चिकित्सा उपचार के लिए आंशिक निकासी की अनुमति – कोविड संबंधी बीमारियों को शामिल करने के लिए आंशिक निकासी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया।
- समयपूर्व निकासी, जहां केवल एकमुश्त भुगतान किया जाता है, के मामले में प्रान को जारी रखना ।

- आशिक रूप से निकासी किए हुए एनपीएस अभिदाताओं के लिए समान प्रान जारी रखने का विकल्प।
- एनपीएस अभिदाताओं के लिए एकल केवाईसी पर आसानी से वार्षिकी जारी करना —नोडल अधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए केवाईसी और निकासी दस्तावेज वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) द्वारा वार्षिकी जारी करने के लिए पर्याप्त हैं।
- तत्काल बैंक खाता सत्यापन— धन की वापसी से बचने और वास्तविक समय के आधार पर लामार्थी के विवरण की जांच करने के लिए पेनी झूँप के मध्यम से तत्काल बैंक खाता सत्यापन।
- ई-एनपीएस अभिदाता निकास-बैंकों के साथ समन्वय में निर्मित ऑनलाइन ई-एनपीएस निकास कार्यक्षमता का निर्माण ।
- लोकपाल के पास अपील दायर करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली का विकास और लोकपाल पर अधिकांश पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किया गया है ।

अनुलम्नक ।

पेंद्रान प्राणाणाया गानिवि भा पछन

- मुख्य महाप्रबंधक, गर्वनमेंट बिजनेस यूनिट, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली
- प्रबंधक निदेशक और सीईओ, एनएसबीएल, ई—गर्वनेंस इंफ्रास्ट्रक्बर लिमिटेड
- कार्यकारी निदेशक (रिटेल बैंकिंग), एक्सिस बैंक
- उपमहालेखा नियंत्रक (तकनीकी सलाह), व्यय विभाग, वित्त मंत्राालय
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- उपाध्यक्ष और प्रमुख अभिरक्षा सेवाएं, स्टॉक होव्लिंग कोपॅरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- श्री दिनेश पंत, नियुक्त एकचुरी लाइफ इंश्योरेंस कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- अध्यक्ष, एनमीएस न्यास
- 10. निदेशकए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे
- 11. रेणुका सानेए एशोसिएट प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंश एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी)
- 12. श्री कुलीन पटेल, वरिष्ठ बीमांकक और निदेशक- क्लाइट अकांवट मैनेजमेंट, टॉवर्स वाटसन, गुडगांव
- 13. अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट एक्वुरीज़ ऑफ इंडिया
- 14. पुख्य कार्यकारी अधिकारी बीफ एक्सीक्यूटीव ऑफिसर फिक्सड इनकम मनी मार्किट एंड डेरीवेटीवस एशोसिएशन ऑफ इंडिया
- 15. जप सचिव (स्थापना II), कार्मिक और प्रशिक्षण विमाग
- 16. निदेशक (लेखा) डाक विभाग, नई दिल्ली
- 17. श्री राजीय कपूर, कार्यकारी निदेशक— सीआईआई का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुप एवआरएम सिंडा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
- 18. मुख्य कार्यकारी- भारतीय बैंक एशोसिएशन
- निदेशक, बजट, भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य सरकार
 प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य पेंशन सलाहाकार समिति के पर्दन अध्यक्ष और पदेन सदस्य होंगे ।

अनुलग्नक 🛭 ग्रन्थानुसार कुल उमस्यित अस्टिए संगापणताओं (गोलागी-एसर्ग) की संख्या

क्र.सं	राज्य का नाम	2020	2021
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	131	13
2	आंभ्रप्रदेश	15,803	15,79
3	अरूणाचल प्रदेश	377	38:
4	असम	5,899	5,952
5	विहार	13,205	13,421
6	चंडीगढ़	520	526
7	छत्ती सगढ़	4,854	5,020
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	115	126
9	गोवा	892	913
10	गुजरात	13,833	14,277
11	ह रियाणा	6,246	6,730
12	हिमाचल प्रदेश	3,140	3,164
13	जम्मू और कश्मीर	2,119	2,133
14	द्मारखंड	4,207	4,29
15	कर्नाटक	14,985	15,613
16	केरल	10,696	10,91
17	लक्षद्वीप	41	11
18	मध्यप्रदेश	13,284	13,467
18	महाराष्ट्र	24,788	25,20 25
20	मणिपुर	244	
21	मेघालय	488	544
22	मिजोरम	225	239
23	नागालैंड	238	247
24	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (नई दिल्ली)	4,448	5,211
25	पड़ीसा	10,519	10,653
26	पुदुच्चेरी	314	317
27	पंजाब	9,908	10,019
28	राजस्थान	10,710	10,880
29	सिविकम	140	146
30	तमिलनाब्	16,237	16,46
31	तेलंगाना	5,493	5,700
32	त्रिपुरा	846	65
33	उत्तराखंड 2,		2,937
34	उत्तरप्रदेश	29,863	30,026
35	पश्चिम बंगाल	14,890	14,880
	कुल (संपूर्ण भारत)	234,411	247,454

अनुलग्नक 🕦

31 मार्च 2021 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट

- 1. हमने 31 मार्च 2021 तक के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्ताव्य, शक्तियां और सेवा की शतें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) और उसके साध पिठत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 42 के तहत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के उस वर्ष के लिए आय और व्यय खाते एवं प्राप्तियां और भुगतान खाते पर संलग्न चुलनपत्र की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के निर्माण की जिम्मेदारी पीएफआरडीए की है, हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।
- 2. पृष्यक् लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल है, जो कि सर्वोत्तम लेखा प्रथाओं के वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के साथ लेखांकन पम्चार पर है। कानून, नियम और विनियम (स्वामित्व और नियमितता) और दक्षता— सड़—प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई हो, तो बह निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अलग से रिपोर्ट किए जाएंगे।
- अनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा संपन्न की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और संप. न्न करें ताकि वित्तीय विवरणों के त्रुटिमुक्त होने का पचित आश्यासन दिया जा सके । लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांब, राशियों और कितीय वक्तव्यों के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य शामिल हैं। एक लेखा परीक्षा में चपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साध्य-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन मी शामिल होता है। इस मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा, हमारी राय के अनुसार चिंदत है ।

- हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हमने यह रिपोर्ट किया है किः
- (i) हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने रिपोर्ट में टिप्पणियों के अधीन सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।
- (ii) इस रिपोर्ट द्वारा निपटान किए गए तुलनपत्र, आय और व्यय खाते और एसीर्दे और भुगतान खाते को पॅशन निश्चि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखों और अभिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्रारूप) नियमों, 2015 में निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है।
- (iii) हमारी राय में, हमारी लेखापरीक्षा में जहां तक ऐसी खाताबहियों से प्रकट होता है, पैंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा खातों और अन्य प्रासंगिक अमिलेखों के चित्र खाता बहियों को प्रबंधित किया गया है ।
- (iv) इम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:
- क. तुलनपत्र
- क.1 देयताएँ
- क.1.1 निर्धारित / धर्मादा निधियां (अनुसूची—3): रु 2,35,02,420 उपरोक्त में स्वावलंबन योजना और अटल पेंशन योजना के लिए 31 मार्च 2021 तक, सरकार से प्राप्त छ.34.40 करोड़ का अनुप्रयुक्त अनुवान शामिल नहीं है। पीएफआरडीए (लेखों और अमिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्रारूप) नियम, 2015 (अनुसूची 3 के नीचे प्रवत्त नोट) के अनुसार, केंद्र / राज्य सरकार से प्राप्त योजना निषयों को अलग निषयों के रूप में दिखाया जाना चाहिए और किसी अन्य निषयों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। वर्ष के दौरान प्राप्त अनुवान, उसके तहत किए गए मुगतान, वर्ष के अंत में अप्रयुक्त निषयों को केवल संबंधित निषयों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।

हालांकि, यह देखा गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान, पीएफआरबीए ने खातों की अनुसूची-1 रू.34.40 करोड़ को अनुप्रयुक्त कोष के अंतिम शेष के रूप में दर्शाया था। इन निषियों का पीएफआरडीए के पूंजीगत/कोष निधि और इन पर अर्जित ब्याज का पीएफआरडीए की ब्याज निधि के रूप में प्रदर्शन निर्धारित निधियों में कमी और मौजूदा देनदारियों में रू 34.40 करोड़ की अधिकता को परिणामित करता है।

एपीवाई के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान और रवावलंबन योजना और एपीवाई अनुदान की शेष राशि पर अर्जित ब्याज और इन अनुदानों से किए गए व्यय के गलत प्रयोग ने आय और व्यय खाते को प्रमावित किया है क्योंकि (क) अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-21) के मामले में - 374.39 करोड़ रुपये से (ख) अनुदान और सन्सिडी पर व्यय (अनुसूची -22) के मामले में 13.80 करोड़ रुपये से (सरकार को ब्याज की वापसी) (ग) अनुदान और सब्सिडी (अनुसूची -13) के मामले में 273.00 करोड़ रुपये (एपीवाई के लिए अनुदान) से और (घ) अर्जित ब्याज (अनुसूची-17) 1.26 करोड़ रुपये से अधिक प्रदर्शित हुई है । एपीवाई के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान और उस पर अर्जित ब्याज और स्वावलंबन और एपीवाई अनुदान से किए गए सभी व्यय अनुसूची-3 निर्धारित और धर्मादा निधि के माध्यम से किए जाने चाहिए थे। हालाँकि, इस विसंगति के सटीक प्रभाव की गणना वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी क्योंकि अनुसूची 1 (जो कि 2019-20 के अप्रयुक्त अनुदान का समापन शेष हैं) में दर्शाए गए अप्रयुक्त कोव का प्रारंभिक रोष भी निम्नलिखित गलत माया गया था। पिछले वर्ष अर्थात् 2019-20 के दौरान सरकारी अनुदान का लेखा-जोखा और 2015 से भी यही विसंगति मौजूद

31 मार्च 2017, 2018 और 2019 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बार—बार इंगित किए जाने के बावजूद, पीएफआरबीए ने निर्धारित/धर्मादा निधि' के तहत उपरोक्त अनुदान को एक अलग कोष के रूप में नहीं दर्शाया है।

- ख. आय और व्यय खाता
- ख.1 व्याज अर्जित (अनुसूची 17): रु.7,16,33,290 करोड रूपर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकारी अनुदान (अटल पेंशन योजना रु. 1.10 करोड़ और स्वावलंबन योजना रु.0.318 करोड़) पर रू.1.26 करोड़ रुपये का व्याज शामिल हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त अनुदान पर अर्जित व्याज को आय के रूप में मानने के बजाय निर्धारित (धर्मादा निधि (अनुसूची 3) के तहत अनुदान में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप आय में अधिकता और निर्धारित निधि में

रु 1.28 करोड़ की कमी प्रदर्शित हुई है। इस मुददे को वर्ष 2019-20 के लिए पीएफआरडीए के खातों पर पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी उठाया गया था । पीएफआरडीए द्वारा इस पर कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ग. अनुदान

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पीएफआरडीए को रू 273,00 का अनुदान प्राप्त हुआ और इसका रू 152,40 करोड़ का आरंभिक शेष था। वर्ष के दौरान सरकारी अनुदान पर प्राप्त ब्याज रू 1.26 करोड़ था और स्वाबलंबन के तहत प्राप्त राशि रू 0.001 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उपलब्ध रू 426,68 करोड़ की कुल राशि से पीएफआरडीए ने रू 382.26 करोड़ जिसमें सरकारी अनुदान पर अर्जित रू 13,80 करोड़ के ब्याज़ की वापसी सम्मिलित है) प्रयुक्त की और रू 34.40 करोड़ शेष रही।

- घ. लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक / सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया है।
- (ए) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के आधार पर, हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलनपत्र और आय एवं व्यय खाते/ रसीद और भुगतान खाते, खाता बहियों के अनुस्वप हैं।
- (vi) हमारी राय और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पिठत क्क विशीय विवरण और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और पृथक लेखा रिपोर्ट के अनुलग्नक में वर्णित अन्य मामलों के अधीन, यह भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुक्षम एक सही और निष्मदा दृष्टिकोण देते हैं।
- (क) अब तक यह 31 मार्च 2021 तक पेंशन निधि विनिधामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तुलनपत्र से संबंधित है, और
- (ख) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते के व्यय से अधिक आय (नकारात्मक) से संबंधित है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की पृथक लेखापरीका रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक

क. आंतरिक लेखा प्रणाली की पर्याप्तता

पीएफआरडीए के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए पीएफआरडीए के सभी भागों की लेखापरीक्षा पूर्ण की है। आंतरिक लेखापरीक्षा में प्राप्त अवलोकनों पर पीएफआरडीए के संबंधित विभागों द्वारा उत्तर प्राप्त कर लिया गया है और इसका अनुपालन प्रबंधन को रिपोर्ट कर दिया गया था । वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020—21 के लिए पीएफआरबीए के खातों की लेखापरीक्षा, पीएफआरडीए द्वारा अनुबंध आधार पर नियुक्त की गई सनदी लेखाकार फर्म द्वारा आयोजित की गई । इसमें प्राप्त परिणामों को पीएफआरडीए प्रबंधन को रिपोर्ट कर दिया गया था और सीए फर्म के अवलोकनों पर पीएफआरडीए द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जमा की गई है।

ख. आंतरिक नियंत्रण प्रणासी की पर्यापता

विशिष्ट कारणों से प्राप्त अनुदान की बुकिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। वाउचर का रखरखाव, विभिन्न नियंत्रण रजिस्टर, सहायता अनुदान और स्वीकृति से संबंधित रिकॉर्ड और व्यय अनुमोदन में नियमितता संतोषजनक थी।

ग. अचल आस्तियों के भीतिक सत्यापन की प्रणाली

पीएफआरडीए द्वारा वर्ष के अंत मे अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया और इसमें कोई विसंगति नहीं प्राप्त हुई ।

घ. वस्तुसूची के मौतिक सत्यापन की प्रणाली

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वस्तुसुचियों को 'शून्य' दर्शाया गया है।

वैद्यानिक देव शशियों के मुगतान में नियमितता

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार 31.03.2021 तक के अनुसार 8 महीने से कोई वैधानिक बकाया राशि नहीं है।

पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर पीएफआरडीए की टिप्पणियां

पूचक् तेखापरीमा रिपोर्ट के पिंदु क.1.1 तथा ख.1 और एसएआर के बनुतन्तक के पिंदु ख दो लिए

यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि पीएफआरडीए (लेखों और अभिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्रारूप) नियम, 2015 को, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 42 की उपधारा(1) के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (ज) के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। वार्षिक खातों के प्रपत्र और अनुसूचियां उपर्युक्त नियमों के तहत निर्धारित किए गए हैं, जिनमें स्वावलंबन योजना के अंतर्गत व्ययों को अनुसूची 21 अर्थात् अन्य प्रशासनिक खर्च के तहत दर्शाया गया है। इसी तरह, प्राप्त अनुदान / सहायकी को अनुसूची 13 (अनुदान / सहायक) के तहत दर्शाया गया है, जो आय और व्यय खाते का हिस्सा है। तदनुसार, स्वावलंबन और एपीवाई योजना के तहत अनुदान और व्यय को पीएफआरडीए की खातों बहियों में आय और व्यय माना गया है। यह उपचारात्मक कार्रवाई उपरोक्त नियमों के अनुसार की गई है:

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट कारणों से प्राप्त अनुदान बहियों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर, यह उल्लेख किया जाता है कि पीएफआरडीए ने सरकारी अनुदान के लिए पृथक् अभिलेख, खाता बहियां और बैंक खाते प्रबंधित किए हैं । परिणामस्वरूप, मौजूदा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपयुक्त है।

प्रपन्न क

(नियम ३ (क) देखें) पेंशन निवि विनियामक और विकास प्राधिकरण 31 मार्च 2021 तक तुलन पत्र के रूप में

(इकाई-भारतीय रुपया)

	वेनदारियां	सूची	गोजुवा वर्ष	मूर्व वर्ष	संपत्ति	सुनी	नॉजुबा वर्ष	पूर्व वर्ष
d.	कोष/ पूंजी भंडार	1	1,24,60,18,688	82,80,86,873	1. अञ्चल संपत्तियां	0		
į	आरक्षित अभिशेष				सकल ब्लॉक		51, 07,47,779	2,49,07,112
2.	Service Control	2	- S	-	कम भूल्यहास		1,79,49,582	1,64,02,729
3.	निर्वारित / धर्मांदा निधि	3	2,35,02,420	2,19,03,883	কুল জাঁক		49,27,98,216	86, D4,863
4.	भूरकित ऋग और सवारी	4	9	4	 निर्मासित/बंदोबस्ती कोव से निषेत 	8	2,28,95,680	2,09,22,170
5.	असुरक्षित ऋण और तथारी	8	-	-	उ निवेश—अन्य	10	61,71,31,221	73,38,88,980
a	आस्थिंगत ऋण और देनदारियां	g	5	3	 मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, समिम राशि आदि 	11	86,71,01,148	1,78,38,31,420
7.	मीजूवा देनदारियां और प्राद्यान	7	42,12,06,157	1,58,58,66,488	 विविध व्यय (कुछ हव तक नहीं लिखे या समायोजित किए गए) 			-
	कुन		1,58,97,29,258	2,54,69,46,963	कुल		1,68,97,26,286	2,64,89,48,063

नोट ः

तुलन पत्र में सभी अनुसृषियां खाते का हिस्सा है।

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 25/08/2021 खाशीब कुमार मारती मुख्य लेखा अविकारी

हों.दीपक मोहती सदस्य प्रमोद कुमार सिंह सदस्य एस. बंदोपाध्याय अध्यक्ष

प्रपन्न ख

(नियम ३ (ख) देखें) पेंशन निधि विनिवासक और विकास प्राधिकरण

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए जाय और व्यय का लेखा-जोखा

(डकाई-भारतीय रुपया)

देनदारिया	स्था	माजूदा वर्ष	गूर्व वर्ष	र्सपति	स्वा	मोजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. स्थापना व्यय	20	17,48,71,424	18,50,08,632	1. बिकी /सेवाओं से आय	12		
2 अन्य प्रशासनिक व्यय आणि	21	3,84,46,05,711	2,34,82,58,076	2. अनुवान/अनवृत्ति	13	2,73,00,00,000	3,92,49,00,000
3. अनुदान सम्तिकी पर व्यय आदि	22	13,79,88,642	10,01,28,457	s. शुक्क/सदस्यता	14	59,16,35,561	58,43,21,253
4. স্থাত	23	11,413	8,724	 निवेशों से आय (निवारित / बंदोबस्ती निवि के इस्तांतरण से निवेश पर आय 	16		
६. मुल्यडास (वर्ष के अंत में कुल- अनुसूची १ के तदनुसार)		83,18,117	23,21,441	ह. रॉयल्टी, प्रकाशन सादि से श्राय	10		O.H
			1 0 3	৪. অর্ডির জ্বাতা	17	7,16,33,290	6,23,18,813
				७. अन्य आय	18	32,68,192	2,62,576
				 तैयार माल और काम में प्रराति के रोयर में वृद्धि/(कमी) 	19		, Link
क्स		4,28,05,96,306	2,61,57,26,329			3,39,65,29,342	4,27,18,02,442
आय का रोष व्यय से अधिक विशेष आरक्षित को स्थानांतरित प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		(86,40,67,664)	1,55,50,75,113				
सामान्य आरक्षित को / से स्थानांतरित		7.1					
तेव को बिवोब/ घाटा के रूप में कोव /मूंजी निधि में एखा गया		(88,40,67,564)	1,85,60,78,113				
महत्वपूर्ण जेखांकन नीति	24						
आकस्मिक देयताएं और लेखा–जोखा पर नोट्स	25						

नौट : आय और व्यय खाते की सभी अनुसूचियां खाते का हिस्सा है।

स्थान : नई विल्ली विनांक: 25/08/2021 आशीष कुमार भारती मुख्य लेखा अधिकारी

कॉ.दीपक मोहंती सदस्य

प्रमोद कुमार सिंह सदस्य

एस. बंदीमाच्याय अध्यक्ष

प्रयत्र ग

(नियम 3 (ग) देखें) पेंशन निधि विनियासक और विकास प्राधिकरण 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए प्राप्ति और मुगतान खाता

(इकाई-मारतीय रुपया)

罪. 甘	অন্তর্গা	गोपादा वर्ष	पूर्व वर्ष	B. W	बुगवाप	नी भूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	प्रापंत्रिक रोग धानि			1.	4	The state of the s	11
₹.	नकवी	5,313	20,000	(4)	स्थापना पर वर्च	18,42,94,163	18,71,88,52
₹.	वैक्र वेशेंस	. 4	23.5	(01)	सरासमिक ध्वव	22.87.08.502	27.20,22.84
	(१) चानू वातों में			2	ष्ट्रपयोग किए नए बनुवान		0.636500
	(a) wing subject to				3341.144.35.4341		
	🛍 आयविक जम खाती में			(**)	स्वावसंबन योगवान	(9,887)	(1,224
	(H) बैंक जन सातों मे	a real revision	0.00		स्वायलंबन पर्योगाति		(1,224
	मिर्म बक अन्त्र काया न	1.00,04.54,043	20,01,40,480	(a)		84,79,000	
				(11)	राष्ट्रीय पेतन प्रणाती न्यास को अनुदान	97	
				(17)	एपीलाई श्रीराचान	1,66,02,17,812	1,07,88,13,290
2	प्राप्त अनुवान			(4)	एपीयाई संवर्धन एवं विकास	2,22,80,29,841	95,00,10,691
(1)	भारत सरकार से			(=)	अनुदान की वापसी	(-800-000)	1,29,45
7.	(क) अनुवान स्तापकता वेतन		13,80,00,000	(8)	अन्य (एनसीएफर्स)	1	100,000,000
			100,000,000	0.00	निवेश और जन्म राश्वि		Individual control
	(य) अनुवान सहायता सामान्य	-	7011/000/000	2.		LACE YOU	1 15000
	(ग) अनुदान सहायता— स्वायतान			(+)	निवरित/वर्गादा निवि से गाइस	1,00,000	1,00,000
	(घ) अनुषान समायता—स्वादलंबन		2.0	(a)	स्वयं के बन से बाहर (निवेश – बन्द)	(22,04,00,079)	36,42,06,126
	प्रोत्सातुन और विकास गतिविधियाँ	5-2-22	67 75				
	(स.) अनुवान सहायता एपोयलं अंतवान	1,01,00,00,000	1,88,14,00,000	4.	अनस संपत्तियों और नास नाव पर		
		- Application of			ज्ञवी पूंची पर महर	100	
	(ष) अनुदान सहायता द्वीवा(1,72,00,00,000	1,70,65,00,000	(10)	अपन संपतियों के खराद	27,38,818	8,00,186
	संबर्धन एवं विकास	- Section of	- Selative in	6.26	200 mm 200 - 204	3,311,442,7	20119-00
	(७) अन्य	- 4	- 44	(er)	चालु काम पर लगी पूंजी पर व्यव	48.01.94.819	
(日)	राज्य सरकार से	-	100	6.	श्रामित्रीय पेचे / कर्गों की गायकी	10,01,04,010	
				1	ALASIA 44 1 3-11 44 4143	111	
T	(क) अनुवान सामवता वेतन			(0)	राष्ट्रीय पेंकन प्रणाली न्यास से क्सूली		
	(क) अनुद ान सहायता सामान्य	_	-	(41)	राज्य सरकार की		
	(ग) अनुवान समायता-क्यामलंबन			(11)	घन के अन्य प्रदाताओं को		
	योगदान			13.50			
	(व) अनुदान सङ्ग्यसः-स्वावसंबन			A.	বিল ব্যক্ত (লাখ)		
	प्रोत्साकन और विकास गतिविधियां			-	THE BLEET HOW		
	(ब) सन्य			(a)	रेड मुख	11,413	8,724
(11)	वित्तीय संस्थाओं से			(0)	870	11/2-14	4,12
	निर्वेख पर आव				अन्य भूगतान (निर्विष्ट)	100	
8.			244	7.		77.444	3001.02
(41)	निर्वास्ति / वंदोवस्ती वन	4,640	0,125	(m)	सीपेन	14,50,348	46,59,412
(4)	स्वनिषेश (अन्य निषेश)			(4)	ऋष् / क्यार कर्नवारियों के लिए	2,65,091	1,87,480
4	प्राप्त मान	100000	1000	(11)	खर्चों के लिएअप्रिम चर्चा	18,892,191	41,940,72
(m)	बैक जनाराश्चिमी पर	6,48,83,120	3,40,87,095	(4)	चुक्ता जमा		30,000
(0)	ऋण, सम्बर वावि	100000000000000000000000000000000000000	210000	8.	श्रांतिम रोम		
(7)	अन्य (ऋण पर म्यापा)			(m)	नलद	20,000	6.31
15.31	mer v					0.00	1
6.	শ্ৰন্থ শ্ৰাৰ (নিৰ্বিছ্ণ)	3.7.00	7.5	(a)	कें क अतिशेष		
(e)	বাৰ্দিক সুক্ত	50,16,64,251	50,78,94,021		(१) बाबू कार्तो में		
(0)	विकिन संक्रजों से प्राप्त नाय	3,38,00,001	5,18,000		(4) समय जमा जाती में		
100	~					7.00.00.00.00	A CHIEF STATES THE
(44)	विविध माप	32,82,631	86,674		(৪) বৰ্ণ বঁক জন্ম আনী ন	40,01,42,196	1,85,64,94,640
	प्रमार की गई चर्क				11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-		
7.	कोई भी बन्य रसीव						
	मुख्या /ईएमबी रसीव	60,000	Second S				
(13)	जबार की क्यूसी	3,87,40,604	3,20,68,376	1			
	संपति के इस्तावरन	1,22,667	41,618				
	अभिदारा विमा और राजान निर्मे	1,30,748	61,356				
(8)	GE-4	1242640	976,703	1			
Let.	197.1	8.01.07.25.268	97,07,03				

स्थान : नई विल्ली विनांक: 25/08/2021 बाशीय कुमार भारती मुख्य लेखा अधिकारी

बॉ. दीपक मोहती सदस्य प्रमोद कुमार सिंह सदस्य एस.बंदोपाच्याय अध्यक्ष

पेशन निधि विनिवासक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 1 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

कोष/पूंजी भंडार

(इकाई-भारतीय रुपया)

	विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
शेष राशि	वर्ष के आरंभ में	82,90,86,573	55,46,76,889
जोबे:	अप्रयुक्त कोष निधि की शुरुआती शेष चारी	1,52,40,02,776	24,23,36,368
कमः	अप्रयुक्त कोष निधि की समापन शेष राशि	34,40,05,696	1,52,40,02,778
जो है / घटाएँ:	शुद्ध आय व्यय की शेष राशि जो आय और		
	व्यय खाते से स्थानांतरित की गई है	86,40,67,964	1,65,60,76,113
जोई:	सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान/आय और व्यय खाते से स्थानांतरित	Ī	
वर्ष के र	अंत में शेष राशि के रूप में	1,24,60,15,689	92,90,86,573

स्थान : नई दिल्ली दिनांकः 25/08/2021 आशीब कुमार मारती मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ.दीपक शंहती सदस्य प्रमोद कुमार सिंह सदस्य एस.बंदीपाच्याय अध्यक्ष

पेंशन निधि विनिवासक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 2 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा दनना

मंतार और अविशेष

(इकाई-भारतीय रूपया)

	विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	पूंची कोष	111111111	
	क. वर्ष के आएंग में	(A)	-
	ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	1 1	
	ग. कमः वर्ष के दौरान कटौती		-
2	पुनर्मूल्यांकन बारक्षित		
	क. वर्ष के आएंस में	- 4	1.2
	ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	-	8
	ग. कम: वर्ष के दौरान कटौती	- 2	-
3.	विशेष आरक्षित		
	क. वर्ष के आरंभ में	1-	G-
	ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	544	_
	ग. कम: वर्ष के दौरान कटौती	34	-
4.	सामान्य आरदित		
	क. वर्ष के आरंभ में		=
	ख. वर्ष के दौरान जोड़ना		
	ग. कम: वर्ष के दौरान कटौती		
	ন্বুল		

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 25/08/2021 आशीम कूमार भारती मुख्य लेखा अधिकारी

खाँ.दीपक मोहंती सदस्य प्रमोद कुमार सिंह सदस्य एस.बंदोपाञ्याय अध्यक्ष

पेशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 3 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

धर्मादा/अक्षय निधि

(इकाई-भारतीय रूपया)

अमिदाता शिक्षा व	गैर संरक्षण निधि	
विवरण	गौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. धन की प्रारंभिक रोष राशि	2,19,93,693	2,04,01,314
2. वन में जोड़		
(क) दान/अनुदान	70.4	-
(ख) धन के खाते में किए निवेश पर आय	19,77,781	15,19,479
(ग) एनपीएस न्यास जुर्माना खाते और एनपीएस न्यास निवेशक जागरुकता खाते में स्थानांतरण	1,30,746	81,338
কুল (1+2)	2,35,02,420	2,20,02,131
 निष्ठियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोग/व्यय (क) पूंजीगत व्यय 		
i. अचल संपत्तियाँ	4	_
ii. अन्य संपत्तियौँ	-	05
कुल	÷	
ख. शजस्व व्यय		
i, वेतन, मजदूरी और भत्ता आदि	4	-
ii. किशया	4	-2
iii. अन्य प्रशासनिक खर्च	-	8,238
কু ল		8,238
কুল (3)		8,238
साल के अंत में शुद्ध बैलेंस (1+2-3)	2,35,02,420	2,19,93,693

स्थान : नई विल्ली विनांक: 25/08/2021 आशीष कुमार भारती मुख्य लेखा अधिकारी

खॉं.दीपक मोहंती सदस्य प्रमोद कुमार सिंह सदस्य एस.बंदोपह्याय अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 4 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र से जुड़ना और चसका हिस्सा दनना

सुरक्षित ऋण तथाउघारी

(इकाई-भारतीय रुपया)

	विवरण	मीजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	केंद्र भारकार		
2.	राज्य सरकार		
3.	वितीय संस्थाएं		
	i. सावधि ऋण		
	ii. अर्जित व्याज और देय		
4.	बैंक		
	i. सावधि ऋण		
	- अर्जित ब्याज और देय		
	ii. अन्य ऋण (निर्दिष्ट)		
	- अर्जित न्याज और देय		
5.	अन्य संस्थान		
6.	टिवेंचर और बांड		
7.	अन्य	ě	-
	कूल		그

नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि-

स्थान : नई दिल्ली दिनांकः 25/08/2021 आशीम कूमार भारती मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ.दीपक मोइंती सदस्य प्रमोव कुमार सिंह सदस्य एस.चंदीपाञ्याय अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियासक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 5 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

असुरक्षित ऋण तथा उधारी

(इकाई-भारतीय रुपया)

विवश्ण	শীজুৱা বৰ্ণ	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार		
2 राज्य सरकार		.=
 वित्तीय संस्थाएं 	3	4
4. 有 む		, ,
1. सावधि ऋण		-
ii. अन्य ऋण (निर्दिष्ट)		12
- अर्जित स्थाज और देय		
5. अन्य संस्थान	4	~
 छिबेंचर और बांख 		9-3
 सावधि जमा 	4	4
८. अन्य (निर्दिष्ट करें)	4	_
ছুল		9

नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि-

पेंशन निधि विनियासक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 8 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र से जुड़ना और ससका हिस्सा बनना

आस्थगित क्रेडिट देनदारियाँ

(इकाई-गारतीय रुपया)

			Maria alsona Asal
	विवरण	मीजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	पूंजी चपकरणों और अन्य आस्तियों की चपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		-
2.	अन्य		-4
	कूल		-

नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि-

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 25/06/2021 खाशीब कुमार मारती मुख्य लेखा अधिकारी

बॉ.दीपक मोहंती सदस्य प्रमोद खुमार सिंह सदस्य एस.बंदीपाडवाय अध्यक्ष

पेशन निधि विनिवासक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 7 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

मौजुदा देवताएं और उपनंध

(इकाई-भारतीय रूपया)

विवरण	मीजुदा वर्ष	पूर्व वर्ष
मीजुदा देयताएं		
1. स्वीकृतियां	-	-
 फुटकर लेनदार और देनदारियां 	3,48,32,981	1,01,97,526
3. चमार प्राप्त	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	=
 अर्जित ब्याज पर देय नहीं है: 		
क. सुरक्षित ऋण/उधारी		-
ख. असुरक्षित ऋण/जधारी		7
5. वैधानिक देनदारियां		
क. अतिदेय	4	3-2
ख. अन्य	16,37,083	8,84,842
 अन्य चालू देनदारियां 		
क. भारत सरकार को देव अप्रयुक्त अनुदान के रूप में	34,40,05,696	1,52,40,02,776
ख. अन्य : सुरक्षा जमा	65,99,000	85,81,000
कुत	38,70,74,760	1,54,16,65,943
प्रावधान		
1. कराबान के लिए	the second second	
2. ऐक्किक दान	87,50,718	2,01,52,162
 व्यापार वारंटियां/दावे 		
 संचित छुट्टी नकदीकरण 	2,38,13,861	3,37,25,725
 पेंशन अंशदान देय 	1 - 1 - 1	
 छुद्टी नकदीकरण देय 	100 a -11	
7. अन्य- विनिर्दिष्ट	5,66,218	3,22,858
कुल	3,41,33,397	5.42,00,645
कुल योग	42,12,08,157	1,59,50,68,488

नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि-

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 25/08/2021 आशीब कुमार मारती मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ.दीपक मोडती सदस्य प्रमोद कुमार सिंह सदस्य एस.बंदीपाध्याय अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची ह 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

अवल संपत्ति

(इकाई-भारतीय रूपया)

		जुल सं	(विक्			- C-1	मच		चूल कर्षेत्र	
दिवरण	वर्ष के बारंग में बागतः/ गुल्बायम के इस में	वर्ग के दौराम परिवर्ण	वर्ष के चैपाग कटीवी	वर्ग के अंध में जागरा/ बुल्वीकन के बन में	वर्ष के आरंग के इस में	वर्ष के किए	वर्ष के बीचम कटीदी पर	बुत वर्ष से जोग एक	कास्यु धर्म के सम वें	
গুৰুত্ব প্ৰতিবা				7						
1. 19 4	- 9	0.00		-			100	-	0 9	
क. जीवीक	193	(E	100	J. 6-	9	1 4		-	A-4	9
ब्द पट्टेवाचे	- 4	(-		v 0 3	- 2) >)	-	-	- 3
2 विश्वित	100	H 100	- OF	-		- 64	- 0-	1.0	-	
क, फ्रीबोल्ड ज्लीन पर	9	1	-	()-	9	A		-	-	
का पट्टेबारी व्यक्ति पर	(9)	(4)	- P	. 2	- 3	1	- 0		14	
व स्वामित प्रसेट/परिवर व्यक्ति पर		-		1	(-		5 G -	-	-	- 9
यः सुवरस्ट्रज्ञयस्य स्त्री किसी इकाई से संबंधित नहीं	1	-17	-	9	-	7	7	-	+	
 संबंध नवींनचे और समकरम 	L		1			4	4.0		0	
4. बाहन	13,16,102	N 100	/ -	18,10,102	1,62,273	80,578	(o	7,82,146	8,80,864	0,05,82
६. पर्नेक्त क्या अस्त्राहितां	49,40,240	1,89,817	L #	45,22,000	21,65,597	2,85,462		25,84,804		21,00,05
B. कार्याक्षय सम्बद्ध	84,83,462		4,000	87,44,674	23,43,125	7,16,711	1,65,126	39,53,740		
 संपुटर/सङ्गायक सपकला 	1,24,36,403	80,65,678	18,64,834	1,66,64,787	88,57,176	22,66,340	16,08,186	1,06,78,362	48,98,405	26,00,04
६ मिन्द्रा प्रक्रिया	1,61,906		6.04	1,61,200	1,83,040	2,690		1,35,670	16,096	10,00
 ताड्रोरी की किस्तर्थ 	187,877	45,965	11	2,43,942	1,83,715	10,200	1	2,04,914	34,720	4,28
10. सन्य सम्बद्ध सेपरिवर्ग	1 2 2 2 1				1	die i		1		
चढ पर्ने का चल	2.49.07.112	61,60,861	21.84,230	3.09,83,260	1.04.62.279	89,10,117	17.71.203	1,79,48,802	1,24,03,497	05,84,00
रिज्या वर्ष	234.78.78			249.97.112						
बुचीकार्व वें प्रवित	1 2	40,01,54,810	PERM	(- 2	48,01,34,616		-	48,51,64,516	
70		40.02.04.090	E = E	\$1,07.47.779	-				48.27.96.210	09.84.86

अनुसूची 25 के बिंदु संख्या 8 को देखें।

ख्यान : नई दिल्ली दिनांक: 25/08/2021 क्षाशीन कुमार भारती मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ.दीपक मोहंती सदस्य प्रमोद कुमार सिंह सदस्य एस.बंदीपाच्याय सच्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 9 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

चढिन्ट/धर्मादा निधि में निवेश

(इकाई-भारतीय रुपया)

March Training		
विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभृतियां	7-	41
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	< A	<u></u>
शेयर		-
4. डिबेंचर और बांड		<u>-</u>
 सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम 		- <u>-</u>
6. सावधि ज मा	2,26,96,680	2,09,22,170
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	_	_
कुल	2,26,95,680	2,09,22,170

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 10 31 मार्च 2021 को चुलन पत्र से जुड़ना और एसका हिस्सा बनना

निवेश-अन्य

(इकाई-भारतीय रुपया)

	विवरण	भौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. 2 3.	सरकारी प्रतिभूतियां अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां शेयर (एनसीएफई की सदस्यता)	=	4 4 4 4
4.	नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (एनसीएफई) के इक्विटी शेयर : 10,00,00,000 /— कम : सरकारी अनुदान से किया गया निवेश : 9,99,99,999 /— डिबेंचर और बांड	1.00	1.00
5. 6.	सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम सावधि जमा	51,71,31,221	73,38,88,979
7.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	कुल	61,71,31,221	73,38,85,979

अनुसूची 25 के बिंदु संख्या 7 को देखें

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 25/06/2021 आशीव कुमार भारती मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ.दीपक मोहंती सदस्य प्रमोद कुमार सिंह सदस्य एस.बंदीपाठ्याय अध्यक्ष

पेशन निधि विनिवासक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 11 31.08.2021 को तुलन पत्र के माग के रूप में मौजूदा

मरिसंपत्तियां, ऋण और उधार

(इकाई-भारतीय रुपया)

[Recei	बीचुड़ा वर्ष	पूर्व वर्ष
(६) वर्तमान संपत्तिमा		
1. THE		
संबित श्रीह बाविस्थित		-
मिलिस छम्बरम		4
बिक्री के शिप मा ल		· ·
• तैन्तर मास	- 5	-
 कार्य प्रगति पर है 	-	-
• कम्मासक	7	-
2. विकि रेजार	30	7
 वसी की अवि के किए प्रकास प्रका 	1	-
	1 mm	637
a. पद्भी	26,608	6,312
4. पेंच पेत्रीच		
क) अनुस्थित में भे साम		
े बास् बार्ते पर	17	7
• सम्ब अन्य सार्वी पर		***************************************
• वस्त के जम जाते स	40,01,A2,188	1,84,84,94,84
ख) गैथ-फ्रनुस्कित वैकों के सम्ब	1,1	
 पासु खातों पर सभय क्या खातों पर 	T I	7
इस्स के जब नामें पर	10	7
	E	- 2
s. बारूवर-वच्छ स्त्रार्थ a. सन्द		1
g ≥ (w)	48,51,82,198	1,00,04,00,007
(ब) काल, समार और अन्य परिसंपतियाः		
1. 100		
শুনীক	240,990	3,24,000
क्ष संस्था, जो संस्था की तथा से गरिविविधा / स्वृतेस्थे में संस्था है	2	
ৰূপ লৈছিত কট্	1	1
 स्थार और अन्य प्रति को नकद वा परतु के प्रन में वा प्रतुकों माने पाली 		
कीनता के कम में प्राप्त बोर		
पूंजी खादे पर	- 2	- 2
पूर्वपुर्वतान (पूर्वपुरत कर्ष)	14,70,300	19,53,412
सुरुष्ट कर	Sh.A7,000	36,47,000
44	18,73,66,896	7,68,63,466
a. जाम वर्षि त		8.70000
कविष्य और अर्थवा निमि से निवेश पर	0,54,000	9,25,049
बाला पर निवेश	3,32,45,497	2,97,08,528
ऋगों रामा स्थार्त पर		100
सन्य (इसमें समेदान देव राशि एपी वामिस है।)	8,01,14,133	11,30,75,614
4. प्राप्ति बीन्व वार्वे		
बुद्ध (w)	25,00,20,000	22,71,31,468
बूज बोग (ब)+(ब)	68,21,01,148	1,79,36,81,429

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 25/08/2021

डॉ.दीपक मोहंती सदस्य

प्रमोद कुमार सिंह

सदस्य

आशीष कुमार भारती मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनिवासक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 12 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक तूलन पत्र से जुड़ना और संसका हिस्सा बनना

बिक्री/सेवाओं से आय

(इकाई-भारतीय रुपया)

	विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	बिक्री से आय		_
	(क) तैयार माल की बिक्री	34	-
	(ख) कच्चे माल की बिक्री	4	14
	(ग) कबाब, की बिक्री		7
2.	सेवाओं से आय		
	(क) अम और प्रसंस्करण शुक्क	⇒ ė	=
	(ख) व्यवसायिक /परामर्श सेवाएँ	-	- 4
	(ग) ऐजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज		-
	(घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	9	÷
	(ड) अन्य (निर्दिष्ट करें)	÷	4
	कुल		0=

भेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 13

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक खाव तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके माग के रूप में प्रस्तुत होना अनुदान/अनवृत्ति

(इकाई-भारतीय रुपया)

	विवरण	मीजुदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	केंद्र सरकार	2,73,00,00,000	3,62,49,00,000
2.	राज्य सरकार	1	- N
3.	सरकारी अभिकरण	9. <u>4</u>	r -
4.	संस्थान / कल्याणकारी निकाय	S =	
6.	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	4	1
6.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		-
	कुल	2,73,00,00,000	3,82,49,00,000

स्थान : नई विल्ली विनांक: 25/08/2021 आशीय कुमार भारती मुख्य लेखा अधिकारी

कॉ.दीपक मोहंती सदस्य प्रमोद कुमार सिंह सदस्य एस.बंदोपाध्याय अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियासक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 14

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके माग के रूप में प्रस्तुत होना

शुल्क/सदस्यता

(इकाई-भारतीय रुपया)

विषरण	मीजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
 प्रवेश शुल्क वार्षिक शुल्क/सदस्यता संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क सलाहकारी संस्था का शुल्क 	55,63,36,870	58,38,03,253
 लाइसेंस सुक्क विकिथ सेवाओं के लिए सुक्क अन्य (निर्विष्ट करें) 	8,32,99,991	6,18,000
কু ৱ	59,16,36,861	58,43,21,253

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 16

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना निवेश से आय (उदिष्ट और धर्मादा निधियों के निधि में इस्तांतरण से निवेश आय)

(इकाई-मारतीय रुपया)

विवरण	निर्वारित अनशरि	से निवेश	निवेश	-शन्व
	मीजुदा वर्ष	पूर्व वर्ग	मीजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
 ब्याज क. सरकारी प्रतिभृतियों पर ख. अन्य बांख / ढिबॅचर्स ग. अन्य जागांश क. होयहाँ पर ख. म्यूबुअल फंड पर ग. अन्य किराया अन्य (निर्दिष्ट करें) 	13,77,781	15,19,479		
कु ल	18,77,761	16,19,479		
हिस्ट और धर्मादा निधि को इस्तांतरित	13,77,781	15,19,479		
कुल रोव				

स्थान : नई दिल्ली दिनांकः 25/08/2021 आशीय कुमार मारती मुख्य लेखा अधिकारी

कॉ.दीपक मोहंती सदस्य प्रमोद कुमार सिंह सदस्य एस.बंदोपाठ्याय अध्यत

पेशन निधि विनिवासक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 16

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके मांग के रूप में प्रस्तुत होना

प्रमुत्व शुल्क, प्रकाशन आदि से आय

(इकाई-भारतीय रुपया)

विवरण	गौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रमुत्व शुल्क से आय		-
2. प्रकाशन से आय		-
3. अन्य (निर्दिष्ट)	-13	-
कुल		-

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 17

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना अजिंत व्याज

(इकाई भारतीय रुपया)

	विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	सावधि जमा खातों पर क. अनुसूचित बैंकों के साथ ख. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	5,69,67,160	4,15,81,140
	ग. संस्थानों के साथ	=	
2	घ. अन्य बचत बैंक जमा खातों पर	N= 1	-
	क. अनुसूचित बैंकों के साथ	1,46,68,140	2,07,38,732
	ख. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ ग. डाकघरों के साथ	=	-
	घ. अन्य	5 .0 0	-
3.	ऋण परः क. कर्मचारी/स्टॉफ	4	-
П	ख. अन्य	< 2 0°	4
4.	देनदार तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	e de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composic	941
	कुल	7,16,33,290	6,23,18,813

स्थान : नई दिल्ली दिनांकः 25/08/2021 आशीष कूमार भारती मुख्य लेखा अधिकारी

स्रों.दीपक गोहंती सदस्य प्रमोद कुमार सिंह सदस्य एस.चंदीपाठ्याय अध्यक्त

पेंशन निधि विनियासक और विकास प्राधिकरण

सनुसूची 18

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक में आय तथा व्यव खाते से जुड़ना तथा उसके माग के रूप में प्रस्तुत होना अन्य खाय

(इकाई-भारतीय रूपया)

_	faut mont		
	विवरण	मीजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	-	
	(क) स्वामित्व वाली संपत्ति	9	14
þ	(ख) अनुदान से परे या निःशुल्क प्राप्त संपत्ति	-	4
2.	निर्यात प्रोत्साहन वसूल	3	-
3.	विविध सेवाओं के लिए शुल्क		+
4.	विविध आय	32,58,192	2,62,376
	ब् रुव	32,58,192	2,62,376

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 18

01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2021 तक के अंत में बाब तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके माग के रूप में प्रस्तुत होना

तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / कमी और काम में प्रगति

(इकाई-भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) समापन स्टॉक	-	1
तैयार माल	8	-
कार्य प्रगति पर	-	-
(ख) कम- शुरुआती स्टॉक)
तैयार साल	4	
कार्य प्रगति पर		-
कुल वृद्धि ∕ (कमी) (क—ख)		

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 25/08/2021

आशीष कुमार मारती मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ.दीपक मोहंती सदस्य प्रमोद कुमार सिंह सदस्य

एस.बंदीपाच्याय अध्यक्ष

पेंशन निधि विनिवासक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 20

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक साय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके माग के रुप में प्रस्तुत होना

स्थापना व्यव

(इकाई-भारतीय रूपया)

	বিৰহণ্	भौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	वेतन और मजदूरी	14,82,88,879	13,30,96,305
2.	भत्ता और बोनस	14	4.700
3.	भविष्य निधि अंशदान	4	
4.	पॅशन के लिए अंशवान	1,28,32,861	1,14,45,200
6.	कर्मचारी कल्याण व्यय	_	-
6.	कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाम पर व्यय	=	4
7.	छुट्टी का वेतन	85,83,989	1,05,17,892
B.	द्यूशन शुक्क अदायगी	-	-
0.	चिकित्सा अदायगी	30,50,143	29,87,655
10.	ग्रेच्युटी योगदान	19,16,771	69,61,680
11.	अन्य (विशिष्ट)		
	কুল	17,48,71,424	16,50,08,632

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 25/08/2021 बाशीय कुमार मारती मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ.दीपक मोहंती सदस्य प्रमोद कुमार सिंह सदस्य

एस.बंदोपाच्याय अध्यक्ष

पेशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 21

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के बांत में जाय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना

अन्य प्रशासनिक व्यय

(इकाई-भारतीय रुपया)

fauce	शीखुदा वर्गे	पूर्व वर्ष
1. खरीदारियां	-	
2. श्रम और प्रसंस्करण सर्चे	91	
 बुलाई और ओतिरक परिवडन 	4	4
4. विजली और पावर	18,47,878	14,40,380
a. पास शुक्क	5,60,622	2,88,826
<u>.</u> रीमा	19,44,892	11,43,481
7. मस्म्मत और स्वस्ताव	64,00,678	73,23,004
१. चत्याव् मुत्क		
u. किराया, दरें और कर	7,34,71,187	7,34,82,967
10. चलते वाहन और सनका रखरखाय	1,30,94,318	1,31,12,801
11. खक, टेलीफोन और संचार के शुक्क	52,08,044	42,90,762
12. मुद्रण और स्टेशनचे	14,80,368	14,56,296
12. याचा और वाइन कर्षे	6,71,399	1,08,99,121
🗚 सेमिनार/ कार्यशालाएं/ बैठकों और सम्मेननों पर व्यय	2,46,36,432	1,82,00,214
१६. 'सवस्वता खर्च	3(1)	
१६. फीस स्रीर व्यय	5.190	-
१७. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	2.48,160	11,88,441
18. आतिष्य खर्च	-	+
१६. पेशेक्र शुल्क	8,60,12,968	2,74,27,096
20. पुरतकें और पत्रिकाएं	1,73,862	2,05,861
21. मर्ची खर्च	80,36,941	1,14,378
22. आशोष्य और संवित्ध ऋग/ सवार के लिए प्रावधान	-	-
22. संकलनकर्ता के लिए प्रोत्साइन पाति	64,79,000	-
 स्वामलंबन सरकारी अंशवान 	9,867	1,224
25. एपीवाई सरकारी अंसवान	1,55,02,17,612	1,07,58,15,286
28. जपरिवर्ति अस्तित्व को प्रोत्साहन राशि	10-10-14	1
27. अप्रतिकच्य शेष राशि का लेखा जोखा		1,000
28 पैकिंग खर्म		-
26. प्रेट और बरोबण खर्च	31	
३०. वितरण खर्च		-
31. विक्रापन और प्रचार कर्व	1,93,47,176	8,77,29,410
se. सर् स्यता बुल्क	32,54,540	0,450
३६: कर्नवारी कल्पाण	8,35,861	10,06,994
34. कंसल्टेंसी वा र्च	27,05,005	11,00,148
36. एपीवार्ब प्रचार	6,19,500	2,29,00,914
 प्पीयाई के लिए प्रोत्साहन पांशि 	2,18,76,82,820	99,83,97,810
37. बैठक चुत्क		38,500
८६. अन्य (वेबसाइट शुक्क खर्च, निभि प्रवंधन शुक्क, कम्प्यूटर सामग्री)	11,64,778	10,77,380
夏初	3,94,48,05,711	2,34,82,68,076

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 25/08/2021 आशीय कूमार भारती मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ.दीपक गोहंती सदस्य प्रमोद खुमार सिंह सदस्य एस.बंदोपाच्याय अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियासक और विकास प्राधिकरण

सनुसूची 22

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के अंत में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना

अनुदान सम्सिडी पर व्यव खादि

(इकाई-भारतीय रूपया)

विवरण	मीजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
 संस्थाओं / संगठनों / राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को दिया गया अनुदान संस्थाओं / संगठनों को दी गई सिक्सिडी 		9,99,99,999
 अन्य (विशिष्ट) 		_
क. अनुदान की वापसी	4	1,28,458
ख. ब्याज़ की वापसी	13,79,89,842	-
कुल	13,79,89,642	10,01,28,457

पेंशन निधि विनिवासक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 23

31 मार्च 2021 के अंत में आब तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना

ब्याज

(इकाई भारतीय रुपया)

विवरण	मीजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
 निर्धारित ऋणों पर अन्य ऋणों पर 		
 बैंक के शुल्क अन्य (विशिष्ट) 	11,413	8,724
कुल	11,413	8,724

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 25/06/2021 आशीष कुमार मारती मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ.दीपक मोहंती सदस्य प्रमोद कुमार सिंह सदस्य

एस.बंदीपाञ्याय अध्यक्ष

पेशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 24 31 मार्ज 2021 को वर्ष की समाप्ति पर खातों के माग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन और वित्तीय बयान की तैयारी का खाबार

प्राधिकरण का वित्तीय लेखा—जोखा पेंशन निश्चि विनियामक और विकास प्राधिकरण नियम (लेखा और रिकॉर्ड के वार्षिक विवरण के रूप में), 2015 के अनुसार तैयार किया गया है। मारत सरकार की योजना होने के कारण स्वावलंबन योजना और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अलावा वित्तीय लेखा—जोखा ऐतिहासिक लागत प्रधा के तहत प्रोद्भवन के आधार पर भुगतान आधार पर बनाया रखा जाता रहा है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए न्यासी बैंक और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों से शुल्क की गणना बीमांकिक आधार पर की की गई है।

2. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान की गणना प्राप्ति के आधार पर की जाती है। विशिष्ट संपत्ति से संबंधित सरकारी अनुदान को संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दिखाया गया है, चनके बुक वैल्यू पर पहुंचने में और संबंधित परिसंपत्तियों को मामूली मूल्य पर तुलनपत्र में दिखाया गया है।

3. अवल संपत्ति

अचल संपत्तियों को उनके करों और अन्य आनुषंगिक अधिग्रहण से संबंधित खर्च सहित मूल लागत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

4. सेवानिवृत्ति लाम

कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लामों अर्थात् अनुदान और छुट्टी नकदीकरण को भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई समूह अनुदान योजना और समूह छुट्टी नकदीकरण के तहत कवर किया गया है ।

5. मुल्यहास

5.1 इसे आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दशों के अनुसार नीचे लिखे मूल्य विधि पर प्रदान किया जाता है। 5.2 5000/- या उससे कम की कीमतों की प्रत्येक आस्तियों को राजस्व खर्च के रूप में माना जाता है।

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 25/08/2021 आशीव कुमार नारती मुख्य लेखा अधिकारी

बॉ.दीपक मोहती सदस्य प्रमोद कुमार सिंह सदस्य एस.बंदोपाच्याय अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 25 01.04.2020 से 31.03.2021 की खबकि के लिए खातों से जुड़े होने और भाग के रूप में

वाकस्मिक देववाएं और खावों में लेखन

- 1. खाकस्मिक देवताएँ प्राधिकरण की 31.03.2021 पर कोई आकस्मिक देवता नहीं है।
- वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और उद्यार मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और उद्यार का मूल्य कम से कम तुलनपत्र में दिखाई कुल राशि के बराबर मूल्य का है।
- 3. कराधान

पेशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 34 के दृश्य में, प्राधिकरण अपने धन, आय लाभ या लाम के संबंध में संपत्ति कर, आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तदनुसार, इस तरह का कोई प्रावधान लेखा बहियों में प्रदान नहीं किया गया है।

- 4. 31.03.2021 तक के अप्रयुक्त सरकारी अनुदान को प्रमुख मौजूदा देनदारियों और प्राक्यान के तहत दर्शाया गया।
- पिछले वर्ष के लिए संबंधित आंकड़ों को जहाँ आवश्यक था, पुन:समूडीकृत/पुन:प्रवंधित किया गया।
- 8. अनुसूची 1 से 25 को 31.03.2021 के तूलनपत्र के रूप में एकत्रित किया गया और इसे तूलनपत्र के एक अ.ि मन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया गया और 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए आय और व्यय लेखा के रूप में लिया गया है।
- 7. पीएफआएडीए ने केंद्र सरकार से वित्त वर्ष 2019-20 में प्राप्त अनुदान से राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की शेयर पूंजी में ऋपवे 10 करोड़ का वोगदान दिवा है। इसलिए, इस निवेश को अनुसूची 10 के तहत रू.1 के संवैद्यानिक मूल्य पर दिखाया गया है।
- 8. पीएफआरडीए ने अपनी 85वीं बोर्ड बैठक में एनबीसीसी की आगामी परियोजना वर्ल्ड ट्रेंड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में, अपने लिए कार्यालय खरीदने की स्वीकृति दी है। तदनुसार, पीएफआरडीए ने 2020-21 के दौरान उक्त परिसर, जो अभी निर्माणाधीन है, की खरीद के लिए एनबीसीसी को यथानुपात 48.02 करोड़ रूपये का भुगतान किया है। इसे अनुसूची-8 में ' पूजीकार्य में प्रगति' के तहत दर्शाया गया है।

स्थान : नई दिल्ली दिनांकः 25/06/2021 आशीष कुमार भारती मुख्य लेखा अधिकारी

कों.दीपक गोहंती सदस्य प्रमोद खुगार सिंह सदस्य एस.बंदीपाठ्याय अध्यक्ष

Annual	Report	2020-21
Muluai	ICPUIL	4040-41

This Report is in conformity with the format of annual report prescribed in the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015





पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



सुप्रतिम बंदोपाध्याय अध्यक्ष Supratim Bandyopadhyay Chairperson

Letter of Transmittal

F.No: PFRDA/09/02/0001/2021-ANNUAL RPT Dept

December 06, 2021

The Secretary,
Department of Financial Services,
Ministry of Finance,
Government of India,
Parliament Street, Jeevandeep Building
New Delhi – 110 001

Subject: Annual Report of PFRDA for FY 2020-21

Sir,

In accordance with the provision of Section 46 (2) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, I have pleasure in transmitting copies of the Annual Report of the Pension Fund Regulatory and Development Authority on the working of the Authority for the financial year ended March 31, 2021.

Wint Regards,

Yours sincerely,

(Supratim Bandyopadhyay)

INDEX

Table of Content

Statement	t of Goals and Objectives	9
Objective		9
Vision		9
Chairman	ı's Message	11
Members	of the Board	13
Senior Ma	anagement of the Authority	14
Abbreviat	ions	15
Part - I		<u>:</u>
Policies &	z Programmes	18
1.1	Global Economic Scenario	18
1.1.1	Inflation	18
1.1.2	Global Commodities Prices	18
1.1.3	Global Financial Environment	19
1.1.4	Bond and Equity Markets	19
1.2	Domestic Economy	19
1.2.1	Macro.Economic Developments in India	19
1.2.2	Inflation	20
1.2.3	Monetary Management	21
1.3	Financial Markets	21
1.3.1	G. Sec Market	21
1.3-2	Corporate Bond Market	22
1.3.3	Equity Market	22
1.4	Review of Global Pension Markets	22
1.4.1	Pension Fund Assets in the OECD area in 2020	22
1.4.2	Equities Investments in 2020	24
1.5	Major Announcement for Pension Secton in Budget 2021	24
1.6	Indian Demography and Old Age Income Security	25
1.7	Indian Pension Landscape	25
1.8	A Brief on the Review of the Objectives of PFRDA	28
1.9	Intermediaries under NPS	29
1.9.1	Intermediaries and Other Entities Associated with National Pension System and Other Pension Schemes Covered Under the Act	29
1.9.2	Types of Account	31
1.9.3	Outreach	31

Contents

Part - II		
Investmer	nt of Funds under NPS	32
2.1	Pension Funds (PFs)	32
2.1.1	Functions of Pension Funds	32
2.1.2	List of Pension Funds (PFs) for Government Sector NPS Schemes (i.e. CG and SG), NPS-Swavalamban and APY	33
2.1.3	List of Pension Funds (PFs) for Private Sector NPS schemes	33
2.2	Schemes	33
2.3	Regulations, Notification, issuance of major circulars / Guidelines w.r.t. Pension Fund	39
2.4	Inspection	40
Part - III		
Functions	of the Authority	41
3.1	Registration of Intermediaries and Suspension, Cancellation, etc	41
3.2	Approval of Schemes, the Terms and Conditions thereof	44
3.3	Exit of Subscribers From the National Pension System	44
3.3.1	PFRDA (Exits & Withdrawals Under NPS) Regulations 2015 and Amendments thereof	44
3.3.2	Partial Withdrawal Under NPS	48
3.4	Activities Undertaken for Protection of Interests of Subscribers under the National Pension System and of Other Pension Schemes under the Act	52
3.5	Mechanism For Redressal of Grievances of Subscribers and Activities Undertaken For Redressal of Such Grievances	54
3.5.1	No. of Complaints received, resolved and pending for FY 2020-21 at the office of Ombudsman	56
3.5.2	State-wise complaints received for FY 2020 – 21 at the office of Ombudsman	57
3.5.3	Initiatives taken by PFRDA	57
3.6	Certification Programme for Retirement Advisers	58
3.7	Collection of Data by the Authority and the Intermediaries Including Undertaking and Commissioning of Studies, Research and Projects	59
3.8	Steps undertaken for Educating Subscribers and the General Public on Issues Relating to Pension, Retirement Savings and Related Issued and Details of Training of Intermediaries	59
3.8.1	Financial Literacy regarding Pensions	59
3.8.2	Programme for Co-ordination with Financial Agencies and Other Agencies	59
3.8.3	NPS Awareness, Communication and Social Media	61
3.8.4	PFRDA on Social Media	63
3.8.5	Public Relation Agency	63
3.8.6	Training	64

Annual Report | 2020-21

3.8.7	NPS and APY Information Helpdesk	64
3.9	Conferences / Meetings and other Initiatives undertaken during FY 2020-21	65
3.9.1	Conferences under Central and State Government Sector	65
3.9.2	Steps initiated for smooth implementation of NPS in Government Sector	67
3.9.3	Conferences under Corporate Sector	69
3.9.4	Conferences / Programmes / Meetings under Atal Pension Yojana	70
3.10	Performance of Pension Funds	70
3.11	Regulated Assets	73
3.12	Fees and Other Charges Levied or Collected by the Authority During the Financial Year	73
3.13	Information Sought for, Inspections Undertaken, Inquiries Conducted and Investigations Undertaken Including Audit of Intermediaries and Other Entities or Organisations Connected with Pension Funds	74
3.13.1	Inquiries & Investigations	74
3.13.2	Inspection & Audits	74
3.14	Others	76
3.14.1	Subscribers (Category Wise) Covered Under the National Pension System and Other Pension Schemes Under the Act	76
3.14.2	Points of presence	79
3.14.3	Asset under Management Scheme wise	79
3.14.4	The Central Recordkeeping Agency	79
3.14.5	Pension Funds	86
3.14.6	The Trustee Bank	87
3.14.7	The Custodian under the National Pension System	92
3.14.8	The National Pension System Trust	93
3.14.9	Retirement Advisor	95
3.14.10	Other Functions Carried Out by the Authority in the Area of Pensions.	95
PART - IV	7	
4.1	Pension Advisory Committee	97
4.2	Regulations Made or Amended	97
4.3	Constitution of Committee for Utilization of Subscriber Education and Protection Fund	98
4.4	Standing Committee on Information Technology and Cyber Security in PFRDA	98
PART - V		
Organiza	tional Matters of the Pension Fund Regulatory and Development Authority	99
5.1	Constitution of PFRDA Board	99
5.2	Meetings of the Authority	99

Contents

5.3	Staff Strength in PFRDA	99
5.4	Functioning of SC/ST Cell and OBC Cell in PFRDA	99
5.5	Committee for Prevention of Sexual Harassment at Workplace	100
5.6	Staff Welfare Committee	100
5.7	Training of employees in PFRDA	100
5.8	Promotion of Official Language	100
5.9	Right to Information	102
5.10	Parliamentary Questions	102
5.11	Others	102
5.12	Accounts of PFRDA	102
PART - V	I	
	cal Area Adversely Affecting the Interest of Subscribers The Area Affecting the Interest of the Subscribers	104
6.1	Absence of an enabling regulation precludes the Govt. nodal officer	104
6.2	Age Limit of 40 Years for Joining APY	104
6.3	Statutory Obligations that the Authority has not complied	104
6.3.1	Minimum Assured Returns Scheme (MARS)	104
6.4	Taxation on employer contribution beyond 10% of salary	104
6.5	Cap on employer contribution for calculating taxable perquisite	105
6.6	Tier-II Tax Saver with tax benefit of 80C restricted for Central Govt. employees	105
6.7	Taxation on gains arises on Tier-II investment	105
PART - V	II	
	r measure taken by the Authority to protect the interest of subscribers to the Pension System and other Pension Schemes under the Act	106
7.1	Other Initiatives taken by the Authority to Protect the Interest of the subscribers	106
List of Ar	nexure	107
Annexure	I	
Composit	ion of Pension Advisory Committee	108
Annexure	· II	
State wise total no. of POP-SPs		
Annexure	· III	
Annual Accounts and Schedules		

STATEMENT OF GOALS AND OBJECTIVES

Under rule 9(2) (C) of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015

OBJECTIVE

The broad objectives of the PFRDA are contained in the Preamble to the PFRDA Act 2013 as under:

"To provide for the establishment of an Authority to promote old age income security by establishing, developing and regulating pension funds, to protect the interest of subscribers to schemes of pension funds and matters connected therewith and incidental thereto."

VISION

To be a model Regulator for promotion and development of an organized pension system to serve the old age income needs of people on a sustainable basis.

Chairman's Message

The global financial system is overcoming the shock waves of the COVID-19 pandemic. The economic and social disruption caused by the pandemic is distressing, the loss is unprecedented, this incidence has taught many lessons. The collaborated efforts of Governments, central banks and financial regulators have helped to mitigate the impact of the pandemic. The timely policy responses have limited the severity of the impact and it is supporting the economy to overcome the shock.

While the global economy had contracted in 2020, it is on a recovery path in 2021. Advanced economies have fared better; recovery remains uneven amongst Emerging Market and Developing Economies (EMDEs). This pandemic had tested financial & health system of the countries and given a lesson on preparedness and scope of betterment.

As per WEO report, Global economy is projected to expand by 6 per cent in 2021, moderating to 4.9 per cent in 2022.

As per NSO estimates, the growth in GDP during 2020-21 is estimated at -8.0 per cent as compared to 4.0 per cent in 2019-20. Further RBI has projection for real GDP growth at 9.5 per cent in 2021-22.

As regards pandemic, the country now is well-equipped with adequate testing, supported by the largest vaccination programmes and several monetary policy measures initiatives by the central bank well supported by fiscal stimulus.

PFRDA has taken several proactive steps to support its NPS and APY subscribers during this pandemic: be it monetary (permitting to treatment of Covid-19 as one of the purposes for partial withdrawal under NPS and stoppage of auto-debit of APY contributions) or operational ease.

Notwithstanding the headwind from COVID-19 and its negative impact on GDP and consequent volatility in stock market, NPS being regulated and prudentially managed has been able to absorb the shock to a large extent. Going by current indications, we anticipate that the economy will recover at a faster pace in the coming months putting the worst behind us.

Despite the pandemic, as on 31st March, 2021, a total 424.40 lakh subscribers have been enrolled under NPS (including APY) registering a year-on-year growth of 22.8 per cent, whereas Assets Under Management (AUM) have grown to Rs. 5,78,025 crore, thereby recording year-on-year growth of 38.5 per cent.

Chairman Message

Pension being a long-term financial product, requires sustained contribution towards one's corpus in the accumulation phase during the working age of an individual. Therefore, it is recommended to start contributing early for pension. The earlier we start accumulating for pension, the more compounding benefit we reap at maturity. In this context, the task of financial literacy - in matters related to pension, retirement planning/savings along with the overarching mandate of developing the pension sector through various digital/social media and a dedicated website - becomes critical.

It is my pleasure to share this Annual Report of the PFRDA for financial year 2020-21. The Report endeavors to provide major activities and initiatives of the Authority. I am sure this Report will enhance understanding about the functionalities of the pension system in India. We welcome feedback on the Report.

Finally, I wish to reiterate the commitment and dedication of PFRDA to the overarching cause of making India a Pensioned Society to fulfill its objective of old age income security.

Supratim Bandyopadhyay Chairman

Members of the Board

(Appointed under Section 4 of the PFRDA Act, 2013 (Act 23 of 2013))

(i) Chairperson

Shri Supratim Bandyopadhyay, Chairman, PFRDA from February 21, 2020 till date.

(ii) Whole-Time Members

- 1. Shri Pramod Kumar Singh, Whole Time Member (Law) from March 03, 2020 till date.
- 2. Dr. Deepak Mohanty, Whole Time Member (Economics) from September 01, 2020 till date.
- 3. Prof. (Dr.) Manoj Anand, Whole Time Member (Finance) from October 01, 2020 till date.

(iii) Part-Time Members

- 1. Ms. Annie George Mathew (IA & AS 1988), Additional Secretary (Pers), Department of Expenditure from December 12, 2014 till date.
- 2. Ms. Sujata Chaturvedi (IAS 1989), Additional Secretary (in-charge of Establishment Division), Department of Personnel & Training (DoPT) from January 16, 2020 till date.
- 3. Shri Madnesh Kumar Mishra (IRS 1990), Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance from November 03, 2017 till date.

SENIOR MANAGEMENT OF THE AUTHORITY

(As on March 31, 2021)

EXECUTIVE DIRECTOR

Shri Ananta Gopal Das

CHIEF GENERAL MANAGER

Ms. Mamta Rohit

Ms. Sumeet Kaur Kapoor

Shri Venkateswarlu Peri (On deputation in other Organization)

Shri Ashish Kumar

GENERAL MANAGER

Shri K. Mohan Gandhi

Shri Pravesh Kumar

Shri Mono Mohon Gogoi Phukon

Shri Akhilesh Kumar (Deployed in NPS Trust)

Shri Vikas Kumar Singh

Shri Sumit Kumar

Shri P. Arumugarangarajan

Chief Vigilance Officer

Shri D.K. Namdeo

Ombudsman

Shri Arnab Roy

ANNUAL REPORT TEAM

Shri Ashish Kumar, Chief General Manager Smt. Manju Bhalla, Deputy General Manager Shri Manish Mani, Manager

Abbreviations

AIF Alternative Investment Fund

APY Atal Pension Yojana
APY-SP APY-Service Provider
ASP Annuity Service Provider
AUM Assets under Management
BSE Bombay Stock Exchange

CAB Central Autonomous Bodies

CAGR Compounded Annual Growth Rate

CBO Corporate Branch Office

CCI Completion Commission of India

CEO Chief Executive Officer
CG Central Government

CGMS Central Grievance Management System

CHO Corporate Head Office

CISO Chief Information and Security Officer

COR Certificate of Registration
CPI Consumer Price Index

CPIO Central Public Information Officer
CRA Central Recordkeeping Agency

CSGL Constituent Subsidiary General Ledger

DB Defined Benefit

DDO Drawing and Disbursing Office
DCCB District Central Co-operative Bank
DFS Department of Financial Services

DTA Directorate of Treasuries and Accounts

DTO District Treasury Office

EMDE Emerging Market and Developing Economies

EPF Employee Provident Fund

EPFO Employees' Provident Fund Organisation

EPS Employees' Pension Scheme
ERM Error Rectification Module
FAQ Frequently asked Question

Fin-Tech Financial Technology

Abbreviations

FRPS Fonds de Retraite Professionelle Supplémentaire"
FSDC Financial Stability and Development Council

FY Financial Year

GDP Gross Domestic Product
G-Sec Government security

IFSC Indian Financial System Code

IFSCA International Financial Services Centres Authority

IMF International Monetary FundIOS iPhone Operating System

ISTM Institute of Secretariat Training and Management

IPIN Internet Personal Identification Number
TPIN Telephonic Personal Identification number

IRDAI Insurance Regulatory and Development Authority of India

IRF-FC Inter Regulatory Forum for monitoring Financial Conglomerates

KYC Know Your Customer

MFI Micro Finance Institution

MIS Management Information System

Mobile app Mobile Application

MPC Monetary Policy Committee

NAHRD National Academy of Human Resource Development

NAV Net Asset Value

NBFC Non-Banking Financial Company

NCFE National Centre for Financial Education NISM National Institute of Securities Market

NLAO NPS Lite Account office

NPC National Productivity Council

NPCI National Payments Corporation of India

NPS National Pension System

NPSCAN NPS Contribution Accounting Network

NPST National Pension System Trust

NSDL National Securities Depository Limited

NSE National Stock Exchange

OECD Organization for Economic Cooperation and Development

OPGM Online PRAN Generation Module

OTP One Time Password

PAC Pension Advisory Committee
PAN Permanent Account Number
PAO Pay and Accounts Office
PrAO Principal Accounting Office

PF Pension Fund

PFM Pension Fund Manager

PoP Point of Presence

PoP-SE Point of Presence-Sub Entity

PoP-SP Point of Presence-Service Provider

PRAN Permanent Retirement Account Number

QR code Quick Response code
RA Retirement Advisor
RBI Reserve Bank of India

ReBIT Reserve Bank Information Technology Private Limited

RRB Regional Rural Bank
RTI Right to Information

SCF Subscriber Contribution File

SEBI Securities and Exchange Board of India

SG State Government

SHCIL Stock Holding Corporation of India Ltd

SOT Statement of Transactions

STS Server to Server
TB Trustee Bank

TGFIFL Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy

UOS Unorganised Sector

WEO World Economic Outlook
WPI Wholesale Price Index
WTM Whole Time Member

Part I Policies and Programmes

The introduction of the NPS in India marked a paradigm shift from defined benefit to defined contribution system. The Preamble to PFRDA Act, 2013 sets out the objective of providing old age income security in India. The National Pension System (NPS) system is designed with a view to have a systemic approach towards designing and implementing a coherent and financially sustainable pension system.

Pension sector is impacted by the global and domestic developments. At the same time, pension assets impact the economy in different ways by channelising resources to capital market and infrastructure. The global and domestic developments are reflected in economic growth, inflation, commodity prices, as well as monetary and fiscal policy responses which in turn impact all segments of financial market, be it equity market, government securities market or bond market. This part of the report briefly reviews the global and domestic economy before delving into the developments in the global and domestic pension markets.

1.1 Global Economic Scenario

The world economy experienced a steady recovery in 2021. As per July 2021, World Economic Outlook (WEO) report, Global economy is projected to expand by 6 per cent in 2021, moderating to 4.9 per cent in 2022. It reflects fiscal support in the United States and new measures in other advanced economies including France, Germany, Italy, Korea, and the United Kingdom. Many emerging market and developing economies including Brazil, Hungary, Mexico, Russia, and Turkey are looking to rebuild fiscal and monetary policy.

In advanced economies, growth prospects have been revised up for 2021-22. US economy is projected to grow by 0.3 percentage in 2021 and 1.1 percentage in 2022 due to better infrastructure investment and strengthening the social safety net in the second half of 2021 whereas Japan economy is projected to recover in the second half of 2021. In

the European countries such as France, Germany, Italy, and Spain projected to later in 2021, carrying over into 2022.

Emerging market and developing economies (EMDEs) - As per WEO report, the projections for 2021 have been revised down by 0.4 percentage for emerging Asian economies. Growth prospects in India, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam have been downgraded due to several infection waves during March-May 2021. Growth forecast in China has been revised down by 0.3 percentage due to minimize public investment and fiscal support. Growth forecast has been revised up in Latin America and the Caribbean as it reflects favourable market condition in Mexico and booming terms of trade in Brazil. For sub-Saharan Africa, growth is expected to rebound to 3.4 per cent in 2021, though significantly lower than the trend anticipated before the pandemic.

1.1.1 Inflation

According to WEO, inflation is expected to return to its pre-pandemic ranges in most countries in 2022 once these disturbances work their way through prices, though uncertainty remains high. High inflation is also expected in some emerging market and developing economies, related in part to high food prices.

Central banks should generally look through transitory inflation pressures and avoid tightening until there is more clarity on underlying price dynamics. Clear communication from central banks on the outlook for monetary policy will be key to shaping inflation expectations and safeguarding against premature tightening of financial conditions. However, there is a risk that transitory pressures could become more persistent and central banks may need to take pre-emptive action.

1.1.2 Global Commodities Prices

A per WEO, a rise in commodities prices has been expected, particularly for oil. Consistent with the

projected global recovery, oil prices are projected to increase by 60 per cent in 2021 above their low base in 2020 and non-oil commodity prices are projected to increase by 30 per cent above 2020 levels, reflecting strong increases in the price of metals and food.

1.1.3 Global Financial Environment

As per Global Financial Stability Report (GFSR) April 2021, with massive policy support, the global financial system has been resilient during the COVID-19 pandemic and financial conditions have eased significantly. This has helped maintain the flow of credit to households and firms, facilitated the recovery, and mitigated financial risks. The improved economic outlook has reduced the range of adverse outcomes, but downside risks to future GDP growth remain.

Since the start of the COVID-19 pandemic, global financial stability risks are still contained, reflecting bold and timely policy actions. The combination of progress in health care solutions and continued unprecedented policy accommodation has been remarkably successful in preventing an even more devastating blow to the global economy and has boosted hope for a forthcoming recovery. The magnitude of the output loss, although unprecedented in modern times, has had only a limited impact on the financial sector. While the pandemic has weighed heavily on some sectors of the economy and unmasked some underlying vulnerabilities, the global financial system has shown remarkable resilience so far.

1.1.4 Bond and Equity Markets.

As per GFSR, equity markets have rallied aggressively since the third quarter of 2020 on expectations of a rapid economic recovery and continued policy backstops, and they are now trading at levels meaningfully higher than those suggested by models based on fundamentals. While earnings expectations have improved, historically low real risk-free rates (despite most recent increases) have provided material support so far to valuations. In the corporate bond market, spreads have remained very tight.

As per GFSR, long-term interest rates in the United States have risen about 125 basis points

since the summer of 2020 reflecting expectations of increased supply of Treasury securities to finance the fiscal expansion.

Higher long-end yields in the United States have also put some upward pressure on comparable-maturity yields in other advanced economies, including in countries where the recovery still appears to be lagging. Average advanced economy 10-year rates have increased 50 basis points so far in 2021. The recent increase in market volatility and rise in medium- and long-term yields in advanced economies have rattled emerging market bond markets and currencies and caused some portfolio outflows.

Currencies of emerging market economies have gained against the dollar but have faced some turbulence in early 2021 on the back of rising interest rates in the United States. External credit spreads have been relatively insulated from the recent volatility in markets.

1.2 Domestic Economy

1.2.1 Macro-Economic Developments in India

The Indian economy was negatively impacted by health crisis in 2020-21 with the highly contagious corona virus (Covid - 19) spreading across the country. Covid-19 inflicted an adverse shock to the economy in 2020-21. In response to the pandemic, Government has taken several proactive and mitigating measures including nation-wide stringent lockdown.

India is expected to emerge as the fastest growing major economy in the world as the economy recovers from Covid-19 shock backed by its robust democracy and strong partnerships. With an improvement in the economic scenario, there have been investments across various sectors of the economy. Numerous foreign companies are setting up their facilities in India on account of various Government initiatives like Make in India and Digital India. Make in India initiative aims to boost country's manufacturing sector and increase purchasing power of an average Indian consumer, which would further drive demand and spur development, thus benefiting investors. On the other hand, Digital India initiative focuses on three core components: creation of digital

infrastructure, delivering services digitally and to increase the digital literacy.

As per RBI (reference MPC Report, April 2021), according to the second advance estimates for 2020-21 released by the National Statistical Office (NSO), India's real gross domestic product (GDP) contraction at 8.0 per cent during 2020-21. High frequency indicators such as vehicle sales; railway freight traffic; toll collections; goods and services tax (GST) revenues; e-way bills; and steel consumption - suggest that gains in manufacturing and services activity in Q3:2020-21 extended into Q4 and Purchasing managers' index (PMI) manufacturing at 55.4 in March 2021 remained in expansion zone. The resilience of agriculture is evident from food-grains and horticulture production in 2020-21, which are expected to be 2.0 per cent and 1.8 per cent higher respectively than the final estimates of 2019-20. Further, the projection of real GDP growth for 2021-22 is retained at 10.5 per cent consisting of 26.2 per cent in Q1, 8.3 per cent in Q2, 5.4 per cent in Q3 and 6.2 per cent in Q4.

1.2.2 Inflation

According to RBI MPC Report, April 2021, in 2020-21, inflation breached the upper tolerance band of 6 per cent for six consecutive months in the post-lockdown period (June-November 2020)

due to a series of cost-push shocks – supply chain disruptions; weather shocks; higher crude oil and other commodity prices; and higher taxes. Core inflation remained sticky at elevated levels.

The average CPI inflation in FY 2020-21 recorded an uptick to 6.2 per cent from 4.8 per cent in FY 2019-20. Overall CPI-C inflation in March 2021 has increased to 5.52 per cent mainly on account of increase in food inflation. Following an uptick in commodity prices, rising demand and firming up of pricing power, the core-CPI inflation (CPI excluding food and beverages, and fuel and light) hardened further to a 29-month high of 6.0 per cent in March 2021. The average WPI inflation eased to 1.2 per cent in FY 2020-21 from 1.7 per cent in FY 2019-20. During the month of March 2021, WPI inflation increased to a 103-month high of 7.39 per cent on account of increase in inflation of all major groups, viz, Primary articles, Fuel & power and Manufactured products.

The forecast of a normal south-west monsoon and the slight softening of the pressure on oil prices may soften food and fuel inflationary pressures respectively. The outlook for core inflation is likely to be impacted depending on the disruptions in supply chains due to localised restrictions across States.

(Source: DEA Monthly Economic Review April 2021)




Chart 1.1: Inflation rate CPI & WPI


Source: PIB and MoSPI

1.2.3 Monetary Management

In the First Bi-monthly Monetary Policy Statement for 2020-21, the MPC reduced policy repo rate to 4.40 per cent from 5.15, followed by another 40 basis points (bps) reduction to 4.0 per cent in the Second Bi-Monthly Policy.

The policy repo rates per cent kept unchanged in the Third, Fourth, Fifth and Sixth Bi-monthly Monetary Policy Statements. In addition, the RBI continued with the accommodative stance as long as it is necessary to revive growth, while ensuring that inflation remains within the target.

Chart 1.2: Movement in the repo rate during FY 2019-20 and FY 2020-21 is presented below:



Source: MPC Report RBI


1.3 Financial Markets

India has a diversified financial sector undergoing rapid expansion, both in terms of growth of financial services and new entities. The sector comprises commercial banks, non-banking financial companies, co-operatives, insurance companies, pension funds, mutual funds and other smaller financial entities. The year 2020-21 has been an exceptional year because of Covid-19.

1.3.1 G-Sec Market

As per monetary policy report of RBI April 2021, During H2: 2020-21, the 10-year G-sec yield firmed up by 30 bps, although it remained at decadal low levels. During Q3:2020-21, the yield softened by 15 bps from 6.04 per cent to 5.89 per cent, aided by policy measures. The benchmark 10-year yield, which traded at 5.93 per cent (on an average) during April 2020-January 2021, spiked to 6.25 per cent on March 10, 2021 before coming down again.

Chart 1.3: 10 Year G-Sec Bond Yield (Per cent)



Source: RBI report.

1.3.2 Corporate Bond Market

As per monetary policy report of RBI April 2021, during H2:2020-21, corporate bond yields remained almost unchanged. Yields on AAA-rated 3-year bonds issued by NBFCs softened by 1 basis point to 5.54 per cent, while those on corporates and public-sector undertakings (PSUs), financial institutions (FIs) and banks hardened by 5 bps and 11 bps to 5.40 per cent and 5.20 per cent, respectively, at end-March 2021. The risk premium or spread on AAA rated 3-year bonds (over 3-year G-sec) moderated from 63 bps to 36 bps for NBFCs, 43 bps to 22 bps for corporates and 17 bps to 2 bps for PSUs.

1.3.3 Equity Market

The Indian equity market remained upbeat in October 2020 following the phased unlocking of the economy. Domestic equities scaled all-time highs in H2:2020-21 on positive global cues, record FPI inflows, revival in economic activity, robust corporate earnings and roll-out of COVID-19 vaccine.

The equity market resumed its upward trajectory in early March 2021 following robust GST collections, positive GDP data for Q3:2020-21 and improvement in manufacturing and services PMI for February 2021.



Chart 1.4: Sensex and Nifty movement

Source: BSE website

The performance of the bench mark index of BSE during FY 2020-21 remained on the recovery path and closed at 49509.15 point on 31 March, 2021, while Nifty 50, closed at 14690.70 on 31 March, 2021.

1.4 Review of Global Pension Markets

1.4.1 Pension fund Assets in the OECD Area in 2020

As per OECD report, pension fund assets exceeded USD 35 trillion worldwide at end 2020, exceeding 2019 levels despite COVID-19 in almost all countries except those facing significant withdrawals. Pension fund assets grew by nearly

9 per cent in the OCED area and reached at USD34.2 trillion at end 2020. Outside the OCED area, pension fund assets amounted to USD 0.8 trillion at end 2020 in a group of 31 jurisdictions, over 1 per cent more than at end 2019.

The amount of assets in pension funds was continued to increase in almost all countries. This increase was supported by capital gains in financial markets and government measures that helped members to continue participating in their pension plans. Some of the strongest asset rises in nominal terms occurred in Georgia (over 100 per cent) where participation in a 2nd pillar pension scheme has become mandatory since January 2019, and France (84 per cent) where insurance

companies have started creating and transferring pension business to FRPS (i.e. a newly authorised vehicle that is a pension fund).

The amount of assets in pension funds varies by country, with 7 countries in the OECD area responsible for more than 90 per cent of pension fund assets: the United States (USD 20.1 trillion), the United Kingdom (USD 3.2 trillion), the Netherlands (USD 2.1 trillion), Australia (USD 1.8 trillion), Canada (USD 1.6 trillion), Japan (USD 1.5 trillion) and Switzerland (USD 1.2 trillion).

Assets in pension funds exceeded the size of the domestic economy in five countries: the Netherlands (210.3 per cent), Iceland (194.3 per cent), Switzerland (149.1 per cent), Australia (128.7 per cent) and the United Kingdom (118.5 per cent). In contrast, pension fund assets remained much

smaller in countries such as Albania, Greece and France, accounting for 0.2 per cent, 1 per cent and 2.6 per cent of GDP respectively.

Pension funds in most of reporting jurisdictions achieved a positive investment returns despite the sharp fall in stock prices in Q1 2020 in major financial markets, the rise in unemployment and the shrinkage of GDP. Pension funds in Hong Kong (China) and Mexico experienced the highest investment performance in 2020, at 12.4 per cent and 9.3 per cent respectively.

Pension funds also recorded a real investment rate of return over 5 per cent in 17 other jurisdictions, including Denmark (7.5 per cent), the Netherlands (6.5 per cent) and the United States (5.9 per cent). The investment performance of pension funds was lower, but still positive, in 23 other jurisdictions.

Chart 1.5: Assets in Pension funds (in per cent) of GDP in 2020

A. OECD countries (in per cent)


B. Selected other jurisdictions (in per cent)

2.8

2.4

2.5

3



Source: OECD report.


Pension funds achieved a positive nominal return in Colombia (0 per cent), the Czech Republic (1.1 per cent), Serbia (1.1 per cent) and Suriname (10.8 per cent) but below inflation (1.6 per cent in Colombia, 2.3 per cent in the Czech Republic, 1.3 per cent in Serbia and over 50 per cent in Suriname).

1.4.2 Equities Investments in 2020

As per the OECD report, pension funds were mostly invested in equities and bonds at the end of 2020 and together they accounted for 74 per cent of the investment of pension funds on average, directly or indirectly through collective

Chart 1.6: Real investment rates of return of pension funds, Dec 2019-Dec 2020 (preliminary)

(In per cent)



Source: OECD report.

investment schemes, among the 68 reporting jurisdictions. Bonds alone represented 50 per cent of pension fund investments on average.

Equities accounted for more than 50 per cent of the investments of pension funds in Hong Kong (China), Lithuania, Malawi, Namibia and Poland, while pension funds invested almost none of their assets in equities in Armenia, the Czech Republic or Georgia for instance.

Low and declining interest rates also led some pension funds to adjust their asset allocation in 2020, pension funds in the Czech Republic diverted over 8 per cent points of their assets in cash towards bonds (especially government bonds). In Croatia, an increase in pension funds' investments in riskier assets such as equities as a result of the low interest rate environment.

1.5 Major Announcement for Pension Sector in Budget 2021

The announcement was made in the budget 2021 relating to Pension Sector:

Relaxation in conditions for exemption to Sovereign Wealth Fund & Pension Fund (SWF/PF).

In order to incentivise more SWFs/PFs to invest in Indian Infrastructure, it is proposed to relax some of conditions for availing 100 per cent tax exemption introduced in the last budget. The conditions which are proposed to be relaxed include prohibition on loans or borrowings, restriction on commercial activities, direct investment in entity owning infrastructure, etc.

1.6 Indian Demography and Old Age Income Security

Due to rising and unsustainable pension liabilities, in keeping with the global practices and after deep deliberations on the issue, Government made a conscious move to shift from the defined benefit pension scheme to the defined contribution pension scheme. The New Pension Scheme, now renamed as National Pension System (NPS) was introduced by the Government through a notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated December 22, 2003 and it was made mandatory for Central Government employees (except armed forces) who join service w.e.f. January 1, 2004.

The NPS, which was introduced initially for the Central government subscribers, has now been adopted by all the state governments except West Bengal, and most of the Central and State autonomous bodies. NPS has also been extended to the private and unorganized sector on voluntary basis from May 2009.

Government of India vide notification dated January 31, 2019 has notified the increase in its contribution to central government employees NPS accounts from 10 per cent to 14 per cent with effect from April 1, 2019. As per the notification, "The monthly contribution would be 10 per cent of the Basic Pay plus Dearness Allowance (DA) to be paid by the employee and 14 per cent of the Basic Pay plus DA by the Central Government". Greater freedom in choosing pension funds and pattern of investment to central government employees has also been notified along with compensation for non/delayed deposit of NPS contribution.

1.7 Indian Pension Landscape

The landscape of Indian pension system includes non-contributory social pension schemes financed by the Government to provide minimum level of protection like National Social Assistance Programme (NSAP), mandatory defined benefit pension scheme on pay-as-you-go basis like Civil Service Pension for employees who joined service before 2004, Employees' Provident Fund (EPF) and Employees' Pension Scheme(EPS) under the EPFO, other statutory provident funds like Coal Mines, Seamen's and Assam Tea Plantations schemes; the National Pension System (NPS) for the Central government employees joining on or after January 1, 2004 on mandatory basis, employees of those state governments who have joined NPS, NPS for all citizens on voluntary basis covering both employees and self-employed including those in the unorganised sector, Public Provident Fund, retirement and superannuation plans offered by insurance companies and mutual funds.

The fiscal stress of the defined benefit pension system was the major factor driving pension reforms for Government employees introduction of NPS for Government employees. Owing to the financial and practical difficulties of extending coverage to the unorganised sector through the mandatory scheme like EPF (specially organized sector workers), voluntary retirement savings are seen as an important policy tool to extend the coverage of pension provision in India. The important policy measure to achieve a higher coverage of the unorganised sector workers under the pension system is the extension of the NPS, which is financially self-sufficient, low cost and efficient system.

To encourage people from the unorganised sector to voluntarily save for their old age, Government had launched the co contribution scheme – NPS Lite/Swavlamban scheme in September, 2010, Subsequently, Atal Pension Yojana (APY) was launched on May 9, 2015 by the Prime Minister and the Scheme is being implemented with effect from June 1, 2015 with the focus on unorganized sector. The Subscribers under APY shall get a Government guaranteed pension of Rs. 1000, Rs. 2000, Rs. 3000, Rs. 4000 or Rs. 5000 depending upon

the contribution level opted by them. The number of subscribers and Assets under Management under NPS are given in table below:

As on March 31, 2021, a total of 424.40 lakh subscribers have been enrolled under the NPS and APY and recorded a year-on-year growth of 22.82 per cent. APY, a defined benefit pension scheme had 280.49 lakh subscribers as on March 31, 2021

with year-on-year growth of 32.67 per cent.

As on end of March, 2021, 414 banks are registered as APY – Service Providers which include Public Sector Banks, Private Banks, Foreign Banks, Regional Rural Banks, District Commercial Banks, Schedule Commercial Banks, Urban Commercial Banks, Payment Banks, Small Finance Bank and Department of Post.

Table no 1.1: Number of Subscribers under NPS/APY

(As on March 31, 2021)

Sector	No. of subscribers (In Lakh) (as on March 31,2020)	No. of subscribers (In Lakh) (as on March 31, 2021)	Growth (In per cent) (Y-o-Y)	Share (In per cent)
Central Government	21.02	21.76	3.51	5
State Government	47.54	51.41	8.13	12
Corporate	9.73	11.25	15.64	3
All Citizen	12.52	16.47	31.53	4
NPS Lite	43.32	43.02	-	10
APY	211.42	280.49	32.67	66
Grand Total	345.55	424.40	22.82	100

- The number of Service Providers for APY has increased from 403 at end of March 2020 to 414 at end of March 2021 with an increase of 2.73 per cent.
- All employees of Central Government along with CABs and State Governments along
- with SABs which have adopted NPS are to be mandatorily covered under NPS. This year 27 new CABs and 141 SABs have been brought under NPS taking total no. of CABs and SABs to 630 and 1459, respectively.
- Corporate sector offers NPS to their employees on mandatory or voluntary

Table 1.2: Assets under Management under NPS/APY

(As on March 31, 2021)

Sector	AUM (Rs. crore) (as on March 31, 2020)	AUM (Rs. crore) (as on March 31, 2021)	AUM Growth (In per cent) (Y-o-Y)	AUM Share (In per cent)
Central Government	1,38,046	1,81,788	31.69	31
State Government	2,11,023	2,91,381	38.08	50
Corporate	41,231	62,609	51.80	11
All Citizen	12,924	22,206	71.96	4
NPS Lite	3,729	4,354	16.80	1
APY	10,526	15,687	49.03	3
Grand Total	4,17,479	5,78,025	38.46	100

Table 1.3: Performance Highlights of National Pension System/ Atal Pension Yojana during FY 2020-21

(In numbers)

Measures	At the end of FY 2019-20	At the end of FY 2020-21	Growth (In per cent)
Government Subscribers	68,55,842	73,16,350	6.72
All Citizen + Corporate Subscribers	22,25,134	27,71,936	24.57
APY Subscribers	2,11,42,262	2,80,49,151	32.67
No. of POP-SPs#	2,41,703	2,47,254	2.30
No. of APY-SPs	403	414	2.73
No. of CABs	603	630	4.48
No. of SABs	1,318	1,459	10.70
No. of Corporate	7,571	8,599	13.58
No. of officials trained * (FY wise)	86,835	12,024	-

^{*}Incremental conducted by Hero Mind-mine Institute Private Ltd.

Other represented figures are registered with CRAs.

basis. At the end of March 2021, as per CRAs reports total 8599 Corporate are registered under NPS against 7571 Corporate at the end of March 2020 with an increase of 13.58 per cent.

Government support to these schemes in the form of tax benefits and guarantee for APY increases the appeal of these schemes. However, considering the vast uncovered population of the country a lot more needs to be done. The major challenge in extending the NPS to all citizens is increasing the awareness and financial literacy among potential subscribers. PFRDA has been taking several steps to increase the awareness through different mass media and capacity building programmes. Further, to ensure dissemination of NPS awareness, PFRDA has aggressively undertaken promotional and developmental activities by engaging dedicated agency for imparting training and capacity building for officials of Service Providers.

To improve ease of access to NPS for the potential subscribers and service providers, PFRDA has been further enhancing the technology across the value chain whether it is e-NPS, Mobile apps, e-KYC. These channels have been driving the efficiencies. Through e-NPS, a person can conveniently register and contribute online. Online contribution facility under NPS is also

available for the existing subscribers. e-NPS facilitates opening of Individual Pension Account under NPS and making initial and subsequent contribution to the Tier I as well as Tier II account online. This feature also enables the subscribers to change their Pension Funds, asset class, allocation ratio, and scheme options after authentication. NPS subscribers can initiate withdrawal request from Tier II account by using their login credentials and OTP authentication on registered mobile number.

Online PRAN generation module (OPGM) is offered to stakeholders for on boarding of NPS subscribers to enable instant PRAN generation with minimal documentation. However, such accounts are deemed to be irregular till complete documentation is verified and record with the Central Record Keeping Agencies (CRAs). Intermediaries registered with PFRDA are permitted to use Video based Customer Identification Process (VCIP) for the purpose of on-boarding, exit or any other service request related to NPS.

NPS subscribers are provided with various convenient options to deposit their voluntary contributions through the associated Nodal Offices, PoPs, e-NPS or through NPS Mobile Applications. An additional option/mode of contribution namely Direct Remittance (D- Remit)

[#] Data considered state-wise highest number of POP-SPs of NSDL and K-fintech CRAs.

is introduced wherein the existing NPS Subscribers under Government/All Citizens Model are able to deposit their voluntary contributions by creating a Virtual ID linked to their PRANs and to provide them same day NAV on investments. Through D Remit, not only one time contributions can be made but also periodic NPS contributions can be automated for any defined amount and for any defined date from the Subscribers bank account. The option of contribution into NPS through D Remit has also been extended to NRI-NPS subscribers who can contribute to their NPS accounts from funds in their NRO/NRE accounts. At the time of withdrawal/Exit, the proceeds of NPS shall be credited into NRO/NRE account of NRI subscribers and repatriation would be as per applicable FEMA guidelines.

1.8 A Brief on the Review of the Objectives of PFRDA during the year.

The preamble to the PFRDA Act 2013, lays down the objectives of the Authority as the promotion of old age income security, through regulation and development and protection of the interests of the subscribers to schemes of Pension Funds and for matters connected therewith or incidental thereto. PFRDA has been actively engaged in the promotion and development of NPS (all its variants) and Atal Pension Yojana, regulation and supervision of all intermediaries under NPS towards the overall objective of provision of old age income security and protection of subscriber's interest. While engaged in these activities, in keeping with the preamble of PFRDA Act 2013 and the best global practices, the PFRDA endeavours to achieve the following broad objectives/outcomes:

- Increasing Coverage
- Security
- Efficiency
- Adequacy
- Sustainability

Increasing Coverage

Provision of the old age income security to all sections of the population has been one of the important objectives of the Authority. While PFRDA Act 2013 mandates regulation of NPS, a number of variants of NPS have been introduced to cover different sections of the population

like Central Government, State Government, Corporate, All-Citizen, NPS Lite, Atal pension Yojana (a GOI scheme, administered by PFRDA). The Authority has been engaged in expanding coverage through creation of mass awareness through print, electronic and social media, engaging a training agency for imparting training and capacity building for officials of banks, post offices, POPs, Nodal Offices, appointment of retirement advisors, facilitating ease of on-boarding and transaction through e-NPS etc.

Security

PFRDA has put in place an extensive framework of regulations under the PFRDA Act 2013 to ensure the security of pension assets to minimize the risk to the pension funds that have been accumulated to provide retirement benefits. These regulations include strenuous eligibility criteria for selection, detailed Corporate Governance frameworks, fit and proper criteria, extensive code of conduct, detailed roles and responsibilities, structures for all intermediaries including Pension Funds to ensure the security of assets. These regulations have been reviewed and strengthened from time to time. In order to further strengthen the IT supervisory processes, the PFRDA, is focusing on implementation of cyber security, and will ensure the coverage.

Efficiency

It has been the endeavour of the Authority to optimize the efficiency in the system through maximizing returns to the subscribers subject to acceptable risks. This has been done through review of the investment guidelines from time to time to optimize the returns. Introduction of two new life cycle funds like LC 25 and LC 75 and introduction of a new Asset Class "A" for private sector subscribers are some of the steps in this direction.

Efficiency also relates to the efficiency of the labour and capital markets, as each interacts with the pension system through direct contributions to pensions (through longer working lives and contributions, lower costs of capital, or greater financial inclusion) as well as through indirect contributions to jobs and investment. PFRDA has been actively engaged in financial inclusion through awareness creation for APY subscribers

in particular and NPS in general.

For capital markets, efficiency relates to capital market depth through the development of non-bank financial capital to fund productive investment and maximize the benefits of wider capital market reforms. PFRDA has been parts of inter regulatory groups and committees in furtherance of these objectives.

The other endeavour of the Authority is to strengthen the intermediaries under NPS. The strengthening of intermediaries is very important as to have a fair and transparent system. Strengthening by the means of sharing and imparting correct knowledge to Intermediaries about the product and process, laying of proper guidelines enables the entire system to function properly. The disciplined system ensures and protects the subscribers' interest.

Adequacy

One of the important objectives of any pension system is to have the adequate pension wealth to the subscribers at the time of retirement i.e. facilitating accumulation of retirement benefit entitlements to enable them for old age income security. While NPS is a defined contribution scheme, without guarantee of any benefits, however, as a measure of good practice, Authority's endeavour has been to work towards ensuring adequate pension wealth on retirement, through various measures including increasing the age of contribution to NPS beyond 60 years, review of investment guidelines for optimizing returns, increasing contributions through engaging with the government for tax concessions etc. Further going ahead, under voluntary sector like All Citizen Model, Corporate Model has been allowed to onboard NPS even after 60 years of age.

Sustainability

Sustainability is one of focal point of any contributory pension system. Through NPS, there is an effort to offer pension product to different segment of society of the country, which can sustain in a long run to achieve the ultimate goal of providing a secured old age income. NPS is a defined contribution scheme, with institutional framework and product design, it empowers itself to sustain in a long run. The continued savings

habit and investment discipline has important role to play in achieving the endeavour of a sustainable pension system. PFRDA has initiated several steps to increase the awareness level of retirement saving/pension and to in furtherance of these objectives.

1.9 Intermediaries under NPS

1.9.1 Intermediaries and Other Entities Associated with National Pension System and Other Pension Schemes Covered under the Act

The National Pension System (NPS) works under an unbundled architecture with each function assigned to specialized entities in the field. The NPS architecture consists of Points of Presence (POP), Government Department Nodal Offices, Central Record-keeping Agency (CRA), Trustee Bank, Pension Funds (PF's), NPS Trust, Custodian, Annuity Service Providers and Retirement Advisers.

1.9.1.1 Points of Presence (PoPs)

Points of Presence are banks and non-banking financial companies etc registered with PFRDA for registration and servicing of the subscribers to the NPS. A PoP is the first point of interaction between the subscriber and the NPS. The registered PoPs have authorized branches called POP-Service providers (PoP-SPs) to act as collection points and extend services to customers. The functions of the PoPs include: subscriber's registration, processing subscriber contributions, change in personal details, change in investment scheme/fund manager, processing subscriber shifting from one model to the other, issuing printed account statement, processing of withdrawal/ exit request on superannuation etc.

1.9.1.2 Government Nodal Offices

(i) Central Government Nodal Offices

PrAO, PAO and DDO

The Principal Accounts Office (PrAO), Pay and Accounts Office (PAO) and Drawing & Disbursing Office (DDO) under the Central Government or analogous offices under Central Government and Central Autonomous Bodies are intermediaries which interact with CRA on behalf of the Subscribers for purpose of NPS.

(ii) State Government Nodal Offices

DTA, DTO and DDO

The Directorate of Treasury and Accounts (DTA), District Treasury Office (DTO) and Drawing & Disbursing Office (DDO) under the State Governments or analogous offices under State Governments and State Autonomous Bodies are intermediaries which interact with CRA on behalf of the Subscribers for purpose of NPS.

Nodal Offices are the identified offices of Government agencies register under CRA system for various operational works under NPS. These offices are identified by a unique number, i.e., Pr.AO /PAO/ DDO registration number that is allotted to them by the CRA on successful registration. These offices have major role to play few of them are as below:

- Submission of Forms for subscriber registration
- Distribution of PRAN kits to subscribers
- Providing timely and accurate information about contributions of the subscribers
- Forwarding request of the subscribers for necessary action
- Resolving grievances of the subscribers
- Forwarding approved withdrawal requests of the subscribers

1.9.1.3 Central Record-keeping Agency (CRA)

NSDL e-Governance Infrastructure Ltd. and K-fin Technologies Pvt. Ltd. have been designated the CRAs for the NPS. Their main functions include:

- (i) Maintaining subscriber records, administration and customer service functions.
- (ii) Issuing Permanent Retirement Account Number (PRAN) for each subscriber, maintaining the database of all PRANs and recording transactions relating to each PRAN.
- (iii) Acting as the interface between the various intermediaries of the NPS system. This includes monitoring contributions by each member and instructions and communication of the same to the pension funds. Periodically, they also send PRAN statement to each member.

- (iv) Providing a centralized grievance management system.
- (v) Providing timely fund transfer related information to the fund managers.
- (vi) Co-ordination with the Trustee Bank for remitting withdrawal funds to the subscribers' account and to the annuity service provider for the annuity scheme.

PFRDA has also granted Certificate of Registration (CoR) to Computer Age Management Services Ltd. (CAMS) to act as Central Record keeping Agency (CRA) for NPS under PFRDA (CRA) Regulations, 2015.

1.9.1.4 Trustee Bank

The Trustee Bank handles the flow of funds between various intermediaries under NPS. Presently, Axis Bank Ltd is the designated bank to facilitate fund transfers across subscribers, fund managers and the annuity service providers based on the instructions received from the CRA. The Trustee Bank receives funds from the Nodal Offices/PoPs/Aggregators and reconciles it with the Subscriber Contribution File. The Trustee Bank holds the funds in the name of the NPS Trust and the subscribers are the beneficial owners.

1.9.1.5 Pension Funds (PFs)

These are professional pension fund managers appointed to invest, judiciously and prudently, the pension corpus in a portfolio of securities and manage them. Currently the pension fund managers under NPS are –ICICI Prudential Pension Funds Management Company Ltd., LIC Pension Fund Ltd, Kotak Mahindra Pension Fund Ltd., SBI Pension Fund Private Ltd., UTI Retirement Solutions Ltd, and HDFC Pension Management Co Ltd., Aditya Birla Sun Life Pension Management Limited Their functions include:

- (i) Ensuring investment as per investment guidelines
- (ii) Investing the contributions in the schemes as per the instructions provided by CRA.
- (iii) Constructing the scheme portfolio.
- (iv) Maintenance of books and records, reporting to the Aauthority and making disclosures.

1.9.1.6 Custodian of Securities

The securities purchased from NPS corpus in the name of the NPS trust are held by the Custodian of Securities, who also facilitates securities transactions by making and accepting delivery of securities. The PFRDA has appointed the Stock Holding Corporation of India Ltd as the Custodian. The functions include:

- (i) Having Custody of the Securities held in the name of NPS Trust, purchased out of NPS Corpus.
- (ii) Maintaining details of securities held.
- (iii) Collecting the benefits like dividend, rights, bonus etc. on securities.
- (iv) Informing about the actions of the issuers of securities held that may impact the benefits.

1.9.1.7 NPS Trust

NPS Trust is a trust set up under the Indian Trusts Act, which holds the assets of the NPS for the benefit of subscribers. The Trust has the fiduciary responsibility of taking care of the funds and protecting the subscriber interests. The NPS Trust monitors and supervises the functioning of the Pension Funds and interacts with other intermediaries like the Central Recordkeeping Agency (CRA), Trustee Bank, Custodians and other entities.

1.9.1.8 Annuity Service Providers

Annuity Service Providers (ASPs) are insurance companies regulated by IRDAI, and empanelled by the PFRDA to provide the annuity to the NPS subscribers from the bouquet of annuities offered by them.

1.9.1.9 Retirement Advisers

Retirement Adviser means any person being an individual, registered partnership firm, body corporate, or any registered trust or society, who desires to engage in the activity of providing advice on National Pension System or other pension scheme regulated by PFRDA to prospects/subscribers or other persons or group of persons and is registered as such under PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016. The list of Individual and Other than Individual Retirement Adviser is available on PFRDAs' website.

1.9.2 Types of Account

Under NPS following two types of accounts are available:

- (i) Tier-I account: Under Tier-I account the subscriber contributes his savings for retirement/ pension into this partially withdraw-able account. Premature withdrawals are allowed subject to certain conditions.
- (ii) Tier-II account: This is a voluntary investment account where the subscriber is free to deposit and withdraw the savings from this account whenever he/she wishes.

Beside NPS, PFRDA also administers and regulates the Atal Pension Yojana.

1.9.3 Outreach

For fulfilling PFRDA's mandate of creating awareness about the need of saving for retirement and retirement planning, PFRDA undertakes various activities including imparting training through training agencies selected by PFRDA. These training agencies impart training to the Central and State Government Nodal Officers, Pay & Accounts Offices (PAOs), Drawing & Offices (DDOs), Points of Presence/ Banks/ Post Offices involved in the registration of subscribers, about the salient features of the NPS / APY, the process of joining etc. Further, training workshops/ camps have been organized for subscribers across the sector and geography as a part of a wider financial consumer protection policy. NPS/APY trainings were imparted only through online mode i.e. video conferencing and the appointed training agency conducted a total of 255 online training sessions for 12024 participants during the financial year. Moreover, 13 training programs/ workshops were conducted directly by PFRDA notably for; NAHRD, ISTM, CCI, NPC, IFSCA, ICICI Securities. Assets under Management which includes the returns on the corpus, under the NPS and APY have witnessed an increase from Rs. 4,17,479 crore as on March 31, 2020 to Rs. 578,025 crore as on March 31, 2021, registering a year-on-year increase of 38.46 per cent.

Part - II

Investment of Funds under NPS

This chapter deals with the investments of funds under NPS and other pension schemes covered under the Act, and the extent of exposure in the National Pension System, in different categories of investments including Government securities, debt securities and equities in accordance with Appendix II of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015.

2.1 Pension Funds (PFs)

Pension fund means an intermediary which has been granted a certificate of registration under sub - section (3) of section 27 by the Authority as a pension fund for receiving contributions, accumulating them and making payments to the subscriber in the manner as may be specified by regulations.

Appointed and registered Pension Funds manage pension corpus through various schemes under National Pension System or any other Scheme. Pension Funds use their access codes to confirm receipt of netted assets and instructions regarding fund allocation, confirm allocation of funds and communicate the NAV of each scheme to CRA and the custodian on a regular basis.

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 were notified on 14th May, 2015 and the Pension Funds had to abide by these regulations including any amendments thereunder.

2.1.1 Functions of Pension Funds

The functions of the Pension Funds include, but are not limited to the points mentioned below:

- i) The management of pensions schemes shall be carried in accordance with the objects of the schemes, provisions of the Act, Trust Deed, rules, regulations, guidelines and circulars issued by the Authority from time to time and within the time lines as specified by the Authority or the National Pension System Trust.
- ii) The day-to-day management of the pension

- funds shall be done by the pension fund on behalf of the National Pension System Trust.
- iii) The pension fund shall, at all times render high standards of service, exercise reasonable care, prudence, professional skill, promptness, diligence and vigilance while discharging its duties in the best interests of the subscribers. The pension funds shall avoid speculative investments or transactions.
- iv) The pension fund shall employ well qualified professionals or staff with high integrity. The pension fund shall be responsible for the acts of commissions or omissions by its employees or authorised persons whose services have been procured and its liability for such acts of commissions or omissions. This liability shall survive despite the cancellation or suspension or withdrawal of certificate of registration or supersession of management by the Authority.
- v) The pension fund shall facilitate and coordinate with other intermediaries and other entities inter-alia through agreements, technological platforms for undertaking its functional obligations.
- vi) The pension fund shall maintain books of accounts, records, registers and documents relating to the operations of the pension schemes to ensure compliance with the regulations, guidelines, circulars issued by the Authority from time to time, and facilitate audit trail of transactions and business continuity at all times.
- vii) The pension fund shall submit periodical and compliance reports as required under these regulations, guidelines or circulars, or as may be called for by the Authority, or as required by the National Pension System Trust from time to times.
- viii) The pension fund shall undertake public disclosure of information for the benefit of subscribers in the mode and manner as may be specified by the Authority in Schedule V.
- ix) The pension fund shall adopt best governance practices for investments

and risk management viz. constitution of Investment Committee and Risk Committee, its composition, functions, policy contents and other like matters as specified in Schedule X.

- x) The pension fund shall prevent conflict of interests that may arise while discharging the obligations as a pension fund and reporting of such instances to the National Pension System Trust.
- xi) The pension fund shall ensure exclusivity and segregation of pension fund business activities from its sponsors.
- xii) The pension fund shall ensure confidentiality with respect to subscribers' information and activities relating to the pension fund and protection of all information within its control except as required by the Authority or the National Pension System Trust or provisions of any law.
- xiii) The pension fund shall provide such representations and warranties as may be necessary for the protection of subscribers' interest on behalf of the National Pension System Trust.

2.1.2 List of Pension Funds (PFs) for Government Sector NPS Schemes (i.e. Central Government (CG) and State Governments (SG) including autonomous bodies), NPS-Lite and APY.

- i) LIC Pension Fund Limited
- ii) SBI Pension Funds Private Ltd
- iii) UTI Retirement Solutions Ltd

As on 31.03.2021, the investment management fee charged by Pension Funds for managing the Govt. employees NPS portfolio is 0.0102 per cent per annum of the assets under management (AUM).

2.1.3 List of Pension Funds (PFs) for Private Sector NPS schemes

- (i) HDFC Pension Management Company Limited
- (ii) ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited
- (iii) Kotak Mahindra Pension Fund Limited
- (iv) Aditya Birla Sun Life Pension Management Limited
- (v) LIC Pension Fund Limited
- (vi) SBI Pension Funds Private Limited

(vii) UTI Retirement Solutions Limited

As on March 31, 2021, the Investment management fee charged by Pension funds for the non-govt. sector portfolio is 0.01 per cent per annum of the assets under management (AUM).

2.2 Schemes

The subscribers in NPS fall under the following sectors:

- (i) Government Sector (Central Government/ State Government including Autonomous Bodies)
- (ii) NPS Lite
- (iii) Atal Pension Yojana (APY)
- (iv) All Citizen/UoS
- (v) Corporate Sector

Investments under NPS for the above sectors are made as prescribed under the investment guidelines issued by the Authority and equity exposure has been specified since inception for all the schemes /segments. The investment options under NPS vary from Sector to Sector.

2.2.1 Government Sector (Central Government/ State Governments including Central Autonomous Bodies and State Autonomous Bodies)

As per the PFRDA's investment guidelines, following exposure limits have been decided for the Government sector including CABs/SABs under NPS:

Table No. 2.1: Allocation of Assets in Government Sector

Particulars	Maximum Exposure Limits (In Per cent)
Government Securities & related investments	55
Debt Instruments & Related investments	45
Equity & related investments	15
Short term debt instruments & related investments	10
Asset backed, trust structured & Miscellaneous investments	5

Under the government sector, 3 public sector Pension Funds i.e. LIC Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Private Limited and UTI Retirement Solutions Limited manage and invest the contributions in the ratio (among the 3 pension funds) as decided by the Authority from time to time.

Further, based on the Government's OM no. 1/3/2016-PR dated January 31, 2019 and as per the Authority's circular dated May 8, 2019; Government employees (Central Government only) have been given the following options:

Choice of Pension Fund

As in the case of subscribers in the private sector, the Government subscribers shall also be allowed to choose any one of the pension funds including private sector pension funds. They could change their option once in a year. However, the current provision of combination of the Public sector pension funds will be available as the default option for both existing as well as new Government subscribers.

Choice of Investment Pattern

- i. Existing scheme in which funds are allocated by the PFRDA among three Public Sector Undertaking fund managers based on their past performance in accordance with the guidelines of PFRDA for Government employees shall continue as default scheme for both existing and new subscribers.
- ii. Government employees who prefer a fixed return with minimum amount of risk shall be given an option to invest 100 per cent of the funds in Government securities (Scheme G)
- iii. Government employees who prefer higher returns shall be given the options of the following two life-cycle based schemes:
- Conservative life cycle fund with maximum exposure to equity capped at 25 per cent -LC-25
- b) Moderate life cycle fund with maximum exposure to equity capped at 50 per cent LC-50

The Central Government subscribers under NPS may exercise one of the above choices of investment pattern twice in a financial year.

Some of the State Governments have also extended above choice of investments.

2.2.2 NPS Lite

The fresh enrollments under NPS Lite had been discontinued w.e.f April 1, .2015. However, for the existing NPS Lite subscribers, as per the PFRDA's investment guidelines, following exposure limits have been decided for the NPS Lite sector:

Table No. 2.2: Allocation of assets in NPS Lite Sector

Particulars	Maximum Exposure Limits (In Per cent)
Government Securities & related investments	55
Debt Instruments & related investments	45
Equity & related investments	15
Short term debt instruments & related investments	10
Asset backed, trust structured & Miscellaneous investments	5

Under NPS Lite, only 3 public sector Pension Funds i.e. LIC Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Private Limited and UTI Retirement Solutions Limited manage and invest the contributions in the ratio (among the 3 pension funds) as decided by the Authority from time to time. Further, a single private sector Pension Fund i.e. Kotak Mahindra Pension Fund Limited has been chosen by one of the aggregator for managing the contributions. Under NPS- Lite scheme, no selection of Pension Fund or the asset allocation is offered to the subscribers.

2.2.3 Atal Pension Yojana

Atal Pension Yojana (APY), a Government pension scheme for citizens of India, is focused on

the unorganised sector workers. Under the APY, guaranteed minimum pension of Rs. 1,000/- or 2,000/- or 3,000/-or 4,000 or 5,000/- per month will be given at the age of 60 years depending on the contributions made by the subscribers.

Under Atal Pension Yojana (APY), no selection of Pension Fund or the asset allocation is offered to the subscribers because it is a guaranteed government scheme and the asset allocation is kept same as for the Government sector employees under NPS as per the following:

Table No. 2.3: Allocation of assets in Atal Pension Yojana Sector

Particulars	Maximum Exposure Limits (In Per cent)
Government Securities & related investments	55
Debt Instruments & related investments	45
Equity & related investments	15
Short term debt instruments & related investments	10
Asset backed, trust structured & Miscellaneous investments	5

Under Atal Pension Yojana, 3 public sector Pension Funds i.e. LIC Pension Fund Limited/SBI Pension Funds Private Limited and UTI Retirement Solutions Limited manage and invest the contributions in the ratio (among the 3 pension funds) as decided by the Authority from time to time.

2.2.4 All Citizen / Unorganised Sector

The subscribers under All Citizen Un-Organized Sector may opt for any of the investment pattern i.e. "Active Choice" or "Auto Choice".

As per the PFRDA's investment guidelines, following exposure limits have been decided for the All Citizen Un-Organized Sector under NPS:

Table No. 2.4: Allocation of Assets in All Citizen/UoS Sector

Particulars	Maximum Exposure Limits (In Per cent)
Equity & related investments	75
Debt Instruments & related investments	100
Government Securities & related investments	100
Short term investments (money market, short duration mutual funds, & term deposits)	10

Option of change of Pension Fund and investment choice:

Further, Pension Fund can be changed once in a financial year and Investment Option can be changed twice in a financial year by the subscriber.

2.2.5 Corporate Sector

For subscribers belonging to Corporate Sector - where the employer has adopted NPS for its employees, the investment options and choices have been kept flexible.

There are two types of schemes under this segment:

(i) Corporate CG scheme

This scheme has been discontinued and it is not available under corporate segment but those corporates which were already covered under this scheme and have not changed this scheme are still continuing under this scheme.

As per the PFRDA's investment guidelines, following exposure limits have been decided for the Corporate CG sector under NPS:

Table No. 2.5: Allocation of assets in Corporate CG Sector

Particulars	Maximum Exposure Limits (In Per cent)
Government Securities & related investments	55
Debt Instruments & related investments	45
Equity & related investments	15
Short term debt instruments & related investments	10
Asset backed, trust structured & Miscellaneous investments	5

Under this Corporate CG scheme, investments are with 02 Pension Funds i.e. LIC Pension Fund Limited or SBI Pension Funds Private Limited.

(ii) Other schemes presently available under corporate segment

Under this scheme, the employer may delegate the responsibility of selecting a Pension Fund and/or mode of investment to employees or the employer may select a Pension Fund and/or the Life Cycle Fund on behalf of its employees. These aspects related to NPS may form part of the employer-employee arrangement. As per the investment option exercised, the employer or the subscriber has to select any of the one registered Pension Fund and further selection of asset allocation among the four asset classes as per the following:

- Asset class E Equity and related instruments
- Asset class C -Corporate debt and related instruments
- Asset class G -Government Bonds and related instruments
- Asset Class A -Alternative Investment Funds including instruments like CMBS, MBS, REITS, AIFs, InvlTs.

The subscribers under this sector may opt for any of the investment pattern i.e. "Active Choice" or "Auto Choice".

As per the PFRDA's investment guidelines, following exposure limits have been decided for the corporate Sector under NPS:

Table No. 2.6: Allocation of assets in Corporate Sector

Particulars	Maximum Exposure Limits (In Per cent)
Equity & related investments	75
Debt Instruments & related investments	100
Government Securities & related investments	100
Short term investments (money market, short duration mutual funds, & term deposits)	10

Options of Change of Pension Funds and Investment Choice

Further, Pension Fund can be changed once in a financial year and Investment Option can be changed twice in a financial year by the subscriber.

2.2.6 Tier II Tax Saver Scheme (TTS)

The scheme is only available for NPS subscribers belonging to the Central Government. There is a lock-in period of 3 years from the date of unitization of contributions by Central Recordkeeping Agencies to enjoy the tax benefits u/s 80C of Income Tax Act.

No withdrawals will be allowed during the lockin period, however, in case of death of subscriber, the corpus can be withdrawn by the nominee/ legal heir. In case of closure of Tier-I account due to exit from NPS, contributions to NPS-TTS will not be allowed until the completion of the lock-in period.

The following investment limits have been prescribed to the Pension Funds with respect to TTS:

Asset Classes	Maximum Exposure Limits (In Per cent)
Equity	10 - 25
Debt	90
Cash/Money Market/ Liquid mutual funds	5

Option of change of Pension Fund and investment choice

The subscribers do not have any choice of investment options under this scheme. However, the TTS subscribers are allowed to have maximum of 3 pension funds separately however the PF change will be allowed only after completion of lock-in period.

The details of the schemes wise asset under management is given in the table below: -

Table 2.7: Details of Asset under Management(Amt. in Rs. crore)

(Antt. iii RS. Cio					
Scheme	March 31,	March 31,	Growth (In		
	2020	2021	per cent)		
CG	1,38,014.59	1,81,416.26			
SG	2,11,499.67	2,91,959.92			
Subtotal	3,49,514.26	4,73,376.18	35.44		
Cor. CG	27,143.03	36,929.68			
E-I	7,932.05	18,979.51			
C-I	6,495.76	9,686.52			
G-I	10,992.80	16,766.29			
A-I	39.60	74.76			
E-II	352.55	850.98			
C-II	297.26	482.73			
G-II	457.16	835.49			
Tier II - TTS	-	2.12			
NPS Lite	3,728.40	4,354.38			
APY	10,526.26	15,687.11			
Subtotal	67,964.87	1,04,649.56	53.97		
Grand	4,17,479.13	5,78,025.74	38.46		
Total					

*Source NPS-Trust

The table above indicate that the asset under management for government sector NPS schemes (CG and SG) has grown by around 35 per cent, however the asset under management of the schemes other than these two schemes has grown by around 54 per cent. In terms of absolute number, the government sector schemes grew by Rs. 1,23,862 crore whereas other than government sector schemes in aggregate grew by Rs. 36,685 crore.

Table No. 2.8: Pension Fund wise and Sector-wise (CG, SG, NPS Lite, APY & Corporate CG) Asset under Management as on March 31, 2021

(Amt. in Rs. crore)

Name of Pension Fund/ Schemes	CG	SG	NPS Lite	APY	Corp. CG	Grand Total
SBI Pension Funds Pvt. Ltd	63982.48	100846.69	1777.02	5334.46	35003.50	206944.15
LIC Pension Fund Ltd.	56922.24	94067.92	1267.61	5174.44	1926.18	159358.39
UTI Retirement Solutions Ltd	60511.54	97045.31	1241.53	5178.21		163976.59
ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.						
Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.			68.22			68.22
HDFC Pension Management Co. Ltd.						
Aditya Birla Sun Life Pension Management Ltd.						

Table No. 2.9: Pension Fund wise vis-a-vis Scheme-wise (E-I, C-I, G-I, A-I, E-II, C-II & G-II) Asset under Management as on March 31, 2021

(Amt. in Rs. crore)


Name of Pension Fund/ Scheme	E-I	C-I	G-I	E-II	C-II	G-II	A-I	TTS- II	Grand Total
SBI Pension Funds Pvt. Ltd	5736.48	3157.80	6150.27	230.12	137.91	239.90	17.78	0.79	15671.05
LIC Pension Fund Ltd.	1530.26	832.11	1452.57	59.03	38.44	114.54	4.00	0.21	4031.16
UTI Retirement Solutions Ltd	871.55	449.94	805.78	44.13	20.88	37.07	3.11	0.15	2232.61
ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.	3045.66	1612.66	2504.95	152.92	95.75	137.54	9.04	0.12	7558.64
Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.	604.29	307.97	490.90	42.82	21.40	33.22	3.24	0.08	1503.92
HDFC Pension Management Co. Ltd.	7066.07	3271.34	5276.12	309.55	161.51	262.35	36.34	0.70	16383.98
Aditya Birla Sun Life Pension Management Ltd.	125.20	54.69	85.71	12.42	6.83	10.86	1.25	0.07	297.03

The asset class wise bifurcation of the assets under management as on March, 2021 vis-a-vis March 2020 is given below: -

Table No. 2.10: Asset Class wise bifurcation of Asset under Management

	March 3	31, 2020	March :	31, 2021
Asset Class	Amount (Rs. crore)	Percentage of Investment	Amount (Rs. crore)	Percentage of Investment
G-Sec	214303	51	286132	49
Corporate Bond	143608	35	176412	30
Equity	42827	10	91400	16
Money Market	8827	2	15347	3
Cash & Net Current Assets	7915	2	8734	2
Total	417479	100	578025	100

Source: NPS Trust






Chart No. 2.1: Asset Class wise bifurcation of Assets under Management

As explained above, the different schemes are managed by different Pension Fund managers, the details of asset under management of various schemes under the respective Pension Funds are given below:-

2.3 Regulations, Notification, issuance of major Circulars / Guidelines w.r.t. Pension Fund.

(i) Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Third Amendment) Regulations, 2020 dated May 14, 2020.

The amendment states about the matter of joint ventures between the sponsors and requirement of memorandum with timelines specified therein and sponsor to provide the pension fund with adequate and necessary infrastructure, dedicated manpower, systems procedures, information and technology and information security systems with capabilities to adapt to future changes or any other requirement as may be specified by the Authority, information on key personnel etc. Few sub regulations have been deleted and addition have been carried out.

(ii) Choice of Pension Funds and Investment Pattern in Tier-I of NPS for the Government subscribers employed with State

Governments (SG), State Autonomous bodies (SABs) & Central Autonomous Bodies (CABs).

This circular refers to the Gazette Notification F.N. 1/3/2016-PR dated January 31, 2019 issued by Dept. of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MoF), pursuant to which the Authority vide circular dated May 8, 2019, introduced the choice of pension fund and investment pattern in the Tier I of the NPS for the employees of the Central Government. It was clarified that the State Governments (SG)/SABs/CABs are free to adopt the provisions of the said Gazette notifications on their own volition, based on their own internal approvals and notifications, without seeking the Authority's approval.

(iii) Change in Investment Guidelines for NPS schemes and other Pension schemes administered by PFRDA.

This circular permits additional exposure of 5 per cent of the corpus in the short term debt securities and related investments' in Scheme E-I, E-II, C-I and G-I under NPS so that the Pension Funds may deploy additional cash and cash equivalents during the highly volatile market conditions. It is

decided to allow Pension Funds to invest in Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue) debt securities issued by body corporates including banks and financial institutions which have a minimum residual maturity period of three years or less than three years from the date of investment, subject to maximum limit of 10 per cent of the corporate bond portfolio of the Pension Fund.

Further, the Pension Funds are allowed to invest in the Debt ETFs launched by Government of India, up to 5 per cent of Asset under Management of Corporate Bond Portfolio of the respective scheme under the Investment guidelines for NPS schemes/other schemes administered by PFRDA.

- Revised timelines for uploading NAV iv) (scheme wise) and NAV history (since inception) by Pension Funds Due to change in valuation methodologies as put in place by SEBI circular dated September 24, 2019 regarding change in valuation of all other money market securities and debt securities, on the basis of VWAY (Value Weighted Average Yield) of all trades during the day, PFRDA has decided to extend the timeline for NAV declaration by the Pension Funds for uploading the Net Asset Value (NAV) (scheme wise) and NAV History (since inception) by Pension Funds on the websites of CRAs from existing 'by 9.00 PM on the same day' to 'by 10.00 PM on the same day'.
- (v) Guidelines on aggregate holding of equity shares by a foreign company in Pension Funds as provided under Section 24 of the PFRDA act, 2013- Manner of calculation of such aggregate holding of equity shares by a foreign company in a Pension Fund under

National Pension System.

(vi)

The circular contains the Guidelines issued by PFRDA on aggregate holding of equity shares by a foreign company in Pension Funds as provided under Section 24 of the PFRDA act, 2013 along with a manner of calculation of such aggregate holding of equity shares by a foreign company in a Pension Fund under NPS.

Transfer of Legacy Funds of NPS Subscribers

- of Government Sectors (SGs/CABs/SABs) pursuant to opening of choice of Investment schemes and Pension Funds.

 In case Subscribers of the SGs/SABs/CABs decide to open up the choices of pension funds or allocations of funds, then by exercising the option of choice of investment schemes and pension funds, their entire accumulated corpus under PRAN account shall be transferred to the opted Pension Funds /asset allocation. Further, the subscribers who have already exercised this option, their legacy fund shall be transferred to the Pension Fund and assets allocation
- (vii) Revision in Annual Fee paid by Pension Funds under PFRDA (Pension Fund) Regulations, 2015 and subsequent amendments thereto
 Through this circular it is informed that, for newly registered Pension Funds under Regulation 9, the Annual Fee shall be revised as "0.015% of Assets under Management or Rs.10,00,000/-per annum (Rs. 2,50,000/-per quarter or part thereof), whichever is higher".

2.4 Inspection

opted by them.

During the Financial Year 2020-21, no inspection of Pension Funds was conducted due the lockdown imposed caused by COVID-19.

Part III

The chapter deals with duty, power and functions of the Authority for promotion and orderly growth of the National Pension System and pension schemes in accordance with Section 14 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 to protect the interests of subscribers of such System and schemes.

Functions of the Authority

3.1 Registration of intermediaries and suspension, cancellation, etc., of such registration; and regulation of activities of the intermediaries associated with the National Pension System or the pension schemes

Section 14 of the PFRDA Act, 2013 lays down the duties, powers and functions of the Authority to regulate, promote and ensure orderly growth of the National Pension System and pension schemes, and to protect the interests of subscribers of such system and schemes.

The National Pension System and any other Pension Scheme which are operationalized by PFRDA through large number of entities such as Pay & Accounts offices / Treasury Offices at the Central and State Government, they are responsible for the registration and upload of the periodic NPS subscription of the Government employees on the NPSCAN, the Point of Presence (PoPs) which are Banks, Non-Banking Financial Companies (NBFC), Micro Finance Institutions (MFI) etc. which assist in the registration and upload of NPS subscription for the corporate, private sector and unorganized sector subscribers, the Aggregators (now POPs) which help in the last-mile reach to the potential subscribers particularly in the informal sector, the Central Recordkeeping Agency (CRA), which is responsible for the recordkeeping of individual pension accounts called PRAN of the subscribers and acts as a coordinator for the NPS architecture, Trustee Bank, responsible for the day-to-day flow of funds and banking facilities, the Pension Funds (PFs), mandated to invest and manage the

pension assets of the subscribers covered under NPS as per the investment guidelines prescribed by PFRDA and Annuity Service Providers (ASPs), empaneled with PFRDA to provide a monthly annuity pension to the subscriber.

i) Government Sector - Central and State Autonomous Bodies

Registration of Autonomous Bodies: Continuous efforts have been made to register Central and State Autonomous bodies by interacting with them as well as with the respective Financial Advisors of Central Ministries and Nodal Officers of the State Governments. PFRDA also assisted State Governments towards streamlining guidelines and notifications for registration of SABs.

Further, processing of Letters of Consent (LoCs) received from CABs and SABs after ensuring the compliance of stipulated guidelines issued by Central Government and State Governments and also handles queries of NPS during preregistration process are undertaken.

Letters of consent processed in FY 2020-21

(i) CABs - 30 (ii) SABs - 89

As on March 31, 2021, the number of PrAOs/DTAs, PAOs/DTOs and DDOs are as under

Table No. 3.1 Number of PrAOs/DTAs, No. of PAOs/DTOs and No. of DDOs

Sector	No. of PrAOs/ DTAs	No. of PAOs/ DTOs	No. of DDOs
Central Government	134	2,987	16,221
Central Autonomous Body	631	1,989	4,088
Total	765	4,976	20,309

Table No. 3.2 Number of DTA/DTOs/DDOs

Sector	No. of DTA	No. of DTOs	No. of DDOs
State	72	31	1,986
Government			
State	560	1,459	5,242
Autonomous			
Body			
Total	632	1,490	7,228

Table No. 3.3 Registration of new CABs and SABs during FY 2020-21

Details	As on March 31, 2021	As on March 31, 2020	Registration during the FY 2020-21
CABs	630	603	27
SABs	1,459	1,318	141

Table No. 3.4 Newly registered CABs & SABs Financial Year Wise

FY wise performance	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2019-20	FY 2020-21
Newly registered CABs	18	25	25	24	27
Newly registered SABs	179	272	107	133	141

Source: Sup (CAB/SAB) & P&D (CAB/SAB)

As on March 31, 2021, there total 1,459 State Autonomous Bodies and 630 Central Autonomous Bodies are registered under NPS.

Further, there are 175 PoPs (registered with CRAs), three Central Recordkeeping Agency, one Trustee Bank, seven Pension Funds and fourteen Annuity Service Providers as on March 31, 2021.

ii) Points of Presence (PoPs)

Registration of POPs: Though, Atal Pension Yojana (APY) is administered by PFRDA but there were no regulations for entities offering APY services. To bring APY under the ambit of PFRDA, PFRDA (POP) Regulations, 2018 were notified and APY was also included under it as a separate category of POP.

Categories of POPs under current regulations are as below:

- (i) National Pension System (NPS) Distribution and servicing for public at large through physical as well as online platforms
- (ii) National Pension System (NPS) Distribution and servicing for citizens at large through online platforms only
- (iii) National Pension System (NPS) Distribution and servicing only for own employees and other personnel either through physical or online platforms. Provided that only such entities shall be

permitted to function which has covered its employees for social security benefits under the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 or the Employees State Insurance Act, 1948 or under the Goods and Services Act, 2017 and is registered with authorities under the said enactments, for not less than a period of two years, from the date of the application

- (iv) NPS Lite- scheme
- (v) Atal Pension Yojana
- (vi) Any other scheme regulated or administered by Authority

Under POP Regulations, 2018, PFRDA has issued Certificate of Registration (CoR) to PoPs and PoP-SEs, number of CoR issued as on March 31, 2021 are as below:

- (i) PoPs 306 (ii) PoP-SEs 39
- Further, 17 PoPs and 1 PoP-SE were also de-registered during FY 2020-21.

iii) Pension Funds

The Letters of Appointment have been issued on 19.03.2021 to the Sponsors of 5 existing Pension Funds (SBI PF, LIC PF, UTI RSL, HDFC PF & ICICI PF) and 1 new Sponsor (Axis AMC Ltd.) selected through the Request for Proposal (RFP) issued on December 23, 2020.

Certificates of Registration (CoR) have been issued to existing Pension Funds (SBI PF, LIC PF, UTI RSL, HDFC PF & ICICI PF) on March 30, 2021.

The Investment Management Fee has been revised w.e.f. April 1, 2021 (incorporated under CoRs issued on March 30, 2021) as per following slab structure of AUM managed by the PFs:

Table No. 3.5: Investment Management Fee w.e.f. April 1, 2021

Slabs of AUM	Maximum Investment Management Fee		
Upto 10,000 Cr.	0.09%*		
10,001 - 50,000 Cr.	0.06%		
50,001 – 1,50,000 Cr.	0.05%		
Above 1,50,000 Cr.	0.03%		
*UTI RSL to charge 0.07% under this slab.			

The IMF to be charged by the Pension Fund on the slab structure would be on the aggregate AUM of the Pension Fund under all schemes managed by Pension Funds and to be calculated upto four decimal points and truncated thereof. These rates of IMF shall be reviewed by the Authority in a period of five (5) years from the date of implementation.

The above rates of investment management fee are exclusive of brokerage, custodian fee and applicable taxes thereon, subject to maximum brokerage allowed to be charged to the scheme by the Pension Funds @ 0.03% (including applicable taxes on brokerage) on equity transactions only. All other costs shall be borne by the pension fund and shall not be reimbursed or charged to the scheme by the Pension Fund.

Clarification of Change in Investment Guidelines:

- Investment in securities having residual maturity of three years shall be done as per earlier guidelines/norms
- ii. All fresh issuance of the GOI-Fully Serviced Bonds post 16.07.2020 shall be classified under 'Government Securities and Related Investments'/Asset Class 'G'

Letter issued to Birla Sun Life Pension

Management Ltd. on Revalidation and Extension of Certificate of Registration. Fresh Certificate of Registration has been issued to Aditya Birla Sun Life Pension Management Ltd. in changed name.

iv) Retirement Advisers

Certificate of Registrations were issued after evaluation of applications as per eligibility criteria defined in PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 and subsequent amendments.

During the FY 2020-21, 19 Individual Retirement Advisors & 2 other than Individual Retirement Advisors were registered under the NPS architecture. To expedite the registration process, online platform for registration is available where applicants can apply online.

v) Central Recordkeeping Agency

Amendment, notification and dissemination of amendment to Regulations

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Record Keeping Agency) (Second Amendment) Regulations, 2020 issued to set standards for the eligibility, governance, organization and operational conduct of the CRA and for providing centralized recordkeeping, administration and customer service functions to all subscribers.

Extension to the tenure of registration of M/s NSDL E-Governance Infrastructure Ltd as Central Recordkeeping Agency for a further period of one year from April 01, 2020 till March 31, 2021 or the date of grant of registration certificate under the first amendment to PFRDA (CRA) Regulations, 2015 and amendments there under, whichever is earlier.

Recently, Computer Age Management Services Ltd. (CAMS) has been granted Certificate of Registration under PFRDA (Central Record Keeping Agency) Regulations, 2015. However, as on March 31, 2021 CRA-CAMS is yet to commence its operations..

vi) Trustee Bank

No regulatory changes were introduced. However, timely collection of annual fee and compliance certificate was ensured.

vii) NPS Trust

Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Second Amendment) Regulations, 2020 issued to amend the governance of a Trustee of the Board of Trustees of the National Pension System Trust.

During the FY 2020-21, two trustees were appointed as per details given below:

Ms. Chitra Jayasimha, appointed on December 18, 2020.

Mr. Y. Venkata Rao, appointed on December 22, 2020.

viii) Exit and Annuity Service Providers (ASPs):

- Amendment, notification and dissemination of amendment to Regulations Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2020 issued to facilitate ease of exit from NPS.
- b. Empanelment of new Annuity Service Providers
 - i. Aditya Birla Sun Life Insurance Company Ltd.
 - ii. PNB MetLife India Insurance Co. Ltd
- c. Renewal of Empanelment of Annuity Service Providers
 - Life Insurance Corporation of India,
 - SBI Life Insurance Company Limited,
 - iii. HDFC Life Insurance Co. Ltd
 - iv. Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd,
 - v. ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd

3.2 Approval of schemes, the terms and conditions thereof including norms for the management of corpus of the pension funds and investment guidelines under such schemes

The details of schemes administered by the Authority may be referred in Part II of the report.

The allocation of funds for incremental subscriptions under existing Central Government Scheme as a default scheme under NPS as per Notification F. No. 1/3/2016-PR dated 31.01.2019 issued by DFS and existing State Government scheme/default scheme, for both existing as well as new Government subscribers under Central Govt. and State Govt. Sectors, for the FY 2020-21 was distributed among the pension funds.

Further under Central Government and Central Autonomous Bodies, the Assets under Management for the FY 2020-21 have been allocated to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio 38:32:30 (w.e.f. June 29, 2020), while earlier this ratio of allocation was 34:33:33 for SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd.

For the scheme applicable to State Government employees and employees of State Autonomous bodies, the Assets under Management for the FY 2020-21 have been allocated to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio of 38.5:32:29.5 respectively (w.e.f. June 29, 2020), while earlier this ratio of allocation was 34:33.5:32.5 for SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd.

3.3 Exit of subscribers from the National Pension System

3.3.1 As per PFRDA (Exits & Withdrawals under NPS) Regulations 2015 and amendments thereto, following Withdrawal categories are allowed:

(i) Exit of subscribers from the National Pension System

As per PFRDA (Exits & Withdrawals under NPS) Regulations 2015, following Withdrawal categories are applicable:

Table No. 3.6: PFRDA (Exits & Withdrawals under NPS) Regulations 2015 and amendments

S. No.	Withdrawal Categories	Conditions in Government Sector	Conditions in Non- Government Sector
1	Upon Normal Super- annuation	At least 40 per cent of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing for monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as lump sum to the Subscriber.	Same as Government Sector
		If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 2 lakh, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing annuity.	
		However, there is slight change Exit guidelines notified vide 14th June 2021, wherein, there is revision of the accumulated pension wealth in the Permanent Retirement Account of the subscriber is equal to or less than a sum of five lakh rupees, or a limit as specified by the Authority.	
2	Upon Death	At least 80 per cent of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing for monthly pension to the Spouse and the balance is paid as lump sum to the nominee/legal heir.	If subscriber before attaining the age of 60 years or superannuation dies, then the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee or nominees or legal heirs.
		If the accumulated pension wealth in the PRAN at the time of his death is equal to or less than 2 lakh, the nominee or legal heirs as shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing annuity.	The nominee or family members of the deceased subscriber shall have the option to purchase any of the annuities being offered upon exit, if they so desire.
		However, there is slight change Exit guidelines notified vide 14th June 2021, wherein, there is revision of the accumulated pension wealth in the Permanent Retirement Account of the subscriber is equal to or less than a sum of five lakh rupees, or a limit as specified by the Authority.	
3	Pre-mature Exit	At least 80 per cent of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing the monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as a lump sum to the Subscriber.	The option so exercised shall be allowed only upon such subscriber having subscribed to the national pension system for at least a minimum period of ten years. At least 80 per cent of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Appuit.
		If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 1 lakh, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity.	be utilized for purchase of an Annuity providing the monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as a lump sum to the Subscriber.

S. No.	Withdrawal Categories	Conditions in Government Sector	Conditions in Non- Government Sector
		However, there is slight change in Exit guidelines notified on June 14, 2021, wherein, there is revision of the accumulated pension wealth in the Permanent Retirement Account of the subscriber is equal to or less than a sum of two lakh fifty thousand rupees, or a limit as specified by the Authority.	
		However, there is slight change in Exit guidelines notified on June 14, 2021, wherein, there is revision of the accumulated pension wealth in the Permanent Retirement Account of the subscriber is equal to or less than a sum of two lakh fifty thousand rupees, or a limit as specified by the Authority. If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 1 lakh, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity.	If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 1 lakh, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity. However, there is slight change in Exit guidelines notified on June 14, 2021, wherein, there is revision of the accumulated pension wealth in the Permanent Retirement Account of the subscriber is equal to or less than a sum of two lakh fifty thousand rupees, or a limit as specified by the Authority. The option so exercised shall be allowed only upon such subscriber having subscribed to the national pension system for at least a minimum period of ten years. At least 80 per cent of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing the monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as a lump sum to the Subscriber. However, there is slight change in Exit guidelines notified on June 14, 2021, wherein, there is revision of the accumulated pension wealth in the Permanent Retirement Account of the subscriber is equal to or less than a sum of two lakh fifty thousand rupees, or a limit as specified by the Authority.

In addition, Subscriber can decide to remain invested in NPS (Up to 70 years) or can exit from NPS. Following options are available to NPS Subscribers:

- Continuation of NPS account: Subscriber can continue to contribute to NPS account beyond Retirement (Up to 70 years) and avail additional tax benefit on the contribution.
- Deferment of Withdrawal: Subscriber can defer his/her Withdrawal and stay invested in NPS up to 70 years of age. Subscriber can

- defer only lump sum Withdrawal, defer only Annuity or defer both lump sum as well as Annuity.
- Start your Pension: If Subscriber does not wish to continue/defer NPS account, he/she can exit from NPS. He/she can initiate exit request online and as per NPS exit guidelines start receiving pension.

One can watch video on Continuation & Deferment process available on our dedicated YouTube channel "NSDL - NPS Ki Pathshala"

at https://bit.ly/2ZLzTkB and on "Online Withdrawal Processing by Subscriber" at https://bit.ly/2vyuhfK

For the purpose of exit from the NPS, the subscribers are categorized and defined as:

(i) Government sector, (ii) All citizens including Corporate sector and (iii) NPS Lite subscribers. The exit regulations specified shall apply accordingly to the category to which the subscribers belong to.

Table No. 3.7: No. of Withdrawal Reported, Accepted and Settled during April 1, 2020 and March 31, 2021

S.	Sector	Online Withdrawal			Physic	al Withdraw	al
No.		Reported *	Accepted \$	Settled	Reported #	Accepted **	Settled
1	Central Government	6,402	5,968	5,923	28	28	28
2	State Government	21,634	19,217	19,117	3	3	3
3	AllCitizen/UoS	6,723	6,206	5,670	-	-	-
4	Corporate	3,380	3,077	2,443	-	-	-
5	NPS Lite	34,189	33,874	33,773	-	-	-
	Total	72,328	68,342	66,926	31	31	31

(Source: NSDL - CRA & Kfin Technologies h-CRA)

Table No. 3.8: Withdrawal claims outstanding as on March 31, 2020 & March 31, 2021.

S. No.	Sector	Physical Withd	rawal Pending	ing Online Withdrawal Pending		
		As on March 31, 2020	As on March 31, 2021	As on March 31, 2020	As on March 31, 2021	
1	Central Government	-	1	408	434	
2	State Government	-	ı	1,689	2,417	
3	UOS	-	1	446	517	
4	Corporate	-	1	189	303	
5	NPS Lite	-	-	190	315	
	Total	-	-	2,922	3,986	

(Source: NSDL - CRA & Kfin Technologies - CRA)

Note

Physical Withdrawal: Withdrawal claims outstanding at the end of the year are the cases where Subscriber/Nodal Office is yet to submit necessary documents to CRA.

Online Withdrawal: Withdrawal claims outstanding at end of the year are the cases where Nodal Office is yet to authorize the withdrawal request in CRA system.

It has been observed that in majority of the cases the withdrawal applications pending for processing is due to missing/inadequate documents submitted by the subscribers or the Nodal Offices.

^{*} Online Withdrawal: Reported implies the cases authorized by Nodal Office and pending for authorization by Nodal Office. \$ Online Withdrawal: Accepted implies the cases where Nodal Office has authorized the withdrawal request in CRA system. # Physical Withdrawal: Reported implies the cases where CRA has received the physical withdrawal requests from Nodal Office/Subscriber till April 30, 2016.

^{**} Physical Withdrawal: Accepted implies the cases which were On Hold at CRA and for which necessary documents received from Nodal Office/Subscriber.

3.3.2 Partial Withdrawal under NPS

- 1. NPS subscribers can do partial withdrawals, not exceeding 25 per cent of the contribution made by the subscriber, excluding contribution made by employer, if any, at any time before exit from National Pension System subject to the terms and conditions, purpose, frequency and limits specified below:
- (a) **Purpose:** A subscriber on the date of submission of the withdrawal form, shall be permitted to withdraw not exceeding twenty-five per cent of the contributions made by such subscriber to his individual pension account, for any of the following purposes only:-
 - (i) for Higher education of his or her children including a legally adopted child;
 - (ii) for the marriage of his or her children, including a legally adopted child;
 - (iii) for the purchase or construction of a residential house or flat in his or her own name or in a joint name with his or her legally wedded spouse. In case, the subscriber already owns either individually or in the joint name a residential house or flat, other than ancestral property, no withdrawal under these regulations shall be permitted;
 - (iv) for treatment of specified illnesses: if the subscriber, his legally wedded spouse, children, including a legally adopted child or dependent parents suffer from any specified illness, which shall comprise of hospitalization and treatment in respect of the following diseases:
 - i. Cancer;
 - ii. Kidney Failure (End Stage Renal Failure);
 - iii. Primary Pulmonary Arterial Hypertension;
 - iv. Multiple Sclerosis;
 - v. Major Organ Transplant;
 - vi. Coronary Artery Bypass Graft;
 - vii. Aorta Graft Surgery;
 - viii. Heart Valve Surgery;

- ix. Stroke;
- x. Myocardial Infarction
- xi. Coma;
- xii. Total blindness;
- xiii. Paralysis;
- xiv. Accident of serious/ life threatening nature.
- xv. any other critical illness of a lifethreatening nature as stipulated in the circulars, guidelines or notifications issued by the Authority from time to time. Recently Covid-19 has been included under this category.
- xvi. to meet medical and incidental expenses arising out of the disability or incapacitation suffered by the subscriber.
- xvii. Towards meeting the expenses by subscriber for skill development/ re-skilling or for any other self-development activities, as may be permitted by the Authority by issuance of appropriate guidelines, in that behalf.
- xviii. Towards meeting the expenses by subscriber for establishment of own venture or any startups, as may be permitted by the Authority by issuance of appropriate guidelines, in that behalf.
- (b) **Limits:** the permitted withdrawal shall be allowed only if the following eligibility criteria and limit for availing the benefit are complied-with, by the subscribers:
 - (a) the subscriber shall have been in the National Pension System at least for a period of three years from the date of his or her joining;
 - (b) the subscriber shall be permitted to withdraw accumulations not exceeding twenty- five per cent of the contributions made by him or her and standing to his or her credit in his or her individual pension account, as on the date of application for withdrawal;

(c) Frequency: the subscriber shall be allowed to withdraw only a maximum of three times during the entire tenure of subscription under the National Pension System. The request for withdrawal shall be submitted by the subscriber, along with relevant documents to the central recordkeeping agency or the National Pension

System Trust, as may be specified, for processing of such withdrawal claim through their nodal office. Provided that where a subscriber is suffering from any illness, specified in subclause (d), the request for withdrawal may be submitted, through any family member of such subscriber.

Table No. 3.9: No. of Partial Withdrawal Cases Reported and Settled during the period FY 2020-21

S. No.	Sector	Repor	Settled**	
		Initiated by Nodal Office #		
1	Central Government	10,979	9,295	9,243
2	State Government	39,049	35,438	35,314
3	UOS	1073	362	358
4	Corporate	2313	1082	1076
	Total	53,414	46,177	45,991

 $(Source: NSDL-CRA\ \&\ Kfin\ Technologies-CRA)$

Note.

Table No. 3.10: Reason wise of Partial withdrawal cases reported & Settled during the period from April 1, 2020 to March 31, 2021

	Initiated by Nodal Office		Approved by Nodal Office		Settled	
Reason for Withdrawal	No of request	No of request For Covid -19	No of request	No of request For Covid -19	No of request	No of request For Covid -19
for Higher education of children including a legally adopted child	2,595	-	2,019	1	2,011	-
for the marriage of children, including a legally adopted child	6,597	-	5,935	-	5,906	-
for the purchase or construction of a residential house	29,239	-	25,128	-	25,021	-
for treatment of specified illness	10,765	690	9,995	545	9,961	534
To meet medical & incidental expenses due to disability/incapacitation	3,378	-	2,773	1	2,768	-
For skill development/re-skilling or any other self-development activities	704	-	297	-	294	-
For establishment of own venture or any start-up	136	-	30	-	30	-
Total	53,414	690	46,177	545	45,991	534

^{*} Reported cases includes authorized by Nodal Office and pending for authorization by Nodal Office.

^{**}Settled cases are where funds have been transferred to subscriber's bank account

[#] Cases Initiated by Subscriber is also added in Initiated by Nodal Office.

2. Details of Annuity Service Providers (ASPs) and Annuity Schemes opted by subscribers

Annuity provides for a monthly payment of pension against deposit of a lump sum amount. The subscriber has to mandatorily purchase the annuity as specified in the exit rules of NPS, from a PFRDA empaneled Annuity Service Providers. Annuity Service Providers are Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) licensed and regulated life insurance companies, transacting annuity business in India and are empaneled by PFRDA for servicing the annuity requirements of the NPS subscribers.

- Presently, the following 12 ASPs are empaneled with PFRDA to provide annuity services to NPS subscribers:
- i) Life Insurance Corporation of India
- ii) SBI Life Insurance Co. Ltd.

- iii) ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.
- iv) HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd
- v) Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd
- vi) Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd
- vii) India First Life Insurance Co. Ltd
- viii) Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd
- ix) Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.
- x) Canara HSBC Oriental bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.
- xi) Tata AIA Life Insurance Co. Limited
- xii) Max Life Insurance Co. Limited

Under National Pension System (NPS), the subscriber has the option to choose the type of Annuity and the ASPs. The subscriber may choose the annuity type/scheme basing on his requirements from the available schemes offered by the respective ASPs.

Table No. 3.11: Online Annuity requests processed during April 1, 2020 to March 31, 2021

S. No.	Annuity Service Providers/Annuity Schemes	No. of Cases	Amount Transferred (Rs. In crore)
1	Annuity for life	2722	91.02
2	Annuity for life with return of purchase price on death	7310	292.94
3	Annuity payable for life with 100 per cent annuity payable to spouse on death of annuitant	3628	136.00
4	Annuity payable for life with 100 per cent annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	3319	264.22
5	Life Annuity with Return of Premium/Purchase Price in parts	22	0.49
6	Life Annuity with Return of Premium/Purchase Price on diagnosis of Critical Illness	49	2.85
7	NPS - Family Income Option	3342	162.83
	Total	20,392	950.45

(Source: NSDL - CRA & Kfin Technologies -CRA)

ii) Digital initiatives rolled out by PFRDA which can be consumed by the Subscriber either mobile or through Internet

a. e- Annuity Literacy Programs (ALPs)

For creating awareness on Annuity among retiring NPS Subscribers. The program held jointly with Annuity Service Providers and CRAs. ALPs held for 3 different states in the country. eALP has been held through online mode for subscribers based in Andhra Pradesh and Telangana on February 12,

2021 and for the retiring Subscribers of Maharashtra on February 25, 2021 which was attended by 230 and 560 subscribers respectively and presentation was given by PFRDA, CRAs and Annuity Service Providers (ASPs).

b. Online Pension Calculator

The pension calculator illustrates the tentative pension and lump sum amount an NPS subscriber may expect on maturity or 60 years of age based on regular

monthly contributions, percentage of corpus reinvested for purchasing annuity and assumed rate in respect of returns on investment and annuity selected for. It is available in NPS Trust website.

Link for pension calculator: http://www.npstrust.org.in/content/pension-calculatorhttps://cra-nsdl.com/CRAOnline/aspQuote.html

https://nps.kfintech.com/npc/

- c. Special Measures during Covid-19
 - i. Online Withdrawal process

 The relaxation was given to nodal offices/POPs for accepting the scanned /self-certified images of exit documents through digital means to process the withdrawal request of NPS. Subscribers can submit the documents digitally instead of physical mode.
 - ii. Partial Withdrawal allowed for Covid-19 related medical treatment
 Partial withdrawal guidelines modified to include Covid related ailments.
- d. Online Exit/Withdrawals
 - i. Ease of Annuity issuance for NPS subscribers on single KYC.
 - KYC and Withdrawal documents uploaded by nodal officers suffice to issue annuity by Annuity Service Providers (ASP). The process was finalized by PFRDA in co-ordination with IRDAI and ASPs.
 - ii. Instant Online Bank Account verification
 - As part of additional due diligence, instant Bank Account verification through Penny drop introduced to avoid return of funds and check the beneficiary details on real time basis. The process makes the exit seamless and avoids delays.
 - iii. e-NPS Subscribers exit The online e-NPS exit functionality built in coordination with Banks. Functionalities rolled out on November 30, 2020.

iv. Exit Authorization code (EA Code). Facilitate the Subscribers to verify mobile number at the time of exit and improves the contact ability. Ensures ease of annuity processing by ASPs.

Table No. 3.12: Overall summary of functionalities released by PFRDA in 2020 -21

Name of the Functionality	No. of requests processed in FY 2020 -2021
Online Withdrawal process based on scanned documents	11,805
Partial Withdrawal cases (along with total amount) allowed for Covid-19 related medical treatment	531 (Amount: Rs. 4.43 crore)
Online e-NPS exit	1,099
Partial withdrawal (overall)	46,163
Online exit process for NPS Subscribers associated with POPs (Corporate)	2,875
Online exit process for NPS Subscribers associated with POPs (UOS)	4,839

(Source: NSDL CRA & Kfin Technologies CRA)

- 3. Digital Initiatives Work in progress at PFRA and in the process of roll out
 - a. Video based Customer Identification Process (VCIP) for remote onboarding and exit.

PFRDA has permitted its registered intermediaries to use video-based customer identification process (VCIP) for the purpose on onboarding, exit or any other service request related to NPS. It will overcome the challenges of remote presence, limited mobility, contactless service, social distancing norms etc and also optimize the turnaround time of account opening, execution of exit and other service request. It provides the opportunity for expanding reach of NPS since

account opening process is paperless, instantaneous, convenient and cost effective.

- b. Offline Aadhaar based online exit.

 Expediting the process of exit by using offline Aadhaar. This will make process of exit Seamless, paperless and also time bound processing of exit.
- c. Online Partial Withdrawal

 Ease of partial withdrawal process
 on self-declaration basis and making
 the process online along with penny
 drop. Reduces the Turnaround time
 for processing partial withdrawal.
- d. Online Smart Exit Guide It helps subscribers to get Annuity quotes with/without return of purchase price. Subscribers can take well informed decision while selecting annuity schemes offered by various ASPs.

- e. Online exit process for NPS Subscribers associated with POPs.
 - Under this process, subscribers can upload the withdrawal documents along with KYC and authorize using eSign/OTP. This paperless process of exit helps in timely processing of claims and issue of annuity. For processing of exit, the subscriber has to pay 0.0125 per cent with minimum amount of Rs 125 and maximum up to Rs. 500 of their corpus to the POPs.

3.4 Activities undertaken for protection of interests of subscribers under the National Pension System and of other pension schemes under the Act

One of the major aims of PFRDA is protection of subscribers' interest and PFRDA has been engaged in multifarious activities in furtherance of this cause.

Table No. 3.13: Measures taken to protect subscribers' interest

S. No.	Initiative	Benefits		
1.	Offline Aadhar KYC for On-boarding	Ease on on-boarding and instant PRAN generation		
2.	ePRAN card for NPS Subscribers	Now the Subscribers have to pay less for Account opening and it is easy to handle.		
3.	OTP based authentication by Subscribers.	Paperless on boarding of subscribers.		
4.	Online Aadhaar e-KYC	PFRDA's proposal approved by UIDAI to offer online-KYC verification to one of the CRAs.		
5.	D-Remit (Direct Remittance)	Same day NAV and Facility of auto debit to NPS Subscribers.		
		Delay in processing the contribution is cut down by two days.		
6.	NACH based debit	Automated debit through NACH e-mandate introduced on pilot basis. The process initiated in FY 2020-21 and would be rolled out in FY 2021-22.		
7.	E-nomination facility through e sign	Online nomination/ updation of nominees in a paperless manner		
8.	Ombudsman for NPS/APY	FAQ published for the benefit of Subscribers and wide awareness created about the services of Ombudsman.		

S. No.	Initiative	Benefits
9.	Annuity Literacy Programs (ALPs)	For creating awareness on Annuity among retiring NPS Subscribers. The programs held jointly with Annuity Service Providers, Nodal Officers of Govt and CRAs.
10.	Annuity Calculator	Revamped Annuity Calculator for better transmission of annuity rates/ information to NPS Subscribers.
11.	Compliance certificate for ASPs	Half yearly compliance certificate being submitted by ASPs for enhanced Subscribers service.
12.	NPS Tax Saver account	Enables tax saving by subscribers of Central Government Sector.
13.	Choice of Investment and PFs	Government sector subscribers can exercise choice of investment and select PFs.
14.	OTP based Authentication for legacy NPS accounts	To alleviate the difficulties of NPS Subscribers who have opened their NPS Accounts during Covid-19 pandemic induced lock down but could not submit physical applications to CRA.
15.	Withdrawal process	The relaxation was given to nodal offices/POPs for accepting the scanned /self-certified images of exit documents through digital means to process the withdrawal request of NPS.
16.	Partial Withdrawal allowed for covid related treatment	Partial withdrawal guidelines modified to include covid related ailments.
17.	Continuation of PRAN in case of premature exit where only lump sum is paid	Option for partly exited NPS Subscribers to continue the same PRAN.
18.	Ease Annuity issuance for NPS subscribers on single KYC.	KYC and Withdrawal documents uploaded by nodal officers suffice to issue annuity by Annuity Service Providers (ASP).
19.	Instant Bank Account verification	Instant Bank Account verification through Penny drop to avoid return of funds and check the beneficiary details on real time basis.
20.	e-NPS Subscribers exit	The online e-NPS exit functionality built in coordination with Banks
21.	Exit Authorization code (EA Code)	Facilitate the Subscribers to verify mobile number at the time of exit.

3.5 Mechanism for Redressal of Grievances of Subscribers and Activities undertaken for Redressal of such Grievances

A subscriber can lodge grievance against the employer (Nodal Office) /CRA through the Grievance Redressal Mechanism established by CRA under NPS. The grievance can be escalated to NPS Trust. The procedure for raising grievance is given below:

- (i) Online Grievance Registration A subscriber can log grievances in Central Grievance Management System (CGMS) by login to CRA website www.cransdl. com, authenticate himself by using User ID 'PRAN' and I-PIN (provided at the time of PRAN generation) or by clicking on the link (https://www.npscra.nsdl.co.in/Logyour-grievance.php) with or without PRAN details.
- (ii) CRA Helpline A subscriber can call at toll-free number 1800 222 080, authenticate himself through the 'PRAN' and 'T-PIN' (provided at the time of PRAN generation)

and register complaint through Customer Care Executive.

After successful logging of the grievance, a token number will be generated by the CRA system with the help of which a subscriber can track the status of grievance on CRA website. The grievance is then resolved by the intermediary in 30 days. If the complainant is not satisfied with the redressal of his grievance or if it has not been resolved by the intermediary by the end of thirty days of filing of complaint, he/she may escalate the complaint to the National Pension System Trust. The National Pension System Trust shall follow up the grievance with the concerned intermediary for redressal of the subscriber grievance. National Pension System Trust shall call for the resolution of the subscriber grievance and respond to the subscriber within 30 days from the date of receipt of the grievance.

The following data of grievances collected from CRAs (NSDL CRA & KFintech CRA) received at CRA for the FY 2020 – 21:

Table No. 3.14: Query/Grievance (referral) against CRA

	Status of referrals for the month for FY 2020 -21					
Referral Raised Against	Pending at the end of March 2020	Received during the FY 2020 - 2021	Closed/resolved during the FY 2020 - 2021	Pending the end of March 2021		
CRA	1,941 1,13,916 1,14,820 1,03					
(Source : CRA- NSDL CRA & CRA- Kfin Technologies)						

A total of 1,13,916 referrals received during the FY 2020-2021. Out of these referrals, 103,472 had been received at NSDL - CRA and 10,444 referrals had been received at Kfin Technologies. Out of 1037

referrals pending at both the CRAs, 936 referrals are pending with NSDL – CRA and 101 is pending with Kfin Technologies.

Table No. 3.15: Status of Query/Grievance (referrals) Category wise against CRA

Defenuel Category	Coses manding	Cases	Cases resolved	Casas manding
Referral Category	Cases pending at end of the March 2020	received during the FY 2020 - 2021	during the FY 2020 - 2021	Cases pending for resolution at end of March 2021
General Query	950	64,790	65,236	504
PRAN Card Related	486	22,274	22,485	275
SOT Related	114	5 <i>,</i> 759	5,821	52
Tier II related	135	4,506	4,601	40
Incorrect Processing of Subscriber Details	78	5,041	5,082	37
I-PIN, T-PIN Related	22	2,662	2,650	34
Withdrawal Related	56	2,823	2,851	28
Email/SMS alerts not received	35	2,178	2,193	20
Exit not initiated / not authorised / amount not received	11	1,215	1,206	20
Partial withdrawal not initiated / not authorised / amount not received	43	1,749	1,775	17
Other Grievances	1	65	63	3
Death withdrawal not initiated / not authorised / amount not received	2	167	167	2
Not Processed/Delay in Processing Subscriber Changes Request	3	123	124	2
Delays in Issuance of PRAN Cards	-	109	107	2
Pre-mature withdrawal not initiated / not authorised / amount not received	5	442	446	1
Contribution amount not reflected in account	-	13	13	-
Total	1,941	1,13,916	1,14,820	1,037

(Source : NSDL CRA & Kfin Technologies CRA)

Table No. 3.16: Ageing of referrals pending for the month ending March 31, 2021

Sector	< 7 days	8-14 days	15-30 days	31-60 days	> 60 days	Total
Central Government	56	-	1	-	-	57
State Government	55	1	-	-	-	56
Corporate	109	1	-	-	-	110
Unorganized	736	9	-	-	1	746
NPS Lite	13	-	3	-	-	16
APY	51	1	-	-	-	52
Total	1,020	12	4	-	1	1,037

(Source: NSDL CRA & Kfin Technologies CRA)

After the above two levels of grievance resolution have been exhausted by the subscriber, the third level of escalation he/she can file an appeal is with the Ombudsman. An appeal may be filed with the Ombudsman by a complainant in the following circumstances: where

- (i) a complainant whose grievance has not been resolved within 30 days from the escalation of the grievance by filing a representation with the National Pension System Trust or
- (ii) by a complainant, where a complaint has been made directly against the National Pension System Trust and no other intermediary and the same remains unresolved within the specified period of thirty days; or
- (iii) by a complainant, in relation to a complaint

against any other pension scheme regulated by the Authority, whose grievance remains unresolved for a period of 30 days.

At present, Shri Arnab Roy is appointed as the Stipendiary Ombudsman in terms of PFRDA (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015.

Address:

C/o Pension Fund Regulatory and Development Authority

Plot No - B - 14/A,

Chhatrapati Shivaji Bhawan,

Qutab Institutional Area,

Katwaria Sarai,

New Delhi - 110016.

Email id: ombudsman@pfrda.org.in

3.5.1 No. of Complaints Received, Resolved and Pending for FY 2020-21 at the Office of Ombudsman

Table No. 3.17: No. of Complaints Received, Resolved and Pending for FY 2020-21 at the Office of Ombudsman

S No.	Sector*				
	CG/CAB	SG/SAB	UOS		
No. of pending complaints as on end of FY 2019-20	4	3	2		
No. of Complaints received	4	6	7		
No. of Complaints Resolved	6	6	8		
No. of Complaints pending	2	3	1		

Note: * for other sectors viz. NPS - Lite, Swavalamban & APY, no appeals had been received for FY 2020 - 21.

3.5.2 State-wise Complaints Received for FY 2020-21 at the Office of Ombudsman

Table No. 3.18: State-Wise Complaints received for FY 2020 – 21

S No.	Name of State	No. of Grievance received state-wise
1	Karnataka	2
2	Maharashtra	2
3	Telangana	2
4	Tamil Nadu	2
5	Uttar Pradesh	2
6	Andaman Nicobar Islands	1
7	Andhra Pradesh	1
8	Bihar	1
9	Delhi	1
10	Haryana	1
11	Himachal Pradesh	1
12	Punjab	1
	Total	17

3.5.3 Initiatives taken by PFRDA

(i) Development of online system for filing appeal with ombudsman

Currently, the appeals are received at the office of the Ombudsman in the physical form. An online process for filing appeal with ombudsman by developing a web portal in the website of PFRDA where the aggrieved subscriber whose grievance not resolved after specified time with respective intermediary can prefer appeal online as an option is under development.

(ii) Release of FAQs on Ombudsman

PFRDA had released a FAQ on appeal process with Ombudsman for the creation of awareness among the Subscribers. The same is available on PFRDA website.

The status of grievances received during the year at CGMS as on March 31, 2021 is furnished in the table below:

Table No. 3.19: Grievances Pending, Received and Closed in CGMS from April 1, 2020 to March 31, 2021.

S. No	Sector	Pending As on March 31, 2020	Received Till March 31, 2021	Resolved Till March 31, 2021	Pending percentage till March 31, 2021
1	NPS Regular#	1,575	46,502	46,433	3.54
2	NPS Lite	13	970	826	19.01
3	APY	311	31,662	31,326	2.07
	Total	1,899	79,134	78,585	3.12

Source: As per CRAs

Note: # NPS Regular consists of CG/SG/SAB/CAB/ Corporate and All Citizen Sector

The status of Grievances received to various March 31, 2021 is furnished in the table below: intermediaries during the year at CGMS as on

Table No. 3.20: Grievances Pending, Received and Closed in different sectors in CGMS during April 1, 2020 to March 31, 2021.

S. No.	Referrals Raised Against	Pending as on March 31, 2020	Received till March 31, 2021	Resolved till March 31, 2021	Pending as on March 31, 2021	
1	Central Government	550	3,282	3,331	501	
2	State Government	478	5,104	5,086	496	
3	POP	483	26,034	26,050	467	
4	Corporate	0	15	14	1	
5	Trustee Bank	201	35	36	200	
6	NPS Lite	13	970	826	157	
7	APY (APY-SP)	311	31,662	31,326	647	
8	eNPS	482	23,826	23,913	395	
9	CRA	1,989	1,22,949	1,24,064	874	
10	NPS Trust	28	1,859	1,583	304	
Total		4,535	2,15,736	2,16,229	4,042	
Source:	Source: CRAs					

The major grievances received are related to Statement of Transactions, Contribution amount not reflected in account, PRAN Card, incorrect processing of subscriber details, delays in uploading of contribution amounts etc. Grievances are registered in CGMS by the subscriber and are directly routed to concerned intermediaries for necessary action. Thus, it is for the concerned intermediaries to resolve and close grievance in the CGMS which are raised against them. The periodic reminders are sent to concerned intermediary for resolving and closing grievances in CGMS.

3.6 Certification Programme for Retirement Advisers

Pension Fund Regulatory and Development Authority registers Retirement Advisers (RAs) for widening the coverage of NPS and providing advisory services to the subscribers for allocating assets under NPS and choosing PFMs. The scope of work and responsibility of the Retirement Adviser is to ensure orderly growth of pension sector.

PFRDA is providing registration to individuals as Retirement Adviser as per PFRDA (Retirement Adviser) Regulations 2016. PFRDA has accredited National Institute of Securities Market (NISM) as institute for certification of Retirement Adviser Certification Examination. Upto March 31, 2021, total 743 candidates were certified as Retirement Adviser. In the FY 2020-21, 11 RAs, in the category of Individual, were registered as fresh, 08 RAs in the category of Individual, were registered under renewal granted by PFRDA and 02 RAs Other than Individual category were registered as fresh by PFRDA. A quarterly summary of the candidates enrolled, appeared and passed during the FY 2020-21 is as under:

Table No. 3.21: Retirement Adviser Certification details

NISM Series-XVII: Retirement Adviser Certification

Month	Enrolled	Appeared	Passed
Apr-June 2020	0	0	0
July - September 2020	26	27	24
Oct - December 2020	69	57	38
Jan - March 2021	88	77	61
Total	183	161	123

3.7 Collection of Data by the Authority and the intermediaries including undertaking and commissioning of studies, research and project.

Collection and compilation of a comprehensive data based on demographics, retirement savings and investments, the different financial products/schemes issued by the different organizations to cater to the old age income security of the underlying subscribers, the returns generated thereon, the disclosure and protection provided to the subscribers etc. under different scheme are the on - going activities of PFRDA. Towards this end, PFRDA is compiling information on people covered under various pension schemes and also people receiving pensions under various schemes. PFRDA is currently in the process of gathering information from other pension providers in the country.

3.8 Steps undertaken for educating subscribers and the general public on issues related to pension, retirement savings and related issued and details of training of intermediaries

3.8.1 Financial Literacy regarding Pensions:

PFRDA as a member of Financial Stability and Development Council (FSDC), its sub-committee, working groups and various inter-regulatory forums viz. Inter Regulatory Technical Group (IR-TG), Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy (TGFIFL), Inter Regulatory Forum for monitoring Financial Conglomerates (IRF-FC), Working Group on resolution regime for financial institutions actively contributes to the furtherance of the objectives of these committee's/groups/forums.

website PFRDA has hosted the www. pensionsanchay.org.in to spread awareness and educate subscribers and general public on the fundamental elements and concepts related to money, financial planning, retirement planning, investment evaluation and annuity. The website has a blog section for discussions and sharing of information on Behavioural Aspects of Retirement Planning, Fundamentals of Money & Finance, Retirement Planning, Saving & Investing and Pension. The blog section has 63 articles of which 14 were hosted during FY 2020-21, and these were contributed by writers from across the country, to whom an amount of Rs 1000 was paid as honorarium from each published article. During FY 2020-21, the total visitor count to the Pension Sanchay website stood at 1,44,092.





PFRDA is also the co-promoter of National Centre for Financial Education (NCFE) along with RBI, SEBI and IRDAI which was incorporated as a Section 8 (Not for Profit Company) on September 05, 2018 for promoting financial education across the country to all sections of the society as per the National Strategy for Financial Education of Financial Stability and Development Council.

3.8.2 Programme for co-ordination with financial agencies and other agencies

PFRDA is promoting National Centre for Financial Education (NCFE), a Section 8 (Not for Profit) Company along with Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development

Authority of India (IRDAI). Out of share capital of Rs. 100 crore PFRDA has contributed its allocation of Rs. 10 crore while other RBI, SEBI and IRDAI contributed Rs.30 crore each. NCFE's mission is to undertake massive Financial Education campaign to help people manage money more effectively to achieve financial well-being by accessing appropriate financial products and services through regulated entities with fair and transparent machinery for consumer protection and grievance redressal.

The objective of the NCFE is to promote Financial Education across India for all sections of the population as per the National strategy for Financial Education, to create financial awareness and empowerment through financial education campaigns across the country for all sections of the population through seminars, workshops, conclaves, trainings, programs, campaigns, discussion forums by itself or with help of institutions, organisations and to provide training in financial education and create financial education material in electronic or non-electronic workbooks, worksheets, formats, literature, pamphlets, booklets, fliers, technical aids and to prepare appropriate financial literature for target based audience on financial markets and financial digital modes for improving financial literacy so as to improve their knowledge, understanding, skills and competence in finance.

APY has been incorporated in the NCFE modules as one of the Government schemes providing minimum guaranteed pension. Further, NPS has also been incorporated in the NCFE modules as a solution to retirement needs.

The National Strategy for Financial Education for India (NSFE: 2020-25) has been finalized by NCFE in discussion with all financial sector regulators for coordinated efforts to support the vision of the Government of India. The objective is to develop adequate knowledge, skills, attitudes and behaviors among the common citizen to manage their money in a better way and to plan for the future. The Strategy recommends adoption of a multi-stakeholder approach to achieve financial well-being of Indians. As per the Strategic Goal under Action Plan of NSFE 2020-25, content

of financial education in school curriculum for students of Classes VI to X, has been drafted in coordination with all sector regulators. Further, NSFE 2020-25 envisions development of target group specific content for the effective dissemination of Financial Literacy. MSMEs is one of such target groups that need financial education to make sound financial decisions. Thus Financial Education Handbook for Micro. Small and Medium Enterprises MSMEs has been developed broadly in line with OECD/ INFE Core Competencies Framework Financial Literacy For MSMES and by adopting Indian Context. Financial Education Programmes through this content/Handbook may lead to the Financial Knowledge and skills that owners and managers of MSMEs or potential entrepreneurs could benefit from, the behaviors that may help them to improve the management of their business finances, as well as personal finances of people working at these places.

Further PFRDA contributed and co-ordinated with NCFE and other regulators to make Financial Literacy Week (FLW 2021) observed from February 8 to February 12, 2021 a successful one. One of the main activities of FLW 2021 is the Series of Five National Level Webinars involving India's Financial Sector Regulators from February 8 to February 12, 2021. During the Financial Literacy Week a webinar on "Financial Literacy – Heightening Pension Awareness" was addressed by senior-official of PFRDA.

In addition to above, the PFRDA actively participated during the Global Money Week (GMW) which is an annual international financial education awareness-raising campaign designed to encourage a wide range of stakeholders to motivate children and youth to learn about money matters, livelihoods and entrepreneurship. SEBI as a national coordinator of the GMW campaign in India and GMW was organized during March 22-28, 2021. PFRDA played an instrumental role in conducting Quiz Competition during the week and also contributed to the micro-website created for the GMW. During the week, a senior official of PFRDA addressed the webinar on Financial Education as Guest speaker.

3.8.3 NPS awareness, Communication and Social Media



PFRDA continued with its unceasing efforts of creating awareness about pensions and retirement planning with a vision to make 'India a Pensioned Society'. In this backdrop, various channels or mediums of communication viz. social media, digital domain, electronic media (audio & visual)

and print media, were adopted by the Authority to educate and enhance financial & pension literacy and for explaining the features & benefits of NPS/APY to the public at large especially to citizens falling in the age group of 18-65 years for NPS and 18-40 years for APY. All the media activities were undertaken through Bureau of Outreach and Communication (DAVP) and Prasar Bharti (AIR & Doordarshan) under arrangements. The digital platforms were also deployed to disseminate and sensitize the public about NPS through webinars/seminars/online workshops/e-conferences etc.











During the FY 2020-21, NPS print campaigns were undertaken to inform, what is NPS, who can join, benefits to employer, tax incentives and the print ad designs were inscribed with QR code, enabling users to visit the webpages of NPS Trust for availing further information on NPS. The print advertisements were carried out in 155 newspapers in Hindi, English and 11 regional languages with country wide coverage. NPS radio campaigns were launched to inform the general public about the extension of timelines beyond March 31, 2020 for making investments (including NPS) to save tax for FY 2019-20 through 432 radio stations covering pan India. Another NPS radio

campaign was launched during the India-Australia Cricket Series 2020-21 through All India Radio (AIR) which had exclusive rights of broadcasting commentary of the match series comprising of 26 days in total. A series of TV scroll campaigns were undertaken for NPS in the third quarter of the financial year through DD News & 28 Regional Kendras of Doordarshan emphasizing the tax benefits of NPS. Digital/social media campaigns were also undertaken throughout the year with an objective to increase the enrolments by posting paid messages in social media platforms like Facebook, twitter and LinkedIn, featuring the benefits of subscribing to NPS.






APY print campaign was undertaken to deliver the message of the 3 unique benefits of APY and the advertisements were created not only to provide information about product offerings but also encourage potential subscribers to join the scheme by informing that more than 3 crore subscribers have already joined the scheme. The APY prints advertisements were released in 210 newspapers across the country. APY radio campaigns were launched in 3 phases through Bureau of Outreach and Communication (BOC) & Prasar Bharati (All India Radio) over 338 channels in 11 languages to decipher the message that APY guarantees old age income. To support the radio & print campaigns

activities, APY SMS campaign was also launched wherein 2.69 cr SMS in 13 languages were disseminated in 3 phases to the general public. TV scroll campaign for APY was undertaken for two months through DD News & 28 Regional Kendras of Doordarshan to inform viewers about APY benefits. During the third and fourth quarter of the financial year, 7 social media campaigns were launched for APY with an objective to create awareness and increase enrolment in the scheme. An APY video was also recorded to communicate the benefits of APY through audio-visual medium and the video on being uploaded in YouTube has secured 1.6 lakh views.



In order to keep the citizens and subscribers aware and watchful about the fraudulent activities inimical to their economic and social well-being, dissemination of information for prevention of fraud and phishing in name of PFRDA/NPS were undertaken by the Authority through postings of text and graphical messages in social media

handles of PFRDA, radio campaigns undertaken in 5 languages through 418 FM stations, public Notices were released at periodic intervals in print media covering 355 newspapers, scrolling message incorporated in PFRDA website and video messages hosted in Pension Sanchay website.





3.8.4 PFRDA on Social Media

Considering the challenges in traditional media and being generally labeled as a one-way communication to the public at large, the social media platforms provides a multi-pronged channel of communication and delivery of message to target audience with feedbacks from the targeted audiences. Social media plays a vital role for outreach and engagement with the public and PFRDA in its effort of connecting and engaging with subscribers has proactively been maintaining its account with Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube for NPS and APY.

The followership to PFRDA social media handles are: APY Facebook page – 72710, NPS Facebook - 36606, Twitter- 5464 and during the financial year 2020-21 a total 649 Facebook post, 743 Tweets and 335 posts on LinkedIn were made, through which crucial information and updates were shared with the objective to disseminate policy changes and engage the targeted segment/audience.

3.8.5 Public Relations Agency

PFRDA undertakes various public relations activities/communications with an objective to enhance awareness and disseminate information regarding its policies, activities and schemes for promoting old age income security and protecting subscriber interests. During the FY 2020-21, PFRDA held 2 press meets, 55 media interviews/interactions and issued 29 Press Releases, communicating the policy changes and developments for publishing in print, audio, online and visual media channels, and attained coverage in 455 newspapers and 561 online news platforms. Various aspects of retirement planning, pensions and challenges associated with old age income security their solutions were disseminated through 10 featured articles in print and online media.

3.8.6 Training

PFRDA had disseminated information on NPS/APY through training sessions to more than 2.26 lakh participants over the last 5 financial years. The participants to these training sessions were imparted knowledge on the salient features of NPS/APY, the process of joining the schemes, options available for selection of fund manager, asset allocation, annuity plans, procedure for resolution of grievances, etc. Due to covid-19 pandemic situation prevailing in FY 2020-21, NPS/APY trainings were imparted only through online mode i.e. video conferencing and the appointed

training agency conducted a total of 255 online training sessions for 12024 participants during the financial year. Moreover, 13 training programs/workshops were conducted directly by PFRDA notably for; NAHRD, ISTM, CCI, NPC, IFSCA, ICICI Securities.

The appointed training agency Hero Mindmine Ltd. during its engagement from August 8, 2018 to August 7, 2020 had conducted across the country 3,087 training sessions for 1,36,740 participants . The sector wise distribution of participants and training sessions were as under:-

Table No. 3.22: The Sector Wise Distribution of the Number of Training Sessions and Participants under NPS

	Sectors	Training Sessions	Participants Count		Sectors	Training Sessions	Participants Count
	Central Govt.	246	11066		Business Correspond	390	16957
	State Govt.	1036	46015		Distt. Co-op Central Banks	168	7508
NPS	Central Auto. Bodies	35	1669	APY	Dept of Post	200	9138
	State Auto. Bodies	67	3074		Public Sector Bank	226	9744
	Corporate	280	12296		Regional Rural Bank	136	6205
	Point of Presence	281	12064		Small Finance Bank	22	1004
	Total	1945	86184		Total	1142	50556

Presently, 4 training agencies have been empaneled by PFRDA to address the training requirements of various stakeholders viz. Govt. Sector nodal office, Corporate, Points of Presence and APY Service Providers.

3.8.7 NPS and APY Information Helpdesk

Towards facilitating a human interactive system to existing and potential subscribers for accessing and procuring reliable information on NPS and APY from across the country, PFRDA is operating a dedicated NPS/APY Information Helpdesk wherein queries on NPS/APY are responded in a professional and systematic manner. The call centre is also utilized for making outbound call to subscribers as per requirements (viz. persistency of APY contributions, invitations to sessions

conducted by PFRDA etc) and conducting surveys for improving the processes and delivery of services within the NPS architecture (viz. gauging awareness of scheme features, quality of training session etc). The NPS Information Helpdesk had received a total of 1.30 lakh inward calls and 4.25 lakh outbound calls were made through the call centre during the financial year.

Presently, two toll free numbers of Information Helpdesk are operational i.e. 1800110708 for NPS and 1800110069 for APY are operational and for call back services from Helpdesk, an SMS facility is also available through 'SMS NPS to 56677'. The NPS/APY Information Desk is operational for 8 hours a day (9.30 a.m. – 5.30 p.m.), 7 days a week (including Sundays) excluding National holidays.

3.9 Conferences, Meetings and Other Initiatives under taken during FY 2020-21

3.9.1 Conferences under Central and State Government Sector

PFRDA engages with the government Nodal Offices on various platforms, in order to improve the efficiency of NPS in the government sector. In pursuance of the same, PFRDA conducts review meetings/ video conferences / Conferences/ workshops with the Government Nodal offices at the Centre / State / CABs/SABs.

In light of the prevailing lockdowns on account of the Covid-19, the review meeting were conducted with the nodal offices through an online platform. PFRDA conducted review meetings/video conferences with Central Ministries and Central Autonomous Bodies (CABs) and with State Govt. and State Autonomous Bodies (SABs). Apart from the same, awareness sessions were also conducted to make the nodal offices aware of the choices pension funds and investment patterns available to the Government subscribers.

Following is the list of conference/ workshops/ review meetings conducted during April 1, 2020 to March 31, 2021 (via online mode).

Table No. 3.23: List of Conferences held during FY 2020-21

a. CG & CABs:-

i. CG:

Accounting	Ministry/ Office Name
Formation	
Civil	Pr. AO, Ministry of Home Affairs
	Pr. AO, CBDT, Department of Revenue, Ministry of Finance
	Pr. AO, CBEC, Department of Revenue, Ministry of Finance
	Pr. AO, Department of Indian Audit and Accounts
	Pr. AO, Department of Atomic Energy
	Pr. AO, Department of Space
	Pr. AO, Andaman and Nicobar Islands Administration

	·
	Pr. AO, Ministry of Personnel,
	Public Grievances and Pensions
	Pr. AO, Ministry of Home Affairs
Defence	PCDA (Navy), Mumbai
	CDA (Border Roads), Delhi
	Cantonment
	PCDA (Southern Command),
	Pune
	PCDA (Western Command),
	Chandigarh
	ACAS (Accounts and AV), New
	Delhi
	PCDA (Navy), Mumbai
NCT	Pr. AO, Ministry of NCT of Delhi
Postal	General Manager Finance, Postal
	Accounts, Delhi
Railways	FA and CAO, Northern Railway,
	New Delhi
	FA and CAO, Central Railway,
	Mumbai
	FA and CAO, Eastern Railway,
	Kolkata
	FA and CAO, East Central
	Railway, Hajipur
	FA and CAO, Southern Railway,
	Chennai
	FA and CAO, Western Railway,
	Mumbai
	FA and CAO, South Central
	Railway, Secunderabad
	FA and CAO, North Central
	Railway, Allahabad
	FA and CAO, South Eastern
	Railway, Kolkata
	FA and CAO, North Frontier
	Railway, Maligaon
	FA and CAO, Western Central
	Railway, Jabalpur
	FA and CAO, South East Central
	Railway, Bilaspur
	FA and CAO, North Eastern
	Railway, Gorakhpur
	FA and CAO, East Coast Railway,
	Bhubaneswar

ii. CABs:

II. CADS:	
CABs	FA and CAO, North Western Railway, Jaipur
	Pr.AO, Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi
	Pr.AO, Employees State Insurance
	Corporation (HQ), New Delhi Pr.AO, North Delhi Municipal
	Corporation, New Delhi
	Pr.AO, South Delhi Municipal Corporation, Delhi
	Pr.AO, East Delhi Municipal Corporation, Delhi
	Pr. AO, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi
	Pr.AO, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi
	Pr.AO, Employees Provident Fund Organisation, New Delhi
	Pr.AO, Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi
	Pr.AO, Delhi Jal Board, New Delhi
	Pr.AO, Navodaya Vidyalaya Samiti, Noida
	Pr.AO, Postgraduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh
	Pr.AO, Aligarh Muslim University, Aligarh

Pr.AO, Banaras Hindu University, Varanasi Pr.AO, Prasar Bharati, New Delhi PrAO, New Delhi Municipal Council, New Delhi Pr.AO, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Pondicherry Pr.AO, Tata Memorial Centre, Mumbai Pr.AO, Delhi Development Authority, New Delhi Pr.AO, Indian Council of Medical Research, New Delhi Pr. AO, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Bangalore	
Pr.AO, Prasar Bharati, New Delhi PrAO, New Delhi Municipal Council, New Delhi Pr.AO, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Pondicherry Pr.AO, Tata Memorial Centre, Mumbai Pr.AO, Delhi Development Authority, New Delhi Pr.AO, Indian Council of Medical Research, New Delhi Pr. AO, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	1
Pr.AO, New Delhi Municipal Council, New Delhi Pr.AO, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Pondicherry Pr.AO, Tata Memorial Centre, Mumbai Pr.AO, Delhi Development Authority, New Delhi Pr.AO, Indian Council of Medical Research, New Delhi Pr. AO, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	
Council, New Delhi Pr.AO, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Pondicherry Pr.AO, Tata Memorial Centre, Mumbai Pr.AO, Delhi Development Authority, New Delhi Pr.AO, Indian Council of Medical Research, New Delhi Pr. AO, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	
Pr.AO, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Pondicherry Pr.AO, Tata Memorial Centre, Mumbai Pr.AO, Delhi Development Authority, New Delhi Pr.AO, Indian Council of Medical Research, New Delhi Pr. AO, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	
Graduate Medical Education & Research, Pondicherry Pr.AO, Tata Memorial Centre, Mumbai Pr.AO, Delhi Development Authority, New Delhi Pr.AO, Indian Council of Medical Research, New Delhi Pr. AO, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Council, New Delhi
Research, Pondicherry Pr.AO, Tata Memorial Centre, Mumbai Pr.AO, Delhi Development Authority, New Delhi Pr.AO, Indian Council of Medical Research, New Delhi Pr. AO, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	
Pr.AO, Tata Memorial Centre, Mumbai Pr.AO, Delhi Development Authority, New Delhi Pr.AO, Indian Council of Medical Research, New Delhi Pr. AO, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Graduate Medical Education &
Pr.AO, Delhi Development Authority, New Delhi Pr.AO, Indian Council of Medical Research, New Delhi Pr. AO, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Research, Pondicherry
Pr.AO, Delhi Development Authority, New Delhi Pr.AO, Indian Council of Medical Research, New Delhi Pr. AO, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Pr.AO, Tata Memorial Centre,
Authority, New Delhi Pr.AO, Indian Council of Medical Research, New Delhi Pr. AO, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Mumbai
Pr.AO, Indian Council of Medical Research, New Delhi Pr. AO, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Pr.AO, Delhi Development
Research, New Delhi Pr. AO, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Authority, New Delhi
Pr. AO, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Pr.AO, Indian Council of Medical
Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Research, New Delhi
Board, Chandigarh Pr.AO, Directorate of Defence Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Pr. AO, Bhakra Beas Management
Estates Southern Command, Pune Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	
Pr.AO, Directorate of Defence Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Pr.AO, Directorate of Defence
Estates Central Command, Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Estates Southern Command, Pune
Lucknow Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Pr.AO, Directorate of Defence
Indian Institute Of Technology, Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Estates Central Command,
Bombay Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Lucknow
Pr.AO, All India Institute of Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Indian Institute Of Technology,
Medical Sciences, Raipur Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Bombay
Pr. AO, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Pr.AO, All India Institute of
Trust, Visakhapatnam Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Medical Sciences, Raipur
Pr.AO, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences,	Pr. AO, Visakhapatnam Port
Mental Health & Neuro Sciences,	Trust, Visakhapatnam
-	Pr.AO, National Institute of
Bangalore	Mental Health & Neuro Sciences,
	Bangalore

b. SGs and SABs:-

i. SG:

East	North East	North	South	Central	West
• Bihar	• Assam	Himachal	• Andhra	Chhattisgarh	• Goa
• Jharkhand	Arunachal	Pradesh	Pradesh	• Madhya	• Gujarat
• Odisha	Pradesh	• Jammu and	• Karnataka	Pradesh	• Maharashtra
	• Manipur	Kashmir	• Kerala	• Uttar	• Rajasthan
	• Meghalaya	• Chandigarh	Puducherry	Pradesh	
	• Mizoram	• Haryana	• Telangana		
	Nagaland	Uttarakhand			
	• Tripura	• Punjab			
	• Sikkim				

ii. SABs:

SGs	SABs of respective SGs with which meetings held			
Bihar	Bihar State Power (Holding) Company Ltd.			
Chhattisgarh	Directorate of Public Instruction, Raipur, Chhattisgarh			
	Urban Administration and Development, Raipur			
Gujarat	Surat Municipal Corporation, Surat			
Haryana	Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited, Hisar			
Madhya Pradesh	Directorate of Public Instruction, Madhya Pradesh			
	Directorate of Urban Administration & Development, Bhopal			
Punjab	Punjab State Power Corporation Limited, Patiala			
Rajasthan	Directorate of Local Bodies, Jaipur			
	Finance Controller, Basic Shiksha Parishad, Allahabad			
Uttar Pradesh	Directorate of Education Secondary, Allahabad			
	Directorate of Higher Education, Allahabad			

3.9.2 Steps initiated for smooth implementation of NPS in Government Sector

3.9.2.1 Measures suggested to CG Ministries/ Central Autonomous Bodies/ State Governments /State Autonomous Bodies for smooth implementation of NPS

- a. Nodal offices under CG and SG have been advised to strictly comply with the timelines prescribed by DoE for completion of various NPS related activities with respect to credit contribution.
- b. The oversight offices like PrAOs/DTAs were advised to review performance of their underlying PAOs / DTOs and ensure that the NPS related activities are completed in a time bound manner.
- c. State Governments were advised to consider providing individual choices to State Government employees-subscriber for Pension Fund and Investment pattern under NPS in reference to gazette notification dated 31.01.19 issued by DFS.

3.9.2.2 Advisories and Circulars issued for smooth implementation of NPS

- a. Choice of pension fund & investment pattern in Tier I of NPS for the Government subscribers employed with SGSABs CG & CABs Advising the opening up and availability of functionality for choice of PF and investment pattern in Tier I for the employees of CAB, SAB and SGs, at their own volition without concurrent approval of PsFRDA.
- b. Advisory on Digital Safety Practices to be followed by Government Nodal offices to access CRA system under NPS architecture Advising the nodal offices towards adopting safety practices in respect of usage, non-sharing and safe-keeping of login credentials of the CRA system.
- c. Ease in issuance of Annuity to NPS subscribers - Advising the availability of online based system and functionality for the Government nodal offices for expeditious exit/withdrawal processing and issuance of annuity.
- d. Nil credit PRANs and Zero balance PRANs Advising the nodal offices towards the reasons for and the ways in which Nil credit & Zero balance PRANs associated with respective nodal offices are to be identified and subsequently, deactivated and/or regularized.
- e. Advisory on De-activation of Non-IRA PRANs Advising the nodal offices towards the ways in which Nil credit & Zero balance PRANs associated with respective nodal offices are to be deactivated/ regularized.
- f. Advisory on Regular NPS contribution Advising the Government nodal offices towards following the credit contribution timelines as advised under the CGA OM dated September 2, 2008.
- g. Dashboard updation of contact details of Nodal officers Advising the nodal offices towards updating the contact credentials in the NPS system
- h. Deactivation & Regularization of Nil credit PRANs Advising the nodal offices of the Central Autonomous Bodies towards the reasons for and the ways in which, Nil credit & Zero balance PRANs associated with

- respective nodal offices are to be identified and subsequently, deactivated and/or regularized.
- i. Transfer of Legacy Funds of NPS Subscribers of Government Sectors (SGs/ CABs/ SABs) pursuant to opening of choice of investment schemes and Pension Funds Advising the nodal offices that post moving out of the default investment pattern by a subscriber of SGF/SAB/CAB, the legacy accumulated corpus available in the PRAN of such subscriber would be transfer to the selected investment scheme and Pension Fund.

3.9.2.3 Leveraging Technology for efficiency - Server to Server Integration and OPGM (Online PRAN Generation Module)

- a. To ensure timely registration of subscriber's under NPS, the Government Nodal offices under CG/SG sector were advised to adopt OPGM (Online PRAN Generation Module) to eliminate delay in PRAN generation as well as rejection of subscriber registration forms.
- b. To adopt STS (Server to Server) integration of the nodal offices' financial software package with CRA system.
- c. The Status of adoption of STS by SG Nodal offices is placed under:

Table No. 3.24: The Status of adoption of STS / OPGM by State Government. Nodal offices:

Particulars	State		
State Governments which have adopted STS as on March 31, 2021	Karnataka, Maharashtra, Haryana, Odisha, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Tripura, Bihar, Assam and Punjab		

Particulars	State			
State Governments which	Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, UT Chandigarh, Goa, Gujarat,			
have adopted OPGM as on	Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Haryana, Himachal			
March 31, 2021	Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra,			
	Tripura, Uttar Pradesh, Puducherry, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil			
	Nadu (Only for AIS), West Bengal (Only for AIS) Chhattisgarh,			
	Uttarakhand and Telangana			

a) The Status of adoption of STS by SABs is placed under:

Table No. 3.25: The Status of adoption of STS by SABs:

State Government	No. of SAB Nodal Offices Adopted STS
Maharashtra	49
Uttarakhand	1
Total	50

b) The Status of adoption of OPGM by SAB Nodal offices is placed under:

Table No. 3.26: The Status of adoption of OPGM by SABs:

Name of the SG	No. of SABs/ SAB Nssodal offices adopted OPGM
Andhra Pradesh	4
Assam	10
Bihar	2
Chhattisgarh	12
Goa	2
Gujarat	4
Haryana	44
Himachal Pradesh	173
Karnataka	46

Name of the SG	No. of SABs/ SAB Nssodal offices adopted OPGM
Kerala	5
Madhya Pradesh	10
Maharashtra	84
Manipur	3
Meghalaya	2
Mizoram	2
Odisha	4
Punjab	73
Rajasthan	74
Telangana	7
Uttar Pradesh	72
Total	633

c) The Status of adoption of OPGM by Central Government Nodal offices is placed under:

Table No. 3.27: The Status of adoption of STS / OPGM by Central Government Nodal offices

Accounting Formation	No. of Nodal Offices Adopted OPGM
Civil	237
Defence	7
Post	24
Railways	68
CABs	180
Total	537

3.9.3 Conferences under Corporate Sector

PFRDA in its endeavor to create awareness about pensions and promote NPS in the non-government segment has tied up with various trade bodies (FICCI, CII, ICC) to disseminate information to their members and workshops/seminars on retirement planning/pensions/NPS were organized across the country in association with these trade bodies. During the financial year 2020-21, 13 such webinars were organized alongwith FICCI / CII / ICC in which more than 1000 delegates from 300 corporates participated.

Numerous engagements or web sessions were also held in association with PoPs / Institutions etc. to propagate NPS to the Employers/Employees directly which resulted in 1,100 new corporates enrollments and 1,14,803 employees subscribing to NPS during the year. Moreover, with special emphasis put forth to onboard Central Public Sector Enterprises (CPSEs) in NPS, the total number of CPSEs adopting NPS has increased to 50 entities at the end of financial year. The webinars organized in association with the trade bodies were as under:

Table No. 3.28: Corporate Sector Conferences held during FY 2020-21

Date	Place	In association with		
July 8, 2020	Mumbai	FICCI		
August 11, 2020	Guwahati	FICCI		
September 10, 2020	Kolkata	ICC		
October 15, 2020	Bhubaneshwar	ICC		
November 11, 2020	Kerala	FICCI		
November 26, 2020	Hyderabad	ICC		
December 22, 2020	Mumbai	ICC		
January 27, 2021	Delhi	ICC		
January 29, 2021	Chandigarh	CII		
February 18, 2021	Gurugram	CII		
February 23, 2021	Noida	CII		
March 23, 2021	North Eastern States	ICC		
March 25, 2021	Delhi	CII		

3.9.4 Conferences/ Programmes/ Meetings under Atal Pension Yojana

Major steps have been initiated by the Government of India/PFRDA to popularize and create awareness about APY:

- Periodic advertisements in print and electronic media.
- Capacity building of bank officials by conducting training programs by empaneled training agency.
- Participation in town hall meetings, SLBC meetings.
- Engagement with NCFE, NABARD, NRLM, National and State Cooperative Federations for broad basing of APY.

Table No. 3.29: APY Programmes and Meetings held during FY 2020-21

APY Zonal Strategy & Review Meetings

The meetings were organized with the objective of reviewing performance of various banks for the previous year and their strategies for the current financial year

S. No.	Date	Meeting Details
1	December 10, 2020 - Major Banks and Regional Rural Banks	Online Meeting - Chaired by Chairman, PFRDA. Subject - APY
2	December 12, 2020 - Private Banks , Small Finance Banks and Regional Rural Banks	Insights (Interaction between PFRDA and APY-SPs)
3	February 16, 2021 - Major Banks	
4	February 17, 2021 - Regional Rural Banks	

APY SLBC Town hall Meetings

The Meetings were organized in various Districts in the States & UTs across the country in association with SLBCs and Lead District Managers to generate awareness about the APY scheme and to increase enrolments under APY in line with APY Citizen's Choice Campaign.

S. No.	Name of SLBC	Online / Offline
1	Delhi	Online Meeting
2	Haryana	FY 2020-21
3	Kerala	
4	Punjab	
5	Tamil Nadu	
6	Telangana	
7	Jammu & Kashmir	
8	Karnataka	
9	Uttarakhand	
10	Uttar Pradesh	
11	Assam	
12	Bihar	
13	Goa	
14	Gujarat	
15	Madhya Pradesh	
16	Maharashtra	
17	Odisha	
18	Rajasthan	
19	West Bengal	
20	Jharkhand	

3.10 Performance of pension funds

Reference Table no. 3.30, Funds under NPS Schemes have shown overall growth of 38.46 per cent Y-o-Y. The AUM under equity segment comprising both for Tier I & II has grown by 139.37per cent followed by Scheme A which has grown by 88.79 per cent Y-o-Y. The scheme wise growth details are as below:

Table 3.30: Asset Under Management (AUM) Break up in NPS - Growth Scheme Wise Position as on March 31, 2021

				Growth in AUM			
Schemes	Mar-19	Mar-20	Mar-21	YoY Mar 2020 over Mar 2019		YoY Mar 2021 over Mar 2020	
				Amount	%	Amount	%
Equity Tier I	7234.21	7932.06	18979.51	697.85	9.65	11047.45	139.28
Equity Tier II	325.44	352.55	850.99	27.11	8.33	498.44	141.38
Equity Total	7559.65	8284.61	19830.50	724.96	9.59	11545.89	139.37
% Share in Total AUM of Tier I&II	39.03	31.18	41.59				
Bonds (C)Tier I	4422.07	6495.77	9686.51	2073.70	46.89	3190.74	49.12
Bonds (C)Tier II	209.08	297.26	482.72	88.18	42.18	185.46	62.39
Bonds (C) Total	4631.15	6793.03	10169.23	2161.88	46.68	3376.20	49.70
% Share in Total AUM of Tier I&II	23.91	25.57	21.33				
G Sec (G) Tier I	6896.75	10992.81	16766.30	4096.06	59.39	5773.49	52.52
G Sec (G) Tier II	262.69	457.16	835.48	194.47	74.03	378.32	82.75
G Sec (G) Total	7159.44	11,449.97	17,601.78	4290.53	59.93	6151.81	53.73
% Share in Total AUM of Tier I&II	36.96	43.10	36.92				
Scheme A Tier I	19.52	39.60	74.76	20.08	102.87	35.16	88.79
Scheme A Tier II	-	-	-	-	-	-	-
Scheme A Total	19.52	39.60	74.76	20.08	102.87	35.16	88.79
% Share in Total AUM of Tier I&II	0.10	0.15	0.16				
Sub Total Tier I	18572.60	25460.24	45507.08	6887.64	37.08	20046.84	78.74
Sub Total Tier II	797.21	1106.97	2169.19	309.76	38.86	1062.22	95.96
Tier I + Tier II	19369.80	26567.21	47676.27	7197.41	37.16	21109.06	79.46
NPS Lite	3409.23	3728.40	4354.38	319.17	9.36	625.98	16.79
APY	6860.30	10526.26	15687.11	3665.96	53.44	5160.85	49.03
Corporate CG	20682.80	27143.03	36929.68	6460.23	31.23	9786.65	36.06
Sub Total (Pvt Sector)	50322.14	67964.87	104647.44	17642.73	35.06	36682.57	53.97
% Share in Total AUM	15.81	16.28	18.10				
Central Govt	109010.70	138014.67	181416.26	29003.97	26.61	43401.59	31.45
% Share in Total AUM	34.26	33.06	31.39				
State Govt	158881.11	211499.55	291959.92	52618.44	33.12	80460.37	38.04
% Share in Total AUM	49.93	50.66	50.51				
Sub Total (Govt.)	267891.81	349514.22	473376.18	81622.41	30.47	123861.96	35.44
% Share in Total AUM	84.19	83.72	81.90				
Scheme TTS	-	-	2.12				
% Share in Total AUM	-	-	-				
Grand Total	318213.95	417479.13	578025.74	99265.18	31.19	160546.61	38.46

Source: NPS Trust website reports.

Table 3.31: The Position of the AUM with the Pension Funds

S. No.	PFM	PFM AUM (In Rs. crore) to be round off to zero place of decimal		Increase i	in AUM
		March 2020	March 2021	Amount	Per cent
1	SBI Pension Funds Pvt. Ltd	1,60,491.35	2,22,615.19	62,123.84	38.71
2	UTI Retirement Solutions Ltd.	1,22,200.71	1,66,209.21	44,008.51	36.01
3	LIC Pension Fund Ltd.	1,21,027.73	1,63,389.54	42,361.81	35.00
4	HDFC Pension Management Co. Ltd.	8,265.33	16,383.98	8,118.65	98.23
5	ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.	4,352.55	7,558.64	3,206.08	73.66
6	Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.	991.38	1,572.14	580.77	58.58
7	Birla Sun Life Pension Management Ltd.	150.09	297.03	146.94	97.90
	Total	4,17,479.13	5,78,025.74	1,60,546.60	38.46

Table 3.32: Scheme wise Pension Fund wise returns as on March 31, 2021

Since inception (in per cent)

Scheme	SBIPF	LICPF	UTIRSL	KOTAK	HDFC	ICICI	BIRLA
CG	10.11	9.86	9.85				
SG	9.80	9.86	9.85				
NPS Lite	10.37	10.39	10.34	10.19			
APY	9.55	9.97	9.89				
Corporate CG	10.00	10.05					
E-I	10.28	12.09	11.78	11.14	14.81	11.90	12.18
C-I	10.51	10.26	9.43	10.10	10.47	10.46	9.98
GI	9.86	11.28	8.85	9.08	10.28	9.12	9.15
A-I	9.43	7.78	5.81	7.43	8.26	6.79	5.84
E-II	10.08	9.62	10.47	10.49	12.63	10.26	12.09
C-II	10.09	9.60	9.50	9.38	9.56	10.32	8.93
G-II	9.88	11.54	9.57	8.85	10.45	9.23	8.04

Source: NPS Trust Annual report. The date of inception is different for different schemes.

Returns above 1 year periods are annualized

Inception dates: LIC, SBI & UTI April 01,2008 for CG scheme & June 25, 2009 for SG Scheme

Inception dates: Birla May 09, 2017, HDFC August, 01, 2013, ICICI May 18, 2009, Kotak May 5,2009, LIC July 03, 2013, SBI May 15, 2009 and UTI May 21, 2009 for (E-I)

Inception date: LIC October 04, 2010; Kotak Jan 30, 2012; SBI September 16 2010; UTI October, 04, 2010 (NPS Lite)

UTI Scheme Corporate CG ended in the financial year 2013-14 (corporate CG)

Inception dates: Birla May 09, 2017, HDFC August, 01, 2013, ICICI Dec 21, 2009, Kotak Dec 14,2009, LIC August 12, 2013, SBI Dec 14, 2009 and UTI Dec 14, 2009 for (E-II)

 $Inception \ dates: LIC \ July \ 23, \ 2013; \ HDFC \ \ August \ 01, \ 2013; \ Birla \ May, 9 \ 2017 \ , \ ICICI \ May \ 18, \ 2009, \ Kotak \ May \ 15, \ 2009, \ SBI \ May \ 15, \ 2009 \ and \ UTI \ May, \ 21 \ 2009 \ (C-I)$

Inception dates: LIC August 12, 2013; HDFC August 01, 2013); Birla May, 9, 2017, ICICI December 21,2009, Kotak December 14, 2009, SBI December 14, 2009 and UTI December 14, 2009 C-II

Inception dates: LIC July 23, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May, 9, 2017, ICICI May 18,2009, Kotak May 15, 2009, SBI May 15, 2009 and UTI 21 May, 2009 (G-I)

Inception dates: LIC August 12, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May,9, 2017 ICICI December 30, 2009; Kotak December 14, 2009; SBI December 14, 2009 and UTI December 14, 2009 (G-II);

Inception dates: LIC October 13, 2016; HDFC October 10, 2016; Birla May 15, 2017 ICICI November 21, 2016; Kotak October 14, 2016; SBI October 13, 2016 and UTI October 14, 2016 (Scheme A-I)

3.11 Regulated Assets

"Regulated Assets" means and includes tangible and intangible assets created exclusively for the purpose of operations of CRA comprising bespoke software with all the components required for running the application, any third party software and component off the shelf specific to the CRA application system, all relevant CRA project data, dedicated specific hardware/software components of Data Centre and Disaster Recovery Centre, networks and all other facilities excluding physical infrastructure (building, air conditioners, power supply infrastructure, furniture).

On the expiry of the tenure of the registration or in the event of termination of the CRA, information and regulated assets held by CRA shall be transferred to another CRA registered with the Authority, within the time period and in the manner, as may be required under the PFRDA Act, rules or regulations or as may be directed by the Authority.

3.12 Fees and other charges levied or collected by the Authority during the financial year

Fees and charges are levied on the subscribers of the NPS at various stages by the intermediaries serving to the subscribers. At the entry to the NPS system, the intermediaries responsible for registration of the subscribers in NPS i.e. PoPs, charge fees which are collected upfront from the subscribers. The charge for registration of Atal Pension Yojana (APY) is borne by the government. In the next stage, CRA, the recordkeeping agency, levies fee for opening account and generation of PRAN, maintenance of account by cancellation of units. Thereafter, for each transaction involving contribution of the subscribers there is charge by both CRA and POP. Investment management fee is charged by the Pension Funds for managing the investment portfolio of the subscribers. The custodian of the securities charges for the assets under its custody and reimbursement of NPS Trust expenses are charged from the subscribers.

Table No. 3.33: Fees and Charges to the Subscribers at Various Stages

Intermediary	Charge head	Service Charges*				
			Private / Govt.			Lite/APY
CRA	PRA Opening charges		CRA charges for account opening if the subscriber opts for Physical PRAN card (in Rs.)	CRA charges opening if the opts for e-PR. Rs.) Welcome kit sent in physical	e subscriber	NCRA: Rs. 15.00 KCRA: Rs. 15:00 CAMS: Rs. 15.00
				priysicar	only	
		NCRA	40.00	35.00	18.00	j
		KCRA	39.36	39.36	4.00	
		CAMS	40.00	-	-	
		and excludes ap Charges will be	tion in charges will be on plicable taxes. applicable post release of a ce of NPS subscribers to I	the functionaliti	es by CRAs to	
	Annual PRA		NCRA: Rs.	84		NCRA: Rs. 20
	Maintenance cost per account		KCRA: Rs. 57 CAMS: Rs. 65			KCRA: Rs. 14.40 CAMS: Rs. 16.25
	Charge per transaction		NCRA: Rs. 3 KCRA: Rs. 3 CAMS: Rs. 3	.36		Free
POP	-	Private		Govt.		-
	Initial subscriber registration and contribution upload	Rs. 200 (Non- I	Negotiable)	NA		NA

Intermediary	Charge head	Ser	vice Charges*	
		Private / Go	vt.	Lite/APY
	Any subsequent transactions	Upto 0.25 per cent of contribution Minimum 0.10 per cent of contribution amount with minimum of Rs. 20 and Max. Rs. 25000. Non-Financial Rs. 20		NA
	Persistency > 6 months & Rs 1000 contribution	Rs. 50 per annum	NA	NA
	Contribution through eNPS	0.10 per cent of contribution, Min. Rs.10 Max. Rs.10000 (Only for NPS—All Citizen and Tier-II Accounts)		NA
Trustee Bank	-		NIL	
Custodian	Asset Servicing charges	0.0032 per cent p.a for Electronic segment & Physical segment		
PF charges	Investment Management Fee	0.01 per cent of AUM p.a. (For Private Sector)	0.0102 per cent of AUM p.a (For Government Sector)	1.
NPS Trust	Reimbursement of Expenses	0.00	05 per cent p.a	

Note:-The above charges were applicable as on March 31, 2021. For latest charges please refer relevant pages of the NPS Trust/PFRDA website.

The fees received by PFRDA from the various intermediaries during the Financial Year 2020-21 is provided in the table below:

Table 3.34: Fees Received during the Financial Year 2020-21 (to be received from F&A)

S. no.	Intermediary	Fee receipt (Rs. In Lakh)*		
1	Trustee Bank -Axis Bank	2287.55		
2	Pension Fund	2101.69		
3	CRA - NSDL - E Governance Infrastructure ltd.	988.52		
4	CRA- Kfin Technologies Pvt. Ltd.	13.00		
5	Custodian - SHCIL	192.61		
6	Retirement Advisor / POP/ Aggregator / ASP / RFP Processing Fee	333.00		
	Total 5916.37			
*Note: Fees & receipts are accounted on accrual basis.				

3.13 Information sought for, inspections undertaken, inquiries conducted and investigations undertaken including audit of intermediaries and other entities or organizations connected with pension funds.

3.13.1 Inquiries and Investigations

PFRDA and NPSTrustreview the reports submitted by CRA, Trustee Bank and their auditors to ensure that the intermediary is following the turnaround time as defined in service level agreements.

3.13.2 Inspection and Audits

(i) PFRDA, Central Recordkeeping Agency and Trustee Bank regulations also have provision to conduct audit and inspection of CRA and Trustee Bank to protect the interests of the subscribers. During Financial year 2020-21 Internal audit of all the Pension Funds were undertaken by the Internal Auditors appointed by Pension Funds as per the guidance note for the appointment of Internal Auditor issued by the Authority. During the Financial Year 2020-21, no inspection of Pension Funds were conducted due to pandemic.

^{*} In case of Government employees, CRA charges are being paid by the respective Governments.

[#] Erst-while Karvy Computershare Pvt. Ltd (K Fintech Pvt. Ltd) has started operation w.e.f. February 15, 2017.

The audit of the schemes managed by the respective Pension Funds was also done. Pension Funds are also subject to Statutory Audit.

During the Financial Year 2020-21, no inspection was conducted for Custodian i.e. Stockholding Corporation of India due to pandemic.

PFRDA also undertakes supervision of Non-Government Sector such as Points of Presence under NPS, NPS Lite and APY with respect to their compliance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018 and the operational guidelines issued there under.

(ii) Authority regulates and supervises the PoPs through offsite and onsite monitoring mechanism, the details of which are as under:

(a) Offsite monitoring:

The offsite monitoring and supervision include review of the following reports submitted to the NPST / PFRDA:

- Monthly/quarterly exception reports on the delays in SCF uploads and remittance of contributions and other subsequent services;
- b) Quarterly/half yearly compliance certificates;
- Account balance certificate on un-reconciled balances in NPS collection accounts;
- d) Half yearly/yearly internal audit reports;
- e) Cyber security certificate;
- f) Pending grievances;
- g) Utilisation Certificate under APY for credit of Government Co-contributions to subscribers saving bank account.

The defaulting intermediaries are advised to take corrective action, adhere to the specified operational Turn Around Times and to pay compensation for delays.

In serious cases, the matter could be referred to Adjudication Department for initiating adjudication proceedings wherein if found guilty, monitory penalty could be imposed.

(b) Onsite monitoring:

- PFRDA conducts onsite inspections of the POPs to monitor the compliance of the PoPs and their adherence to the operational TATs as specified in the operations guidelines under the regulations. The inspection parameters cover all the services offered by the PoPs under NPS, right from the enrolment process to final exit. The PoPs are required to comply to various Acts and Rules viz. the customer due diligence process including compliance of KYC as per PMLA Act and Rules. Other pertinent issues include escalated grievances pending for resolution, reporting of operational delays, payment of compensation if any, balances in collection accounts etc.
- (ii) Owing to difficulties in traveling/logistic due to Covid-19 pandemic, inspections were not carried out during Financial year 2020-21. However, PFRDA has conducted 120 VCs with 70 PoPs on monitoring of various compliance issues such as submission of application forms by PoPs, submission of Utilization Certificate for government co-contribution under APY, submission of Compliance Reports, compliance of observation of Inspection conducted by PFRDA during FY 2019-20 and unreconciled/outstanding contributions in collection account under NPS, NPS-Lite, and APY etc.
- (iii) Issuance of advisories/directions/notices under Regulation 14(2)(o) of PFRDA Act,2013 to PoPs under NPS, NPS Lite, APY and RAs
 - PFRDA issues advisories/directions/ notices to POPs to ensure the compliance and smooth functioning of activities under NPS.
- (iv) Submission of preliminary report

In the event of any alleged violations having been detected, which prima facie discloses any act of omission or commission covered under Section 28 of the Act, a formal preliminary report is submitted to Member in Charge (Investigation and Surveillance) in accordance to PFRDA (Procedure for inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2015.

(v) Policy Matters

Based on the requirement and suggestions received from various stakeholders for improvement in process and procedures, PFRDA examines and recommends the improvements for the benefit of subscribers and stakeholders.

For all other intermediaries under NPS, similar mechanism exists for offsite/onsite inspections.

3.14 Others

3.14.1 Subscribers (category wise) covered under the National Pension System and other pension schemes under the Act

i) Number of Subscribers under NPS

Enrolment of subscribers in NPS increased from 345.55 lakh in March 2020 to 424.40 lakh in March, 2021. The growth of number of subscribers during 2020-21 is 22.82 per cent. A year-wise number of NPS subscribers is provided in below chart.

Table 3.35: Sector wise number of Subscribers under NPS/APY

Sectors	March 2020	March 2021	Growth over year	
	(No. in lakh)	(No. in lakh)	Absolute increase	Per cent
			(No. in lakh)	
Central Government	21.02	21.76	0.74	3.52
% to total	6.08	5.13		
State Government	47.54	51.41	3.87	8.14
% to total	13.76	12.11		
Corporate	9.74	11.25	1.51	15.50
% to total	2.82	2.65		
All Citizen/UoS	12.52	16.47	3.95	31.55
% to total	3.62	3.88		
NPS Lite*	43.31	43.02	-	-
% to total	12.54	10.14		
APY	211.42	280.49	69.07	32.67
% to total	61.18	66.09		
Total	345.55	424.40	78.85	22.82
*(No fresh registration permitt	ted after 01st April, 20	15)		

500 424.40 26.32 Number of Subscribers (In Lakh) 400 345.55 30 273.55 300 22.82 200 100 Mar-19 Mar-20 Mar-21 Central Government State Government Corporate UoS(All Citizen) NPS Lite/Swavalamban APY Total YOY

Chart 3.1: Year wise number of subscribers under NPS & APY

ii) No. of subscribers - Sector wise

Table 3.36: No. of Subscribers, Contribution & AUM of Government Sector as on March 31, 2021

Sector	No. of subscribers	Contributions (Rs. crore)	AUM (Rs. crore)
Central Government	21,75,846	1,23,123.93	1,81,788.30
State Government	51,40,504	2,14,710.48	2,91,381.41
Total	73,16,350	3,37,834.41	4,73,169.71

• Government subscribers have increased from 68.56 lakh as end of March 2020 to 73.16 lakh subscribers as end of March 2021,

registering an increase of 4.61 lakh (6.71 per cent).

iii) Private Sector

Table 3.37: No. of Subscribers, Contribution & AUM of Private Sector as on March 31, 2021

Particulars	No. of subscribers	Contributions (Rs. in crore)	AUM (Rs. in crore)
Corporate Sector	11,25,163	44,710.52	62,608.74
All Citizen/UoS *	16,46,773	22,510.19	22,205.50
Total	27,71,936	67,220.71	84,814.24

 Under Private sector, number of corporate subscribers has increased from 9.74 lakh to 11.25 lakh, an increase of 1.51 lakh (15.50 per cent) subscribers. The subscribers under UoS/All Citizen have increased from 12.52 lakh as end of March 2020 to 16.47 lakh as end of March 2021, an increase of 3.22 lakh (31.55 per cent) subscribers.

iii) Unorganised Sector

Table 3.38: No. of Subscribers, Contribution & AUM of NPS Lite and APY as on March 31, 2021

Particulars	Subscribers (In No.)	Contributions (Rs. in crore)	AUM (Rs. in crore)
NPS Lite	43,02,258	2,858.41	4,354.38
Atal Pension Yojana	2,80,49,151	13,764.17	15,687.11
Total	3,23,51,409	16,622.58	20,041.49

- Number of subscribers under NPS Lite and APY, together, has increased from 254.74 lakh in March 2020 to 323.51 lakh in March 2021, increasing by 68.77 lakh subscribers (27 per cent).
- New entry into NPS Lite scheme has been discontinued w.e.f. April 1, 2015 and APY was launched on May 9, 2015 and it became operational from 1st July, 2015. APY is focused on the poor and the underprivileged citizen of India; it will provide a
- defined pension after 60 years of age.
- Under the APY, the subscribers would receive the minimum guaranteed pension of Rs. 1000 per month, Rs. 2000 per month, Rs. 3000 per month, Rs. 4000 per month, Rs. 5000 per month, at the age of 60 years, depending on their contributions, which itself would be based on the subscriber's age on joining the APY. The minimum age of joining APY is 18 years and maximum age is 40 years.

- Therefore, minimum period of contribution by any subscriber under APY would be 20 years or more.
- Scheme operates through all Bank Branches
 /Post Offices/Payment Banks/Small
 Finance Banks registered with Central
 Recordkeeping Agency (CRA).
- APY scheme is managed by three public sector pension funds namely LIC, SBI and UTI. The asset under management of this scheme as in March 2021 is Rs. 15404 crore. The scheme has generated around 9.80 per cent CAGR since inception till March 2021.
- During FY 2020-21 Government of India co-contribution fund released to 17.58 lakh

PRAN counts, which are no. of records who have received the Govt co-contribution in said financial year and not the unique PRAN count.

• Under APY:-

- a. 76.60 per cent of the subscribers have opted for Rs 1000 pension amount whereas 14.97 per cent of the subscribers have opted for Rs 5000 pension amount.
- b. 27.58 per cent of the pension aspirants are in the age group of 21-25 years.
- c. The ratio of female and male subscribers is 44:56.

Table 3.39: Detailed Analysis of registered APY subscribers (PRANs Generated) on the basis of Gender, Pension Amount and Age.

Gender wise

S. No.	Gender	PRAN Count	Percentage
1	Female	13219251	43.75
2	Male	16989707	56.23
3	Transgender	6,842	0.02
	Total	3,02,15,800	100.00

Pension Amount wise

S. No.	Pension Amount (Rs. Per month)	PRAN Count	Percentage
1	1,000	2,31,46,273	76.60
2	2,000	15,08,674	4.99
3	3,000	7,46,581	2.47
4	4,000	2,92,195	0.97
5	5,000	45,22,077	14.97
Total		3,02,15,800	100.00

Age wise

S. No.	Age Range	PRAN Count	Percentage
1	Between 18 to 20 Years	47,62,099	15.76
2	Between 21 to 25 Years	83,34,404	27.58
3	Between 26 to 30 Years	76,00,108	25.15
4	Between 31 to 35 Years	60,14,328	19.90
5	Above 35 Years	35,04,861	11.60
Total		3,02,15,800	100.00

3.14.2 Points of Presence

Under POP Regulations, 2018, As on March 31, 2021, PFRDA has issued Certificate of Registration to 306 PoPs and 39 PoP-SEs.

3. 14.3 Asset under Management Scheme wise

The details of the scheme wise asset under management in given in the table below:

Table 3.40: Scheme wise Asset under Management

(Rs in crore)

Scheme	Mar-20	Mar-21	Absolute Growth	Growth in Per cent
Central Government	138014.59	181416.26		
State Government	211499.67	291959.92		
Sub Total	349514.26	473376.18	123861.92	35.44
NPS Lite	3728.40	4354.38		
Atal Pension Yojana	10526.26	15687.11		
Corporate CG	27143.03	36929.68		
Tier I - E	7932.05	18979.51		
Tier I - C	6495.76	9686.52		
Tier I - G	10992.80	16766.29		
Tier I - A	39.60	74.76		
Tier II - E	352.55	850.98		
Tier II- C	297.26	482.73		
Tier II - G	457.16	835.49		
Tier II - TTS	-	2.12		
Sub Total	67964.87	104649.56	36684.69	53.97
Grand Total	417479.13	578025.74	160546.61	38.46

The table above indicate that the asset under management for government sector NPS schemes (CG and SG) has grown by around 35 per cent, however the asset under management of the schemes other than these two schemes has grown by around 54 per cent. In terms of absolute number, the government sector schemes grew by Rs. 1,23,862 crore whereas other than government sector schemes in aggregate grew by Rs. 36,685 crore.

3.14.4 The Central Recordkeeping Agency, its role and functions

i) Introduction

NSDL e-Governance Infrastructure Ltd, was appointed by PFRDA, as the Central Recordkeeping Agency and an agreement was executed on November 26, 2007.

After notification of the PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 with effect from April 27, 2015, NSDL e-Governance Infrastructure Ltd was issued certificate of registration to work as Central Record keeping Agency effective from December 18, 2015 for the remaining period of the original contract dated November 26, 2007 effective from December 01, 2007 for 10 years and after that periodic extensions were granted.

CRA acts as an operational interface for all intermediaries. The role includes liasoning with all necessary external agencies and recordkeeping, administration and customer service functions for all subscribers of the NPS.

During the FY 2016-17, PFRDA had registered M/s KFin Technologies Private Limited

(earstwhile M/s Karvy Computershare Private Limited) as second CRA and allowed them to start its operations for servicing of accounts sourced through e-NPS module of NPS Trust wherein the subscriber was provided an option to choose between NSDL e-governance Ltd (1st CRA) and M/s Kfin Technologies CRA (2nd CRA) with effect from February 15, 2017 and other distribution channels thereafter. M/s Kfin Technologies CRA was allowed to service the new accounts till March 31, 2017 and thereafter it was allowed to function as a full-fledged CRA with interoperability functionality providing for option to shift for existing subscribers of NPS from April 01, 2017 onwards.

Recently, Computer Age Management Services Ltd. (CAMS) has been granted Certificate of Registration under PFRDA (CRA) Regulations, 2015. As on March 31, 2021, CAMS is yet to commence its operations.

Under sub regulation 4 of regulation 3 the CRA regulations, the allocation of the subscribers between the existing central recordkeeping agency and the other central recordkeeping agency or agencies, if appointed, shall be based on a transparent criteria and process as may be notified by the Authority from time to time having regard to the subscribers' interest. Accordingly, the criterion for allocation of subscribers is mentioned as under:

In case where there is employee- employer relationship, including corporate, if the CRA charges are being borne by the employer, the decision to select the CRA shall rest with the employer, unless they specifically delegate the option to individual employees and in all other cases, the choice of selection of CRA will rest with the employee/ subscriber under NPS. In case of voluntary subscribers (without existence of any employee-employer relationship) the option to choose a CRA rests with the subscriber in general. In case of subscribers registered under Atal Pension Yojana, the respective government will choose the CRA for rendering the services. In case of NPS Lite subscribers the PoP/Aggregator had the option to choose the CRA.

ii) Role and responsibilities of CRA

The major role and responsibilities of CRA are as follows:

i. Continuous Enhancements and developments of new functionalities

It is the responsibility of the CRA to create and establish Facilitation-Centres network across country. They have to develop various new functionalities/utilities and do continuous enhancements and development of modules to address changing requirements of various stakeholders.

ii. Services to Subscribers of all sectors

The primary role of CRA is of recordkeeping, administration, providing customer service functions for all NPS subscribers, issuance of unique Permanent Retirement Account Number (PRAN) and IPIN/TPIN to the subscribers. The various services to the subscribers includes sending SMS alerts and emails at the time of registration, credit/ debit of units, withdrawal, balance in the PRAN, conducting subscriber awareness programs and providing web-based access to all the NPS stakeholders. CRA also provides Centralized Grievance Management System and Call-Centre facility to the subscribers and Nodal offices. Besides these services all subscriber maintenance services such as change of scheme, change of demographic details, grievance handling etc. are being handled by CRA.

iii. Services to Intermediaries

(i) PFs

It is the primary responsibility of CRA to timely intimate the position of the funds to PFs, prepare and send consolidated Investment Preference Scheme information, sending net fund transfer report to PFs on the basis of confirmation of fund transfer report received from Trustee bank and to measure the Scheme performance reports using NAVs sent by PFs to CRA.

(ii) TB

To reconcile pension fund reports received from Trustee Bank Account(s) with pension fund contribution information report and generate error/discrepancy report on fund reconciliation, sending instruction to Trustee Bank to remit withdrawal fund to subscribers' account and remit remaining amount to Annuity Service Providers' account against the annuity scheme.

(iii) ASPs

To collect physical application forms from the subscribers and forward them to ASPs and sharing funds transfer details for the subscriber's annuity to ASPs. Transferring electronic data transfer to ASPs with respect to subscriber details and sending instruction on Annuity scheme.

(iv) Others

Provide periodic and ad-hoc MIS (including Grievance redressal) to PFRDA, State Governments, Central Government and Ministry of Finance, conduct periodic orientation programs for nodal offices and to provide seamless and error-free system operations involving CRA system, PFMs, TB and other entities in NPS.

(i) Annual fee

The Central recordkeeping agency will pay an annual fee at the rate of 0.05 times of the service charges as specified in regulation 22 of PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015.

(ii) CRA Service Charges

The charge structure for NPS regular and NPS Lite/APY subscribers is provided hereunder the information of all concerned:

Table 3.41: Charge Structure for NPS Regular and NPS Lite/APY

S. No	Service Charge head	M/s NSDL e-governance Infrastructure Ltd (1st CRA)			nologies Pvt Ltd CRA)
		NPS Regular (Rs.)	NPS Lite/ APY (Rs.)	NPS Regular (Rs.)	NPS Lite/ APY (Rs.)
1	PRA opening charges	40.00	15.00	39.36	15
2	PRA Annual maintenance charges	84.00	20.00	57.63	14.4
3	Transaction charges	3.75	NIL	3.36	NIL

Note:-The above charges were applicable as on March 31, 2021. For latest charges please refer relevant pages of the NPS Trust/PFRDA website.

iv) Regulations

The PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015, have been notified on April 27, 2015. Subsequently, PFRDA (Central Recordkeeping Agency) (First Amendment) Regulations, 2018 have been notified on June 25, 2018 and the Second Amendment were notified on July 29, 2020.

The objective of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 and amendments thereto is to set standards for the eligibility, governance, organization and operational conduct of the entity who wish to function as Central Recordkeeping Agency. Regulations would ensure an effective and credible use of inspection, investigation, surveillance and

enforcement powers and implementation of an efficient compliance program in tune with the spirit of PFRDA Act.

Entity registered as Central Recordkeeping Agency through this regulation is required to establish an internal system that delivers compliance with standards for internal organization and operational conduct, with the aim of protecting the interests of NPS subscribers and their assets.

v) Development of New Functionalities

Continuous enhancements and development of modules to address changing requirements of various stakeholders is one the main objective of CRA. Various functionalities were developed by CRA to ensure the seamless functioning of NPS system. Few of the major developments are as under:

Facilities available to Subscribers under NPS

- Direct Remittance As described about the i) D-Remit facility earlier, further to that, NPS subscribers who are intending to make their voluntary contributions through D-Remit would be required to access CRA System and generate Virtual ID linked to their PRAN. Post authorization of Virtual ID, subscribers can log-in to their Net Banking and add Virtual ID generated as above with IFSC details as a Beneficiary, to transfer their voluntary contributions. Subscribers, shall thus be able to give Standing instructions for making periodic payments into NPS. Total of Rs. 229.73 Cr has been contributed through D Remit channel as on March 31, 2021.
- D Remit for NRI D Remit as a mode of contribution has been made available for NRIs also.
- iii) Payment modes in eNPS –
 UPI based Transaction in eNPS rolled out in 2020.
 To optimize the cost of deposit in eNPS, there is now zero cost for Net-banking and Debit card based transactions and 0.8 per cent of the contribution for credit card based transactions.
- iv) Online bank account and address change
 Subscribers were provided the facility
 to modify their address and bank account
 through online platform.
- ePRAN to be treated at par with Physical v) PRAN card Subscribers will be given the option to select ePRAN or Physical PRAN card at the time of subscriber registration. Accordingly, the CRA charges for account opening are reduced in case the subscriber opts for ePRAN card. Further, the same will be considered of equal value as Physical PRAN card for availing various services under NPS. In case of Physical PRAN card, CRA account opening charges - Rs 40 (NSDL CRA)& Rs 39.36(Kfin Technologies CRA). In case of e PRAN card, CRA acct opening charges - Rs 18 (NSDL CRA)& Rs 4(Kfin Technologies CRA). 1,05,999 subscribers have opted for the ePRAN since the release of the feature.

- vi) Contribution facility to give effect to Govt. notification on increase in Govt. contribution from 10 per cent to 14 per cent for Central Govt. subscribers w.e.f. 01.04.2019. Feature of employer contribution @ 14 per cent Employer contribution feature also released for CABs. 160 out of 621 CABs confirmed to contribute 14 per cent. 14 per cent Employer feature also rolled out for SGs- UP, Bihar, TN(AIS), Karnataka, UK and MP have started contributing 14 per cent.
- vii) Scheme Preference change option provided to CG, SG, CABs and SABs. 26789 Govt. Subscribers have exercised the choice of scheme preference change adopted.
- viii) OTP based Authentication provided in lieu of eSign for availing online NPS/ APY services.
- ix) Choice of CRA to subscribers: Subscribers can now change their CRAs two times in a year from the current once in a year.
- Aadhaar based offline paperless KYC x) verification process for NPS on-boarding PFRDA gave approval to make Aadhaar based offline paperless KYC verification process through Aadhaar XML file available to NPS subscribers on voluntary basis for onboarding of subscribers through eNPS portal. Subscriber would be required to select 'Aadhaar' option to enroll through offline Aadhaar based registration process. The new offline process shall maintain privacy and security wherein only a part of Aadhaar number would be shared with entity/service provider doing paperless KYC, in compliance of Hon'ble SC Order. The entities like CRAs (Central Recordkeeping Agencies) can verify the KYC details shared by the subscriber with his/her due consent. Offline Aadhaar has been provided w.e.f. June 2020. 1,49,893 have authenticated through offline Aadhaar till March 31, 2021 since the release of the feature.
- xi) Online Aadhaar based eKYC rolled out for subscriber registration through eNPS platform maintained by NSDL-CRA w.e.f. April 15, 2021.
- xii) Online Nomination Module: PFRDA has approved the functionality related to updation/change of Nomination by

Subscribers based on the logics defined in on-boarding process (through CSRF) under NPS and considering PFRDA (Exits and Withdrawals Under the NPS) Regulations 2015, Chapter VII and Regulation 32, sub-regulation (iv, v and vi), complete

nomination process under NPS including nomination registration. More than 60000 e-Nomination (Paperless nomination through eSign) requests have been received since the release of the feature.

xiii) eNPS exit process

Normal/Pre-mature exit under e-NPS

- a. An option will be available on CRA website for the subscriber to submit withdrawal request. For this purpose, limited access will be provided on CRA Website to the subscriber to provide withdrawal request details and upload scanned documents;
- b. The subscriber will provide details such as Bank details, address details etc. and upload scanned copies of their KYC documents and bank proof;
- c. E-Sign withdrawal request The subscriber will e-Sign withdrawal request using Aadhaar, and
- d. Once withdrawal request is successfully submitted by the subscriber, KYC documents will be displayed to Bank-POP for verification. The verification of the request will be done by Subscriber's bank.
- xiv) OCI subscribers allowed to register under NPS Private sector: The OCI Subscriber should have valid documents such as OCI card and existing foreign address proof & other details to register in NPS.
- xv) Penny drop facility for instant bank account verification of the subscriber in lieu of providing cancelled cheque/ passbook copy/ bank statement etc.
- xvi) Addition of following sub-categories in CGMS for Withdrawal
 - 1. Partial withdrawal not initiated / not authorised / amount not received
 - 2. Exit not initiated / not authorised / amount not received
 - 3. Pre-mature withdrawal not initiated / not authorised / amount not received
 - 4. Death withdrawal not initiated /not authorised / amount not received

xvii) Frequently Asked Questions (FAQs) along

Exit related services from e-NPS due to death

Under the approved process, the nominee has to submit the exit form to NPS Trust with required documents post verification of his KYC by his bank. The nominee has to get a Bank KYC confirmation on bank's letterhead containing the photo and signature of the nominee and signed with seal by the designated bank official where the nominee has his bank account and in which he wants to receive the lump sum and/ or annuity and submit to NPS Trust. Post receiving of required documents NPS Trust will authorize the withdrawal request after carrying out appropriate duediligence.

with answers against respective query category are now available to Subscriber & Entity (raising grievance on behalf of NPS Subscriber) in CGMS. The Subscriber, raising any query through CGMS will have a provision to view the FAQs & relevant answers based on the category of grievance selected.

- xviii) For Facility of document (Exit Applications/ KYC documents) upload (in .pdf format) to Subscribers /DDOs/ Nodal Offices for Superannuation, Premature and Death Exit requests.
- xix) Online re-KYC option is available to Subscribers in case KYC is rejected by Bank/POP during registration under NPS. Subscriber can update the required details as per rejection reason and the same will be available for re-KYC to selected Bank/POP. Now, the re-KYC facility is extended to all the Subscribers where KYC was rejected by Banks during Subscriber Registration.
- xx) Features in NPS Mobile App

i) Tier II Withdrawal

Subscriber can now initiate Tier II account withdrawal under NPS using Mobile App. The Subscriber will log into the App with their User ID and password. An option to select Tier II withdrawal and generate One Time Password (OTP) is available in Mobile App. On entering the correct OTP, Subscriber will have an option to select mode of Withdrawal - (i) lumpsum (amount), or (ii) scheme wise units. Once the option is selected and relevant details are submitted by the Subscriber, the same will get executed in the CRA system and funds will get transferred to Subscriber's Bank Account registered with CRA.

xxi) Features under Atal Pension Yojana (APY)

i) APY Mobile App

- (a) At present option is available to download various documents like Registration Form, Voluntary Exit Form, Contribution Matrix etc. At the time of download of documents, User was redirected to the NSDL Website.

 Now, Subscriber will be able to download all the documents in the App only instead of getting redirected to NSDL website.
- (b) APY app is now live on UMANG platform. Subscribers visiting UMANG platform may avail APY services
- (c) In APY App, Subscriber will be able to search and download PRAN Card by providing details such as Subscriber Name, Bank A/C Number, Date of Birth and Captcha. Subscriber is not required to login to App to access this feature.
- (d) Banks providing on-boarding facility using Net-Banking are identified. The NSDL has been advised to enable the on-boarding of subscribers using APY App using the net banking URL of these banks.

ii) ePRAN Card and Transaction Statement

The facility to download and/or print ePRAN Card and Transaction Statement is made available to APY Subscriber. The APY Subscriber can access their ePRAN Card and Transaction Statement through CRA NPS Lite website (www.npslite-nsdl.com). The Subscriber have an option to search their

ePRAN Card and Transaction Statement with/without PRAN details. The Subscriber are then required to provide minimum details like PRAN and Bank Account Number or Subscriber Name, Bank Account Number and Date or birth registered in the CRA system under APY.

iii) CGMS for NPS Lite/ APY

Central Grievance Management System (CGMS) has been implemented in NPS Lite/APY for registering queries/grievances. At CGMS platform, all the labels on website has been displayed in Hindi

iv) Shifting of APY-SP/APY-SP Branch

APY subscribers can shift their Bank/Branch mapped to their APY account.

v) ePRAN for NPS Lite Subscribers

Subscribers of NPS Lite can now view their ePRAN card. To view PRAN card subscribers are required to provide their PRAN no. and bank account no. However, in case the subscriber does not remember their PRAN no., ePRAN card can be obtained by inputting other details such as bank account no., name and date of birth.

vi) Upgrade/Downgrade minimum pension under APY

Under APY, the Subscriber is required to select the minimum pension of Rs. 1,000/-, 2,000/-, 3,000/-, 4,000 and 5,000/- per month that will be given at the age of 60 years depending on the contributions by the Subscribers. Accordingly, the contribution is deducted from Subscriber's Bank Account as per the frequency opted i.e. monthly/quarterly/half yearly. As per PFRDA guidelines, APY Subscribers have an option to upgrade/downgrade the opted pension amount. Subscribers now can upgrade or downgrade the Pension amount at any time during the financial year. This facility can be availed once during the financial year.

vii) Online contribution facility for NPS Lite subscribers Option given to Swavalamban Subscribers to contribute online through eNPS platform. Subscriber has to access eNPS website & select the menu 'Contribution' and further, provide the details by selecting

the option 'NPS Subscriber type' i.e. NPS Swavalamban and PRAN details. The contribution can be done after OTP authentication and confirmation of captcha details. The payment gateway and CRA charges will be applicable on contributing through eNPS.

viii) Integration with DBT Bharat Portal: The successful integration of NSDL and DBT Bharat portal was carried out and now reporting of data related to DBT component has been started through API.

ix) Features for Nodal Offices/ POPs/ Corporates

- i) PAN based API web-services provided to PoPs with following fields to carry out activities of Subscriber Registration, contribution etc.:
 - 1) PRAN confirmation (Yes/No)
 - 2) PRAN sector
 - 3) PRAN Status
 - 4) Freeze Reason (if any)
- ii) Server Integration between CRA and POPs for following processes:
- Enabling Bulk PRAN enquiry POP can check the status of bulk PRANs through a web-service call to CRA system
- ii) Enabling Subscriber List download
 POP can download the subscriber list of mapped PRANs through webservice
- iii) Bank Account details for ERM Processing-Nodal Offices are required to update their Bank Account details in CRA records but at bank account number field, only numerical account number can be stored. Based on the feedback received from Nodal Offices, now alpha-numeric account number will be accepted at Bank Account Number field for ERM processing.
- iv) Online Subscriber Registration by DDOs

The facility to register Subscriber online using Online PRAN Generation Module (OPGM) is made available

to Drawing and Disbursing Office (DDOs) for Government Sector. DDOs are allowed to capture the registration details of underlying subscribers and the same are verified by the associated DTOs/DTAs. Now based on requests received from some states, changes have been made in the OPGM such that DTO shall raise the registration details and associated DTA shall verify the same.

Earlier the nodal Offices were required to provide 26 digit PAOFIN in fund transfer instruction at the time of transfer of funds to TB. This has now been reduced to 13 digits to reduce instances of fund return due to incorrect PAOFIN.

Option for initiating online conditional withdrawal has been provided to DDOs.

v) Activation/ De activation of PRAN account

As per the requirement of the State Governments, now:

- Reactivation of PRAN can be done by any Nodal Office even if the deactivation request was not raised by the same Nodal Office.
- b. This will be allowed only for the entities from same State Government and implemented only for State Government sector.
- vi) Error Rectification Module (ERM)

An ERM request can be processed by the Nodal Office through whom the contributions were uploaded in CRA system. In addition, now in case of State Govt., the facility to perform a single ERM transaction on behalf of all the underlying Nodal Offices is provided to the Oversight Office. This will save efforts and time of multiple ERM requests being captured by different Nodal Offices.

In case of ERM, the amount transferred to the Nodal Office/Entity is different than the amount for which ERM

request was raised which may be due to to change in NAV. A new field has been added in the ERM request status view which will display the actual realized amount which is transferred to the entity's bank account to facilitate in reconciliation.

x) CRA Toll Free Helpline

Dedicated toll free number (1800222081) is made available to Nodal Offices for contacting CRA regarding their general queries/complaints. This is in addition to an existing toll free number (1800222080) available for NPS Subscribers.

3.14.5 Pension funds

Pension fund means an intermediary which has been granted a certificate of registration under sub - section (3) of section 27 by the Authority as a pension fund for receiving contributions, accumulating them and making payments to the subscriber in the manner as may be specified by regulations.

Appointed and registered Pension Funds manages pension corpus through various schemes under National Pension System or any other Scheme. Pension Funds use their access codes to confirm receipt of netted assets and instructions regarding fund allocation, confirm allocation of funds and communicate the NAV of each scheme to CRA and the custodian on a regular basis.

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 were notified on 14th May, 2015 and the Pension Funds had to abide by these regulations including any amendments there under.

Functions of Pension Funds

The functions of the Pension Funds include, but are not limited to the points mentioned below:

 The management of pensions schemes shall be carried in accordance with the objects of the schemes, provisions of the Act, Trust Deed, rules, regulations, guidelines and circulars issued by the Authority from time to time and within the time lines as specified by the Authority or the National Pension System Trust.

- b) The day-to-day management of the pension funds shall be done by the pension fund on behalf of the National Pension System Trust.
- c) The pension fund shall, at all times render high standards of service, exercise reasonable care, prudence, professional skill, promptness, diligence and vigilance while discharging its duties in the best interests of the subscribers. The pension funds shall avoid speculative investments or transactions.
- d) The pension fund shall employ well qualified professionals or staff with high integrity. The pension fund shall be responsible for the acts of commissions or omissions by its employees or authorised persons whose services have been procured and its liability for such acts of commissions or omissions. This liability shall survive despite the cancellation or suspension or withdrawal of certificate of registration or supersession of management by the Authority.
- e) The pension fund shall facilitate and coordinate with other intermediaries and other entities inter-alia through agreements, technological platforms for undertaking its functional obligations.
- f) The pension fund shall maintain books of accounts, records, registers and documents relating to the operations of the pension schemes to ensure compliance with the regulations, guidelines, circulars issued by the Authority from time to time, and facilitate audit trail of transactions and business continuity at all times.
- g) The pension fund shall submit periodical and compliance reports as required under these regulations, guidelines or circulars, or as may be called for by the Authority, or as required by the National Pension System Trust from time to time.

- h) The pension fund shall undertake public disclosure of information for the benefit of subscribers in the mode and manner as may be specified by the Authority in Schedule V.
- i) The pension fund shall adopt best governance practices for investments and risk management like constitution of Investment Committee and Risk Committee, its composition, functions, policy contents and other like matters as specified in Schedule X.
- j) The pension fund shall prevent conflict of interests that may arise while discharging the obligations as a pension fund and reporting of such instances to the National Pension System Trust.
- k) The pension fund shall ensure exclusivity and segregation of pension fund business activities from its sponsors.
- The pension fund shall ensure confidentiality with respect to subscribers' information and activities relating to the pension fund and protection of all information within its control except as required by the Authority or the National Pension System Trust or provisions of any law.
- m) The pension fund shall provide such representations and warranties as may be necessary for the protection of subscribers' interest on behalf of the National Pension System Trust.

List of Pension Funds (PFs) under NPS schemes

- i) HDFC Pension Management Co. Ltd.
- ii) ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.
- iii) Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.
- iv) LIC Pension Fund Ltd.
- v) SBI Pension Funds Pvt. Ltd
- vi) UTI Retirement Solutions Pvt. Ltd
- vii) Aditya Birla Sun Life Pension Management Limited

The Investment management fee charged by Pension funds for the Govt. employees NPS portfolio is 0.0102 per cent per annum and for the non-Government sector portfolio is 0.01 per cent per annum of the assets under management.

3.14.6 The Trustee Bank

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations

PFRDA (Trustee Bank) regulations, 2015 had been notified on March 23, 2015.

The objective of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations is to set standards for the eligibility, governance, organization and operational conduct of the entity which gets selected as Trustee Bank. Regulations would ensure an effective and credible use of inspection, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an efficient compliance program in tune with the spirit of PFRDA Act.

i) Trustee Bank:


Axis Bank Ltd. has been appointed as Trustee Bank under NPS, in response to Request for Proposal (RFP) dated October 12, 2020 issued by the Authority for selection of NPS Trustee Bank under PFRDA (Trustee Bank) Regulations, 2015 and amendments thereto. The Certificate of Registration issued to Axis Bank as NPS Trustee Bank w.e.f. January 8, 2021 and is valid for a period of five years from the date of grant of certificate of registration and extension granted thereto, unless suspended or cancelled by the Authority as per regulation 13 of PFRDA (Trustee Bank) Regulations 2015 and amendments thereto.

A service level agreement (SLA) is executed by NPS Trust with Trustee Bank in line with the provision of RFP dated October 12, 2020 and PFRDA (Trustee Bank) Regulations, 2015 and amendments thereto as well as Circular and guidelines issued under it.

The following diagram depicts the role of Trustee Bank in the NPS architecture

Chart 3.2: NPS Architecture and Intermediaries

NPS-Architecture



Roles and responsibilities of Trustee Bank:

- Trustee Bank facilitates fund transfers across various entities of CRA system viz. Nodal Offices (uploading offices), Pension Fund Managers, Annuity Service Providers and subscribers.
- 2. Trustee Bank uploads a file containing the details of the funds received from various Nodal Offices to the CRA system. These details are then matched with contribution details provided by Nodal Office(s) to CRA system.
- 3. Trustee Bank receives fund transfer instructions from CRA system as a part of Pay-in process to transfer funds to various entities viz. PFs, Annuity Services Providers, Withdrawal Account and may also receive

- funds from Pension Fund Manager(s).
- 4. Return of unidentified remittances or remittances with incomplete information to the concerned entity.
- 5. At the end of each settlement day, the balance funds at Trustee Bank account are reconciled with CRA system.

Followings are the important roles and functions of NPS Trustee Bank:

- 1. Trustee Bank provides banking facilities as directed by NPS Trust under the prescribed regulations, guidelines, circulars and directions of the Authority.
- 2. Trustee Bank signs the required Service Level Agreement and Non-disclosure Agreement, where applicable, with the

- National Pension System Trust and other intermediaries under the schemes regulated or administered by the Authority.
- 3. Trustee Bank establishes an interface and works in total co-operation and co-ordination with the other intermediaries appointed under the National Pension System.
- 4. Trustee Bank takes all reasonable steps and exercises due diligence to ensure that the banking facilities provided are not contrary to the provisions of PFRDA/NPS Trust guidelines/directions and the rights and interests of the subscribers are protected.
- 5. Trustee Bank accounts are on behalf of the NPS subscribers, and opened in the name of the NPS Trust. The NPS Trust is registered owner of these funds. However, individual NPS subscribers shall remain beneficial owners of these funds. The NPS Trust is exempted from payment of income tax as per Section 10(44) of IT Act, 1961.
- 6. Trustee Bank carries out banking functions for the funds under the NPS as per guidelines/ notifications/ directions issued by PFRDA and operational Service Level Agreement executed with NPS Trust and Standard Operating Procedures issued by NPS Trust based on PFRDA's guidelines.
- 7. Trustee Bank is responsible for the day-to-day flow of Funds.
- 8. Trustee Bank transmits the information pertaining to the NPS funds available with it and instructions to the CRA(s) on a regular basis.
- 9. Trustee Bank provides web-based access to the NPS Trust, PFRDA, CRA(s) and other service providers.
- 10. Trustee Bank adapts to future changes including changes on account of technology advancements, changes in system specifications including number of subscribers, number of schemes, and services and functional obligations prescribed by PFRDA/NPS Trust.

- 11. Trustee Bank maintains books and records about the funds flow and information flow between NPS Trustee Bank, CRA(s), subscribers, Pension Fund, etc. to ensure compliance with the guidelines, and submits regular reports at such intervals and in such manner as may be required or called for by PFRDA/NPS Trust.
- 12. Trustee Bank is expected to comply with the disclosure requirements and the code of conduct specified by PFRDA/ NPS Trust and other financial sector regulators from time to time. The books and records related to the Trust accounts shall be available for inspection to the authorized officers or agents of PFRDA, NPS Trust, RBI, and their respective auditors.
- 13. Trustee Bank submits the following Periodic reports with PFRDA/NPS Trust
 - a) Extracts of Internal audit report from independent auditors with respect to the NPS Trust Accounts, compliance certificates and subscriber complaints reports at regular intervals.
 - b) Concurrent audit report submitted every quarter.
 - c) External audit report of all the NPS accounts maintained with the Trustee Bank submitted annually.
 - The scope of all the above three audits defined by PFRDA.
- 14. NPS Trustee Bank shall be responsible for the acts of commissions or omissions by its employees or the persons whose services have been procured by NPS Trustee Bank.

ii) Timelines for Trustee Bank

The business activities of Trustee Bank are linked with the other processes at CRA. Therefore, bank ensures that the activities are completed within the timelines specified. The chart given below gives the basic idea of the core activities and time limit within which the same is carried out by the Bank:

Core activities of the Trustee Bank with timelines

S. No	Nature of activity	Cut off time*	Day*
1.	Fund realisation at TB	-	T
2.	Return of unidentified funds	-	T+1
3.	Upload of fund receipt confirmation file	09:15 am	Daily
4.	Download pay in instruction files	ı	Daily
5.	Cut off time for Confirmation of transfer of Funds to PFs and withdrawal account	13:30 hrs	Daily
6.	Transfer of M&B Funds to PFs	-	T+1
7	Upload of statements and closing balance of various accounts	-	Daily

Note *

The compensation amount shall be credited to the individual PRAN of subscriber if the amount is more than 50/- and would be credited to Subscriber Education & Protection Fund (SEPF) account if it is less than Rs 50/-

Regulatory Fee Structure: Trustee Bank shall deposit an annual fee at Repo Rate calculated as percentage per annum on the consolidated balances of all the NPS Trust accounts within 15 days from the end of the quarter, this is valid for entire duration of the registration period and any extension granted thereto, paid on quarterly basis directly to Authority.

iii) Direct Remittance (D-Remit):

In order to facilitate the subscriber make regular contributions at a low cost, PFRDA has introduced an additional option/mode of contribution namely Direct remittance (D-Remit) wherein existing NPS subscribers under Government/ Non-Government/ All citizen model would be able to deposit their voluntarily contributions by creating a virtual id linked to their permanent retirement account number (PRAN). D-Remit has not only eased the mode of deposit of voluntary contribution but also optimized the investment return by providing the same day NAV on the investment if contribution is received by Trustee

Bank within prescribed cut-off time.

The subscribers can now put a standing instruction in their net-banking account which will directly remit the contribution into their PRAN accounts. It would also reduce the timeline of investment from T+2 to T (for contributions made before a threshold time) or T+1.

Immediate Payment System (IMPS) facility for accepting contributions under D remit. Subscriber can contribute using NEFT, RTGS and IMPS facility. IMPS facility will help subscribers to transfer amount under IMPS and avail same day NAV. In this regard, PFRDA issued two circulars PFRDA/2020/44/SUP-CRA/17 dated October 01, 2020 and circular no. PFRDA/2021/6/SUP-CRA/5 dated March 10, 2021.

Timeline: The minimum amount that can be contributed through D-Remit is Rs 500/- for both Tier I and Tier-II accounts. The funds received on T day upto 09:30 am on any bank working day (other than Saturday, Sunday and Holidays) by Trustee Bank shall be considered for the same day investment. The contribution received after 09:30 am on T day shall be invested on next working day (i.e. T+1) day.

^{1.} Times and TATs are indicative. Based on the advancement in technology, applicable electronic remittance system, and allowed clearing/electronic clearing cycle etc. the timelines may further be improved as per instruction of Authority/NPS Trust.

^{2.} Non-compliance of the time -lines as specified by the Authority may attract penal provisions as may be specified from time to time. The present applicable rate of penal provision for non-compliance in timelines is RBI Repo plus two per cent per annum payable as compensation.

iv) Measure taken to protect subscriber's interest:

The following measures have been undertaken to improve the system in order to protect the interest of subscribers:-

(a) Return of Inward remittances

Intimation about return of remittances to the respective Nodal Offices is sent through emails as well as physical letters. Apart from reasons for rejection of the remittances, remedial action and precautions to be taken by the nodal office is provided to them to avoid repetition of the errors and avoid return. This ensures timely investment of the contribution made by subscribers.

To reduce such fund return cases, a covering letter has been devised which is generated along with the SCF. The letter contains pre-populated fields such as Tran ID, amount etc. which the Nodal Officer is to authorize and submit to its accredited banker for fund transfer to TB.

v) Challenges faced by Trustee Bank in handling the funds

 Pending SCFs- Many Nodal Offices upload SCFs twice or do not remit funds corresponding to these SCFs. PFRDA tries its best to get these SCFs matched and

- booked within the prescribed timelines.
- ii. Missing credit- At times many Nodal Offices are not regular in remitting funds timely. PFRDA has continuously taken up the matter of missing credits in the PRAN of the subscribers with the concerned organisations- PAOs, so that the subscribers do not lose on investment opportunity as a result of the delay.
- iii. Funds remitted with incomplete details—Many Nodal Offices remitted funds to the Trustee Bank without complete details like PAO id, Transaction Id, etc. These funds received by the Trustee Bank prior to May 2012, are lying unidentified for which Nodal Offices have neither provided Fund Transfer Details (FTDs) nor uploaded SCFs. PFRDA is continuously following it up with the Nodal offices for resolution of the same.
- iv. Return of Outward remittances by TB to Subscribers The withdrawal funds remitted by TB to the subscribers gets returned due to various reasons, the most important of these being Incorrect bank details, Incorrect IFSC, mismatch in beneficiary name etc.

TB Collects monthly average of 8000 cr and makes outflow of 300 cr 4% of Inflow is Outflow 12000 10000 8000 6000 4000 2000 3.58% Average Return May-Sep-Oct-Nov-Dec-Jun-Aug-Jan-Feb-Mar-Jul-20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 FRC cr 6940 6070 6984 7712 8030 8364 7553 9389 9085 11153 8244 7779 WACcr 116 335 347 424 444 560 554 256 251 325

FRC Rs 97307Cr and WAC Rs 3997 cr FY 2020-21

91

Chart 3.3: Data on Trustee Bank inflow and outflow

Daily Average Balance (in Crs.) - Trend during FY 2020-21

Daily	CRA	CRA	Total	
Average	NSDL	K-Fintech		
Balance				
Apr-20	401.38	4.67	406.05	
May-20	514.09	4.59	518.68	
Jun-20	311.36	4.02	315.38	
Jul-20	404.38	3.62	408.01	
Aug-20	396.70	4.81	401.51	
Sep-20	326.16	3.80	329.96	
Jan-21	482.78	2.87	485.66	
Oct-20	475.27	4.48	479.75	
Nov-20	331.92	5.00	336.93	
Dec-20	526.97	9.12	536.08	
Feb-21	513.72	7.56	521.28	
Mar-21	545.63	14.73	560.36	
(Source : NSDL-CRA & K-Fintech-CRA)				

3.14.7 The Custodian under the National Pension System

The Custodian of Securities under the National Pension System

Custodian of Securities" means an entity which has been granted a certificate of registration under sub-section (3) of section 27 of the Act by the Authority as a custodian of securities for the purpose of providing custodial and depository participant services for the pension schemes regulated by the Authority;

"Custodial services" means safekeeping of securities or assets held under the National Pension System or any other pension scheme and providing services incidental thereto and includes-

- maintaining accounts of securities or assets held;
- ii. undertaking activities as a Domestic Depository in terms of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or as permitted by the Securities and Exchange Board of India;
- iii. collecting the benefits or rights accruing on the securities or assets;
- iv. informing about the actions taken or to be taken by the issuer of the securities, having a bearing on the benefits or rights accruing on the securities or assets held; and
- v. maintaining and reconciling records of the

services referred to in sub-clauses (i) to (iv); Presently, the Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) is acting as Custodian of Securities.

General obligations of Custodian of Securities As per the Regulation no. 19 of the PFRDA (Custodian of Securities) Regulations, 2015, general obligations of Custodian of Securities are listed below:

- The custodian of securities shall exercise at all times reasonable care, prudence, professional skill and diligence while discharging its duties in the best interest of the subscribers.
- ii) The custodian of securities shall facilitate adequate infrastructure information technology, systems and procedures that are required for enabling it to co-ordinate with other intermediaries and entities and adapt to future changes including changes on account of technology advancements, changes in system specifications and services and undertake functional obligations specified by the Authority.
- iii) The custodian of securities shall take all necessary precautions to ensure that continuity of the record keeping is not lost or destroyed and that sufficient back up of records are available.
- iv) The custodian of securities shall ensure at all times that transactions in the pension schemes accounts are put through according to the instructions of the pension fund or the National Pension System Trust and the securities held in such accounts are used only for transactions explicitly authorised by the pension fund or the National Pension System Trust.
- v) The custodian of securities shall ensure at all times that, the securities held on behalf of the National Pension System Trust are separate and clearly segregated in its books from its own holdings, other client accounts and separated from all other activities. The custodian of securities shall open a separate custody account for pension schemes regulated by the Authority and in accordance with the manner specified for registration of securities.
- vi) The custodian of securities shall ensure that

- all the rights or entitlements on the securities held in its custody for pension schemes or the National Pension System Trust are received on time and in the manner specified by the Authority or the National Pension System Trust.
- vii) The custodian of securities shall ensure that the individual holdings of securities in the pension scheme accounts are reconciled with the depository holdings and Constituents' Subsidiary General Ledger (CSGL) account at the end of the day.
- viii) The custodian of securities shall be continuously accountable for the movement of securities in and out of the pension scheme accounts and shall provide complete audit trail whenever called for by the Authority or the National Pension System Trust.
- ix) The custodian of securities shall create and maintain the records of securities held in its custody in such manner that the tracing of securities or obtaining duplicate of the documents is facilitated, in the event of loss of original records for any reason.
- x) The custodian of securities shall ensure that the securities handled by it under the National Pension System or any pension scheme regulated by the Authority are adequately insured.
- xi) The custodian of securities shall have adequate systems for internal controls to prevent any manipulation of records and documents including audits for securities and rights or entitlements arising from the securities held under this agreement. The custodian of securities shall have appropriate safekeeping measures to ensure that such securities (assets or documents) are protected from theft or natural hazard.
- xii) The custodian of securities shall not be entitled to setting off securities held in the pension scheme accounts regulated by the Authority or otherwise deal with them to extinguish partly or fully any amounts due to it from the pension fund or the National Pension System Trust without the prior consent in writing from the Authority or the National Pension System Trust.
- xiii) The custodian of securities shall not encumber the securities in any manner including by an

- act of pledging, hypothecating or creating any charge or lien on the said securities. The custodian of securities shall not convert the securities in any manner without the approval of the Authority or the National Pension System Trust.
- xiv) The custodian of securities shall transmit such reports and statements to the pension fund or the National Pension System Trust or the Authority or to such other intermediaries at such periodic intervals as may be specified by the Authority from time to time or as specified in the agreements
- xv) The custodian of securities shall maintain proper books of accounts, registers, records, documents and have adequate mechanisms for the purposes of reviewing, monitoring and evaluating the custodian's controls, systems, procedures and safeguards.
- xvi) The custodian of securities shall have its books of accounts audited quarterly by an internal auditor and submit an extract thereof relating to the assets or business of the pension funds to the Authority or the National Pension System Trust, as specified, within thirty days from the date of audit.
- xvii) The custodian of securities shall adhere to all applicable rules, regulations, circulars or guidelines framed, recommended, mandated by any regulator, authority, clearing corporation, exchange or depository for various functions or services offerings to the National Pension System Trust.

Custodian Charges

The Asset Servicing Charges were 0.0032 per cent per annum of asset under custody for electronic and physical segment.

3.14.8 The National Pension System Trust

(A) The NPS Trust was established in terms of the Central Government letter D.O. No 5(75)/2006-ECB & PR dated April 24, 2007. The NPS Trust Deed was executed by PFRDA place on February 27, 2008 with PFRDA being the Settlor of the Trust.

The NPS Trust has been set up and constituted to hold the assets and funds under the NPS for the benefit of the beneficiaries (subscribers). Trustees have the legal ownership of the Trust Fund, The general superintendence, direction & management of the affairs of the Trust , and all powers, authorities and discretions appurtenant to or incidental to the purpose of the Trust absolutely vest in the Trustees, subject nevertheless to the provision of the PFRDA Act-2013, Indian Trust Act – 1882, NPS Trust Deed and further subject to such directions or guidelines that may be issued by PFRDA from time to time. However, the beneficial interest shall always vest with the beneficiaries of the NPS Trust.

Budget announcement regarding NPS Trust: As per para 97 of the Budget Speech, 2020 "Regulating role of PFRDA requires strengthening. Necessary amendments would be carried out in Pension Fund Regulatory Development Authority Act that will also facilitate separation of NPS trust for government employees from PFRDA. This would also enable establishment of a Pension Trust by the employees other than Government." Efforts are on at the highest levels to implement the above announcement.

The constitution of the NPS Trust Board as on March 31, 2021 is provided in Table 3.41

Table No. 3.42: The constitution of the NPS Trust Board as on March 31, 2021

S. No.	Name	Designation
1	Sh. Atanu Sen	Chairman &
		Trustee Appointed
		as Chairman with
		effect from March
		30, 2020
2	Sh. Dinesh Kumar	Trustee
	Mehrotra	
3	Sh. Radhakrishnan	Trustee
	Nair	
4	Sh Sanjeev Chanana	Trustee
5	Sh. Suraj Bhan	Trustee
6	Sh. Sanjiv Mittal	Trustee
7	Sh. Sudhir Kumar	Trustee
	Sharma	
8.	Shri Y Venkata Rao	Trustee
9.	Ms. Chitra	Trustee
	Jayasimha	

Shri. Sashi Krishnan is appointed as the Chief Executive Officer of NPS Trust, w.e.f. January 28, 2021.

(B) Management of NPS Funds by the NPS Trust

The NPS funds of subscribers held in the name of NPS Trust are managed by seven appointed Pension Funds, on behalf of the Board of Trustees to realize and fulfil the objectives of the NPS Trust in the interest of the Subscribers. The performance of the Pension Funds is reviewed on a quarterly basis by NPS Trust, and instructions/guidance is given to them for protecting the interest of the subscribers.

(C) NPS Trust fee/charges

NPS Trust is empowered for monitoring, evaluation and coordination of Pension Funds, Trustee bank and Custodian on a regular basis and it is expected to be a self-sufficient entity with a regular stream of revenue. Hence, the levy of fee/ charges by NPS Trust has been reviewed and accordingly the Board of PFRDA has decided to restart the fee/ charge @0.005 per cent per annum of Asset Under Management (AUM) on a daily accrual basis w.e.f. August 1, 2019 as NPS Trust may need certain amount of financial autonomy whereby the Trust may have separate source of income through levy of fee/ charges from the subscribers for the services rendered, The quantum of fee/charges would be reviewed by the Authority from time to time.

(D) Engagement of Payment Gateway Service Provider(s) (PGSPs)

Indialdeas.com Limited (Billdesk) and Razorpay Software Pvt. Ltd. have been appointed as Payment Gateway Service Provider(s) to NPS Trust on the basis after bidding process by NPS Trust for an initial period of three years, to begin with effect from October 21, 2020 with following charges:

S.No.	Mode of Payment	Method of quotation rate per transaction	Charges
1.	Credit Cards	Per cent of transaction value	0.75 per cent
2.	Debit Cards	Free	N/A
3.	Internet Banking	Flat rate in INR	0
4.	UPI	Free	N/A

The transaction charges quoted above include fees towards providing the online payment service to NPS Trust (complete jurisdiction is of NPS Trust). This transaction charge is inclusive of all local taxes, income tax, insurance, bank charges, payment channel charges etc., but exclusive of GST which shall be paid by the user as extra at actuals during the time of making payment/transaction. Except quoted as above and GST at actuals, no other charges whatsoever shall be levied from subscribers/users of NPS Trust.

Penalty: In case of delay in transfer of funds beyond the timeliness, the PGSP shall make good the loss to the subscriber, if any, on account of delay in investment which is NAV based (as per calculation made by CRA, based on the fluctuation in NAV between actual investment and the investment day as per the timelines. This would be subject to minimum compensation at the rate of bank rate plus 2 per cent per annum on the amount invested for each day of the delay from the supposed day of investment). Any positive fluctuation due to delay in investment, benefitting the subscriber would be ignored.

Timelines: The subscription collected from the successful transactions will be pooled by the payment gateway service provider and the funds would be made available to NPS Trust not later than T+1 day by 10.30 AM (T - being the Transaction day) of the payment by the subscriber, post reconciliation and aggregation, into the designated collection account of NPS Trust . This account would be maintained with the Trustee bank appointed by PFRDA.

3.14.9 Retirement Adviser

The Retirement Advisers (RAs) are appointed by PFRDA to engage in the activity of providing advice on NPS thereby to extend the reach of NPS. The RAs can be an individual, registered partnership firm, body corporate, or any registered Trust or society. There is online platform to facilitate registration of an individual/entity as RA.

Retirement advisors are playing an important role in guiding and helping consumers to have a better understanding of investment and payout options. Taking into account international experience and the needs of the Indian system of organised and unorganised workers, with a view to protecting the interests of retiring population and more importantly, for minimising risks of losses arising out of deficient understanding of the various options in the returns from the NPS, PFRDA has accredited National Institute of Securities Markets (NISM) as the accredited institute for Certification of the Retirement Adviser Certification Examination.

With the objective to provide a framework for eligibility, registration process, fees etc. of Retirement Adviser and to define the scope of work and responsibility of the Retirement Adviser to ensure orderly growth of pension sector, Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 were notified by PFRDA.

3.14.10 Other functions carried out by the Authority in the area of pensions.

i) Implementation of Cyber Security

PFRDA has constituted a Standing Committee on Information, Systems & Technology and Cyber Security in May 2019. The Committee was be guided by the extant cyber security policy of PFRDA for its intermediaries and is advised to formulate PFRDA's own policy . PFRDA has re-constituted a Standing Committee on Information, Systems & Technology and Cyber Security (IST&CS) and renamed as "Pension Fintech Innovation & Development, Information Infrastructure and Cyber Security" with a view to keep an eye on rapid technological changes and

cyber risk, its effect on the financial sector in order to safeguard the subscribers' interest.

Standing Committee will advise on Information Systems, Technology & cyber security issues, development of Management Information Systems (MIS), Supervisory and Regulatory platforms, new opportunities and challenges of Financial Technologies, Regulatory Technologies, strengthen the processes of cyber security/ system/information security audit of PFRDA and intermediaries under the NPS architecture.

There is Chief Information Security Officer (CISO), to manage all IT and Cyber issues within PFRDA and to coordinate with the intermediaries and other agencies like CERT-In, NCIIPC on matters related to cyber security.

PFRDA has also created two new departments for Information and Cyber Security i.e., Information and Cyber Security – Internal and Information and Cyber Security – External, to manage all Information and Cyber Security related to both Internal and External Cyber Security Policies, Issues in NPS architecture.

Technological inputs such as Use of Emerging Technologies, Data Analytics, Infrastructure, AI/ML, Chatbots, Fraud Analytics etc., in preparation of the RFP for Central Recordkeeping Agency (CRA), Technical Evaluation and Technical Presentation evaluation for selecting best of the CRA solution provider.

Monitored and reviewed Information Cyber Security Compliance, to ensure that the compliance of Cyber Security Policy of the Intermediaries and Quarterly Compliance. It has been improved performance and security posture of the NPS systems.

Identification and Assessment of CRA as the National Critical Information Infrastructure in PFRDA regulated NPS System.

A presentation was given by PFRDA on

Information and Cyber Security in Pension Sector in the IOPS Technical Committee and member countries..

Cyber / IT Audit: Cyber Security Audit reports of iintermediaries of PFRDA were reviewed to ensure maximum protection to NPS against Cyber threats.

Disaster Recovery Drills of the CRA's has increased the resilience capability of CRA systems based on the periodic advisory from PFRDA.

PFRDA also participated in the various cyber security related committees such as Inter Ministerial Steering Committee (IMSC) provided technology inputs for improving the financial sector on Emerging technologies such as Block Chain, IoT, Artificial Intelligence, Machine Learning, FinTech, SupTech, RegTech etc.,

Presentation has been given for Five years National Cyber Security Strategy – 2020 with 13 cyber security related objectives for Improving the cyber security in Financial Sector and other sectors. It has been accepted for implementation also.

ii) Fin-Tech through Regulatory Sandbox

There has been tremendous change in the financial sector due to technological advancements and innovations. Regulatory sandbox approach could be utilised to experiment upcoming technologies and solutions in order to promote the development of Financial Technology (Fin Tech) for the pension sector in a safe and controlled environment. Accordingly, PFRDA has constituted a Group with representative from ReBIT, PFRDA, NPCI & NSDL to identify areas under NPS which could utilize financial technologies (Fin-Tech) through Regulatory Sandbox. The committee has submitted its report. This issue is under development. Recently a group has also been formed under FSDC sub-committee namely IRTG-Fintech group where PFRDA is also a part of the group and this matter is under deliberation.

PART IV

4.1 Pension Advisory Committee

Section 45 of PFRDA Act provides for constitution of a Pension Advisory Committee with representations from employees, associations, subscribers, commerce & industry, intermediaries and organizations engaged in pension research to advise the Authority on matter relating to the making of regulations or as may be referred to it. During the year under reference, the Pension Advisory Committee was reconstituted vide Gazette notification date 16th September 2021 (Annexure-I) and the fourteenth and fifteenth Pension Advisory Committee Meeting were held on December 29, 2020 and March 26, 2021 at New Delhi.

The following agenda items were taken up for discussion in fourteenth Meeting of the PAC held on December 29, 2020:

- Minutes of 13th PAC Meeting.
- ATR on Minutes of 13th PAC Meeting.
- Regulations for Regulatory Sandbox.
- Proposed Amendment in PFRDA (PoP) Regulations, 2018 Proposal on alternate payout mechanisms on exit from NPS.
- Proposal on expansion of distribution channels in NPS.
- Designing Minimum Assured Return Scheme (MARS) under PFRDA Act.
- Exit through Self-authorization by e-NPS subscribers.
- Measures taken by PFRDA for NPS/APY outreach.

The following agenda items were taken up for discussion in fifteenth Meeting of the PAC held on March 26, 2021:

- Minutes of 14th PAC Meeting.
- ATR on Minutes of 14th PAC Meeting.
- Proposal for exploring the feasibility towards upward revision of the limits for allowing Exit without annuitisation (complete lumpsum).

- Designing Minimum Assured Return Scheme (MARS) under PFRDA Act.
- Increasing the joining age in NPS from 65 years to 70 years and extending the exit age from 70 years to 75 years.

4.2 Regulations Made or Amended

The information pertaining to Regulatory development during FY 2020-21 is as under:

- 1. New Regulations notified during FY 2020-21: NIL
- 2. Amendments to the Regulations during FY 2020-21

Following amendments have been notified during April 2020 - March 2021:

Table No. 4.1: Amendments

S. No.	Amendment	Date of Gazette Notification
1.	PensionFundRegulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2020	September 29, 2020
2.	PensionFundRegulatory and Development Authority (Central Record Keeping Agency) (Second Amendment) Regulations, 2020	July 29, 2020
3.	PensionFundRegulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Second Amendment) Regulations, 2020	July 29, 2020
4.	PFRDA (Pension Fund) (Third Amendment) Regulations, 2020	May 14, 2020

4.3 Constitution of Committee for utilization of Subscriber Education and Protection Fund

As per Section 6 of PFRDA (Subscriber Education and Protection Fund), Regulations, 2015 a committee was re-constituted on March 25, 2019 for recommending subscriber education, awareness and protection activities and for utilization of the Fund. The Committee shall recommend utilization of funds for subscribers' education, awareness and protection.

The committee may recommend projects and initiatives in association with various institutions, associations and organization etc. which are engaged in activities, related to subscriber awareness, education and protection.

4.4 Standing Committee on Information Technology and Cyber Security in PFRDA

PFRDA has constituted a Standing Committee on Information, Systems & Technology and Cyber Security in August 2018 with a view to keep an eye on rapid technological change and its effect on the financial sector in order to safeguard the subscribers' interest. The terms of reference of the said committee are to advise on Information Systems, Technology & cyber security issues, development of Management Information Systems (MIS), Supervisory and Regulatory platforms, new opportunities and challenges of Financial Technologies, Regulatory Technologies, strengthen the processes of cyber security/ system/information security audit of PFRDA and intermediaries under the NPS architecture.

PART V

Organizational Matters of the Pension Fund Regulatory and Development Authority

5.1 Constitution of PFRDA Board

Section 4 of the PFRDA Act provides for the composition of the Authority consisting of a Chairperson, three whole time members; and three part-time members to be appointed by the Central Govt. As on March 31, 2021, the composition of the Authority is as under:

(i) Chairperson

Shri Supratim Bandyopadhyay is the Chairperson. He joined PFRDA as Chairperson on February 21, 2020. Prior to this, he was Whole Time Member (Finance)-PFRDA from March 12, 2018 to January 16, 2020. Prior to joining PFRDA, he has spent almost three and a half decades in the Insurance industry after joining LIC in the year 1985.

(ii) Whole-Time Members

- 1. Shri Pramod Kumar Singh, Whole-Time Member (Law) from March 3, 2020 till date.
- 2. Dr. Deepak Mohanty, Whole-Time Member (Economics) from September 1, 2020 till date.
- 3. Dr. Manoj Anand, Whole-Time Member (Finance) from October 1, 2020 till date.

(iii) Part-Time Members

- 1. Ms. Annie George Mathew (IA & AS 1988), Additional Secretary (Pers), Department of Expenditure from December 12, 2014 till date.
- 2. Ms. Sujata Chaturvedi (IAS 1989), Additional Secretary (in-charge of Establishment Division), Department of Personnel & Training (DoPT) from January 16, 2020 till date.
- 3. Shri Madnesh Kumar Mishra (IRS 1990), Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance

from November 3, 2017 till date.

5.2 Meetings of the Authority

Nine Meetings of the Authority were held during Financial Year 2020-21.

Table No. 5.1 Authority Meetings held in FY 2020-21:

Authority Meeting	Held on
86th Authority	June 10, 2020
Meeting	(Wednesday)
87th Authority	By Circulation- July 13,
Meeting	2020 (Monday)
88th Authority	August 27, 2020
Meeting	(Thursday)
89th Authority	By Circulation-
Meeting	September 28, 2020
	(Monday)
90th Authority	November 27, 2020
Meeting	(Friday)
91st Authority	By Circulation
Meeting	- December 2,
	2020(Wednesday)
92nd Authority	By Circulation-
Meeting	December 17 2020
	(Thursday)
93rd Authority	By Circulation- January
Meeting	25, 2021 (Monday)
94th Authority	March 2, 2021 (Tuesday)
Meeting	, , , , ,

5.3 Staff Strength in PFRDA.

As on March 31, 2021, the regular staff strength of PFRDA is Sixty (60) out of which Fifty-Eight (58) are in officer cadre, one (01) Junior Assistant & one (01) Staff Car Driver. Out of sixty (60), seven (07) of its officers are presently reporting to C.E.O, NPS Trust, till the regular staff is deployed in NPS Trust.

5.4 Functioning of SC/ST Cell and OBC Cell in PFRDA.

To implement Government instructions on welfare of SC/ST/PWD employees, a cell has been set up

in PFRDA. A General Manager grade officer has been nominated as Liaison Officer for SCs/STs/PWDs. Further, a separate cell for welfare of OBCs has been set up. A Deputy General Manager grade officer has been nominated as Liaison Officer for OBCs. Members of both the Cell meet with their respective Liaison Officers on quarterly basis to discuss welfare measures related to them.

5.5 Committee for Prevention of Sexual Harassment at Workplace.

A Committee for prevention of Sexual Harassment at workplace is in place for receiving complaints, holding enquiry etc. in accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and meets on quarterly basis.

5.6 Staff Welfare Committee

A Staff Welfare Committee has been constituted in PFRDA to identify and organize various staff welfare activities. The Committee will help evolve measures for securing and preserving good relations amongst the employees and also between employees and the management. A General Manager grade officer has been nominated as Chairperson of the Staff Welfare Committee.

5.7 Training of employees in PFRDA

During the financial year 2020-21, officers were nominated by PFRDA for trainings/workshops on various subject areas like:

- Risk Management for Investment Managers Program,
- 2. Leading with Purpose,
- 3. Investment and Fund Management Program,
- 4. Leadership Excellence: An Alternate Approach,
- 5. Financial Statement Analysis,
- 6. Corporate Financial Reporting,
- 7. Online programme on Investment and Portfolio Management,
- 8. Leading Innovation in the Digital Era,
- Understanding Insolvency and Bankruptcy Code,

- 10. Introduction to Ratio Analysis for Credit Risk Assessment,
- 11. Securitisation concepts and CRISIL's framework for assessing securitisation issuances,
- 12. Online Training Programme on Cyber Security,
- 13. Online Programme on Domestic Enquiries and Disciplinary Actions,
- 14. Organizational Excellence Through Leadership,
- 15. Artificial Intelligence for Digital Transformation,
- 16. Online Training Program on Bond Dealings (Focus: Trading and Portfolio Management),
- 17. Fixed Income Market Trends and risk management in times of pandemic Virtual training,
- 18. Credit Ratings Demystified: How to make fullest use of it,
- 19. Induction Training for Assistant Managers, Programme on Hindi Training.

A total of 46 employees have received trainings across above mentioned subjects during the FY2020-21.

5.8 Promotion of Official Language

- 1. Rajbhasha Department is committed to promote the use of official language in all official's communication of PFRDA as per official language policy of Department of Official language, Ministry of Home Affairs, Government of India. During FY 2020-21, appropriate steps were initiated for implementation of the official language in PFRDA to ensure compliance with various requirements of Department of Official language. A summary of such initiatives is given below:
- i. Implementation and monitoring of the Official Language Policy and rules of Department of Official language, Ministry of Home Affairs, Government of India in PFRDA and circulate the Presidential Orders regarding the Official Language, general orders, executive instructions/directions issued from time to time.
- ii. Conducting regularly quarterly Official

Language Implementation Committee (OLIC) meetings and identifying the areas to achieve the greater use of Hindi in office notings and correspondences.

- iii. Undertaking Hindi translation work from English to Hindi of officials correspondences, Regulations, Circulars, Officer Orders etc.
- iv. Organizing Hindi workshop on Rajbhasha related topics from external trainer proficient in Hindi language.
- v. Organizing Hindi fortnight and Hindi Diwas.
- vi. Coordination and support for conducting Official Language Inspection by the Committee of Parliament on Official Language and Department of Official language, Ministry of Home Affairs.
- vii. Guiding and promoting staff for progressive use of Hindi.
- viii. Organizing Hindi essay competition on occasion of Hindi Diwas for progressive use of Hindi in office communications.
- ix. Submission of inspection report and quarterly progress reports on Official Language work in website of Department of official language.
- Assistance/Guidance to staff for Rajbhasha activities including organization of refresher Training for Hindi Language according to their proficiency.
- xi. Publication of Hindi article in PFRDA "Pension Bulletin".
- xii. Sensitizing the staff towards achieving the targets as mentioned in Annual Programme of the Department of Official Language.
- 2. During FY 2020-21, all efforts was made to issue the regulations, notifications, public notices, certificate of registration, advertisement, advisory in both English and Hindi towards implementation of the Official Language Policy.

3. Hindi Website

Towards the implementation of the Official Language Policy of the Department of official language, Government of India, PFRDA is in the process of revamping its Hindi website and all efforts are being made to put information in Hindi

such as public notice, circulars regulations etc.

4. Rajbhasha Meetings

During the year, meetings of the Official Language Implementation Committee were conducted to ensure compliance with the Official Language Policy of the Department of Official language, Ministry of Home Affairs, Government of India. During FY 2020-21, several important decisions were taken towards implementation of the Official Language Policy of the Government of India.

5. Hindi Diwas Samaroh

During FY 2020-21, an essay writing competition was organized which aimed at encouraging the use of Hindi by the staff members in their day-to-day official work. During the Samaroh, as a token of appreciation, all the winners were awarded with cash prize and all the participants was also given certificates. Considering the importance of the official Hindi language, the Chairman, WTMs and the Executive Directors were also present on the occasion, and they encouraged all the winners and participants of the competitions.

6. Training for Officers

As part of efforts to increase the use of Hindi and to make them aware the various requirements related to the Official Language Policy of the Government of India, training programmes were organized for staff members according to their proficiency in Hindi so that they may use Hindi in their day-to-day official work and ensure timely implementation of the Policy while discharging their duties.

7. Hindi Workshops

During the year, a workshop was organized for all officials of PFRDA to make them aware of the basic use of Hindi and rules for making correspondences in Hindi. An official from Department of official language, Ministry of Home Affairs was called for the workshop.

8. Inspection conducted by Department of Official language, Ministry of Home Affairs:

An inspection was conducted by Department of Official language, Ministry of Home Affairs. The following points advised during the inspection by the Inspecting Officer are being implemented by the Authority.

- i. A dedicated Hindi officer would be recruited shortly.
- Codes, manuals, name boards, sign boards, seals, logos, printing on envelopes, rubber stamps, stationery, advertisements etc. have been made bilingual.
- iii. All office orders are being made in Hindi and in English (Bilingual) by the authority.
- iv. Letters received from region 'A' and region 'B' are being answered in Hindi.
- v. PFRDA is in the process of registering with the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.
- vi. Hindi language training should be organized for all the officers.

9. Logo of PFRDA

The logo of the Pension Fund Regulatory and Development Authority has been made bilingual and the logo of the National Pension System (NPS) has also been made bilingual as per the provisions of the Official Language Act.

5.9 Right to Information:

There is a dedicated cell in PFRDA to implement the Right to Information Act, 2005 (RTI Act). This Cell processes the applications received under the Right to Information Act, 2005 and works under Central Public Information Officer (CPIO). As required under the RTI Act, PFRDA has designated an officer as the Appellate Authority (AA) with whom the appeals can be filed against an order of the CPIO.

As per RTI Act, any citizen can seek information under RTI by making an appropriate application in writing along-with the prescribed fees to the Central Public Information Officer, Pension Fund Regulatory and Development Authority, First Floor, Chhatrapati Shivaji Bhawan, B-14/A, Qutab Institutional Area, New Delhi 110016 and/or can also file an RTI under RTI Act, 2005 on Online Portal available at www.pfrda.org.in.

During the financial year 2020-21, 742 RTI Applications and 40 First Appeals were received inter-alia regarding contribution under National Pension System (NPS), opening of individual pension account, transfer, withdrawal & exit

under NPS, APY scheme etc. All the applications and appeals were replied/disposed of within the stipulated time as prescribed under RTI Act, 2005. Section 4 of the RTI Act casts an obligation on every public authority to make certain suomoto disclosures on its website. PFRDA has also made such suo-moto disclosures on its website. The focus of the disclosure is to improve the level of transparency in the working and functioning of PFRDA. In this regard, information regarding various functions, powers and duties of PFRDA & its officers etc. has been provided on PFRDA's website. Further, the PFRDA Act, rules and regulations made there under, circulars and manuals issued by PFRDA are also available on the website.

5.10 Parliamentary Questions

During the financial year 2020-21, PFRDA received around 35 Parliamentary Questions referred by the Government of India, mainly from the Ministry of Finance on various aspects related to the old age income security comprising queries on NPS and APY. PFRDA has furnished information and material for replies in a time bound manner for facilitating replies to the same to the Parliament.

5.11 Others

Violation of PFRDA Act, 2013 and PFRDA (Point of Presence) Regulations by UTI AMC-POP has been reported to E&A Dept. in the matter of fraudulent withdrawal cases. Adjudicating Officer was appointed by E&A Dept. for holding an inquiry, adjudging and recommending penalty.

5.12 Accounts of PFRDA

During the financial year (FY) 2020-21, PFRDA met all its administrative and establishment expenses through its own resources.

PFRDA received grant from Govt of India towards Atal Pension Yojana only. The Atal Pension Yojana (APY) was announced in the budget speech for the FY 2015-16. This pension scheme is meant for all citizens in the age group of 18-40 years, with a focus on persons belonging to unorganized sector. All subscribers under NPS-lite/Swavalamban between the age of 18-40 years are eligible to shift to Atal Pension Yojana. During

the FY 2020-21, PFRDA has received a grant of Rs. 273.00 crores under APY towards Government cocontribution, incentive to service providers and other promotional activities.

The annual statement of accounts of the Authority consisting of Balance Sheet as on 31.03.2021, Income & Expenditure A/c and Receipt & Payment A/c for the period 01.04.2020 to 31.03.2021, along with the schedules have been finalized as per the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015. These accounts were

approved by the Board in its 97th Board meeting held on 30.06.2021. In accordance with the provisions of the PFRDA Act, 2013, the same have been audited by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

The Separate Audit report of the C&AG on the accounts of the Authority for the year ended 31.03.2021, and the comments of the Authority are attached to the certified annual statement of accounts of the Authority along with the Schedules, and are placed at Appendix Annexure III

PART VI

Any critical area adversely affecting the interest of subscribers

6. Some of the area affecting the interest of the subscribers are as below:

6.1 Absence of an enabling regulation precludes the Government nodal officers

- Absence of an enabling regulation precludes the Government nodal officers (CG, SG and Autonomous nodal offices) from being considered as intermediary as per PFRDA Act 2013 and hence they remain outside the purview of the penalty provision provided under Section 28 of the PFRDA Act 2013. Further, it is mentioned that the CCS (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 as notified by DoPPW vide notification dated 30.03.2021, lays down the General conditions of Implementation of NPS under CG sector. The said rules, inter alia mandates adherence to timelines related to various NPS activities and also that the responsibility in case of delays is retained with Head of Department.
- Operational guidelines to be issued for PoPs under APY specifying TATs to ensure the timely services to APY subscribers are provided by PoPs.

6.2 Age limit of 40 years for joining APY

NPS Lite/Swavalamban which was started for unprivileged unorganised sector workers has been discontinued from w.e.f. April 2015. In place of NPS Lite/Swavalamban scheme, Atal Pension Yojana (APY) was launched which provides guaranteed benefits to the underlying subscribers. Subscribers of NPS Lite scheme have been given option to migrate to APY. However, APY scheme allows entry of subscribers from 18 years to 40 years. Accordingly, potential subscribers beyond 40 years of age who are currently generating income are unable to join Atal Pension Yojana. Therefore, to make the scheme available to these people, the age of eligibility may be considered for increase from 40 years to at least 50 years.

6.3 Statutory obligations that the Authority has not complied

6.3.1 Minimum Assured Returns Scheme (MARS)

Under sub-section 2(d)(b) of Section 20 of PFRDA Act, the subscriber seeking minimum assured returns shall have an option to invest his funds in such schemes providing minimum assured returns as may be notified by the Authority. However, sub-section 2(g) of Sec 20 states that there shall not be any implicit or explicit assurance of benefits except market-based guarantee mechanism to be purchased by the subscriber. Efforts are underway to formulate a feasible MAR Scheme in consultation with the Pension Funds and other stakeholders by overcoming the challenges faced for quantum of assured returns (capital protection or market-based returns) to be offered, guarantee providers and their solvency requirements, guarantee fees, lock-in period, etc. Request for Proposal for Appointment of Consultant to Design Minimum Assured Return Scheme under National Pension System was floated on August 6, 2021. The matter is under development.

6.4 Taxation on employer contribution beyond 10% of salary

Central Government vide notification F. No. 1/3/2016-PR dated January 31, 2019 has increased the employer contribution towards NPS for their employees from 10% to 14% w.e.f April 1, 2019. To provide tax exemption on the increased employer contribution for Central Government employees, Sec 80CCD (2) was amended accordingly vide the Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019).

Since the amended provision provides deduction of 14 per cent on employer's NPS contribution only for Central Government employees. For any other employer, the increased employer contribution of 4 per cent would be taxable perquisite in the hands of respective employee.

Further, contribution made by employer towards employees' NPS account is allowed as a business expense for the employer u/s 36(i)(iva) of the Income Tax Act. Since the current permissible deduction limit is 10 per cent of salary (Basic+DA) of the employee, employers may be reluctant to increase their contribution to 14 per cent.

6.5 Cap on employer contribution for calculating taxable perquisite

The employer contribution in NPS was tax exempted for employees without any monitory ceiling. With effect from, 1st April 2020, the aggregate employer contributions made towards Recognized Provident Fund, Approved Superannuation Fund and NPS in excess of Rs. 7.5 lakh will be treated as taxable perquisite for the respective employee, as per section 17(2)(vii) of the Income Tax Act (as amended vide the Finance Act 2020).

Further, the annual accretion on such excess contribution would also be treated as taxable perquisite as per section 17(2)(viia) of income Tax Act. Since NPS is a market linked pension scheme, gain/loss depicted in an individual's

NPS account is notional until realized and may not be preferable.

6.6 Tier-II Tax Saver with tax benefit of 80C restricted for Central Govt. employees

The Government has notified National Pension Scheme Tier II- Tax Saver Scheme, 2020 which is available only for Central Government employees. Contribution made to this scheme is eligible for tax deduction (u/s 80C of Income Tax Act) with a lock-in period of 3 years. This benefit is not available for any other NPS subscriber other than Central Government employees.

6.7 Taxation on gains arises on Tier-II investment

The investment pattern/asset allocation under NPS Tier II account is same as Tier-I account and contributions are invested in Equity, Corporate Bonds and Government Securities. There is no special tax treatment stipulated for Tier-II account and gains arising at the point of withdrawals are subject to tax at applicable marginal rates thereby making Tier-II less appealing. The gains from National Pension Scheme Tier II- Tax Saver Scheme, 2020 investments would also be taxable at applicable rates in the hands of the subscribers.

PART VII

Any other measure taken by the Authority to protect the interest of subscribers to the National Pension System and other pension schemes under the Act.

7.1 In addition to the steps mentioned in previous paras, some other initiatives taken by the Authority to protect the interest of the subscribers are as below.

- Various new initiatives were undertaken, guidelines were issued in the form of circulars by the PFRDA to protect the interest of subscribers. Also, necessary amendments to Regulations were carried out based on the requirements and feedback received from stakeholders
- Registration, Empanelment and Renewals of empanelment of POPs were undertaken in order to have smooth outsourcing of Accounts.
- Issuance of circular dated March 30, 2020 for all Pension Funds, Custodian, and NPS Trust on extension of time limit by one month (i.e. upto June 30, 2020) for submission of annual accounts and other annual MIS due to Covid -19.
- Authority regularly advises NPS Trust on the deviations reported by POPs for delay in prescribed activities under operational guidelines and the payment of compensation to subscribers by POPs on account of such delays.
- To ensure timely registration of subscriber's under NPS, the Govt Nodal offices under CG/SG sector were advised to adopt OPGM (Online PRAN Generation Module) to eliminate delay in PRAN generation as well as rejection of subscriber registration forms.
- To adopt STS (Server to Server) integration of the nodal offices' financial software package with CRA system.
- Choice of pension fund & investment pattern in Tier I of NPS for the Govt subscribers employed with SG SABs CG & CABs -Advising the opening up and availability of functionality for choice of PF and investment pattern in Tier I for the employees of CAB,

- SAB and SGs, at their own volition without concurrent approval of PFRDA.
- Advisory on Digital Safety Practices to be followed by Govt Nodal offices to access CRA system under NPS architecture - Advising the nodal offices towards adopting safety practices in respect of usage, non-sharing and safe-keeping of login credentials of the CRA system.
- Ease in issuance of Annuity to NPS subscribers - Advising the availability of online based system and functionality for the Government nodal offices for expeditious exit/withdrawal processing and issuance of annuity.
- Advisory on Regular NPS contribution -Advising the Government nodal offices towards following the credit contribution timelines as advised under the Controller General of Accounts (CGA) OM dated September 2,2008.
- Dashboard updation of contact details of Nodal officers - Advising the nodal offices towards updating the contact credentials in the NPS system
- Transfer of Legacy Funds of NPS Subscribers of Government Sectors (SGs/ CABs/ SABs) pursuant to opening of choice of investment schemes and Pension Funds- Advising the nodal offices that post moving out of the default investment pattern by a subscriber of SGF/SAB/ CAB, the legacy accumulated corpus available in the PRAN of such subscriber would be transfer to the selected investment scheme and PF.
- Nodal offices under CG and SG have been advised to strictly comply with the timelines prescribed by DoE for completion of various NPS related activities with respect to credit contribution.
- The oversight offices like PrAOs/DTAs were advised to review performance of their underlying PAOs / DTOs and ensure that the NPS related activities are completed in a

- time bound manner.
- State Governments were advised to consider providing individual choices to State Govts employees-subscriber for Pension Fund and Investment pattern under NPS in reference to gazette notification dated 31.01.19 issued by DFS.
- Offline Aadhar KYC for On-boarding-Ease on on-boarding and instant PRAN generation
- ePRAN card for NPS Subscribers

 Now the Subscribers have to pay much less for Account opening and it is easy to handle.
- Introducing OTP based authentication by Subscribers - Paperless on boarding of subscribers to ease the operation.
- Online Aadhaar e-KYC PFRDA's proposal approved by UIDAI to offer online e-KYC verification to one of the CRAs. This is another step on boarding of subscribers to ease the operation and enhance the convenience of subscriber.
- D-Remit (Direct Remittance) Same day NAV and Facility of auto debit to NPS Subscribers. Delay in processing the contribution is cut down by two days.
- NACH based debit Automated debit through NACH e-mandate introduced on pilot basis. The process initiated in FY 2020-21 and would be rolled out in FY 2021 22.
- E-nomination facility through e sign -Online nomination/updation of nominees in a paperless manner
- Ombudsman for NPS/APY-FAQ published for the benefit of Subscribers and wide awareness created about the services of Ombudsman.
- Annuity Literacy Programs (ALPs) For creating awareness on Annuity among retiring NPS Subscribers. The program held jointly with Annuity Service Providers, Nodal Officers of Govt and CRAs.
- Annuity Calculator Revamped Annuity Calculator for better transmission of annuity rates/ information to NPS Subscribers.
- Compliance certificate for ASPs Half yearly compliance certificate being submitted by ASPs for enhanced Subscribers service.
- NPS Tax Saver account- Enables tax saving by subscribers of Central Govt Sector

- Choice of Investment and PFs- Govt sector subscribers can exercise choice of investment and select PFs
- OTP based Authentication for legacy NPS accounts- To alleviate the difficulties of NPS Subscribers who have opened their NPS Accounts during Covid-19 pandemic induced lock down but could not submit physical applications to CRA.
- Withdrawal process The relaxation was given to nodal offices/POPs for accepting the scanned /self-certified images of exit documents through digital means to process the withdrawal request of NPS.
- Partial Withdrawal allowed for covid related medical treatment - Partial withdrawal guidelines modified to include covid related ailments.
- Continuation of PRAN in case of premature exit where only lump sum is paid.
- Option for partly exited NPS Subscribers to continue the same PRAN.
- Ease Annuity issuance for NPS subscribers on single KYC- KYC and Withdrawal documents uploaded by nodal officers suffice to issue annuity by Annuity Service Providers (ASP).
- Instant Bank Account verification- Instant Bank Account verification through Penny drop to avoid return of funds and check the beneficiary details on real time basis.
- e-NPS Subscribers exit- The online e-NPS exit functionality built in coordination with Banks
- Development of online system for filing appeal with ombudsman and Release of FAQs on Ombudsman

List of Annexure

Annexure I

Composition of Pension Advisory Committee (PAC) and issues discussed during PAC meetings

Annexure II

State-wise total no. of POP-SPs.

Annexure III

Annual statement of accounts of the Authority along with the Schedules

Annexure I Composition of Pension Advisory Committee

- 1. Chief General Manager, Government Business Unit, State Bank of India, New Delhi
- 2. Managing Director & CEO, NSDL e-Governance Infrastructure Ltd
- 3. Executive Director (Retail Banking), Axis Bank
- 4. Deputy Controller General of Accounts (Technical Advice), Department of Expenditure, Ministry of Finance
- 5. Chief Executive Officer & Whole Time Director, UTI Retirement Solutions Ltd.
- 6. Chief Executive Officer, HDFC Pension Management Company Ltd.
- 7. Vice President and Head Custodial Services, Stock Holding Corporation of India Ltd.
- 8. Shri Dinesh Pant, Appointed Actuary Life Insurance Corporation of India
- 9. Chairman, NPS Trust
- 10. Director, National Institute of Bank Management, Pune
- 11. Dr. Renuka Sane, Associate Professor,

- National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP)
- 12. Shri Kulin Patel, Senior Actuary and Director - Client Account Management, Towers Watson, Gurgaon
- 13. President, Institute of Actuaries of India
- 14. Chief Executive Officer Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
- 15. Deputy Secretary (Establishment II), Department of Personnel & Training
- 16. Director (A/Cs), Department of Posts, New Delhi
- 17. Shri Rajiv Kapoor, Executive Director- Group HRM Minda Industries Ltd. representing CII
- 18. Chief Executive-Indian Banks' Association
- 19. Director, Budget, Department of Finance, Bhopal, Government of Madhya Pradesh

The Chairperson and the Members of the Authority are the ex officio Chairperson and ex officio members of the Pension Advisory Committee.

Annexure II State wise total no. of POP-SPs

S.No	State Name	2020	2021
1	Andaman & Nicobar Islands	131	134
2	Andhra Pradesh	15,603	15,796
3	Arunachal Pradesh	377	385
4	Assam	5,899	5,952
5	Bihar	13,205	13,429
6	Chandigarh	520	526
7	Chhattisgarh	4,854	5,029
8	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	115	126
9	Goa	892	913
10	Gujarat	13,633	14,277
11	Haryana	6,246	6,730
12	Himachal Pradesh	3,140	3,164
13	Jammu & Kashmir	2,119	2,133
14	Jharkhand	4,207	4,295
15	Karnataka	14,985	15,613
16	Kerala	10,686	10,916
17	Lakshadweep	11	11
18	Madhya Pradesh	13,284	13,457
19	Maharashtra	24,768	25,207
20	Manipur	244	252
21	Meghalaya	488	544
22	Mizoram	225	235
23	Nagaland	238	247
24	Nct of Delhi (New Delhi)	4,448	5,218
25	Odisha	10,519	10,653
26	Puducherry	314	317
27	Punjab	9,908	10,019
28	Rajasthan	10,710	10,868
29	Sikkim	140	145
30	Tamil Nadu	16,237	16,467
31	Telangana	5,493	5,703
32	Tripura	646	651
33	Uttarakhand	2,875	2,937
34	Uttar Pradesh	29,653	30,025
35	West Bengal	14,890	14,880
	Total (All India)	2,38,411	247,254

Note: List includes data of CRA-NSDL and exclusive POP-SPs registered under Kfintech-CRA.

Annexure III

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), New Delhi for the year ended 31 March 2021

We have audited the attached Balance Sheet of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) as on 31 March 2021, and Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended 31 March 2021 under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 42 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013. These financial statements are the responsibility of the PFRDA's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

- 2. The Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.
- 3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- Based on our audit, we report that:
- (i) We have obtained all the information and explanations, subject to the observations in the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format as prescribed in Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), in so far as it appears from our examination of such books.
- (iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Liabilities

A.1.1 Earmarked/Endowment Funds (Schedule 3): ₹2,35,02,420

The above does not include unutilised Grant-in-Aid of ₹34.40 crore as on 31 March 2021, received from Government on account of Atal Pension Yojana (APY) and Swavalamban Scheme. As per PFRDA (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015, (Notes below Schedule 3), Plan Funds received from the Central/ State Governments are to be shown as Separate Funds and not to be mixed up with any other Funds. Grants received during the year, payment made thereto, unutilised balance at year end should be depicted under respective Funds only.

However, it was observed that during the year 2020-21, PFRDA had depicted an amount of ₹34.40 crore as closing balance of unutilized corpus fund in Schedule-1 of accounts. Depiction of these funds as Capital/Corpus Fund of PFRDA and interest on such funds as interest income of PFRDA has resulted in understatement of Earmarked Funds and overstatement of current liabilities by ₹34.40 crore.

The incorrect treatment of Government grant received for APY and interest earned on balances of Swavalamban Scheme and APY grants and also expenditure incurred out of these grants has affected the Income and Expenditure Account as there is overstatement in case of (a) Other Administrative Expenses (Schedule-21) by ₹374.39 crore; (b) Expenditure on Grants and Subsidies (Schedule-22) by ₹13.80 crore (refund of interest to Government); (c) Grants and Subsidies (Schedule-13) by ₹273.00 crore (Grants for APY); and (d) Interest earned (Schedule-17) by ₹1.26 crore. Government grants received for APY and interest earned thereon and all expenditure made from Swavalamban and APY grants should have been routed through Schedule 3-Earmarked and Endowment Fund. However, the exact impact of this discrepancy could not be computed in audit for the year 2020-21 as the opening balance of unutilised corpus depicted in Schedule 1 (which is closing balance of unutilised grant of 2019-20) was also arrived at following incorrect accounting of Government Grant during previous year i.e. 2019-20 and the same discrepancy existed since 2015.

Despite being pointed out repeatedly in SARs for the years ending on 31 March 2017, 2018, 2019 and 2020, PFRDA has not depicted the above mentioned grants under 'Earmarked/Endowment Funds'.

B Income & Expenditure Account

B.1 Interest Earned (Schedule 17): ₹7,16,33,290

Above includes an amount of ₹1.26 crore on account of interest earned on government grants (₹1.10 crore for Atal Pension Yojana and ₹0.16 crore for Swavalamban), during 2020-21. The interest earned on the specific purpose grants should be depicted under 'Earmarked/Endowment Fund' (Schedule 3) separately instead of treating it as income. This has resulted in overstatement of Income and understatement of Earmarked Fund by ₹1.26 crore.

The issue was also pointed out in SAR on the accounts of PFRDA for the year 2019-20. No corrective action has been taken by PFRDA.

C. Grants in Aid

PFRDA received Grants-in-aid from Government of India during 2020-21 to the tune of ₹273.00 crore and had an opening balance of ₹152.40 crore. During the year, interest earned on Government Grant was ₹1.26 crore and credit received under Swavalamban account was ₹0.001 crore. Out of the total available balance of ₹426.66 crore during 2020-21, PFRDA utilized ₹392.26 crore (including refund of interest carned on Government grant amounting to ₹13.80 crore) leaving an unspent balance of ₹34.40 crore.

- **D.** Deficiencies, which have not been included in the Audit Report, have been brought to the notice of the Management through a management letter issued separately for remedial/corrective action.
- (v) Subject to our observations in the preceding paragraph, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account/ Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with books of accounts.
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
 - a. In so far as it relates to Balance Sheet, of the state of affairs of the PFRDA as on 31 March 2021; and
 - b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the Excess of Income over Expenditure (Negative) for the year ended on 31 March 2021.

For and on the behalf of the Comptroller & Auditor General of India

> Principal Director of Audit, Industry & Corporate Affairs,

> > New Delhi.

Place: New Delhi

Date: 9 7 067 2021

Annexure to Separate Audit Report

A. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit Wing of PFRDA has completed the audit of all wings of PFRDA for the year 2019-20. The reply in respect of internal audit findings were submitted by respective wings of PFRDA and compliance was reported to the Management. Internal audit for the year 2020-21 was under process.

Additionally, the audit of accounts of PFRDA for the year 2020-21 was conducted by a Chartered Accountant firm engaged on contract basis. The findings were reported to PFRDA management and PFRDA has submitted the action taken report on the observations given by the firm.

B. Adequacy of Internal Control System

Internal control system regarding booking of grants received for specific purpose needs improvement. The maintenance of vouchers, various control registers, record relating to grant in aid and sanctions and regularity in expenditure approval was satisfactory.

C. System of physical verification of fixed assets

The physical verification of fixed assets was conducted at the end of financial year by PFRDA.

D. System of physical verification of inventory¹

There were 'Nil' inventories during the financial year 2020-21.

E. Regularity in payment of statutory dues

As per the records furnished to the audit, no statutory dues over six month were outstanding as on 31.03.2021.

전에 어 Deputy Director

While replying to the Separate Audit Report for the year 2015-16, PFRDA had stated that "PFRDA is a regulatory authority for pension fund and does not maintain any inventory, as it has been shown as 'Nil' under Schedule 11".

PFRDA Comments to the Separate Audit Report

For Point A.1.1 and Point B.1 of SAR and Point B of Annexure to SAR:

It is pertinent to mention that the PFRDA (Forms of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015 ('Rules') have been notified by Central Government inferring powers under clause (h) of subsection (2) of Section 51 read with subsection (1) of Section 42 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India (C&AG). The Forms and schedules of Annual Accounts are prescribed under the above mentioned Rules in which the expenditure under Swavalamban scheme is shown under the Schedule 21 i.e Other administrative expenses. Similarly, Grant/Subsidies received are shown under the Schedule 13 (Grant/Subsidiaries) which is a part of Income and expenditure account. Accordingly, the Grant and expenditure under Swavalamban and APY scheme are considered as income and expenditure in the books of accounts of PFRDA. This treatment is in accordance with the above mentioned 'Rules'.

Further, with reference to the internal control system regarding booking of grants received for specific purpose, it is mentioned that PFRDA maintains separate records, ledgers and bank accounts in respect of Government grants. Hence, the internal control system in place are adequate.

FORM A [See Rule 3(a)] PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY BALANCE SHEET AS ON 31-03-2021

(Unit-Indian Rupee)

Liabilities	Schedule	Current year	Previous year	Assets	Schedule	Current year	Previous year
1. Corpus/ Capital Fund	1	1,24,50,15,689	92,90,86,573	1. Fixed Assets	8		
				Gross block		51,07,47,779	2,49,07,112
2. Reserves and Surplus	2	-	-	Less: Depreciation		1,79,49,562	1,64,02,729
				Net Block		49,27,98,216	85,04,383
3. Earmarked/ Endowment funds	3	2,35,02,420	2,19,93,893	2. Investments from Earmarked/ Endowment Fund	9	2,26,95,680	2,09,22,170
4. Secured loans and borrowings	4	-	-	3. Investment- Others	10	51,71,31,221	73,38,88,980
5. Unsecured loans and borrowings	5	-	-	4. Current assets, Loans, Advances etc.	11	65,71,01,148	1,78,36,31,420
6. Deferred credit liabilities	6	-	-	5. Miscellaneous expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
7. Current liabilities and provisions	7	42,12,08,157	1,59,58,66,488				
Total		1,68,97,26,266	2,54,69,46,953	Total		1,68,97,26,266	2,54,69,46,953

Note:-

All Schedules to Balance Sheet shall form part of Account.

Place: New Delhi
Date:25/06/2021

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

FORM B [See rule 3(b)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2020 TO 31-03-2021

(Unit-Indian Rupee)

Expenditure	Schedule	Current year	Previous year	Income	Schedule	Current year	Previous year
1. Establishment Expenses	20	17,46,71,424	16,50,08,632	1. Income from Sales/ Services	12	-	-
2. Other Administrative expenses etc.	21	3,94,46,05,711	2,34,82,59,076	2. Grants/ Subsidies	13	2,73,00,00,000	3,62,49,00,000
3. Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	13,79,89,642	10,01,28,457	3. Fee/ Subscription	14	59,16,36,861	58,43,21,253
4. Interest	23	11,413	8,724	4. Income from Investments (Income on investment from earmarked/ endowment funds transferred to Funds)	15	-	-
5. Depreciation (Net Total at the year end- corresponding to Schedule 8)		33,18,117	23,21,441	5.Income from Royalty, Publications etc.	16	-	-
				6. Interest Earned	17	7,16,33,290	6,23,18,813
				7. Other Income	18	32,58,192	2,62,376
				8. Increase/ (decrease) in stock of Finished goods and Work-in- progess	19	-	-
TOTAL		4,26,05,96,306	2,61,57,26,329	TOTAL		3,39,65,28,342	4,27,18,02,442
Balance being excess of Income over Expenditure		(86,40,67,964)	1,65,60,76,113				
Transfer to Special Reserve (specify each)		-	-				
Transfer to/from General Reserve		-	-				
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		(86,40,67,964)	1,65,60,76,113				
Significant Accounting Policy	24						
Contigent Liabilities and Notes on Accounts	25						

Note:-

All Schedules to Balance Sheet shall form part of Account.

Place: New Delhi
Date:25/06/2021

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Deepak MohantyMember

Pramod Kumar Singh Member

FORM C [See rule 3(c)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2020 to 31-03-2021

(Unit-Indian Rupee)

	(Unit-II						
Sl No	Receipts	Current year	Previous year	S1 No	Payments	Current year	Previous year
1.	Opening Balances			1.	Expenses		
(a)	Cash in hand	5,313	20,000	(a)	Establishment Expenses	18,42,94,163	16,71,88,329
(b)	Bank Balances			(b)	Administrative Expenses	22,97,03,303	27,20,22,393
	(i) In Current accounts	-	-	2.	Grants Utilised		
	(ii) In Time Deposit accounts	-	-	(a)	Swavalamban Contribution	(9,887)	(1,224)
	(iii) In Saving Bank deposit accounts	1,55,64,94,648	26,81,40,459	(b)	Swavalamban Promotion	54,79,000	-
2.	Grants Received			(c)	Grant to National Pension system Trust	-	_
(i)	From Government of India			(d)	APY Contribution	1,55,02,17,812	1,07,38,13,296
. '	(a) Grant-in-aid Salaries	-	13,80,00,000	(e)	APY Promotion and Development	2,22,89,29,841	95,00,18,691
	(b) Grant-in-aid-General	_	10,00,00,000	(f)	Refund of Grant	_	1,28,458
			, , ,	(g)	Refund of Interest	13,79,89,642	-
	(c) Grant-in-aid-Swavalamban Contribution	_	_	(h)	Others (NCFE)	_	10,00,00,000
	(d) Grant-in-aid-Swavalamban Promotional & Development activities	-	-	3.	Investments and deposits made		, , ,
	(e) Grant-in-aid APY Contribution	1,01,00,00,000	1,68,14,00,000	(a)	Out of Earmarked/ Endowment funds	1,00,000	1,00,000
	(f) Grant-in-aid APY Promotion & Development	1,72,00,00,000	1,70,55,00,000	(b)	Out of Own Funds (Investments-Others)	(22,04,88,979)	36,42,06,109
	(g) Others	-	-	4.	Expenditure on Fixed Assets and Capital Work-in-progress		
(ii)	From State Government			(a)	Purchase of Fixed Assets	27,38,818	3,08,136
(11)	(a) Grant-in-aid Salaries	_	_	(b)	Expenditure on Capital Work-in-progress	48,01,94,519	3,00,130
	(b) Grant-aid-General	_	-	5.	Refund of surplus money/ Loans	40,01,94,319	_
	(c) Grant-in-aid-Swavalamban Contribution	_	_	(a)	Recoverable from National pension	_	_
		-	-	, ,	system trust		-
	(d)Grant-in-aid-Swavalamban Promotional & Development activities	-	-	(b)	To the State Government	-	-
	(e) Others	-	-	(c)	To other providers of funds	-	-
(iii)	From Other Sources	-	-	6.	Finance Charges (Interest)		
3.	<u>Income on Investments</u>			(a)	Bank charges	11,413	8,724
(a)	Earmarked/Endowment Funds	4,648	6,125	(b)	Others	-	-
(b)	Own Funds (other investment)	-	-	7.	Other Payments (Specify)		
4.	Interest Received			(a)	Prepaid	14,56,743	19,59,412
(a)	On Bank deposits	6,43,63,126	3,40,87,965	(b)	Loan/ Advance to employees	2,53,091	1,87,490
(b)	Loans, Advances etc.	-	-	(c)	Advance against Expenses	1,86,92,191	4,19,80,703
(c)	Others (Interest on Loan)	-	-	(d)	Security Deposits	-	30,000
5.	Other Income (Specify)			8.	Closing Balances		
(a)	Annual Fees	59,18,98,251	56,76,24,021	(a)	Cash in hand	20,000	5,313
(b)	Fees from Miscellaneous Services	3,33,99,991	5,18,000	(b)	Bank Balances		
(c)	Miscellaneous Income	32,52,531	66,874		(i) In Current accounts		
6	Amount Borrowed	-	-		(ii) In Time Deposit accounts		
7	Any Other receipts				(iii) in Saving Bank deposit accounts	40,01,42,196	1,55,64,94,648
(a)	Security/Earnest Money Received	68,000	-				
(b)	Recovery of Advance	3,87,40,504	3,20,88,379				
(c)	Transfer of Assets	1,23,567	41,615				
(d)	Subscribers Education and Protection Fund	1,30,746	81,338				
(e)	Others	12,42,540	8,75,703				
	TOTAL	5,01,97,23,865	4,52,84,50,478		TOTAL	5,01,97,23,865	4,52,84,50,478

Place: New Delhi Date:25/06/2021 **Ashish Kumar Bharati** Chief Accounts Officer

Dr. Deepak Mohanty Member Pramod Kumar Singh Member

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 1 ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2021

CORPUS/ CAPITAL FUND

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
Balance a	s at the beginning of the year	92,90,86,573	55,46,76,869
Add:	Opening Balance of unutilized corpus fund	1,52,40,02,776	24,23,36,366
Less:	Closing Balance of unutilized corpus fund	34,40,05,696	1,52,40,02,776
Add/ Deduct:	Balance of net income/expenditure transferred from the Income and Expenditure	(86,40,67,964)	1,65,60,76,113
Add:	Government Grant to be received from government/transferred from the Income and Expenditure Account	ı	-
BALANG	CE AS AT THE PERIOD END	1,24,50,15,689	92,90,86,573

Place: New Delhi
Date:25/06/2021
Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 2 ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2021

RESERVES AND SURPLUS

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	<u>Capital Reserve</u>		
	a) At the beginning of the year	-	-
	b) Addition during the year	-	-
	c) Less: Deductions during the year	-	-
2.	Revaluation Reserve		
	a) At the beginning of the year	-	-
	b) Addition during the year	-	-
	c) Less: Deductions during the year	-	-
3.	Special Reserve		
	a) At the beginning of the year	-	-
	b) Addition during the year	-	-
	c) Less: Deductions during the year	-	-
4.	<u>General Reserve</u>		
	a) At the beginning of the year	-	-
	b) Addition during the year	-	-
	c) Less: Deductions during the year	-	_
Tota	al	-	-

Place: New Delhi
Date:25/06/2021

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Deepak Mohanty Member Pramod Kumar Singh Member

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2021 EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

(Unit-Indian Rupee)

		Particulars	Subscriber's Education and Protection Fund			
			Current Year	Previous Year		
1.	Оре	ening balance of the funds	2,19,93,893	2,04,01,314		
2.	Ado	litions to the funds				
	a)	Donations / grants	-	-		
	b)	Income on Investments made on account of funds	13,77,781	15,19,479		
	c)	Receipts during the year	1,30,746	81,338		
	d)	Other Additions (Specify nature)				
TO	TAL ((1+2)	2,35,02,420	2,20,02,131		
3.	Util	isation/Expenditure towards objectives of funds				
	a)	Capital Expenditure				
		i) Fixed assets	-	-		
		ii) Others	-	-		
Tota	al		-	-		
	b)	Revenue Expenditure				
		i) Salaries, wages and allowances, etc.	-	-		
		ii) Rent	-	-		
		iii) Other Administrative expenses	-	8,238		
Tot	al		-	8,238		
TO	TAL ((3)	-	8,238		
NE	ГВА	LANCE AT THE PERIOD END (1+2-3)	2,35,02,420	2,19,93,893		

Place: New Delhi
Date:25/06/2021
Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 4 ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2021

SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	Central Government	-	-
2.	State Government	-	-
3.	Financial Instituitions		
	a) Term Loans	-	-
	b) Interest accrued and due	-	-
4.	Banks		
	a) Term Loans	-	-
	- Interest accrued and due		
	b) Other Loans (specify)	-	-
	- Interest accrued and due		
5.	Other Instituitions	-	-
6.	Debentures and Bonds	-	-
7.	Others	-	-
	TOTAL	-	-

Note: - Amount due within one year -

Place: New Delhi Date:25/06/2021 **Ashish Kumar Bharati** Chief Accounts Officer

Dr. Deepak MohantyMember

Pramod Kumar Singh Member

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 5 ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2021

UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	Central Government	-	-
2.	State Government	_	-
3.	Financial Instituitions	_	-
4.	Banks		
	a) Term Loans	-	-
	b) Other Loans (specify)	-	-
5.	Other Instituitions	-	-
6.	Debentures and Bonds	-	-
7.	Fixed Deposits	-	-
8.	Others (specify)	-	-
	TOTAL	-	-

Note:- Amount due within one year -

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 6 ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2021

DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	Acceptances secured by hypothecation of Capital Equipment and Other Assets	-	-
2.	Others	-	-
TO	OTAL	-	-

Note:- Amount due within one year -

Place: New Delhi
Date:25/06/2021

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2021

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
<u>Current Liabilities</u>		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors & Payables	3,48,32,981	1,01,97,526
3. Advances Received	-	-
4. Interest Accrued but not due on:		
a) Secured Loans / Borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/ Borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities:		
a) Overdue	-	-
b) Others	16,37,083	8,84,642
6. Other Current Liabilities		
a) Unutilised grant payable to GOI	34,40,05,696	1,52,40,02,776
b) Others: Security Deposits	65,99,000	65,81,000
TOTAL	38,70,74,760	1,54,16,65,943
<u>Provisions</u>		
1. For Taxation	-	
2. Gratuity	97,50,718	2,01,52,162
3. Trade Warranties/ Claims	-	-
4. Accumulated Leave encashment	2,38,13,861	3,37,25,725
5. Pension Contribution Payable	-	-
6. Leave salary payable	-	-
7. Others - CAG Audit fee payable	5,68,818	3,22,658
TOTAL	3,41,33,397	5,42,00,545
GRAND TOTAL	42,12,08,157	1,59,58,66,488

Place: New Delhi Date:25/06/2021 **Ashish Kumar Bharati** Chief Accounts Officer

Dr. Deepak Mohanty Member Pramod Kumar Singh Member

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 8 ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2021

FIXED ASSETS

(Unit-Indian Rupee)

				Gross	Block		Depreciation				Net Block	
	Description		Cost/ Valuation as at the beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ Valuation as at the year end	As at beginning of the year	For the year	On Deductions during the year	Total upto the year end	As at the Current year	As at the previous year
Fixe	d Asse	<u>ets</u>										
1.	Land	d:										
	a)	Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Buile	dings:								-		
	a)	On Freehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	On Leasehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	Ownership flats/ premises	-	=	-	=	-	-	=	-	-	-
	d)	Superstructures on Land not belonging to the entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		t Machinery and ipment	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Vehi	icle	13,18,102	-	-	13,18,102	6,52,273	99,875	-	7,52,148	5,65,954	6,65,829
5.	Furr	niture & Fixtures	43,40,249	1,89,617	-	45,29,866	21,53,397	2,33,462	-	23,86,859	21,43,008	21,86,853
6.	Offic	ce Equipments	64,63,452	27,71,121	4,89,899	87,44,674	33,43,126	7,15,711	1,65,128	38,93,710	48,50,964	31,20,326
7.	Con	nputer/ Peripherals	1,24,35,423	50,93,678	19,64,334	1,55,64,767	99,27,178	22,55,340	16,06,156	1,05,76,362	49,88,405	25,08,245
8.	Elec	trical Installations	1,51,908		-	1,51,908	1,33,040	2,830	-	1,35,870	16,038	18,868
9.	Liab	rary Books	1,97,977	45,965	-	2,43,942	1,93,715	10,899	-	2,04,614	39,328	4,262
10.	Othe	er Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tota	l of C	urrent Year	2,49,07,112	81,00,381	24,54,233	3,05,53,260	1,64,02,729	33,18,117	17,71,283	1,79,49,562	1,26,03,697	85,04,383
Pre	ious Y	Year	2,34,73,725	23,29,410	8,96,023	2,49,07,112	1,47,66,875	23,21,441	6,85,588	1,64,02,729	85,04,383	87,06,849
Cap	ital w	ork-in-progress	-	48,01,94,519	-	48,01,94,519	-	-	-	-	48,01,94,519	-
Tota	ıl			48,82,94,900		51,07,47,779					49,27,98,216	85,04,383

Place: New Delhi Date:25/06/2021 **Ashish Kumar Bharati** Chief Accounts Officer

Dr. Deepak Mohanty Member Pramod Kumar Singh Member

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 9 ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2021

INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Government securities	-	-
2. Other approved securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint ventures	-	-
6. Fixed Deposits	2,26,95,680	2,09,22,170
7. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	2,26,95,680	2,09,22,170

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 10 ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2021

INVESTMENT- OTHERS

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	Government securities	-	-
2.	Other approved securities	-	-
3.	Shares (Unquoted)		
	Shares of National Center for Financial Education (NCFE) 10,00,00,000/-		
	Less: Invest made from Government Grants 9,99,99,999/-	1.00	1.00
4.	Debentures and Bonds	-	-
5.	Subsidiaries and Joint ventures	-	-
6.	Fixed Deposits	51,71,31,220	73,38,88,979
7.	Others	-	-
	TOTAL	51,71,31,221	73,38,88,980

Place: New Delhi
Date:25/06/2021

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 11 TTACHED TO AND FORMING BART OF BALANCE SHEET AS AT 21st Moreh

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2021

CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
(A) <u>C</u> ı	urrent Assets		
1.	Inventories:		
i	a) Stores and Spares	_	_
	b) Loose Tools	_	_
	c) Stock-in-trade		
	Finished goods	-	_
	Work-in-progress	_	_
	Raw Materials	-	_
2.	Sundry Debtors :		
ı	a) Debt outstanding for a period exceeding six months	-	-
•	b) Others:	<u>-</u>	-
3.	Cash in hand	20,000	5,313
4.	Bank Balances :		
	a) with Scheduled Banks:		
	i) On Current Accounts	_	_
	ii) On Time Deposit Accounts	_	_
	iii) On Savings Bank Deposit A/c	40,01,42,196	1,55,64,94,648
1	b) with Non- Scheduled Banks:		
	i) On Current Accounts	_	_
	ii) On Time Deposit Accounts	_	_
	iii) On Savings Bank Deposit A/c	_	_
5.	Post Office- Savings Accounts	-	-
	Others	-	-
TOTA	IL (A)	40,01,62,196	1,55,64,99,961
(B)	Loans, Advances And Other Assets :		
1.	Loans:		
	a) Staff	2,60,000	3,24,000
	b) Other Entities engagaed in activities/objectives similar to that of the Entity	-	-
	c) Others (specify)	-	-
2.	Advances and Other Amounts Recoverable in cash or in kind or for value to be		
	received:		
	a) On Capital Account	-	-
	b) Prepayments (Prepaid exp)	14,70,350	19,59,412
	c) Security Deposits	38,47,500	36,47,500
	d) Others:	13,73,66,838	7,68,83,468
3.	Income Accrued:		
	a) On Investments from Earmarked/ Endowment funds	6,34,666	9,35,043
	b) On Investments- Others	3,32,45,467	2,97,06,523
	c) On Loans and Advances	-	-
	d) Others (includes income due unrealized: NIL)	8,01,14,133	11,36,75,514
4.	Claims Receivable	-	-
	Total (B)	25,69,38,953	22,71,31,460
	Grand Total (A)+(B)	65,71,01,148	1,78,36,31,420

Place: New Delhi Date:25/06/2021 **Ashish Kumar Bharati** Chief Accounts Officer

Dr. Deepak MohantyMember

Pramod Kumar Singh Member

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2020 TO 31-03-2021

INCOME FROM SALES/SERVICES

(Unit-Indian Rupee)

		Particulars	Current year	Previous year
1.	Inco	ome from Sales		
	a)	Sale of Finished goods	-	-
	b)	Sale of Raw Materials	-	-
	c)	Sale of Scraps	-	-
2.	<u>Inco</u>	ome from Services		
	a)	Labour and Processing Charges	-	-
	b)	Professional/ Consultancy Services	-	-
	c)	Agency Commission and Brokerage	-	-
	d)	Maintenance Services (Equipment/Property)	-	-
	e)	Others (specify)	-	-
		TOTAL	-	-

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 13

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2020 TO 31-03-2021

GRANT/ SUBSIDIES

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
Irre	vocable Grants and Subsidies Received		
1.	Central Government	2,73,00,00,000	3,62,49,00,000
2.	State Government	-	-
3.	Government agencies	-	-
4.	Instituition / Welfares bodies	-	
5.	International Organisations	-	-
6.	Others: (Specify)	-	-
	Total	2,73,00,00,000	3,62,49,00,000

Place: New Delhi
Date:25/06/2021

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Dr. Deepak Mohanty Pramod Kumar Singh S. Bandyopadhyay
Member Member Chairperson

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2020 TO 31-03-2021

FEES/SUBSCRIPTIONS

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	Entrance Fees	-	-
2.	Annual Fees	55,83,36,870	58,38,03,253
3.	Seminar/ Program Fee	-	-
4.	Consultancy Fees	-	-
5.	Licence Fees	-	-
6.	Fees from Miscellaneous Services	3,32,99,991	5,18,000
7.	Others (Specify)	-	-
	Total	59,16,36,861	58,43,21,253

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 15

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2020 TO 31-03-2021

INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on investment from Earmarked / Endowmennt funds transferred to Funds)

(Unit-Indian Rupee)

	Dout ou lour	Investment From 1	Investment From Earmarked Fund		Investment- Others	
	Particulars	Current year	Previous year	Current year	Previous year	
1.	Interest					
	a) On Govt. Securities	-	-	-	-	
	b) Other Bonds/Debentures	-	-	-	-	
	c) Others	13,77,781	15,19,479	-	-	
2.	Dividend					
	a) On Shares	-	-	-	-	
	b) On Mutual Funds	-	-	-	-	
	c) Others	-	-	-	-	
3.	Rents	-	-	-	-	
4.	Others (specify)	-	-	-	-	
To	tal	13,77,781	15,19,479	-	-	
Les	ss: Transferred to Earmarked/Endowment	13,77,781	15,19,479	-	-	
Fu	nds					
Ne	t balance	-	-	•	-	

Place: New Delhi Date:25/06/2021 **Ashish Kumar Bharati** Chief Accounts Officer

Dr. Deepak Mohanty Member Pramod Kumar Singh Member

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2020 TO 31-03-2021

INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	Income from Royalty	1	-
2.	Income from Publications	-	-
3.	Others (specify)	-	-
	Total	1	-

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 17

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2020 TO 31-03-2021

INTEREST EARNED

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	On Term Deposits Accounts		
	a) with Scheduled Banks	5,69,67,150	4,15,81,140
	b) with Non-Scheduled Bank	-	-
	c) with Instituitions	-	-
	d) Others	-	-
2.	On Savings Bank Deposits Accounts		
	a) with Scheduled Banks	1,46,66,140	2,07,36,732
	b) with Non-Scheduled Bank	-	-
	c) Post Office Savings Accounts	-	-
	d) Others:		
3.	On Loans:		
	a) Employees/Staff	-	-
	b) Others	-	-
4.	Interest on Debtors and Other Receivables		941
	Total	7,16,33,290	6,23,18,813

Place: New Delhi Date:25/06/2021 **Ashish Kumar Bharati** Chief Accounts Officer

Dr. Deepak Mohanty Member Pramod Kumar Singh Member

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2020 TO 31-03-2021

OTHER INCOME

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	Profit on Sale/ Disposal of Assets		
	a) Owned Assets	-	-
	b) Assets acquired out of grants or received free of cost	-	-
2.	Export Incentives Realized	-	-
3.	Fees for Miscellaneous Services	-	-
4.	Miscellaneous Income	32,58,192	2,62,376
	Total	32,58,192	2,62,376

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 19

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2020 TO 31-03-2021

INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
A)	Closing Stock		
	1. Finished Goods	-	-
	2. Work-in-progress	-	-
B)	Less: Opening Stock		
	1. Finished Goods	-	-
	2. Work-in-progress	-	-
N	et Increase/(Decrease) (A-B)	-	-

Place: New Delhi
Date:25/06/2021

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2020 TO 31-03-2021 ESTABLISHMENT EXPENSES

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	Salaries and Wages	14,82,88,879	13,30,96,305
2.	Allowances and Bonus	-	-
3.	Contribution to Provident Fund	-	
4.	Contribution to Pension	1,28,32,661	1,14,45,200
5.	Staff Welfare Expenses	-	-
6.	Expense on Employee Retirement and Terminal Benefits	-	-
7.	Leave Salary	85,83,969	1,05,17,892
8.	Tution Fees reiumbursement	-	-
9.	Medical reiumbursement	30,50,143	29,87,655
10.	Gratuity Contribution	19,15,771	69,61,580
11.	Others: (specify)	-	-
	Total	17,46,71,424	16,50,08,632

Place: New Delhi
Date:25/06/2021

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2020 TO 31-03-2021

OTHER ADMINISTRATION EXPENSES

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	Purchases	-	-
2.	Labour and Processing Expenses	-	-
3.	Cartage and Carriage Inwards	-	-
4.	Electricity and Power	16,47,876	14,40,380
5.	Water Charges	5,69,522	2,66,625
6.	Insurance	18,44,892	11,43,461
7.	Repair and Maintenance	64,00,678	73,23,004
8.	Excise Duty	-	-
9.	Rent, Rates and Taxes	7,34,71,187	7,34,82,987
10.	Vehicles Running and Maintenance	1,36,94,318	1,31,12,901
11.	Postage, Telephone and Communication Charges	52,08,044	42,90,762
12.	Printing and Stationary	14,80,358	14,55,288
13.	Travelling and Conveyance Expenses	6,71,399	1,08,96,121
14.	Expenses on Seminar/ Workshops/ Meetings and conferences	2,48,36,439	1,82,00,214
15.	Subscription Expenses	-	-
16.	Expenses on Fees	-	-
17.	Auditors Remuneration	2,46,160	11,99,441
18.	Hospitality Expenses	-	-
19.	Professional Charges	3,50,12,958	2,74,27,085
20.	Books and Periodicals	1,73,652	2,05,351
21.	Recruitment Expenses	80,36,941	1,14,373
22.	Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances	-	-
23.	Incentive to Aggregator	54,79,000	-
24.	Swavalamban Government Contribution	(9,887)	(1,224)
25.	APY Government Contribution	1,55,02,17,812	1,07,38,13,296
26.	Incentive to Point of presence	-	-
27.	Irrevocable balances Written off	-	1,006
28.	Packing charges	-	-
29.	Freight and Forwarding Expenses	-	-
30.	Distribution Expenses	-	-
31.	Advertisement and Publicity Expenses	1,93,47,176	8,77,99,410
32.	Membership fees	32,68,640	8,850
33.	Staff Welfare expenses	8,35,661	10,06,994
34.	Consultancy expenses	27,65,685	11,00,148
35.	APY Promotion	6,19,500	2,28,60,914
36.	Incentive under APY	2,18,76,32,920	99,93,97,810
37.	Sitting Fees	-	36,500
38.	Others (Website fee expense, Fund management expense, Computer consumables+ Auction Processing Fees)	11,54,779	16,77,380
	Total	3,94,46,05,711	2,34,82,59,076

Place: New Delhi Date:25/06/2021 **Ashish Kumar Bharati** Chief Accounts Officer

Dr. Deepak MohantyMember

Pramod Kumar Singh Member

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2020 TO 31-03-2021

EXPENDITURE ON GRANT SUBSIDIES ETC.

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	Grants given to Instituitions/ Organisations/National Pension System Trust	-	9,99,99,999
2.	Subsidies given to Instituitions/ Organisations	-	-
3.	Others:		
	a. Refund of Grants	-	1,28,458
	b. Refund of Interest	13,79,89,642	-
	Total	13,79,89,642	10,01,28,457

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 23

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2020 TO 31-03-2021

INTEREST

(Unit-Indian Rupee)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	On Fixed Loans	-	-
2.	On Other Loans	-	-
3.	Bank charges	11,413	8,724
4.	Other (specify)	-	-
	Total	11,413	8,724

Place: New Delhi
Date: 25/06/2021

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 24 "ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 01-04-2020 TO 31-03-2021" SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of accounting and preparation of financial statements

The financial statements of the Authority have been prepared in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015. The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention except for Swavlamban scheme and Atal Pension Yojna (APY) maintained on payment basis, being the scheme of Government of India .

Fee from Trustee Bank and Central Record Keeping Agencies for the last quarter have been accounted on accrual basis for 2020-21.

2. Government Grants

Government grants are accounted on realisation basis.

Government grants relating to specific assets have been shown as a deduction from the gross value of the assets concerned, in arriving at their book value and the related assets have been shown in the balance sheets at a nominal value.

3. Fixed Assets

Fixed assets are stated at their original cost including taxes and other incidental expenses related to acquisition.

4. Retirement benefits

The retirement benefits of employees i.e Gratuity and leave encashment, are covered through Group Gratuity Scheme and Group Leave Encashment Scheme taken from Life Insurance Corporation of India.

5. Depreciation

- 5.1 Depreciation is provided on the written down value method as per rates specified in The Income tax Act 1961.
- 5.2 Items costing Rs. 5,000/- or less each are treated as revenue expenditure.

Place: New Delhi Date:25/06/2021 **Ashish Kumar Bharati** Chief Accounts Officer

Dr. Deepak Mohanty Member Pramod Kumar Singh Member

ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 01-04-2020 TO 31-03-2021

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities

There is no contingent liability of the Authority as at 31.03.2021.

2. Current Assets, Loans & Advances

The Current assets, Loans and advances have a value on realisation equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

3. Taxation

In view of the Section 34 of The Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013, the Authority shall not be liable to pay wealth-tax, income-tax or any other tax in respect of its wealth, income, profits or gains derived. Accordingly, no provision for the same has been provided in the books of accounts.

- 4. The unutilised Government grants as on 31.03.2021 has been shown under the head Current Liabilities and Provisions.
- 5. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary.
- 6. The schedule 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance sheet as at 31-03-2021 and the Income and Expenditure account for the period 01-04-2020 to 31-03-2021.
- 7. PFRDA has contributed Rs.10 crores towards Share Capital of 'National Center for Financial Education (NCFE)' from the Grants received from Central Government in the FY 2019-20. Hence, this investment has been shown at a notional value of Re.1 under Schedule 10.
- 8. The Board of PFRDA in its 88th meeting approved the purchase of own premises for PFRDA from NBCC (India) Ltd in its upcoming project at World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi. Accordingly, PFRDA has made pro-rata payment of Rs 48.02 cr to NBCC during 2020-21 towards the purchase of said premises, which is still under construction. The same has been shown as 'Capital Work-in-Progress' in Schedule-8.

Place: New Delhi
Date:25/06/2021

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer



B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai,New Delhi-110 016